अष्टम माला, खण्ड 6, अंक 44

बुधवार, 15 मई, 1985
25 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

अष्टम माला, खण्ड 6, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 44, बुधवार, 15 मई, 1985/25 वैशाख, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—20**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 855 से 861 और 866	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**20—205**
तारांकित प्रश्न संख्या : 854, 862, 863 और 865 और 867 से 874	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6598 से 6701, 6703 से 6832	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**209—212**
राज्य सभा से संदेश	**212**
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	**213—217**
रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बंद होने और उसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति का समाचार	
श्री मौरिस कुजूर	213
श्री वीरेन्द्र पाटिल	213
श्री जैनुल बशर	215
मानवीय उपभोग के काम आने वाले नमक की भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य	**218**
विधेयक—पुरःस्थापित	**218**
आंध्र प्रदेश विधान परिषद (उत्सादन) विधेयक	
नियम 377 के अधीन मामले :	**218—223**
(एक) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश की सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता	
श्री हुसैन दलवाई	218
(दो) ग्रामीण आवास के लिए हुडको द्वारा धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता अथवा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु एक पृथक निगम स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री एस० एम० भट्टम	219

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) प्रेस (समाचार पत्रों) के लिए एक आचार और नैतिकता संहिता बनाने की आवश्यकता	
श्री कमल नाथ	219
(चार) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के काम को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता	
डा० गौरी शंकर राजहंस	220
(पांच) दक्षिण मध्य रेल द्वारा कर्नाटक में किसी एक स्थान के लिए एक बार में 20 माल डिब्बे बुक करने के नियम में ढील देने की आवश्यकता	
श्री डी० के० नायकर	220
(छः) आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की क्रियान्विति में विलम्ब न होने देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता	
श्री राम प्यारे पनिका	220
(सात) पश्चिम बंगाल स्थित इंडियन रबड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के निरधिसूचित किए जाने के कारण कामगारों की दयनीय दशा	
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	221
(आठ) बंद एककों को खोलने और रुग्ण एककों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता	
श्री बसुदेव आचार्य	221
(नौ) श्रीगंगा नगर जिले में बैंकों द्वारा हरिजन किसानों और बेरोजगार युवकों को समय पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	222
(दस) एस्टोरंग (उड़ीसा) में एक मछली पत्तन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण मलिक	223
सभा का कार्य	**223**
नियम 193 के अधीन चर्चा	**223—234**
देश में न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता [जारी—समाप्त]	
श्री ए० के० सेन	
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक [जारी—समाप्त]	**235—246**
विचार करने के लिए प्रस्ताव	235—244
श्री विजय कुमार यादव	235
श्री शांता राम नायक	235
श्री के० आर० नटराजन	237

विषय	पृष्ठ
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	238
श्री एच० आर० भारद्वाज	240
खंडवार विचार	244—246
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री एच० आर० भारद्वाज	242
श्री मूल चंद डागा	245
सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक	246—259
विचार करने के लिए प्रस्ताव	246—257
श्री जनार्दन पुजारी	246
श्री बसुदेव आचार्य	247
श्री हरीश रावत	249
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	250
श्री मनोज पांडे	251
श्रीमती गीता मुखर्जी	252
प्रो० सैफुद्दीन सोज	253
खंडवार विचार	257—259
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	257
श्री पी० नामग्याल	258
काली मिर्च पर निर्यात शुल्क बढ़ाने सम्बन्धी अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	259—260
श्री जनार्दन पुजारी	
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक [चर्चा असमाप्त]	260—264
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	260
श्री एस० एम० भट्टम	261
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	263
भारत के प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के षडयंत्र का अमरीका के फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा पर्दाफाश करने के समाचार के बारे में प्रस्ताव	264—297
श्री जी० जी० स्वैल	264
श्री सी० माधव रेड्डी	274

विषय	पृष्ठ
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	273
श्री सैफुद्दीन चौधरी	277
प्रो० के० के० तिवारी	279
श्री एस० जयपाल रेड्डी	281
प्रो० पी० जे० कुरियन	283
श्री विजय कुमार यादव	285
श्री जैनुल बशर	286
प्रो० सैफुद्दीन सोज	287
श्री हरीश रावत	288
श्री पीयूष तिरकी	290
श्री अजय मुशरान	290
श्री राम निवास मिर्धा	292
श्री जी० जी० स्वैल	295
राज्य सभा से संदेश	297
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	297
(राज्य सभा द्वारा यथापरित)	
आधे घंटे की चर्चा	298—303
भारत से बाहर के शहरों के लिए विशेष चार्टर और वापसी किराया सुविधा	
श्री दिग्विजय सिंह	298
श्री अशोक गहलोत	301

लोक सभा

बुधवार, 15 मई, 1985/25 वैशाख, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय खुशरान। वह उपस्थित नहीं हैं। प्रो० मधु दण्डवते।

श्री कमल नाथ : उनके दो प्रश्न हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक अन्तरित कर दिया गया है।

श्री कमल नाथ : जब भी उनका नाम रहता है। कुछ न कुछ बात हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय : वह सोचते हैं कि एक अन्तरित किया जा सकता है : इसलिए वह दूसरा प्रश्न भी रखते हैं जिससे कि वह आ जाय; यह उनका सहायक प्रबन्ध है।

श्री कमल नाथ : क्या यह कोई ज्योतिष की बात है जिसका इस बात से कोई सम्बन्ध है ?

प्रो० मधु दण्डवते : वह अन्तरित किया जा चुका है। यह अन्तरण न्यायाधीशों के स्थानांतरण के समान नहीं है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी का आयात

*855. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभा में सरकार की इलेक्ट्रानिक नीति पर दिए गए वक्तव्य के अनुसरण में अत्याधुनिक इलेक्ट्रानिक उपकरणों तथा प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर आयात किया जाना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इनके आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) क्या इससे विदेशी मुद्रा भण्डार का बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं। नई इलेक्ट्रानिकी नीति में सूक्ष्म एवं जटिल किस्म के इलेक्ट्रानिक उपस्कर तथा प्रौद्योगिकी की बड़ी मात्रा में आयात की परिकल्पना नहीं की गई है।

(ख) और (ग). ये प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा विचार है कि मंत्री महोदय अधिक परेशानी नहीं उठाना चाहते हैं।

मेरे प्रश्न के भाग (क) का उत्तर है—'जी, नहीं' और भाग (ख) और (ग) का उत्तर है—'प्रश्न ही नहीं उठते।' वास्तविकता यह है कि "इलेक्ट्रानिक सम्बन्धी समेकित नीति उपाय" पर दिनांक 21 मार्च, 1985 को सभा में माननीय महोदय ने जो वक्तव्य दिया था यह उत्तर उसी के गलत अर्थ लगाकर दिया गया है। मैं अपना अनुपूरक प्रश्न उसी वक्तव्य के आधार पर पूछ रहा हूं। उन्होंने कहा था कि—

> "सरकार ने इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है, यथा जन संचार सहित संचार उपकरण, कमप्युटरीकृत नियन्त्रक उपकरण, द्वारा संचार और डाटा प्रोसेसिंग उपकरण। हमारे जैसे विशाल देश के लिए हमेशा इन उपकरणों का आयात करना सम्भव नहीं है। इसलिए वर्ष 1989-90 में 10,000 करोड़ के उपकरणों का स्थानीय उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव है।"

उसी वक्तव्य के पृ० 4, पैरा 10 में यह कहा गया है कि—

> "देश में उपयुक्त इलैक्ट्रोनिक आधार विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी के निर्बाध आयात की अनुमति दी जायेगी।"

इसलिए, यह स्पष्ट है कि यदि आप यह चाहते हैं कि वर्ष 1889-90 तक 10,000 करोड़ रु० के इलैक्ट्रानिक उपकरणों का स्वदेशी ही उत्पादन हो सके तो इसके लिए उपयुक्त इलैक्ट्रानिक आधार बनाना अपेक्षित होता और पैरा 10 में आपने स्वीकार किया है कि उसके लिए आपको प्रौद्योगिकी का आयात करना होगा और प्रौद्योगिकी के आयात के लिए आदेश देने होंगे। सर्व प्रथम, मैं यही नहीं समझ पाया कि आपने किस आधार पर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है। जो मैंने सूचना दी है, क्या आप उसके परिपेक्ष्य में उत्तर की समीक्षा करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अन्ततोगत्वा, बड़े पैमाने पर, एक सापेक्ष शब्द है। प्रश्न है कि उचित तरीके से और उचित संख्या में प्रौद्योगिकी का निर्बाध आयात हो। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का आयात किया जायेगा। हमारा कहना यह है कि यह बड़े पैमाने पर नहीं है, अपितु समुचित है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह बात तो बहुत ही स्पष्ट है, कि जब आप 10,000 करोड़ रुपये के उपकरणों का उत्पादन करना चाहते हैं; तो उसके लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक आधार बनाना होगा। आप शब्दों को तोड़-मरोड़ सकते हैं, यह वास्तव में बड़े पैमाने पर है अथवा नहीं—किन्तु यह बड़ी संख्या में ही होगा।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यदि प्रश्न किया जाता है, तो मैं सामग्री के बारे में आंकड़ों सहित उत्तर दूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है! वक्तव्य में यह स्वीकार किया जा चुका है कि कुछ उपकरणों का आयात करना होगा। मैं पुनः इस पैरा को पढ़ना नहीं चाहता। यदि इन उपकरणों का आयात किया जायेगा, तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि इनमें से कुछ संघटकों का निर्माण अनेक स्थानों पर किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर, जिस केपेसीटर की आवश्यकता है, उड़ीसा में कुछ निर्माता उसका निर्माण करते हैं। अब इन सभी की यह धारणा है कि चूंकि कल-पुर्जों का आयात किया जायेगा स्वदेशी उत्पादन को क्षति होने की सम्भावना है और उनके लाइसेंस वापस ले लिए जाएँगे। अतः मैं माननीय मन्त्री से आश्वासन चाहता हूं। यदि आप कल-पुर्जों का आयात करने जा रहे हैं और

चूंकि अब इस बजट में इन कल-पुर्जों पर शुल्क की छूट दी गई है, इसलिए शायद इलेक्ट्रानिक निर्माताओं को, जिन्हें इन कल-पुर्जों की आवश्यकता है, इनका आयात करना अधिक रुचिकर लगेगा बजाए इसके कि वे इन्हें स्वदेशी निर्माताओं से लें। क्या आप यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ प्रबन्ध करेंगे जिससे कि भारत में इन कल-पुर्जों के स्वदेशी निर्माताओं को आयातित कल-पुर्जों के मंगाए जाने पर नुकसान न उठाना पड़े ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मूल दर्शन और नीति यह अपनाई गई है कि इलेक्ट्रानिक उद्योग को पूरा प्रोत्साहन दिया जा सके सर्वप्रथम हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रानिक्स जानकारी देने वाला गहन क्षेत्र है जिसकी विशेषता तेजी से हो रहे आविष्कारों को लेना और जो चीजें पुरानी पड़ गई हैं, उनको छोड़ना है। अतः हमारे लिए यह आवश्यक है कि विश्व के अन्य भागों में इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी के विकास में गति को बनाए रखा जाए। अतः नीति में हमने व्यवस्था की है कि यदि देश में ही प्रौद्योगिकी उपलब्ध है तो हम इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे। यदि इसका थोड़े समय के भीतर विकास किया जा सकता है तो हम इसे विकसित करेंगे और उपयोग करेंगे। यदि एक निश्चित अवधि के भीतर प्रौद्योगिकी का विकास करना संभव नहीं हुआ तो हमारे लिए यह जरूरी हो जाता है कि जहां से भी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो वहां से इसे प्राप्त करें और अपने देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग को प्रोत्साहन दें। यह हमारा मूल दर्शन है। यहां पर हमें सामग्री तथा कल-पुर्जे प्रदान करने होंगे। देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विकास के लिए पूंजीगत माल प्रदान करना पड़ेगा और इसलिए हम सामग्री, कल-पुर्जे तथा पूंजीगत माल के विकास के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधायें पैदा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और यदि आवश्यक हुआ तो ये चीजें भी प्रदान करेंगे। फिलहाल यदि सामग्री उपलब्ध न हुई तो हम इसका आयात करेंगे। यदि कल-पुर्जे भी उपलब्ध न हुए तो हमें इनका आयात करना पड़ेगा और इन्हें उद्योग को प्रदान करेंगे। लेकिन हमारा इरादा यह सुनिश्चित करना है कि कल-पुर्जों के स्वदेशी विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हमारा लक्ष्य 1990 तक लगभग 10,000 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन करना है और इस प्रयोजन के लिए जो कुछ भी आवश्यक हुआ किया जायेगा। लेकिन इसके साथ ही हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि स्वदेशी प्रौद्योगिकी, स्वदेशी उद्योग के विकास सम्बन्धी सामग्री और कल-पुर्जों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यह हमारी नीति है।

प्रो० मधु दण्डवते : मन्त्री महोदय को केवल एक सुझाव है कि यह मारुति की तरह नहीं होना चाहिए जहां केवल 28 प्रतिशत स्वदेशी है और वस्तुतः बाकी सब कुछ आयातित है। यहां तक कि टायर और ट्यूब भी आयातित हैं। केवल इसके भीतर जो हवा है वह आयातित नहीं है। मारुति के मामले में यह हुआ है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं माननीय सदस्य के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि बजट में कल-पुर्जों पर उत्पाद शुल्क में छूट दी गई है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस सभा में पेश की गई इलेक्ट्रानिक्स सम्बन्धी नीति के अनुसार तैयार किए जाने वाले आधार के लिए प्रौद्योगिकी का निर्बाध आयात किया जायेगा। अब एक दूसरे खण्ड में यह कहा गया है कि स्वदेशी अनुसन्धान को भी प्रोत्साहन दिया जायेगा। इस क्षेत्र में भारी धनराशि का निवेश किया जायेगा। इसको देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने इसका कुछ प्रतिशत निर्धारित किया है जिससे इस क्षेत्र में स्वदेशी अनुसन्धान को प्रोत्साहन मिले ? आयात कब किया जायेगा और यह निर्णय कैसे लिया जायेगा ? यदि इसे गैर-सरकारी क्षेत्र अथवा नौकरशाह पर छोड़ दिया गया तो मुझे आशंका है कि स्वदेशी अनुसन्धान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वैज्ञानिकों के संगठन विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। क्या उनके साथ परामर्श किया जायेगा और प्रौद्योगिकी का आयात

करने से पूर्व उनकी राय को उचित महत्व दिया जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह अनुमान लगाया गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का खर्चा लगभग 110 करोड़ रुपये आयेगा। लेकिन माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अनुसन्धान और विकास पर 154 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। छठी पंचवर्षीय योजना में इलेक्ट्रानिक अनुसंधान और विकास पर 469 करोड़ रुपए खर्च किए गये थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम प्रौद्योगिकी के आयात पर 110 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। ये आंकड़े हैं जो मैं छठी पंचवर्षीय योजना को दे रहा हूं। सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है और अन्तिम आंकड़ों को देना सम्भव नहीं है। लेकिन सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रयोगशालाओं को सशक्त बनाने के लिए उपकरण आवश्यक होंगे और हम अपनी प्रयोगशालाओं में प्रौद्योगिकी के विकास के लिये उपकरण प्रदान करने हेतु लगभग 400 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेंगे। इससे ही पता चलता है कि हम प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास को कितना महत्व दे रहे हैं। प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कुछ संगठन स्थापित किए गए हैं। एक संगठन 'सेन्टर आफ डेवलपमेंट आफ टेलीमेटिक्स' है जिसे हम सी० डी० ओ० टीं० कहते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे संगठन हैं जो प्रौद्योगिकी विकास परिषदें हैं। राष्ट्रीय राडार विकास परिषद ; राष्ट्रीय माइक्रो इलेक्ट्रानिक परिषद ; सामग्री इलेक्ट्रानिक्स विकास केन्द्र (सेन्टर फार डिवेलपमेंट आफ मैटीरियल इलेक्ट्रानिक्स) जैसे संगठनों का प्रयोजन प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास के लिए प्रणालियों का विकास, कल-पुर्जों और सामग्री का विकास तथा आवश्यक जनशक्ति का विकास करना है। अतः हम सभी पहलुओं से इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और हम यह सुनिश्चत करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इसकी वजह से कोई नुकसान न हो। यदि हम आयात को जारी रखेंगे तो यह अच्छी बात नहीं है। अतः हम पूरा ध्यान दे रहे हैं तथा इस प्रयोजन के लिए सभी जरूरी आधारभूत ढांचे के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कर रहे हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इसमें कुछ और कहना चाहूंगा क्योंकि यह नीति के बारे में है। अतीत में यह हुआ है कि हमने छोटे कल-पुर्जों से लेकर बड़े निर्मित यूनिटों तक सब कुछ विकसित करने का प्रयास किया है और वस्तुतः हम कुछ अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उससे पीछे रह गये हैं कुछेक क्षेत्रों को छोड़कर हम अग्रणी प्रौद्योगिकी को बनाये नहीं रख सके हैं। और ज्यों ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमारे लिए इसके साथ चलना अत्यन्त मुश्किल हो गया है। होता यह है कि पहले हम कुछ खरीदना चाहते हैं। वे हमें बेचते नहीं हैं। आप इसे खरीद नहीं सकते हैं। अतः हम इसका विकास करने का प्रयास करते हैं। जब हम इसका विकास कर लेते हैं और हम उत्पादन शुरू करने जा रहे होते हैं तो अचानक वे कहते हैं 'आप इसे खरीद सकते हैं।' इससे हमारी अपनी विकास लागत बेकार चली जाती है। हमारी उत्पादन लागत अधिक है क्योंकि यह एक नई चीज का विकास है और वे इसे कुछ वर्षों से बना रहे हैं। अतः इससे हमारी अपनी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाती है। हमने मूल नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। हमने कहा है कि हमें दस पन्द्रह वर्ष आगे देखना चाहिए और हमें आज विचार करना चाहिए कि उस समय अग्रणी प्रौद्योगिकी क्या होगी। यह ऐसी बात हो सकती है जो आज उपलब्ध भी न हो अथवा आज ड्राइंग बोर्डों पर भी उपलब्ध न हो। लेकिन हमें इससे आगे सोचना है। हमें कुछ 'मशीन क्षेत्रों' का पता लगाना चाहिए और उन क्षेत्रों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम प्रौद्योगिकी में सुधार करना चाहते हैं। जब हम प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, मैं व्यापक सिद्धांत की बात कर रहा हूं, केवल इलेक्ट्रानिक्स की ही नहीं। उदाहरणार्थ हम चावल के बीज को उन्नत बनाना चाहें, हम उर्वरक में और कुछ अन्य बातों में सुधार करना चाहें और हम इन 'मशीन क्षेत्रों' पर केन्द्रित हों ताकि अब से दस वर्षों में किसी अन्य चीज के बावजूद हम

इस क्षेत्र में अत्यन्त उन्नत देश हो सकें। क्योंकि हमें इन बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा अतः हमें कुछ अन्य बातों पर अपने प्रयासों में कमी करनी होगी। यह मूल परिवर्तन है। मैंने सोचा कि मैं इसे स्पष्ट कर दूं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : 21 मार्च को दिए गए इलेक्ट्रानिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में अत्यन्त आवश्यक आयातित प्रौद्योगिकी और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के बीच संतुलन बनाए रखना स्वीकार किया गया है। जहां तक प्रौद्योगिकी के आयात को निर्बाध अनुमति, विशेष रूप से उद्योगों में निर्मित प्रौद्योगिकी, का सम्बन्ध है वैज्ञानिकों ने कुछ आशंका प्रकट की है। महोदय, उद्योग आसान रास्ता अपनाएंगे और वे देश में अनुसन्धान और विकास पर निवेश करने की बजाए प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे। माननीय प्रधान मन्त्री ने अभी जो बयान दिया है उसके सन्दर्भ में हाल ही में हिन्दुस्तान टाइम्स में एक समाचार छपा था कि हालांकि प्रधान मन्त्री ने कड़े अनुदेश दिये थे कि नेशनल सिलोकोन फैक्टरी के लिए सिलिका को देश में निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए अर्थात स्वदेशी प्रौद्योगिकी को अवसर दिया जाना चाहिए लेकिन इसके निर्मित करने से पूर्व साथ ही विदेशी लाबी अथवा जिनकी इसके आयात में रुचि है, वे अपनी खुद की परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसा कि प्रधान मन्त्री ने कहा है स्वदेशी प्रौद्योगिकी विफल हो सकती है। जब इसका कार्यान्वयन होना होता है तो विदेशी लाबी की शक्ति कम नहीं आंकी जा सकती। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सम्बन्धित विभाग जैसे औद्योगिक विकास मन्त्रालय को विस्तृत परिचालनात्मक मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और सरकार द्वारा विस्तृत नीति मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं और वे 1983 में भारत सरकार द्वारा जारी किए प्रौद्योगिकी वक्तव्य में उपलब्ध हैं। उसमें दो-तीन मामले अन्तर्ग्रस्त हैं—वस्तुओं और प्रौद्योगिकी का आयात, देश में विकसित प्रौद्योगिकी और बाहर से प्रौद्योगिकी की खरीद, अब यहां पर हितों में मतभेद है।

अब हितों में टकराव हो रहा है। क्या हम प्रौगोगिकी के बजाए बाहर से माल का आयात चालू रखें? यह प्रश्न है। यदि हमसे माल का आयात करने के लिए कहा जाता है तो हम आवश्यकता के अनुसार माल का आयात करेंगे लेकिन यदि हम प्रौद्योगिकी के आयात से स्थानीय मांग की पूर्ति कर सकते हैं तो हम माल का आयात करने के बजाए प्रौगोगिकी का ही आयात करेंगे।

दूसरा प्रश्न स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बन्धित है तथा उनके हित का विदेशों से प्रौद्योगिकी का आयात करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने सभा के समक्ष ठीक बात ही रखी है कि जब हम किसी वस्तु का विकास करने का प्रयास करते हैं और वह विदेशों में से उपलब्ध हो जाती है तो उसे प्राप्त करना और उसका विकास करना निर्थक हो जाता है। प्रश्न यह है कि क्या हम संदर्शी योजना तैयार करना चाहते हैं। हम 15-20 वर्ष आगे के लिए योजना बनाते हैं और हम इन उद्देश्योन्मुखी प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जारी किए गए वक्तत्व में सभी मुद्दे स्पष्ट रूप से समझाये गये हैं और उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

जहां तक सिलिका का सम्बन्ध है सरकार की नीति है कि इस प्रौद्योगिक का प्रयोगशाला में विकास किया जाए। मैटर यदि सम्भव हो तो इसका उद्योगों में भी विकास किया जाए और तभी हम इसके बारे में किसी तरह का निर्णय ले सकते हैं।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों को सुविधाएं

*856. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ओलम्पिक संघ ने सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें खिलाड़ियों को सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है और यदि हां, तो क्या इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) इस रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) सरकार का विचार इन सिफारिशों को स्वीकार करके खिलाड़ियों को कब तक विशेष रियायतें देने का है ?

[अनुवाद]

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यह जवाब दिया है कि रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, मैं यह पूछना चाहती हूं कि निकट-भविष्य में आपकी राष्ट्रीय खेल नीति क्या होगी और उसमें खिलाड़ियों को क्या-क्या सुविधायें देने की व्यवस्था है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि भूतपूर्व खिलाड़ी जिन्होंने कि अपना सारा जीवन खेल में लगाया है, तो क्या उनके जीवन की संध्यावेला में कोई विशेष राष्ट्रीय कोष बनाने की सरकार सोच रही है, जिससे कि उनको जीवन में कोई कठिनाई न हो, क्योंकि हमारे ध्यान में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे कि ध्यानचन्द और वीनू मांकड़, जिनको अपने जीवन में अधिक कठिनाई महसूस हुई हैं, तो सरकार इस बारे में क्या सोच रही है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, मेरे सहयोगी श्री जयचन्द्र सिंह ने 10, 17 अप्रैल इन तीनों प्रश्नों का उत्तर सभा में दे दिया है। एक राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में है जो कि पिछले वर्ष 21 अगस्त को सभा पटल पर रखी गई थी तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पर विचार किया जा रहा है। खेल के क्षेत्र में हम क्या करना चाहते हैं यह सभी खेल नीति में विस्तार से दिया गया है जिसे संसद के सभा पटल पर रख दिया गया है। यदि आप चाहें तो मैं उसे विस्तार से बता सकता हूं। 10 अप्रैल 1985 का प्रश्न संख्या 368 है। राष्ट्र के प्रति बड़ी बहादुरी से सेवा करने वाले खिलाड़ियों के लिए खेल कूद राष्ट्रीय कल्याण निधि का गठन किया गया है। जो वास्तव में उन बहादुर खिलाड़ियों के लिए है जिन्होंने देश की सेवा की है और उनके कठिन समय के लिए है जब उन्हें सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उन उद्देश्यों का उल्लेख करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि खिलाड़ी प्रतिभा केवल विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज में ही नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाने की सरकार की योजना है ?

हमारे यहां 1992 में होने वाले औलम्पिक्स में ये खिलाड़ी भी भाग ले सकें। क्या इस बारे में

भी सरकार ने कुछ सोचा है ?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : जहां तक खेलकूद की टूर्नामेंटों, का प्रश्न है ऐसी योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत सरकार खेल-कूद परिषदों महासंघों तथा भारतीय ओलम्पिक संघ की सहायता करती है। वास्तव में सरकार ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर टूर्नामेंटों के लिए अनुदान देती है। जहां तक आगामी अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों का सम्बन्ध है यह कार्य भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन के परामर्श से क्या जाता है। सरकार उत्प्रेरक की तरह कार्य करती है तथा वित्तीय सहायता देती है। यदि आप चाहें तो मैं सभी बातें पढ़कर सुना देता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यहां रख दीजिए।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : मैं उन्हें उत्तर भेज दूंगा।

[हिंदी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : वास्तविकता यह है कि गांव के खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : उत्प्रेरक से मेरा अभिप्राय है कि खेल-कूद के मामले में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। इन पर इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन तथा राष्ट्रीय खेल-कूद संघ नियंत्रण करता है। अत: खेल-कूद के विकास तथा खेल-कूद के मामलों पर उन्हीं का नियंत्रण है। हम केवल उत्प्रेरक के रूप में उन्हें सुविधाएं देकर सहायता करते हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है, मिलकर करेंगे। एक दफा जिक्र किया था कि स्कूलों में प्ले-ग्राउन्ड जरूर होने चाहियें। जो पुराने हैं, उनमें तो कठिनाई है, लेकिन जो नये स्कूल हैं और गांव में हैं, उनमें जरूर इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं आप एक खिलाड़ी के नाते इस मामले को खेल मंत्री से उठायेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या सरकार का विचार 1992 में ओलम्पिक खेल भारत में आयोजित कराने का है ? यदि हां तो क्या सरकार खेलों के स्थल को विभिन्न नगरों जैसे दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के बीच निर्धारित करने का विचार कर रही है। मैं विशेष रूप से कलकत्ता की बात कर रही हूं क्योंकि कलकत्ता खेल-प्रिय लोगों का नगर है। दक्षिण मोर्चे की सरकार के शासन में कलकत्ते की स्थिति और भी बिगड़ गई है। वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यदि सरकार कुछ खेल-कूद कार्यक्रम कलकत्ता में कराये तो उसका कुछ विकास होगा। प्रधानमंत्री ने कलकत्ते के उत्थान की घोषणा की है। सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया एवं प्रस्ताव है ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं अपने उत्तर को 1992 ओलम्पिक खेलों तक सीमित रखूंगा। सरकार ओलम्पिक अथवा अन्य खेलों की व्यवस्था नहीं करती है। यह कार्य भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन करती है जोकि सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करती हैं तथा जो

अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति से सम्बद्ध है। भारत द्वारा ओलम्पिक खेलों में भाग लेना पूरी तरह इसके क्षेत्राधिकार में है। यह कार्य उसी समिति को करना है। इस समिति को यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के समक्ष उठाना पड़ेगा। यदि 1992 के ओलम्पिक खेल भारत में करने का निश्चय हो जाता है तो हम भारतीय ओलम्पिक एसोसियेशन को सहायता दे सकते हैं।

प्रधानमन्त्री (श्री राजीव गांधी) : महोदय, मैं प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर देना चाहूंगा। यदि राज्य सरकार ऐसी आँख मिचौली करना बन्द कर दें तो मुझे विश्वास है नगर का शीघ्र विकास होगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उस पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : कुछ बातें समझी जाती हैं स्पष्ट नहीं की जाती।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह समझने की बात है। इस बात को निष्पक्ष भावना से लें। **(व्यवधान)**

पक्षियों और पशुओं की समाप्त हो रही प्रजातियां

*857. **श्री बृजमोहन महन्ती :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पक्षियों और पशुओं की वे प्रजातियां कौन सी हैं जो समाप्त हो रही हैं और वे मुख्य रूप से किन-किन क्षेत्रों में पायी जाती हैं ;

(ख) समाप्त हो रही इन प्रजातियों की इस समय संख्या कितनी है ;

(ग) इन्हें समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या इन प्रजातियों के लिए कोई नया प्रजनन कार्यक्रम आरम्भ करने का विचार है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या वन्य जीवों के संरक्षण हेतु कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). भारत में वन्य पशुओं और पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुर्लभ हैं अथवा वन में उनकी स्थिति संकट में है। तथापि, इनमें से कोई भी समाप्ति के कगार पर नहीं है।

(ग) और (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च). वन्य पशुओं तथा पक्षियों और उनसे सम्बद्ध मामलों या उनके आनुषांगिक अथवा प्रासंगियों के संरक्षण के लिए एक व्यापक कानून 1972 में बनाया गया था, जिसे वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 की संख्या 53) कहा गया है। इस अधिनियम को संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्तावों को अभी रूप नहीं दिया गया है।

श्री बृजमोहन महन्ती : श्रीमन्, मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि भारत में पशुओं और पक्षियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं तथा उनमें से कुछ दुर्लभ हैं और वनों में उनकी स्थिति संकटमय है। परन्तु मेरा प्रश्न था कि क्या ये प्रजातियां समाप्त होती जा रही हैं। यह बताया गया था 71 प्रजातियां स्तनयात्री जीवों की और 17 प्रजातियां रेंगने वाले जीवों की समाप्त हो रही हैं। फिर भी, मैं उसे भूलता हूं। अब मैं दुर्लभ प्रजातियां के सम्बन्ध में पूछना चाहूंगा कि कस्तूरीधारी हिरणों

की संख्या की गणना करने का प्रयास किया गया है। भावना की दृष्टि से हमारा देश का कस्तूरी वाले हिरणों के प्रति बड़ा आकर्षण है। सम्पूर्ण रामायण में इसका बारम्बार उल्लेख किया गया है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : वन्य प्राणि अधिनियम, 1943 की अनुसूची-एक में वन्य पशुओं की प्रजातियों, उपजातियों का उल्लेख किया गया है। कस्तूरीधारी हिरण भी सम्मिलित है तथा उस सूची में उसे संरक्षण दिया जाता है।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कस्तूरी हिरणों की गणना का कोई प्रयास किया गया है।

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नही, शेरों की गिनती की जाती है।

श्री राजीव गांधी : यह विशिष्ट प्रश्न कस्तूरी हिरण का है तथा प्रजातियों के समाप्त होने के बारे में नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बारे में पृथक से प्रश्न पूछा जाना चाहिए और फिर हम पता लगा कर उत्तर देंगे।

श्री बृजमोहन महन्ती : अधिनियम का संशोधन करने के प्रस्ताव का अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि इस अधिनियम का संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है।

श्री बीर सेन : प्रस्ताव हैं :—

(क) भारतीय प्राणी (पशु) बोर्ड का सांविधिक दर्जा प्रदान करना;

(ख) अधिनियम के अन्तर्गत वनस्पति को सम्मिलित करना ;

(ग) पारिस्थितिक बोर्ड को इस अधिनियम के अन्तर्गत लाकर इसका क्षेत्र विस्तार करना;

(घ) वन्य पशुओं की दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के व्यापार और उसके संचालन पर रोक लगाना ; और

(ङ) दण्डात्मक प्रावधानों उपबन्धों का और अधिक कठोर तथा प्रभावी बनाना।

श्री हरुभाई मेहता : क्या मन्त्री महोदय कृपया बतायेंगे कि कुछ वन्य पशु जिनके बारे में विश्वास किया गया था कि वो समाप्त हो गए हैं, भारत के कुछ भागों में आन्दोलनकारियों के रूप में फिर पाये जाने लगे हैं और अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के खून के प्यासे हो रहे हैं ?

श्री बीर सेन : यह जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी चार प्रजातियों में रुचि है दो पशुओं की दो पक्षियों की। वे समाप्त हो रही हैं। एक सांगई प्रजाति है जो मणिपुर के केबिलांग नेशनल पार्क में है वहां 21 पशु हैं जो समाप्त होते जा रहे हैं। दूसरा 'पिग्याई हाग' दारंग में है। हम नहीं जानते कि यह जाति विलुप्त हो गई है अथवा नहीं। पक्षियों की प्रजातियों में एक है आन्ध्र प्रदेश में 'पित्तर'। यह निश्चित नहीं है कि उक्त जाति विलुप्त हो गई है अथवा नहीं। दूसरा पक्षी है गुलाबी शीर्ष सारस जो ऊपरी असम में पाया जाता है। यह असम का पक्षी है और सम्भवतः 50 से अधिक युगल पक्षी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन चार प्रजातियों के संरक्षण के लिए आगामी कुछ वर्षों में क्या किया जा रहा है।

श्री बीर सेन : वन्य प्राणी संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है और इस योजना

के अन्तर्गत उस बात को ध्यान में रखा जाएगा जो माननीय सदस्य ने कही है।

श्री पी० नामग्याल : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत नहीं हूं। मैं माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह द्वारा बताई गई प्रजातियों में एक मोर जाति के पक्षी को जोड़ना चाहूंगा। क्या यह सच नहीं है कि लद्दाख के क्षेत्र में काली गर्दन काली सारस के दो युगल पाए गए हैं। वह जाति प्रायः लुप्त होती जा रही है। उनमें से एक पक्षी को अर्द्ध-सैनिकों ने पिछले वर्ष मार दिया था। और अब केवल तीन ही पक्षी बचे हैं। इन प्रायः लुप्त होने वाले पक्षियों की रक्षा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

आज एक अन्य प्रश्न संख्या 869 के उत्तर में बताया गया है कि जम्मू और काश्मीर में पशु-बिहार नहीं है। क्या सरकार का इस क्षेत्र में पशु बिहार की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ताकि उस क्षेत्र में ऐसे पक्षियों की सुरक्षा हो सके?

श्री वीर सेन : बताया गया है कि पिछले वर्ष 13 जोड़े काली गर्दन वाली सारस के पाये गए हैं। जहां तक पशु बिहार की स्थापना का सम्बन्ध है यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है और ऐसा करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

श्री रेणुपद दास : प्रदूषण तथा पशुओं का निर्दयतापूर्ण शिकार किए जाने के कारण विभिन्न जाति के पशुओं और पौधों का विनाश पहले की गति की अपेक्षा अधिक तेज हो गई है। भारत में विद्यमान इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में वन्य जीवन की स्थिति में तेजी से हो रही गिरावट को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री वीर सेन : वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम संसद द्वारा पहले ही बनाया जा चुका है और इस अधिनियम के अन्तर्गत पशुओं के शिकार, आदि जैसे कार्यों पर नियन्त्रण रखा जाता है। इस अधिनियम में दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है।

दिल्ली में इंदिरा गांधी इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल काम्पलेक्स

*858. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में प्रस्तावित इन्दिरा गांधी इन्टरनेशनल एयर टर्मिनल काम्पलैक्स के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उक्त एयर टर्मिनल काम्पलैक्स का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की आशा है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) अन्तर-राष्ट्रीय अन्तस्थ परिसर प्रावस्था I दिल्ली में इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र का ही एक भाग है, इसका कार्य जून, 1981 में आरम्भ किया गया था।

(ख) 95.00 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1985 के अन्त तक।

श्री सोमनाथ रथ : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल काम्पलेक्स परियोजना को 2 अक्तूबर, 1985 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि परियोजना निश्चित तारीख तक पूरी हो जाए?

इस प्रस्तावित टर्मिनल काम्पलेक्स से वर्ष में तथा कार्य के व्यस्ततम समय में कितने यात्रियों की सेवा करने की क्षमता है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अक्तूबर की तिथि की बात कही है, हम लोगों का भी यही प्रयास है कि यह अक्टूबर तक पूरा हो। इसीलिए हम इस साल के अन्त तक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि इसी साल के अन्त तक यह पूरा हो सके, ताकि हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर जो एयर-काम्पलैक्स का नाम रखा गया है, उसका उद्घाटन भी 19 नवम्बर को ही हो। यही हमारी कोशिश है।

जहां तक कैपेसिटी की बात है, पी-आवर में 2,520 पैसेंजर की कैपेसिटी होगी और एनुअली 33 लाख पैसेंजर इसका फायदा उठा सकेंगे। यह इसकी कैपेसिटी होगी, जब यह पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : महोदय, क्या यह सच है कि यह विमान क्षेत्र टर्मिनल विश्व का सबसे अच्छा विमान यातायात टर्मिनल होगा ? यदि हां तो, क्या सरकार प्राक्कलन में संशोधन और इस प्रस्तावित एयर टर्मिनल कम्पलेक्स में अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष प्राव-धान करेगी ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, यह वास्तव में आधुनिक किस्म का एयरपोर्ट होगा। यहां पर सभी तरह की सुविधायें रखने का प्रावधान किया गया है। सिक्योरिटी प्लाइंट-आफ-व्यूह से जो भी एयर पोर्ट बनता है, तो इसका ख्याल तो रखा ही जाता है। मैं तो समझता हूं कि इसमें ऐरो-ब्रिज सैन्ट्रली एयरकन्डीशन होगा और आधुनिक किस्म के इसमें ऐरोब्रिज लगाये जा रहे हैं। सभी तरह की आधुनिकताओं के साथ इसको बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री के० रामभूर्ति : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का यह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के अत्यन्त आधुनोहत हवाई अड्डों में से एक होगा। और यह भी उपयुक्त है कि इसका नाम हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखा जाए। मन्त्री महोदय ने भी इस बात का आश्वासन दिया है कि इसे हमारी स्वर्गीया प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के जन्म दिवस पर खोला जायेगा। कुछ समय पूर्व मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि एयर ब्रिज, जोकि जापान से सप्लाई की जा रही सामग्री से बनाया जा रहा है, के सम्बन्ध में कोई विवाद है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि इस एयर ब्रिज को स्वदेशी वस्तुओं से भी हम निर्मित कर सकते हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विवाद समाप्त हो गया है अथवा क्या यह अभी भी चल रहा है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, इसमें जो प्लान पहले बन चुका था, उसी के आधार पर आर्डर दिए जा चुके हैं। उसी के आधार पर यह बन रहा है। अब इसमें कोई परिवर्तन करने का सवाल ही नहीं है।

[अनुवाद]

नागपुर स्थित कोराड़ी ताप बिजली घर से होने वाला प्रदूषण

*859. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि नागपुर (महाराष्ट्र) स्थित कोराड़ी ताप बिजली घर से निकलने वाले धुएं, धूल और अन्य अपशिष्ट पदार्थों के कारण लोगों में अन्धेपन, लकवा आदि जैसी अनेक बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में नागपुर के कोराड़ी ताप बिजली घर के आस-पास की बस्तियों का कोई सर्वेक्षण कराया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) लोगों के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजिनियरिंग संस्थान, नागपुर द्वारा सन्यत्र के निस्सरणों पर तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण से पता चला कि साधरणतया सल्फरडाइआक्साइड की सान्द्रताएं कम है तथा निलम्बित विविक्ति पदार्थ की सान्द्रताएं मौसमी तौर पर घटबढ़ रही हैं जो गर्मियों में अधिकतम तथा जाड़ों में निम्नतर हो जाती है।

(घ) अपशिष्टों के वहिस्त्रावों को कम करने के लिए इलैक्ट्रोस्टेटिरक अवक्षेपक तथा वहिस्त्राव उपचार संयंत्रों की व्यवस्था की गई हैं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, यह मेरी कांस्ट्रीचूएन्सी का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को बड़ी आसानी से उड़ाने का प्रयत्न मन्त्री महोदय की तरफ से हुआ है, जिस का मुझे बहुत खेद है। मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं दो महीने पहले नागपुर में एक कान्फरेंस में मन्त्री महोदय पधारे थे, तब हमने उनका ध्यान इस तरफ दिलाया था। इस प्रश्न से संबंधित सभी अधिकारी भी उस समय वहां मौजूद थे। उस चर्चा में हमने मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका शीघ्र से शीघ्र समाधान होना चाहिए। वहां से वापस आते समय जब मन्त्री महोदय हवाई जहाज में बैठे थे, तब भी हमने इसकी तरफ ध्यान दिलाया था। लेकिन इस समय मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उससे बड़ी निराशा हुई है। मन्त्री महोदय तथा उनके अधिकारियों का ध्यान दिलाने के बावजूद भी मन्त्री महोदय जवाब में कह रहे हैं—नो सर, यह बहुत दुखद बात है। मेरी कांस्टीचूएन्सी की जनता पिछले दस सालों से इस प्राबलम से जूझ रही है। लोगों पर इसका ग्रेजुअल इफेक्ट होता है। जो धुआं वहां से निकलता है उससे लोगों की आंखों की ज्योति धीरे धीरे कम होती है, बच्चे अपंग हो जाते हैं, उन पर पैरालिसिज का इफैक्ट होता है। वहां के समाज सुधारक लोगों ने डाक्टरों की एक टीम को वहां ले जाकर इसका सर्वे कराया था। उन डाक्टरों का यह कहना था कि थर्मल पावर स्टेशन से जो धुआं रोज निकलता है उससे बच्चे अपंग हो रहे हैं, उनकी आंखों पर इफैक्ट हो रहा है।

मन्त्री महोदय ने खुद अपने उत्तर में कुबूल किया है कि गर्मियों में इसका परिमाण बढ़ जाता है तथा परिमाण बढ़ने की वजह से वहां पर यह परिस्थिति निर्माण होती है। इस को साल्व कराने हेतु मैंने यह प्रश्न पूछा था। अब मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं—वहां पर जो प्रिसिपिटेटर्स लगे हुए हैं

उनकी कैपेसिटी क्या है तथा गर्मियों में जो हायेस्ट परसेन्टेज होती है, वह कितनी है ? वहां पर जो लोग रहते हैं—क्या उनकी हैल्थ पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ? यदि पड़ता है तो आप इसके लिए आगे क्या करना चाहते हैं ? कृपा कर सहानुभुतिपूर्वक सोचकर जवाब दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रिसिपिटेटर्स प्रिसिपिटेट हो गए हैं ।

श्री बीर सेन : माननीय सदस्य ने कहा है कि जो डिस्चार्जेज वहां से होते हैं उनसे अन्धापन पैदा होता है, पैरालिसिज होता है । साइन्टिफिकली ऐसा कोई एविडेंस या प्रमाण नहीं है कि उनसे पैरालिसिज पैदा होता हो । कामनसेंस के आधार पर भी यह कुछ ठीक नहीं मालूम होता है कि इससे पैरालिसिज हो सकता है या टोटल ब्लाइण्डनेस हो सकती है । जहां तक प्रिसिपिटेटर्स का ताल्लुक है वे बहुत अच्छी एफिसियेन्सी के हैं, 99.5 परसेन्ट एफिसियेन्सी के हैं । लेकिन कुछ जो पुराने हैं उनकी मैन्टेनेन्स अच्छी नहीं है, सर्विसिंग नहीं हुई है, फिर भी वे काम कर रहे हैं । हमारी कोशिश है कि उनको बदल कर नये लगा दिए जाएं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि आदेश देने और प्रिसिपिटेटर्स को प्राप्त करने में थोड़ा टाइम लगता है ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : गर्मियों में परसेन्टेज हायेस्ट कितना है और लोएस्ट कितना है ?

श्री बीर सेन : जो मेजर किया है वह 2 हजार से 7 हजार तक का है, लेकिन यह पुराने यूनिटस में हैं । जहां तक नये यूनिटस का प्रश्न है उनमें 450 से 850 पार्टिकल्स पर थाउजैण्ड है ।

[अनुवाद]

दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन (स्वापो) को राजनयिक मान्यता प्रदान करना

*860. **श्री एस० एम० भट्टम** :

श्री नारायण चौबे :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन (स्वापो) को राजनयिक मान्यता प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या दक्षिण अफ्रीका ने सुरक्षा परिषद के निर्णय की अवहेलना करते हुए नामीबिया में कठपुतली सरकार की उस दिन स्थापना की, जिस दिन नई दिल्ली में नामीबिया के बारे में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के देशों की बैठक हो रही थी ; और

(ग) तीसरी दुनिया के अन्य कितने देशों ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीकी जन संगठन को राजनयिक मान्यता प्रदान की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत सरकार ने स्वापो के नई दिल्ली स्थित प्रतिनिधि को पूर्ण राजनयिक दर्जा देने का निर्णय किया है ।

(ख) उपलब्ध समाचारों के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने 18 अप्रैल, 1985 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 1978 के संकल्प संख्या 435 का उल्लंघन करते हुए नामीबिया में एक "आंतरिक प्रशासन" स्थापित करने की घोषणा की है ।

(ग) जहां तक हमें मालूम है अभी तक सिर्फ ईरान ने स्वापो को राजनयिक मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है ।

श्री एस० एम० भट्टम : इस तथ्य को देखते हुए कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने कठपुतली सरकार की स्थापना की है, क्या इनके लिए भारत सरकार सुरक्षा परिषद को जिम्मेदार ठहराएगी क्योंकि यह सुरक्षा परिषद प्रस्ताव की भावना के विरुद्ध है जिसको नियमानुसार उनके द्वारा पारित किया गया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में यह घोषणा की गई थी और इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई थी कि क्या इसे सुरक्षा परिषद में उठाया जाए या नहीं और यदि यह व्यावहारिक, संभव और उपयुक्त है तो दूसरे देशों के साथ इस पर परामर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।

श्री एस० एम० भट्टम : अभी तक केवल ईरान ने नामीबिया में सरकार को मान्यता दी है। अन्य देशों और तीसरे विश्व के देशों से इसी तरह की मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है अर्थात भारत में प्रतिनिधि को पूरा दर्जा देकर वहां की सरकार को मान्यता प्रदान की है उसी से यह पता चलता है कि इस मामले में भारत सरकार बहुत उत्सुक है और यह आशा की जाती है कि अन्य सरकारें भी ऐसा ही कदम उठाएंगी क्योंकि इस तरह की मान्यता से नामीबिया के उद्देश्य को नैतिक समर्थन मिलेगा।

श्री एडुआर्डो फलीरो : 1978 के शुरू में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव संख्या 435 पारित किया था, जिसमें यह मांग और आग्रह किया गया था कि नामीबिया से दक्षिण अफ्रीका की फौजों को हटाया जाना चाहिए और स्वापो जो नामीबिया के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र वैध संस्था है सहित नामीबिया में निष्पक्ष और स्वतन्त्र चुनाव होने चाहिए। गुट-निरपेक्ष आंदोलन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय फोरम के स्तर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या 435 को लागू करने के लिए और अन्य देशों से राजनयिक मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ? सरकार के रूप में आपने क्या किया है और दूसरे देशों के बारे में क्या स्थिति है ? नामीबिया और अंगोला में हजारों शरणार्थी जाम्बिया में हैं ; उन्हें दवाइयों, कपड़ों और अपने बच्चों के लिए खाना तथा सुविधाओं की आवश्यकता है। द्विपक्षीय स्तर पर भारत सरकार उन्हें सहायता देने के बारे में क्या कर रही है ? अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में उनका समर्थन करने के लिए आपका क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जैसा कि हम जानते हैं कि सभी 19 अप्रैल, 1985 के भारत में नामीबिया पर गुटनिरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की एक असाधारण मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी। विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई थी। इसका उद्देश्य यह था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार पर जैसेकि दबाव डालने तथा यह देखने के लिए कि प्रीटोरिया सरकार विश्व के देशों की भावनाओं को महसूस करे और कार्यवाही करे, जनमत तैयार किया जाए। अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वह अपने प्रस्ताव को लागू कर सके ; और संयुक्त राष्ट्र संघ भी जनमत प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तथा अन्य सरकारों से यह कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जायें कि नामीबिया के लोगों के साथ न्याय हो। लेकिन विश्व में व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसे कुछ उपाय उठाए जा सकते हैं। लेकिन उस सरकार के साथ परामर्श करके यदि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने के लिए कुछ अन्य कदम उठाए जा सकते हैं तो यह देखा जा सकता है परन्तु ये वे बातें हैं जिन्हें अभी किया जाना है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं महोदय से जानना चाहता हूं कि इस तथ्य को देखते हुए कि

विश्व में ऐसे कई देश हैं जो अभी भी नामीबिया के संघर्ष के अस्तित्व को मान्यता नहीं दे रहे हैं क्या वह हमारे विदेश कार्यालय और विदेशों में कार्यालयों के द्वारा स्वापो की आजादी के लिए संघर्ष का समर्थन करने के लिए वहां की जन संगठनों के साथ बातचीत शुरू करेंगे तथा इस बारे में अन्य सरकारों पर दबाव डालने या उनको इसके लिए प्रेरित करेंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हमने पूरी मान्यता दे दी है जिनसे यह पता चलता है कि इस बारे में आवश्यक कार्य करने में हम कितने उत्सुक हैं। दूसरी सरकारों को मान्यता देने के लिए कदम उठाना एक सुझाव है। लेकिन अन्य सभी पहलुओं पर विचार किया जा सकता है और हम उन पर कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : डा० के० जी० अदियोडी।

पक्षी अभ्यारण्यों, सर्प उद्यानों और मगरमच्छ फार्मों का विस्तार

*861. **डा० के० जी० अदियोडी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पक्षी अभ्यारण्यों, सर्प उद्यानों और मगरमच्छ फार्मों का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों की स्थापना तथा प्रबन्ध करना राज्य सयकारों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है, सिवाए जहां कोई राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई क्षेत्र पट्टे पर या अन्यथा हस्तांतरित करती है।

सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा पक्षियों के लिए तीस अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। देश में अभ्यारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों के वर्तमान नेक-वर्क का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण करने का सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है।

कुछ चिड़ियाघरों को छोड़कर जो सर्प तथा मगरमच्छ एकत्र करते हैं, किसी भी राज्य सरकार द्वारा पृथक रूप से सर्प उद्यान या मगरमच्छ फार्म स्थापित नहीं किए गए हैं और उनके विस्तार का प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क्रम सं०	नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
1	2	3
1.	नागारजुन सागर श्री सेलम अभ्यारण्य	आन्ध्र प्रदेश
2.	कोल्वेरु अभ्यारण्य	,,
3.	नीलापट्ट अभ्यारण्य	,,
4.	पुलिकेट अभ्यारण्य	,,

1	2	3
5.	नारकोनडुम अभ्यारण्य एन० ए०	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप
6.	नार्थरीफ अभ्यारण्य एन० ए०	,,
7.	टोप चांची अभ्यारण्य	बिहार
8.	सुखना अभ्यारण्य	चण्डीगढ़
9.	नालासरोवर अभ्यारण्य	गुजरात
10.	खिजादिया अभ्यारण्य	,,
11.	रतन महल अभ्यारण्य	,,
12.	सुल्तानपुर अभ्यारण्य	हरियाणा
13.	गोविन्द सागर अभ्यारण्य	हिमाचल प्रदेश
14.	छोटा प्रभा अभ्यारण्य	कर्नाटक
15.	रंगन थिट्टी अभ्यारण्य	,,
16.	अदिचुन्चा नामिरि	,,
17.	इटुकी अभ्यारण्य	केरल
18.	थट्टाकाडू अभ्यारण्य	,,
19.	गांधी सागर अभ्यारण्य	मध्य प्रदेश
20.	करेरा ग्रेट इण्डियन बसटर्ड अभ्यारण्य	,,
21.	धारीगांव ग्रेट इण्डियन बसटर्ड अभ्यारण्य	,,
22.	करनाला अभ्यारण्य	महाराष्ट्र
23.	ग्रेट इण्डियन बसटर्ड अभ्यारण्य	,,
24.	कोओलदेव राष्ट्रीय उद्यान	राजस्थान
25.	जवाहर सागर अभ्यारण्य	,,
26.	वेदानथनगल अभ्यारण्य	राजस्थान
27.	कराईकिली अभ्यारण्य	तमिलनाडु
28.	पुनिकेट अभ्यारण्य	,,
29.	प्वाइंट कालीमोर अभ्यारण्य	,,
30.	केबुल लाभजावो राष्ट्रीय उद्यान	मणिपुर

डा० के० जी० अदियोडी : भाग (क) से (ग) में दिए गए उत्तर में यह कहा गया है कि "किसी भी राज्य सरकार द्वारा पृथक रूप से सर्प उद्यान या मगरमच्छ फार्म स्थापित नहीं किए गए हैं।" केरल में वन विभाग के अन्तर्गत एक मगरमच्छ उद्यान है जिसे सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और एक सर्प उद्यान भी वहां है।

• मैं जानना चाहता हूं कि क्या नीलगिरि 'टार'—जिसे मलयालम में वरयाड़ कहते हैं—की संख्या पूरे विश्व में एक सौ से भी कम है उस जाति के विनाश को रोकने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का प्रस्ताव है। निलगिरी 'टार' केवल केरल और तमिलनाडु के निलगिरी में पाई जाती है।

श्री बीर सेन : महोदय, मैं उस विशेष जाति के बारे में नहीं जानता जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। लेकिन मेरा निवेदन है कि एक समिति का गठन किया गया है जो मद्रास सर्प उद्यान का प्रबन्ध करती है और दूसरा केरल में पारासिन्काडवू में कन्नोर जिले में है।

डा० के० जी० अदियोडी : विश्व में इन निलगिरी 'टार' की कुल संख्या केवल एक सौ से भी कम है। उस जाति के विनाश को रोकने के लिए क्या कोई प्रस्ताव है?

श्री बीर सेन : नए उद्यानों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को मार्गनिर्देशन कर दिया गया है और यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे इसका प्रस्ताव करें।

श्री सुरेश कुरूप : केरल में पपीनिसजरी में कन्नानोर जिले में एक सुव्यवस्थित सर्प उद्यान है। वे आयुर्वेद तथा एलोपाथी चिकित्सा पद्धति से सर्प वंश का इलाज भी करते हैं। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली थी। उनकी दिलचस्पी के कारण आई० सी० एम० आर० के लोगों ने कुछ समय पहले संस्थान का दौरा भी किया था जो इस उद्यान का प्रबन्ध कर रहे हैं। अब वे वहां एक अनुसन्धान केन्द्र के विकास की योजना बना रहे हैं। उनका प्रार्थना पत्र सरकार के पास पहले से ही मंजूरी के लिए पड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें पर्याप्त अनुदान की व्यवस्था करेगी ताकि अनुसन्धान केन्द्र के रूप में इसका विकास किया जा सके?

श्री बीर सेन : ऐसी परियोजनाएं दो राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती हैं। यदि राज्य सरकार अनुदान के लिए अनुरोध करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा।

श्री सुरेश कुरूप : लेकिन वह निजी (गैर-सरकारी) संस्थान है।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में गोडावण नामक एक पक्षी पाया जाता है, जिसकी जाति हिन्दुस्तान में बहुत कम रह गई है और उसका अवैध रूप से शिकार हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस प्रजाति के शिकार पर नियन्त्रण लगाया जाएगा या इसके लिए कोई पक्षी अभयारण्य, बर्ड सेंचुरी में व्यवस्था की जाएगी। क्या इस तरह की कोई योजना बनाई जाएगी। राजस्थान के सिवाय हिन्दुस्तान के किसी भी भाग में यह पक्षी नहीं पाया जाता।

श्री बीर सेन : इस तरह की योजनायें पहले से भी चल रही हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके बारे में विचार किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री आनन्द गजापति राजू : हमारे पास विशाखापट्टनम में एक बड़ा उद्यान है लेकिन इसके विकास के लिये ध्यान नहीं दिया गया है। इसका पिछले दस सालों से विकास नहीं हुआ है। क्या मंत्री महोदय इस उद्यान में दिलचस्पी लेंगे और इसका विकास करेंगे ताकि न केवल पशुओं की विभिन्न जातियों बल्कि सर्पों और मगरमच्छों की भी सुरक्षा की जा सके?

श्री बीर सेन : माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिए हैं। हम उन सुझावों को राज्य सरकार के

पास भेजेंगे ताकि वह इस पर कार्यवाही कर सके ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्प वाला प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सर्प वाला पूछना है या सर्प से मतलब है आपका ?

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, हम बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में हजारों आदमी सर्प के डसने से मारे जाते हैं । यह जो पार्क बनाया जा रहा है, इसमें सर्प ही रहेंगे । लेकिन इस चीज का तुलनात्मक विवेचन भी किया जाए कि सर्प के विष से जो दवा बनेगी उससे अधिक फायदा होगा या सर्पों का सर्वनाश हो जाए, उससे अधिक फायदा होगा ।

अध्यक्ष महोदय : संतुलित रहने से सबका फायदा है, जब संतुलन खराब होता है तब सब गड़-बड़ होती है ।

[अनुवाद]

आई० ए० एस०/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस० तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में पदों का भरा जाना

***866. प्रो० मधु दण्डवते :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० पी० एस० तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में ग्रुप "ए" और ग्रुप "बी" के विभिन्न पदों को भरने के लिये संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के चयन हेतु परीक्षाएं आयोजित करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रुप "ए" की सेवाओं में अनेक पद रिक्त पड़े हैं ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982 से 1985 तक ऐसे रिक्त पड़े पदों की संख्या क्या है ;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या सम्बन्धित सेवाओं का ग्रुप "ए" और "बी" में वर्गीकरण समाप्त किया जा रहा है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ). एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आई० ए० एस०/आई० एफ० एस०/आई० पी० एस० तथा अन्य केन्द्रीय सेवाओं में पदों का भरा जाना

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा/भारतीय पुलिस सेवा तथा समूह "क" और समूह "ख" की केन्द्रीय सेवाओं/पदों में भर्ती के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष ली जाती है । अन्तिम परिणामों के घोषित किए जाने से पूर्व, आयोग उन विभिन्न सेवाओं के सम्बन्ध में जिनकी भर्ती सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है, उस विशेष परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए अपेक्षित रिक्तियों की अन्तिम संख्या सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों से मंगाता है । आयोग योग्यता क्रम के अनुसार उम्मीदवारों की एक सूची बनाकर अंतिम परिणाम घोषित करता है जिसमें आयोग को सूचित की गई सभी सेवाओं में रिक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखा जाता है । कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न सेवाओं के लिए सिफा-

रिश किए गए उम्मीदवारों का आबंटन करता है जिसमें योग्यता-क्रम में उनके द्वारा प्राप्त किए गये रैंक तथा विभिन्न सेवाओं के लिए उनके द्वारा व्यक्त की गई अग्रताओं को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद विभिन्न सेवाओं से सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों को इन सेवाओं में आबंटित किए गए उम्मीदवारों के सम्बन्ध में ब्यौरे भेजे जाते हैं ताकि सम्बन्धित मंत्रालय/विभाग सम्बन्धित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी कर सके।

1981, 1982 तथा 1983 में हुई सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भरे जाने के लिए आयोग को सूचित की गई रिक्तियों की संख्या तथा नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी जाती है :

परीक्षा का वर्ष	सेवा	सूचित की गई रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां
1981	भारतीय प्रशासनिक सेवा	145	144
	भारतीय विदेश सेवा	15	15
	भारतीय पुलिस सेवा	85	65
1982	भारतीय प्रशासनिक सेवा	156	156
	भारतीय विदेश सेवा	12	12
	भारतीय पुलिस सेवा	80	72
1983	भारतीय प्रशासनिक सेवा	143	143
	भारतीय विदेश सेवा	12	12
	भारतीय पुलिस सेवा	96	84

वर्ष 1984 में ली गई परीक्षा के परिणाम अभी आने बाकी हैं।

जहां तक अन्य सेवाओं का सम्बन्ध है, किसी विशेष सेवा में आबंटन किए जाने के बाद जो उम्मीदवार उक्त सेवा में कार्य ग्रहण नहीं करते, उनकी संख्या के सम्बन्ध में सूचना कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग प्रत्येक सेवा के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग को सूचित की गई रिक्तियों की सीमा तक विभिन्न सेवाओं में उम्मीदवारों का आबंटन करता है। फिर भी, कुछ उम्मीदवार विभिन्न कारणों से, उस सेवा में कार्य ग्रहण नहीं करते जिसमें उन्हें उनके रैंक तथा अग्रता को ध्यान में रखकर आबंटित किया जाता है। इसके फलस्वरूप, कुछ रिक्तियां खाली रह जाती हैं। उक्त सेवा में आबंटित किये गये कुछ उम्मीदवारों द्वारा कार्य ग्रहण न करने के कारण किसी भी सेवा में खाली रह गई रिक्तियों को संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा उस समय ध्यान में रखा जाता है जब वे बाद की परीक्षाओं के आधार पर उक्त सेवा में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग को सूचित करते हैं।

फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन

सिविल पदों के समूह "क" समूह "ख" आदि जैसे विभिन्न समूहों में वर्गीकरण को समाप्त किया जाए।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के मामले में 1981, 1982 और 1983 के लिए सूचित की गई रिक्तियों और भरी गई रिक्तियों के आंकड़े विवरण में देखें तो पता चलता है कि अन्य सेवाओं की रिक्तियां तो भरी गई हैं लेकिन ऐसा विशेष रूप से भारतीय पुलिस सेवा के लिए 1981 में सूचित की गई 85 रिक्तियों में से केवल 65 रिक्तियां ही भरी गई हैं। 1982 में सूचित की गई 80 रिक्तियों में से केवल 72 रिक्तियां भरी गयीं और 1983 में सूचित की गई 96 रिक्तियों में से 84 रिक्तियां ही भरी गयीं ? इस विशेष सेवा में रिक्तियां क्यों नहीं भरी गयी ?

श्री के० पी० सिंह देव : विकल्प देने के बाद वे इस सेवा में नहीं आए। इसलिए रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं।

प्रो० मधु दण्डवते : विवरण के अन्तिम पैरा में यह बताया गया है कि फिलहाल सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों के समूह 'क', समूह 'ख' आदि जैसे विभिन्न समूहों में वर्गीकरण को समाप्त किया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन दोनों समूहों को समाप्त न करने का औचित्य क्या है ?

श्री के० पी० सिंह देव : ऐसे परिवर्तन की हमने आवश्यकता महसूस नहीं की है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसका क्या औचित्य है ?

श्री के० पी० सिंह देव : क्योंकि यह समयानुकूल है। केवल परिवर्तन करने की दृष्टि से परिवर्तन नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जबलपुर हवाई अड्डे का विस्तार और बोइंग विमान सेवा शुरू करना

*854. **श्री अजय मुशरान :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जबलपुर हवाई अड्डे का विस्तार करने और हवाई अड्डे पर इमारतों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या जबलपुर के लिए बोइंग विमान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो बोइंग विमान सेवा किस तारीख से शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) योजनाओं में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) 9.26 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक तकनीकी खंड और नियंत्रण टावर का निर्माण, जो चल रहा है ;

(2) 35.35 लाख रु० की अनुमानित लागत पर धावनपथ के धावन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य मे धावनपथ पर पुनः फर्श बिछाना जिसके व्यय के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है ।

सातवीं योजना में अन्तस्थ भवन तथा कार पार्क के विस्तार किए जाने का और जल पूर्ति में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

परमाणु संयन्त्र के लिए पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

*862. **श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "यू० एस० ए० रैडी टू हैल्प पाकिस्तान आन न्यूक्लीयर पावर प्लान्ट" शीर्षक से प्रकाशिक हुए समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार पाकिस्तान के परमाणु शक्ति प्राप्त करने के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपनी वर्तमात परमाणु नीति में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किए जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इस बात से चिन्तित है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के गैर-शान्तिपूर्ण आयाम भी हो सकते हैं, और इस बात से भी कि कतिपय देशों के रवैये से इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिल सकता है ।

(ग) से (ङ). भारत की नाभिकीय नीति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है । सरकार की नीति बराबर यही रही है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजन के लिए किया जाये और इससे सम्बद्ध सभी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की जानकारी हासिल की जाए ।

नार्वे से सुपर मिनी कम्प्यूटरों का आयात

*863. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नार्वे से सुपर मिनी कम्प्यूटरों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो नार्वे से कितने सुपर मिनी कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों से कुछ मिनी कम्प्यूटर पहले ही खरीदे जा चुके हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने और ये कम्प्यूटर किन-किन देशों से खरीदे गये हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी हां। ऐसे 3 कम्प्यूटर खरीदने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, हां।

(घ) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान 76 लघु (मिनी) कम्प्यूटरों के सीधे आयात की अनुमति दी गई है। ये कम्प्यूटर प्रणालियां संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, नार्वे तथा फ्रांस की हैं।

(ङ) इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा जिन लघु कम्प्यूटरों के आयात की अनुमति दी गई है, वे ऐसी किस्म की हैं जो स्वदेश में उपलब्ध नहीं है। निम्नलिखित अनुप्रयोगों के लिए इन कम्प्यूटर प्रणालियों के आयात की अनुमति दी गई है :—

—शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुसंधान तथा विकास और प्रशिक्षण ;

—प्रक्रिया नियंत्रण ;

—रक्षा तथा अन्तरिक्ष अनुसंधान

—विशिष्ट व्यावसायिक अनुप्रयोग ; तथा

—इंजीनियरी अनुप्रयोग।

इलेक्ट्रानिकी में प्रौद्योगिकी का निर्बाध आयात

*865. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के निर्बाध आयात के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने इस आयात पर चिन्ता प्रकट की है ; और

(ग) आयातित प्रौद्योगिकी की अनुचित प्रतिस्पर्धा से स्वदेशी अनुसंधान और विकास को क्या संरक्षण प्राप्त है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). जी, हां। कुछ भारतीय वैज्ञानिकों ने एक विशिष्ट मामले में प्रौद्योगिकी के आयात के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की है। यद्यपि 21 मार्च, 1985 को घोषित इलेक्ट्रानिकी नीति में प्रौद्योगिकी के मुक्त आयात की अनुमति दी गई है, तथापि इसमें स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रौद्योगिकी के ऐसे आयात से देश में इलेक्ट्रानिकी के आधार को विकसित करने में मदद मिलेगी। उद्योगों को अपने ही कारखानों में प्रौद्योगिकी का आधार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि बारम्बार आयात की जाने वाली प्रौद्योगिकी का सहारा न लेना पड़े। जनवरी, 1983 में घोषित प्रौद्योगिकी नीति से सम्बन्धित वक्तव्य के अनुरूप ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का आयात किया जाएगा।

उत्प्रवासी संरक्षक विभाग

*867. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्प्रवासी संरक्षक विभाग का विदेश मन्त्रालय से श्रम मन्त्रालय को अन्तरण करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अन्तरण से पासपोर्टधारियों को बहुत अधिक असुविधा होती है क्योंकि उन्हें दो अलग-अलग स्थानों से अपेक्षित पृष्ठांकन प्राप्त करने में अपना समय नष्ट करना पड़ता है ;

(ग) क्या सरकार का दोनों विभागों को पहले की तरह एक साथ करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या पासपोर्टधारियों को विलम्ब और असुविधा से बचाने के लिए सरकार दोनों कार्यालयों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगी ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेश मन्त्रालय भारतीय उत्प्रवासन अधिनियम 1922 को 15 जून, 1976 तक क्रियान्वित करता रहा। 1973-1974 में पश्चिम एशिया के तेल-समृद्ध देशों के तेल राजस्व में वृद्धि से उन्होंने अर्थ-व्यवस्था के विकास की महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई और इसके परिणाम स्वरूप अन्य देशों से; जिसमें भारत शामिल है, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के आयात की मांग बढ़ी।

उत्प्रवासन अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों का उत्प्रवासन अत्यधिक प्रतिबंधात्मक था और निर्धारित प्रक्रियाएं बहुत समय-साध्य थीं। इससे भरती करने वाली एजेंसियां, नियोक्ता आदि भ्रष्टाचार करने लगे। अत: सरकार ने यह महसूस किया कि श्रमिकों की भरती और उसके उत्प्रवासन पर सख्ती से निगरानी रखनी चाहिए और इसे नियमित किया जाना चाहिए। सरकार ने इस उद्देश्य के लिए श्रम मन्त्रालय के अधीन एक विशेष समिति गठित की जिसमें अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे। भरती की देख-रेख का काम श्रम मन्त्रालय द्वारा किया गया और उत्प्रवासन से सम्बद्ध प्रक्रिया का कार्य विदेश मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उत्प्रवासन संरक्षक को सौंपा गया। बाद में अगस्त 1981 में उत्प्रवासन संरक्षक का काम भी श्रम मन्त्रालय को सौंप दिया गया था।

(ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ग) ऐसा करने के लिए सरकार के समक्ष सम्प्रति कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उत्प्रवासन तथा पासपोर्टों के लिए आवेदकों को होने वाले विलम्ब को कम करने और असुविधा को दूर करने के लिए श्रम और विदेश मन्त्रालय अपने प्रयत्नों में तालमेल रखते हैं।

समुद्र तल सम्बन्धी अभिसमय का अनुसमर्थन

***868. श्री वी० वी० स्वैल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने समुद्र तल सम्बन्धी अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है ;

(ख) संयुक्त राष्ट्र संघ के किन सदस्य देशों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं और किन सदस्य देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं ;

(ग) क्या कुछ देशों के सहभागी हुए बिना समुद्र तल शासन-व्यवस्था की स्थापना की जाएगी; और

(घ) इसकी स्थापना की संभावित तारीख क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ). भारत ने समुद्र कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र में संसाधनों को अंवेषण एवं संदोहन के प्रावधान हैं लेकिन उसने इस

अभिसमय का अनुसमर्थन नहीं किया है। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 155 राज्य इस अभिसमय पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों से इतर चार इकाइयों ने भी इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं जिनके नाम हैं—कुक आयरलैंडस, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, नामीबिया तथा प्रशान्त द्वीप समुदाय का नयस्त क्षेत्र। 159 हस्ताक्षर कर्ताओं में 15 इसका अनुसमर्थन कर चुके हैं इनके नाम हैं—वहामास, वेलीज, क्यूबा, मिश्र, फिजी, गाम्बिया, घना, आइवरी कोस्ट, जमैका, मेक्सिको, नामीबिया, फिलीपीन्स, सेनेगल, सूडान और जाम्बिया। संयुक्त राष्ट्र के 10 सदस्य राज्यों ने इस अभिसमय पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं उनके नाम हैं—अल्वानिया, इक्वाडोर, जर्मन संघीय गणराज्य, इस्रायल, पेरू सीरिया, तुर्की, संयुक्त राज्य अमरीका, संयुक्त राज्य और बेनेजुएला।

2. यद्यपि कुछ देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं, इसके बावजूद समुद्र कानून सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय अनुसमर्थन अथवा विलयन का साठवां दस्तावेज जमा कराए जाने की तारीख के बारह महीनें बाद से लागू हो जाएगा। इस अभिसमय द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र कानून प्रशासन इस अभिसमय के लागू होने के साथ ही कार्य प्रारम्भ कर देगा।

3. अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र कानून प्रशासन किस तारीख से काम करना शुरू कर सकता है।

[हिन्दी]

"पनवेल (बम्बई) के निकट बहने वाली पाताल गंगा में प्रदूषण"

*869. **श्री आर० एम० भोये** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि रासायनिक कारखानों से निस्त्राव के कारण पनवेल (बम्बई) के निकट बहने वाली पाताल गंगा प्रदूषित हो रही है और इसकी मछलियां मर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि काफी संख्या में मछुए बीमार हो रहे हैं और ग्रामवासियों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाई नहीं की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रदूषण को रोकने के लिए इस ओर विशेष ध्यान देने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) एक प्राईवेट प्रेक्टिशनर ने मतली के कुछ मामलों की रिपोर्ट की थी। तथापि, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई।

(ग) प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) हिन्दुस्तान इंसैक्टीसाइड्स लिमिटेड ने 9 अप्रैल 1985 से 9 मई 1985 तक अपना कार्य बन्द रखा तथा उपचार संयंत्र एवं बाहर खुलने वाले पाइप परिशोधित कर लिये हैं।

(ii) हिन्दुस्तान आरगैनिक कैमिकल्स लिमिटेड के खिलाफ निषेधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। इन प्रक्रिया इकाईयों में एक से निकलने वाले प्रदूषणकारी निस्सरणों के लिए आवश्यक विशेष उपचार तैयार करने के लिए, एक प्रायोगिक संयंत्र (पायलेट प्लांट) लगाया गया है जबकि अन्यों को ठीक कर लिया गया है।

(iii) महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डवैलपमेंट कार्पोरेशन ने हाइड्रोफ्लुसिलिक एसिड के बहि-

स्त्राव को रोक दिया है जो अब सीसे के उत्पादकों को बेचा जा रहा है।

(iv) लूना इन्डस्ट्रीज के उपचारित निस्सरणों के सुरक्षित व्ययन हेतु पाइपलाईन की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में आतंकवाद संगठनों की स्थापना

*870. **श्री लक्ष्मन मलिक :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय मूल के लोगों द्वारा विदेशों में कई आतंकवादी संगठन स्थापित किये जाने की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संगठनों के नाम क्या हैं ; और

(ग) इन संगठनों के प्रचार का प्रतिकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग). सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों में, अधिकांश पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमरीका, रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के कतिपय वर्गों ने संगठन बनाए हैं जो विभिन्न प्रकार के उग्रवादी और/अथवा पृथग्वादी कार्य-कलापों में शामिल हैं। निम्नलिखित कुछ ऐसे संगठन हैं जो सरकार की जानकारी में आए हैं :—

1. खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद्
2. विश्व सिख संगठन
3 ननकाना साहिब फाउंडेशन
4. दल खालसा
5. बब्बर खालसा
6. अखंड कीर्तनी जत्था
7. जम्मू एवं कश्मीर मुक्ति मोर्चा
8. अखिल भारत सिख छात्र संघ
9. दशमेश रेजीमेंट
10. सिख युवा आंदोलन
11. अंतर्राष्ट्रीय सिख युवा संघ
12. सिख युवा संघ
13. उत्तरी अमरीका सिख छात्र एसोसिएशन
14. उत्तरी अमरीका सिख एसोसिएशन
15. उत्तरी अमरीका सिख परिषद
16. सिख छात्र संघ
17. सिख समाज संघ

18. उत्तरी अमरीका अकाली दल

19. अन्तर्राष्ट्रीय अकाली दल

20. अमरीका का गुरु नानक फाउन्डेशन

21. गुरु गोविन्द सिंह फाउन्डेशन

22. अन्तर्राष्ट्रीय सिख एकता संगठन

23. सिख रक्षा परिषद

24. सिख सांस्कृतिक केन्द्र

25. अन्तर्राष्ट्रीय सिख संघ

26. पंथ खालसा इंटरनेशनल

27. खालसा दिवान सोसायटी

सरकार ने इन गतिविधियों का सामना करने के लिए कई कदम उठाए हैं। कुछ प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं :—

(क) उग्रवादी संगठनों की भारत-विरोधी गतिविधियों की ओर सम्बद्ध देशों की सरकारों का ध्यान निरंतर आकर्षित किया गया है। ऐसी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उनसे कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। इन सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे उग्रवादियों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाएं और जो देश के अन्दर है उनकी गतिविधियों पर रोक लगाएं।

(ख) हमारे मिशन विदेशों में समाचार माध्यमों, जिनमें रेडियो और दूरदर्शन भी शामिल हैं के साथ निकट संपर्क बनाए हुए हैं। पर्याप्त मात्रा में श्रव्य-दृश्य और मुद्रित प्रचार सामग्री वितरित की गई है। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि ये कदम कारगार रहे हैं।

(ग) पिछले वर्ष जून में विदेश सचिव ने भारत में निवासी विदेशी पत्रकारों को विस्तृत पक्ष-सार दिए थे। इन पत्रकारों को दो बैचों में 14 और 18 जून, 1984 को अमृतसर ले जाया गया था। कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और यूनाइटेड किंगडम के आधा दर्जन भारतीय मूल के निवासी पत्रकारों ने हमारे निमंत्रण पर भारत की यात्रा की। इन्हें भारत में यात्रा करने और स्वयं यहां के हालात देखने की सुविधाएं प्रदान की गई थीं। इससे हम समाचार माध्यम के एक ऐसे भाग तक पहुंच सके जो विशिष्ट रूप से भारतीय मूल के समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है। एक साप्ताहिक वीडियो कैसेट हमारे मिशनों को भेजा जाता है। जिसमें सांस्कृतिक स्वरूप के विभिन्न कार्यक्रम और रिपोर्टें दी जाती हैं।

(घ) विदेशियों के लिए वीजा प्रणाली शुरू कर दी गई है जिन्हें अब तक इस अपेक्षा से छूट दी गई थी। हमारे मिशनों से भी यह कहा गया है कि वे वीजा आवेदनों की अधिक कड़ाई से जांच करें।

(ङ) पंजाब आंदोलन पर जारी श्वेत पत्र को विदेशों में व्यापक रूप से परिचालित किया गया।

परमाणु बिजलीघरों के चालू होने में विलम्ब

*871. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और कलपाक्कम स्थित परमाणु बिजलीघरों में निर्धारित समय की तुलना में बहुत

विलम्ब से उत्पादन आरम्भ हुआ है और इसके वर्षों का विलम्ब हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विलम्ब के परिणामस्वरूप इन एककों की लागत में वृद्धि हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख). कोटा और कलपाक्कम के परमाणु बिजलीघरों के परमाणु बिजलीघरों के पूरा होने में विलम्ब कई कारणों से हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि प्रमुख न्यूक्लियर संघटकों को देश में ही तैयार करने की विधि सीखी जानी थी। दो परमाणु बिजलीघर लगाने का अर्थ मात्र इतना ही नहीं था कि दो न्यूक्लियर संयन्त्र लगा दिए जाएं। इसका अर्थ यह भी था कि न्यूक्लियर संयन्त्रों के लिए आवश्यक संघटक बनाने के लिए उद्योग को भी विकसित किया जाए।

(ग) नीचे दी गई सारणी में वर्तमान संस्वीकृत लागत और प्रारम्भिक संस्वीकृत लागत दी जा रही है :—

बिजलीघर/यूनिट	संस्वीकृत लागत	प्रारम्भिक संस्वीकृत लागत	प्रारम्भिक संस्वीकृति किस वर्ष में दी गई
	(करोड़ रुपए)		
राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	73.27 10.35 (परिष्करण के लिए)	33.95	(1964)
राजस्थान परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	102.54 10.35 (परिष्करण के लिए)	58.16	(1967)
मद्रास परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	118.83	61.78	(1967)
मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट	127.04	70.63	(1971)

फ्रांस की सहायता से परमाणु विद्युत संयन्त्र की स्थापना

*872. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस सरकार ने भारत को परमाणु विद्युत के क्षेत्र में अपना सहयोग देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में फ्रांस से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या फ्रांस की सहायता से देश में कोई परमाणु विद्युत संयन्त्र स्थापित करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). परमाणु ऊर्जा संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांस और भारत के बीच सहकार के बारे में बातचीत होती रही है। दाबित पानी किस्म के न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टरों की सप्लाई भी बातचीत के विषयों में शामिल है तथा इसके बारे में बातचीत का स्वरूप प्रारम्भिक ही रहा है तथा वह अभी किसी औपचारिक प्रस्ताव की स्थिति तक नहीं पहुंची है।

लोक सेवा आयोगों के कार्यकरण के बारे में पांच सूत्री कार्य-योजना

*873. **श्री के० रामभूर्ति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोक सेवा आयोगों के कार्यकरण की स्थिति में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के बारे में मुख्य मंत्रियों को भेजी गई पांच सूत्री कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकरों द्वारा की जानी है। इस बारे में कुछ राज्य सरकारों से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

विवरण

इस बात पर बल देने के अलावा कि सिद्धांततः राज्य सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर केवल उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जो सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता तथा व्यावसायिक अथवा सार्वजनिक जीवन में शोहरत के उच्च मानदण्डों पर सही उतरते हों और यह भी कि राज्य आयोगों के सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सभी वर्गों तथा समुदायों का विश्वास हासिल कर सकें, प्रधान मंत्री ने निम्नलिखित पांच विशेष सूत्रों का सुझाव दिया था :—

(i) बहुत कुछ संघ लोक सेवा आयोग के अनुरूप ही वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन किया जाना चाहिए।

(ii) चयन की पद्धति अभी भी पुरानी है तथा इसमें अधिक समय लगता है। आधुनिक प्रणालियों का सहारा लेने की निश्चय ही बहुत आवश्यकता है। जहां सम्भव हो, कम्प्यूटरीकरण बहुत सहायता प्रदान कर सकता है।

(iii) राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि आयोग में कर्मचारियों के सभी स्तर पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जिनकी सत्यनिष्ठा परख ली गई हो। जिन व्यक्तियों को गोपनीय शाखाओं में काम करना होता है, उनके सम्बन्ध में विशेष जांच की जानी चाहिए।

(iv) सभी प्रकार के चयनों में पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञों को सहयोजित किया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकारों को रिक्तियों को अन्तिम रूप से सही संख्या में

अधिसूचित करने और बाद में अनुपूरक सूचियां मांगने के लोभ का कड़ाई से विरोध करना।

(v) यह लाभप्रद होगा यदि आयोग अपनी पद्धतियों तथा तकनीकों की आन्तरिक पुनरीक्षा तैयार कर सके तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं के साथ नियमित वैचारिक आदान-प्रदान करता रहे। सृजनात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा गुंजाइश रहती है।

इलेक्ट्रॉनिक घड़ियां बनाने के लिए लाइसेंस

*874. श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इलेक्टॉनिक घड़ियां बनाने के लिए कोई लाइसेंस जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों की राज्यवार संख्या कितनी हैं; और

(ग) इन कम्पनियों को कौन से आयातित पुर्जे प्रयोग करने की अनुमति दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). जी, हां। अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के विनिर्माण के लिए 13 कम्पनियों को आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें से 2 पंजाब राज्य को तथा एक-एक पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, उड़ीसा, केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा कर्नाटक को दिए गए हैं। इनमें से केवल 4 इकाइयों ने अपने आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया है।

(ग) दिनांक 21 मार्च, 1985 को इलेक्ट्रॉनिकी पर जारी किए नीति विषयक एकीकृत उपायों के एक भाग के रूप में घोषित अंकीय इलेक्ट्रानिक नीति के अनुसार, सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एस० सी० एल०) को न केवल राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों अपितु लघु क्षेत्र के अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ी संयोजन कर्त्ताओं को कम लागत की अंकीय इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों के माड्यूलों का विनिर्माण करने एवं बेचने की अनुमति दी जाएगी। सेमीकंडक्टर कम्प्लेक्स लिमिटेड (एस० सी० एल० आई०), को इन संयोजन करने वाली इकाइयों के लिए बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों (एल० एस० आई०), तरल क्रिस्टल प्रदर्शक्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रदर्श आदि के आयात करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

लाल चन्दन का उत्पादन

6598. श्री एम० डेनिस : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में लाल चन्दन के उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के कौन-कौन से क्षेत्रों में लाल चन्दन उगाया जाता है;

(ग) प्रति वर्ष इसका कितनी मात्रा में निर्यात किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(घ) क्या कुछ ऐसे मामलों का पता चला है कि इस दुर्लभ बहुमूल्य लकड़ी की देश से तस्करी की जाती है, जिससे करोड़ों रुपए की हानि होती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा को बचाने और इस सम्बन्ध में गैर कानूनी गति-

विधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) लाल चन्दन आंध्रप्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में उगाया जाता है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	निर्यातित लाल चन्दन की मात्रा ("000 किलोग्राम में)	मूल्य (लाख रुपए में)
1982-83 (फरवरी, 1983 तक)	30.5	2.148

(1983-84, 1984-85) आंकड़ों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) 3.674 लाख रुपए की लागत के 1871 किलोग्राम लाल चन्दन की लकड़ी की तस्करी के दो मामले सरकार की जानकारी में आए हैं।

(ङ) राजस्व आसूचना निदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय संगठन तस्करी विरोधी कार्यों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित हैं और वे तस्करी नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम को हानि

6599. **श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पर्यटन विकास निगम को हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस हानि के बावजूद विपणन कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए बोनस और अन्य पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का हानि और उसके कारणों की जांच करने के लिए समिति नियुक्त करने का विचार है;

(च) क्या हैदराबाद में भारत पर्यटन विकास निगम के क्रियाकलाप बन्द कर दिए गए हैं ; और

(छ) यदि हां, तो क्या इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ख). भारत पर्यटन विकास निगम प्रारम्भ से ही लाभ कमा रहा है। चूंकि विपणन प्रभाग निगम का एक अभिन्न अंग है, भारत पर्यटन विकास निगम के अन्य सभी कर्मचारियों की तरह इस प्रभाग के कर्मचारियों को भी समय-समय पर यथा संशोधित बोनस अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अनुसार बोनस का भुगतान किया जाता है।

(ङ) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ). भारत पर्यटन विकास निगम ने हैदराबाद स्थित अशोक ट्रेवल्स एण्ड टूअर्स (ए० टी० टी०) नामकी अपने एकक को लगातार हानि होने के कारण दिसम्बर, 1984 में बन्द कर दिया। भारत पर्यटन विकास निगम के मैनेजमेंट ने इस एकक के किसी कर्मचारी की छंटनी नहीं की और उनकी सेवाओं का दक्षिणी क्षेत्र में ही उपयोग किया जा रहा है/उपयोग किया जाएगा।

दिल्ली में निजी मकानों/सरकारी फ्लैटों में कार्यरत सफाई कर्मचारी

6600. **श्री अनादि चरण दास :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन अथवा दिल्ली नगर निगम का उन गैर-सरकारी सफाई कर्मचारियों पर, जो दिल्ली/नई दिल्ली में निजी मकानों अथवा सरकारी फ्लैटों में काम करते हैं और सफाई कार्य करते हैं, कोई प्रशासनिक नियन्त्रण है ;

(ख) क्या ये दोनों निकाय सफाई का काम ठीक से नहीं करते और निजी मकानों/सरकारी फ्लैटों में अस्वास्थ्य कर स्थिति पैदा करने पर इन गैर-सरकारी सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सक्षम हैं ;

(ग) क्या नई दिल्ली नगरपालिका अथवा किसी अन्य सरकारी निकाय का इन सफ़ाई कर्मचारियों पर कोई नियन्त्रण है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम अथवा नई दिल्ली नगर पालिका का दिल्ली/नई दिल्ली में निजी मकानों अथवा सरकारी फ्लैटों में कार्य करने वाले निजी सफाई कर्मचारियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। फिर भी, दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में कोई निजी सफाई कर्मचारी जो किसी उचित कारण अथवा अपने नियोक्ता को 14 दिन का नोटिस दिए बगैर मकान की सफाई का कार्य बन्द करता है तो दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 388 के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है और उस पर अधिकतम 10 रुपये जुर्माना किया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के प्राधिकारियों द्वारा यह उपबन्ध केवल ऐसे मामले में लागू किया जा सकता है जहां निजी सफाई कर्मचारी को लगाने/रोजगार देने वाले व्यक्ति से लिखित शिकायत प्राप्त हुई हो। लेकिन नई दिल्ली नगर पालिका पर यथा प्रवृत्त पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1911 में ऐसा कोई उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण

6601. **श्री लाला राम केन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सीधे नियन्त्रण में विभागों में, विशेषकर राजस्थान में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को या तो रिक्त पड़े रहने दिया जाता है अथवा अर्हताप्राप्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के आधार पर उन्हें अनारक्षित कर दिया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी नीति तैयार करने वाला प्राधिकरण होने के नाते, ऐसी सूचना नहीं रखता क्योंकि वास्तव में आरक्षण विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में नियोक्ता प्राधिकारियों द्वारा लागू किए जाते हैं।

(ग) सरकार के अधीन रिक्तियां, जिनमें आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भरी जा सकती हैं अथवा खाली रखी जा सकती हैं। किन्तु रिक्तियों का अनारक्षण उक्त विषय पर संगत अनुदेशों में निर्दिष्ट कार्रवाई का अनुपालन करने के बाद ही किया जा सकता है।

[अनुवाद]

बन्दूक निर्माताओं के लिए बन्दूकों के कोटे में वृद्धि करने की नीति

6602. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बन्दूक निर्माताओं के कोटे को बढ़ाने के लिए किए गए आवेदनों के निपटान हेतु क्या नीति अथवा प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान बन्दूक निर्माताओं की ओर से उक्त विषय पर सरकार को कोई आवेदन पत्र मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे आवेदन पत्रों को मंजूर अथवा नामंजूर करने के लिए समान मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) बन्दूकों के निर्माण के कोटे को बढ़ाने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय तथ्यों जैसे (1) उत्पादन क्षमता (2) उत्पादित बन्दूकों की विशेषता (3) इकाइयों की आर्थिक क्षमता (4) हथियारों की मांग तथा व्यापक विधि तथा व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा के प्रश्न को ध्यान में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसे आवेदनों पर विचार करने के लिए मानदण्ड भी निश्चित किए गए हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) व्यक्तिगत आवेदनों पर भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखकर विचार किया जाता है।

परमाणु विद्युत की वर्तमान टैरिफ दरें

6603. **श्रीमती फूलरेणु गुहा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत सप्लाई की वर्तमान विद्युत की दरें क्या हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परमाणु विद्युत केन्द्रों में आय की वास्तविक दर क्या रही ; और

(ग) परमाणु विद्युत केन्द्रों के आय की दर में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इस समय तारापुर परमाणु बिजलीघर से सप्लाई की जाने वाली बिजली की दरें 34.89 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर और मद्रास परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट के मामले में यह दर क्रमशः 35.49 पैसे प्रति किलोवाट घंटा और 42.01 पैसे प्रति किलोवाट घंटा है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन परमाणु बिजलीघरों में आय (अनन्तिम) की वास्तविक दर निम्नलिखित रही है :

	1982-83	1983-84	1984-85
तारापुर परमाणु बिजलीघर	2.6%	6.4%	7.3%
राजस्थान परमाणु बिजलीघर (—)	7.1%	2.0%	(—)0.3%
मद्रास परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	—	—	7.2%

(यह यूनिट जनवरी, 1984 से वाणिज्यिक स्तर पर काम करता रहा है)

(ग) तारापुर और मद्रास बिजलीघरों के मामले में आय की दर सन्तोषजनक है। राजस्थान के मामले में पहले यूनिट के लम्बी अवधि तक बन्द करने के कारण आय की दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह यूनिट फिर से चालू हो चुका है तथा इस कारण भविष्य में आय की दर बेहतर रहेगी।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की पदोन्नति सम्बन्धी नीति

6604. **श्री सरफराज अहमद : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद द्वारा अपने तकनीकी और अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए अपनाई जा रही पदोन्नति सम्बन्धी नीति का स्वरूप भेदभावपूर्ण है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में मैट्रिक से कम शैक्षिक योग्यता वाले तकनीकी कर्मचारियों का उच्च ग्रेडों (यहां तक कि सेवा निवृत्ति के बाद भी) के लिए प्रत्येक पांच से सात वर्षों के बाद मूल्यांकन किया जाता है/किया जा रहा है जबकि अनुसचिवीय कर्मचारियों का जिनके पास स्नातक/स्नातकोत्तर अर्हताएं होती हैं इससे 15 वर्षों की सेवा करने के बाद भी अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति करने पर विचार नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति सम्बन्धी नीति में उपर्युक्त भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद और इसकी प्रयोगशालाओं के तकनीकी और अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिए भर्ती आंकलन और पदोन्नति के लिए विभिन्न नियम हैं।

(ख) पुरानी योजना के अन्तर्गत शैक्षिक योग्यता का विचार किए बिना व्यवसाय/विषय की विशेषज्ञता के आधार पर निर्धारित वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद समस्त तकनीकी कर्मचारी अगले उच्च ग्रेड में आकलन पदोन्नति के पात्र हैं। अराजपत्रित स्तर तक आकलन के लिए वर्ग

1 और 2 में वेतनमान रुपया 196-232 से रु० 380-560 और 260-350 से रुपये 550-900 के मध्य क्रमशः वर्तमान तकनीकी कर्मचारियों की मूल्यांकन पदोन्नति के लिए योग्यता प्रतिबंध 1-2-1981 से कार्यान्वित की गई नई योजना के अन्तर्गत लागू नहीं है, जिसमें नीचे के पदों को प्रतिशत सीमा में अपने आप ऊँचे ग्रेड करने की शर्त सम्मिलित हैं। सेवा निवृत्त वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों का आकलन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद केवल जब वे 1-2-1981 से अपनी सेवानिवृत्ति तिथि से पूर्व पात्र हो गए हैं लेकिन नई योजना के अन्तर्गत जब वे सेवा में थे तब नहीं हुआ था।

अनुसचिवीय कर्मचारियों पर आकलन योजना लागू नहीं हैं। तथापि ऐसे कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित दो योजनाएं लागू हैं :—

(1) 11 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात 25% स्वीकृत संख्या के अधीन अराजपत्रित को विशेष श्रेणी (पदक्रम) में रखा जाना ;

(2) 11 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात पृथक किए गए अन्य पदों के कर्मचारियों को अगले उच्च पदक्रम में रखा जाना ;

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में अर्धसैनिक बलों में भर्ती

6605. **श्री भोलानाथ सेन : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा सुरक्षा बल केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस तथा असम राइफल्स में गत दो वर्षों (1983 और 1984) के दौरान की गई भर्ती का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

की गयी भर्ती का राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य	वर्ष 1983 1984 के दौरान सीमा सुरक्षा बल में		वर्ष 1983 1984 के दौरान के० रि० पु० बल में		वर्ष 1983 1984 के दौरान भा० ति० सीमा पुलिस में		वर्ष 1983 1984 के दौरान असम राइफल्स में	
		1983	1984	1983	1984	1983	1984	1993	1984
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	असम	275	293	236	145	—	—	192	70
2.	आन्ध्र प्रदेश	94	293	261	303	1	शून्य	शून्य	शून्य
3.	बिहार	298	98	460	337	9	5	230	132
4.	गुजरात	857	331	246	213	1	शून्य	2	—
5.	हरियाणा	217	383	763	310	127	8	101	58
6.	हिमाचल प्रदेश	17	44	155	82	175	135	57	55
7.	जम्मू व कश्मीर	163	366	179	94	25	24	2	2
8.	केरल	184	236	438	322	12	3	127	312
9.	कर्नाटक	119	547	245	141	—	—	—	—
10.	मध्य प्रदेश	157	550	430	234	36	52	—	—
11.	महाराष्ट्र	128	624	288	86	—	—	1	—
12.	मणिपुर	210	55	156	121	—	—	253	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	मेघालय	17	70	22	1	—	—	99	17
14.	नागालैंड	16	29	6	2	—	—	560	133
15.	उड़ीसा	118	60	283	155	1	—	11	3
16.	पंजाब	136	90	249	154	42	1	13	18
17.	राजस्थान	48	124	556	197	34	1	29	22
18.	सिक्किम	शून्य	40	2	9	—	—	86	7
19.	तमिलनाडु	122	370	216	236	—	—	3	2
20.	त्रिपुरा	46	213	396	91	—	—	182	3
21.	उत्तर प्रदेश	327	342	1110	724	351	328	413	337
22.	पश्चिम बंगाल	670	1145	617	242	4	शून्य	115	64
23.	अ० नि० द्वीपसमूह	—	—	7	10	—	—	—	—
24	अरुणाचल प्रदेश	6	51	19	1	—	—	155	37
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	10	—	—
26.	दिल्ली	25	29	295	44	4	37	—	—
27.	मिजोरम	4	3	1	शून्य	—	—	50	28
28.	पांडिचेरी	—	—	7	5	—	—	—	—

लघु वन उत्पाद

6606. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने यह माना है कि लघु वन उत्पादों में आदिवासियों में आर्थिक क्रान्ति लाने की क्षमता है ;

(ख) क्या केन्द्र ने सहकारी समितियों और राज्यीय संगठनों के माध्यम से आदिवासियों द्वारा एकत्र किए गए लघु वन उत्पादों को खरीद के लिए विशेष अभियान आरम्भ करने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु वन उत्पादों के उत्पादन खरीद, संसाधन और विपणन के लिए एक निश्चित नीति का सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) गरीबी कम करने के लिए वन/कार्यक्रम सम्बन्धी एक समिति स्थापित की गई थी और इस समिति की सिफारिश पर एक लघु वन उत्पाद विकास निगम स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति निम्नलिखित है :

1. संस्थागत व्यवस्था द्वारा बिचौलियों को प्रतिस्थापित करना
2. लघु वन उत्पाद का उत्पादन बढ़ाना
3. लघु वन उत्पाद की कटाई, संचयन, परिसंस्करण, श्रेणीकरण तथा विपणन की क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक पद्धतियां शुरू करना।

कागज उद्योग के सम्बन्ध में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण

6607. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग के सम्बन्ध में वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण पर हाल ही में कोई अध्ययन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस उद्योग द्वारा किन अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए ; और

(घ) इसमें किस सीमा तक विदेशी प्रौद्योगिकी और आयात अपेक्षित है ?

पर्यावरण और वन राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) सात तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य निस्सरण उपचार प्रणालियों का पता लगा लिया गया है। अपशिष्ट-जल उपचार की लागत वार्षिक उत्पादन की 5 प्रतिशत आंकी गई है। अन्य बातों के साथ-साथ बी० ओ० डी० एवं प्रलम्बित घनों की सीमाओं पर इस प्रकार से परिकल्पना की गई है :

1. प्रमुख लुग्दी एवं कागज मिलें

(क्षमता 30 टन/प्रतिदिन से ऊपर)

बी० ओ० डी० 30 मि० ग्रा०/लीटर

प्रलम्बित घन 30 मि० ग्रा०/लीटर

2. छोटी कागज मिलें

(क्षमता 30 टन/प्रतिदिन अथवा कम)

बी० ओ० डी० 50 मि० ग्रा०/लीटर

प्रलम्बित घन 30 मि० ग्रा०/लीटर

(ग) कागज उद्योग के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण राज्य सरकारों द्वारा विचाराधीन है। अनुपालन के लिए अपेक्षाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) सम्बन्धित प्रौद्योगिकी देशी रूप में सुलभ है।

उड़ीसा में बायोगैस संयंत्र

6608. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में वर्ष 1985 के दौरान कितने बायोगैस स्थापित किए जाने की संभावना है और इस कार्य के लिए कितनी सहायता दी गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना (एन० पी० बी० डी०) के अन्तर्गत 1985-86 के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा 3000 परिवार आधारित बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। उड़ीसा और केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल करके सभी राज्यों के लिए 1985-86 के दौरान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के लिए 46.25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। उपर्युक्त राशि सम्बन्धित सरकारों और अन्य कार्यान्वियन एजेन्सियों को संलग्न विवरण-1 में केन्द्रीय राजसहायता, टर्न-की जाब फीस, संवर्धनात्मक नगद प्रोत्साहन, मरम्मत प्रभार आदि के रूप में दी गई सहायता के अनुमोदित नमूने के अनुरूप वितरित की गई है। इसके साथ-साथ, विवरण-2 में दिए अनुसार सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता को भी बढ़ाया गया है।

विवरण-1

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:

(1) राजसहायता निम्न प्रकार दी गई :

संयंत्र का आकार (क्यू० मी०)	केन्द्रीय राजसहायता की राशि (रुपयों में) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों, सिक्किम और अधिसूचित पहाड़ी क्षेत्रों तथा मरुस्थल जिलों के लिए	अनुसूचित जनजातियों/भूमिहीन मजदूरों सहित छोटे और सीमांतक किसानों के लिए	अनुसूचित जातियों के लिए	अन्य सभी के लिए
1	2	3	4	5
2	2940	2350	2350	1560
3	3660	2860	2860	1900

1	2	3	4	5
4	4390	3220	3220	2140
6	5350	3920	2610	2610
8	6460	4640	3100	3100
10	8080	5540	3700	3700
15	11440	8150	5430	5430
20	15260	10960	7300	7300
25	17640	12280	8190	8190

(2) कम से कम 2 वर्ष की वारंटी के साथ टर्न-की आधार पर बायोगैस संयंत्रों को लगाने के लिए 300 रु० प्रति संयंत्र की दर से टर्न-की जाब फीस।

(3) संवर्धनात्मक नगद प्रोत्साहन 30 रु० प्रति संयंत्र की दर से।

(4) संयंत्र की मरम्मत के प्रयोजन के लिए मरम्मत प्रभार 500 रु० प्रति खराब संयंत्र तक।

(5) विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए भी निधि दी जाती है।

विवरण-2

सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता का नमूना इस प्रकार है :

1. सामुदायिक बायोगैस संयंत्र : अधिकतम एक वर्ष तक (सामान्यतया छः मास के लिए) नियंत्रित प्रचालन की लागत को शामिल करके भारत सरकार द्वारा पूंजी लागत का 100 प्रतिशत।

2. संस्थागत बायोगैस संयंत्र : केन्द्रीय, राज्य अथवा सहकारी ट्रस्ट संस्थाओं, अथवा इस प्रकार के निकायों से जुड़ी हुई संस्थाओं के लिए—विभाग द्वारा पूंजी लागत के 75% तक और शेष आदाता संगठन द्वारा—धर्मार्थ संगठनों के मामलों में, योग्य मामलों में विभाग द्वारा उच्चतर अंश दान पर भी विचार किया जा सकता है।

   निजी लाभ कमाने वाली संस्थाओं के लिए—भारत सरकार द्वारा 33-1/3 प्रतिशत, सभी मामलों में आवर्ती लागतें आदाता संस्थाओं द्वारा।

3. बहिःस्राव आधारित बायोगैस : उपचय सम्बन्धी लागत बायोगैस प्रणाली—भारत सरकार द्वारा 33 प्रतिशत

4. मलमूत्र गैस संयंत्र : बायोगैस उत्पादन की उपचय सम्बन्धी पूंजी लागत, और रूपांतरण (विद्युत में), म्युनिसीपैलिटी और स्थानीय निकायों के लिए आबंटन उप-प्रणाली। भारत सरकार द्वारा 50% से 75%, अधिकतम 25 लाख रुपए प्रति संयंत्र तक—आवर्ती लागत राज्य अथवा स्थानीय सरकार अथवा आदाता निकाय द्वारा प्राप्त होगी।

कोटला फिरोजशाह स्मारक के विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

6609. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1949 से नई दिल्ली में कोटला फिरोजशाह के स्मारक में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों को वहां से हटाने का है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर और कब तक ;

(ग) क्या सरकार का विस्थापित व्यक्तियों को बसाने का कोई अन्य प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों द्वारा किए गए दौरों पर हुआ व्यय

6610. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों और चेयरमैन ने अनेक दौरे करने के बावजूद आयोग को समय पर अपने प्रतिवेदन पेश नहीं किए हैं ;

(ख) क्या आयोग के सदस्यों और चैयरमैन के दौरों और यात्राओं की संख्या में वृद्धि हो गई है और उक्त मद पर भारी खर्च हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान आयोग के सदस्यों अथवा चेयरमैन द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) अल्पसंख्यक आयोग के अनुसार सदस्यों तथा चेयरमैन के दौरों की रिपोर्टें, जब भी उनके द्वारा आवश्यक समझा जाता है, आयोग को दी जाती है।

(ख) और (ग). चेयरमैन तथा सदस्यों द्वारा वर्षों 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान किए गएं दौरों की संख्या इस प्रकार थी :—

	1983-84	1984-85
1. चेयरमैन	15	16
2. सदस्य (वेन-कुशोक जी० बाकूला)	1	1
3. सदस्य (ज्ञानी सुजानसिंह)	20	17
4. सदस्य (श्री एन० एफ० सन्तुक) (2-8-1983 को पदभार संभाला)	1	3
5. सदस्य (श्रीमती एन्नी थयाइल) (6-8-1983 को पदभार संभाला)	5	8

चैयरमैन/सदस्यों के दौरे विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को जानने के लिए किए गए थे। किएं गए दौरों की संख्या न ही अधिक थी और न ही इन पर भारी खर्च हुआ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग

6611. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1983 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या पता लगाने हेतु कोई सलाहकार समिति गठित की है ;

(ख) क्या आयोग के भावी योजना प्रभाव ने भी पहले इनकी संख्या का अनुमान लगाया था ; और

(ग) यदि हां, तो एक नई सलाहकार समिति गठित करने की आवश्यकता कैसे उत्पन्न हुई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के लिए सोवियत संघ के साथ करार

6612. **श्री गुरुदास कामत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल ही में सोवियत सरकार के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उक्त करार में दोनों देशों के बीच वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान की व्यवस्था है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). अक्तूबर 1972 में दोनों सरकारों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिक सहयोग पर एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें वैज्ञानिकों के लघु अवधि और दीर्घावधि आदान-प्रदान, प्रलेखन और सूचना के आदान-प्रदान, द्विपक्षीय कार्यशालाओं के आयोजन और आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-सोवियत संघ उप आयोग की एक बैठक (जो नई दिल्ली और मास्को में बारी-बारी से आयोजित की जाती है) फरवरी, 1985 के दौरान मास्को में आयोजित की गयी थी। इस बैठक में करार के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया गया और आने वाले तीन वर्ष के दौरान होने वाले कार्यक्रमों के सम्बन्ध में एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए। यह निर्णय लिया गया कि जैव प्रौद्योगिक, उत्प्रेरण और मौसम विज्ञान सम्बन्धी पूर्वानुमानों के लिए माडलिंग जैसे कुछ क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अभी हाल ही में, अप्रैल 1985 के दौरान, वर्ष 1985-90 के लिए सहयोग के एक कार्यक्रम पर यू० एस० एस० आर० अकादमी आफ साइंस और इंडियन नेशनल साइंस अकादमी ने भी सहमति प्रकट की है।

हिन्द-महासागर में खनिजों की खोज

6613. **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान ने हिन्द महासागर में खनिजों और भारी खनिजों की खोज के लिए कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने क्षेत्रों में खोज की गई है और उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्। महासागर विकास विभाग ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान की सहायता से हिन्द-महासागर में बहुधात्विक पिंडों (पॉलिमेटाटालिक नॉड्यूल्स) के सर्वेक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम आरम्भ किया है।

(ख) केन्द्रीय हिन्द-महासागर में लगभग चार मिललियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण किए जाने के परिणामस्वरूप दो खान स्थलों, जिनमें से प्रत्येक स्थल 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का है, को अभिज्ञात कर लिया गया है। ये स्थल उन मानकों के पूर्णतया अनुकूल हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित किए गए हैं, जैसे पिंडों की प्रति वर्ग मीटर सघनता तथा पिंडों की तांबा, निकल, कोबाल्ट धारिता।

(ग) भारत ने एक अग्रणी निवेशक के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को दो खान स्थलों में से एक के लिए आवेदन किया है। इसी बीच, खनन स्थलों में और विस्तृत सर्वेक्षण एवं खोज कार्य किए जा रहे हैं।

सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन

6614. **श्री राम समुझावन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा सेवानिवृत्ति को अपराधी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने का एक बहाना मानने को रोकने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने करीब तीन वर्ष पूर्व "एक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के पश्चात् भी ऐसी कार्यवाही जारी रखने" लिए नियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर सरकारी उद्यम ब्यूरो और वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) में विचार किया जा रहा है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाना

6615. **श्री बिमल कांति घोष :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कार्यकरण को सुदृढ़ बनाने का कोई प्रस्ताव है

जिससे भ्रष्टाचार समस्या से प्रभावी ढंग से निबटा जा सके ; और

(ख) यदि हां, यो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). सातवीं लोकसभा की प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 49वीं तथा 65वीं रिपोर्टों में की गई सिफ़ारिशों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की भूमिका, कार्यों तथा कार्यकरण की पुनरीक्षा करने तथा इसके कार्यकरण को चुस्त बनाने के उद्देश्य से उपाय सुझाने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

खेलों के विकास के लिए पश्चिम बंगाल और पंजाब को अनुदान

6616. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने खेलों के विस्तार के लिए छठी योजना अवधि के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 1985 तक केन्द्रीय सरकार से कोई अनुदान, ऋण अथवा सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या केन्द्र सरकार की राज्यों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना थी और यदि हां, तो पंजाब और पश्चिम बंगाल ने किस हद तक इस अवसर का लाभ उठाया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग). राज्य खेल परिषदों को अनुदान देने की योजना के अन्तर्गत सहायक अनुदान पश्चिम बंगाल और पंजाब सहित सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनसे प्रतिवर्ष प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वीकार्य है। पश्चिम बंगाल और पंजाब सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर छठी योजना अवधि के दौरान उन्हें 2,11,212 रुपये और 25,81,850 रु० का सहायक अनुदान मुक्त किया गया था।

दिल्ली में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना

6617. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रौद्योगिकी का आयात

6618. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 अप्रैल, 1985 के "स्टेट्समैन" में "टैक्नोलोजी इम्पोर्टस मस्ट बी सलेक्टिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) सम्मेलन में स्वीकार किए गए विभिन्न संकल्पों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या ऊर्जा संसाधनों के उचित विकास के लिए देश के विभिन्न राज्यों में बेकार पड़ी भूमि का पता लगाने का कोई कार्यक्रम है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) 1983 में सरकार द्वारा घोषित प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य में पहले ही बल दिया गया है कि प्रौद्योगिकी का आयात चयनित रूप से होता रहेगा।

(ग) उपसन्धि की शर्तें और संकल्प प्रौद्योगिक नीति वक्तव्य और सरकारी नीतियों तथा उपायों में प्रतिबिम्बित हुए हैं और उनमें ये शामिल हैं : अनुसंधान आदि विकास आधार सुदृढ़ करना, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण और सुधार के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति का उपयोग; स्वदेशी प्रौद्योगिकी के लिए समर्थन और ऐसी प्रौद्योगिकी पर सूचना का प्रसार।

(घ) और (ङ). बंजर भूमि को ईंधन और चारे के अन्तर्गत लाने के लक्ष्य से सरकार ने एक "नेशनल वेस्टलैण्ड डिवलेपमेंट बोर्ड" की स्थापना की है।

[हिन्दी]

दिल्ली नगर निगम द्वारा रोहणी योजना के अन्तर्गत आवंटियों को भवन कर के लिए जारी किए गए नोटिस

6619. **श्री विष्णु मोदी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की रोहणी योजना के अन्तर्गत पहले और दूसरे "ड्रा" में सफल घोषित किए गए आवंटियों को भवन कर के नोटिस जारी किए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इनमें से कुछ ऐसे आवंटियों को भी नोटिस जारी किए गए हैं जिनको अभी तक किसी प्लाट का कब्जा ही नहीं दिया गया है ;

(ग) क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कोई योजना है जिसके अन्तर्गत प्लाट पर आवंटी जब तक मकान का निर्माण नहीं करता है उससे किसी किस्म का भवन कर वसूल नहीं किया जायेगा ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त परिस्थितियों में जिन कारणों के अन्तर्गत इस प्रकार के नोटिस जारी किये जा रहे हैं उनका पता लगाने के लिए जांच आयोजित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (ङ). दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए आवंटन के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों/फ्लैटों के आवंटियों को नोटिस जारी किए जाते हैं, जिनमें सम्पत्ति कर लगाने का प्रस्ताव किया जाता है, लेकिन सम्पत्ति कर का हिसाब कब्जा लेने की तारीख से लगाया जाता है।

प्लाट कर प्लाट का कब्जा लेने की तारीख से भवन के निर्माण तक आदेय है। इस प्रकार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 116 (2) के उपबंधों के अनुसार मकानों का निर्माण पूरा होने से पहले की अवधि के लिए प्लाटों पर सम्पत्ति कर वसूल किया जायेगा। उक्त स्थिति को देखते हुए इस मामले में कोई जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

निजी विमान को किराये पर देने पर प्रतिबन्ध

6620. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत के भीतर चलाने के लिए निजी विमान किराए पर देने अथवा आर्डर आने पर कोई प्रतिबन्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या पर्यटन और पर्यटन सम्बन्धी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक क्षेत्र निगम स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ग). जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कराची को अमरीकी सैनिकों का विश्राम और मनोरंजन केन्द्र और सैन्य ढांचे के रूप में प्रयोग करने के बारे में पाकिस्तान का प्रस्ताव

6621. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने कराची का अमेरिकी सैनिकों के विश्राम और मनोरंजन आधारभूत केन्द्र के लिए और सैन्य ढांचे के निर्माण में संलग्न अमरिकियों द्वारा उपयोग किए जाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) और (ग). सरकार किसी भी देश में विदेशी अड्डों/सुविधाओं की स्थापना के खिलाफ है। इसके बारे में सरकार के विचारों से संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान दोनों सरकारों को अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

ऐतिहासिक मन्दिरों के लिए देवस्थान विभाग

6622. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में ऐतिहासिक मन्दिरों तथा अन्य बड़े धार्मिक स्थानों, जो भूतपूर्व महाराजों की सम्पत्ति थी के रख रखाव और संरक्षण के लिए अब "देवस्थान" विभाग की स्था-

पना की है, और यदि हां, तो उन मन्दिरों और बड़े धार्मिक स्थानों की अनुमानित संख्या कितनी है जो इस विभाग के अन्तर्गत हैं और उनके प्रमुख कार्य क्या हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार का विभाग उत्तर प्रदेश में भी खोला गया है और यदि हां, तो उसका क्या नाम है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का उत्तर प्रदेश में प्राचीन मन्दिरों और धार्मिक स्थानों की देख रेख के लिए एक ऐसा विभाग खोलने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो किस अवधि तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे किसी विभाग की स्थापना नहीं की गई है। यह मामला राज्य सरकार से सम्बन्धित है। तथापि, केन्द्रीय संरक्षण के अधीन प्राचीन और ऐतिहासिक मन्दिरों की देखरेख और रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ही किया जा रहा है। सम्बन्धित राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है।

[**अनुवाद**]

विदेशों में होटल/पर्यटन उद्योग की तुलना में भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में कर्मचारियों और अधिकारियों का अनुपात

6623. **श्री धर्मवीर सिंह त्यागी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रत्येक होटल, एकक, विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या का पिछले तीन वर्ष का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्नत देशों में होटल/पर्यटन उद्योग में कर्मचारियों और अधिकारियों के अनुपात का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सूचना सभापटल पर रखे गये विवरणों में दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी०-1123/85**]

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"नाटो" के परमाणु नियोजन ग्रुप की बैठक

6624. **श्री आनन्द सिंह : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह में लक्समबर्ग में नाटो के परमाणु नियोजन ग्रुप की हुई दो दिवसीय बैठक की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या उक्त बैठक में "नाटो" के रक्षा मन्त्रालय ने अमरीका द्वारा सामरिक महत्व की रक्षा पहल विशेषत: "स्टार वारस" नाम से विख्यात कार्यक्रम की पुष्टि की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और विश्व शांति के हित में उस संदर्भ में सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग). जी हां, 27 मार्च, 1985 को "नाटो" के रक्षा मन्त्रियों की बैठक की समाप्ति पर जारी संयुक्त विज्ञप्ति में सामरिक रक्षा पहल के बारे में यह कहा गया है कि इसका उद्देश्य यह स्थापित करना है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल में जो प्रगति हुई है, क्या उसमें यह क्षमता होगी कि वह प्रक्षेपास्त्रों के विरुद्ध अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी कवच बन सके। इस विज्ञप्ति में इन प्रौद्योगिकियों में अमरीकी अनुसंधान को समर्थन किया गया क्योंकि ये "नाटो" के सुरक्षा हितों के अनुकूल हैं। और कहा गया कि इन्हें जारी रखा जाना चाहिए। मन्त्रियों ने इस अनुसंधान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमरीका द्वारा अपने सहयोगियों को दिए निमंत्रण का स्वागत किया। भारत सरकार हथियारों की होड़ बाह्य अंतरिक्ष में ले जाने के गम्भीर खतरे से अत्यधिक चिंतित है जो अब तक व्यापक विनाश के हथियारों की स्थापना से मुक्त रहा है। आज विश्व के सामने जमीन से अंतरिक्ष में निशाना लगाने वाले और अंतरिक्ष में ही लगाए जाने वाले हथियारों के लक्षण विद्यमान हैं। इस वर्ष जनवरी में नाभिकीय निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित छह राष्ट्रों के शिखर सम्मेलन में स्वीकार की गई दिल्ली घोषणा में इस बात की मांग की गई है कि बाह्य अन्तरिक्ष का इस्तेमाल मानवता के भले के लिए किया जाए न कि भावी युद्ध क्षेत्र के रूप में। इस घोषणा में सभी अंतरिक्ष हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पादन, उनकी तैनाती और उनके प्रयोग पर रोक लगाने की मांग की गई है। अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ बेहद महंगी होगी और उसके अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव होंगे। इससे विद्यमान स्तर-परिसीमन और निस्त्रीकरण संबंधी करारों को भी खतरा हो जाएगा।

भारत की इसी लक्ष्य की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ में और जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्बन्धी सम्मेलन में भी सक्रिय भूमिका जारी है।

[हिन्दी]

मैक्सिको के साथ भारत के करार

6625. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मैक्सिको के प्रेसीडेंट की भारत यात्रा के दौरान भारत द्वारा मैक्सिको के साथ किए गये करारों का ब्यौरा क्या है और दोनों देश किन-किन क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने और एक साथ काम करने को सहमत हुए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जनवरी, 1985 में मैक्सिको के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान भारत और मैक्सिको के बीच निम्नलिखित करार हुए थे :

1. वर्ष 1985-87 के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक आदान-प्रदान का कार्यक्रम जिसमें दोनों देशों के बीच शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रवृत्ति सेवा, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग तथा दोनों देशों के विशेषज्ञों द्वारा एक-दूसरे देशों की यात्राओं के क्षेत्र की दिशा में आपसी सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था है।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत गणराज्य तथा संयुक्त मैक्सिकन राज्य की सरकारों के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग से सम्बद्ध करार का प्रोतोकोल जिसमें जीव-प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग की व्यवस्था है। इस जीव प्रौद्योगिकी में किण्वन प्रौद्योगिकी, एन्जाइम प्रौद्योगिकी, मोलिक्यूलर, जीव एवं प्रजनन विज्ञान, आनुवंशकी विज्ञान तथा कृषि उत्पादकता और जीव वैज्ञानिक प्रक्रिया को नये प्रौद्योगिकी रूप देने के लिए प्लांट टिशु कल्चर भी शामिल है।

3. औद्योगिक सहयोग पर समझौता-ज्ञापन जिसमें इस्पात पेट्रोलियम, विद्युत एवं इंजीनियरिंग

उद्योग, जीव प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स तथा रसायन एवं भेषज सहित विभिन्न क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग और पारस्परिक कार्यकलाप की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

सहायकों की वरिष्ठता के निर्धारण में विसंगति

6626. **श्री गंगा राम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन सहायकों की वरिष्ठता का निर्धारण/संरक्षण जिन्हें दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 की "जोनिंग" योजना के अन्तर्गत चयन सूची रिक्तियों पर एक मन्त्रालय/विभाग से दूसरे मंत्रालय/विभाग में स्थानान्तरित किया गया है, सम्बन्धित उच्च श्रेणी ग्रेड में उनकी सम्बन्ध वरिष्ठता के अनुसार ही किया गया है जैसा कि सीधे भर्ती किए गए उन सहायकों के मामलों में किया जाता है जिनकी भी नियुक्ति चयन सूची रिक्तियों पर की जाती है ;

(ख) यदि नहीं, तो इन दो श्रेणियों के सहायकों के बीच इस प्रकार की विसंगति के क्या कारण हैं जबकि दोनों की ही चयन सूची रिक्तियों पर नियुक्त किया जाता है ;

(ग) उक्त भाग (क) में उल्लिखित कर्मचारियों की वरिष्ठता के निर्धारण की क्या प्रक्रिया है ; और

(घ) इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग). केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली, 1962 के नियम 13 के उपनियम (6) के अनुसार किसी भी संवर्ग में सहायक ग्रेड की मूल रिक्तियों की 50 प्रतिशत रिक्तियां संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय समय पर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी और शेष रिक्तियां उस संवर्ग में सहायक ग्रेड के लिए प्रवर सूची में शामिल व्यक्तियों की मूल नियुक्ति द्वारा भरी जाएंगी। किसी भी संवर्ग में सहायक ग्रेड की प्रवर सूची उस संवर्ग में उच्च श्रेणी ग्रेड के ऐसे अधिकारियों में से तैयार की जाती है जिन्होंने उक्त ग्रेड में कम से कम पांच वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो वरिष्ठता की रेंज के भीतर आते हों। यह प्रवर सूची उक्त ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के क्रम में तैयार हो जाती है किन्तु शर्त यह है कि अयोग्य को अस्वीकार कर दिया जाता है। यदि वरिष्टता की रेंज के भीतर आने वाले अधिकारी किसी संवर्ग में उपलब्ध नहीं हैं तो अन्य संवर्गों में सेवा कर रहे उच्च श्रेणी ग्रेड के ऐसे अधिकारियों का जो वरिष्ठता की रेंज के भीतर आते हैं, जोनिंग योजना के अंतर्गत कमी वाले संवर्गों का प्रवर सूची में शामिल किए जाने के लिए तबादला किया जाता है। सीधी भर्ती वाले सहायकों तथा प्रवर सूची में शामिल किए गए अधिकारियों की सहायक ग्रेड में मूल नियुक्ति होने पर परस्पर वरिष्ठता क्रमशः सहायक ग्रेड में सीधी भर्ती वालों के लिए आरक्षित मूल रिक्तियों तथा प्रवर सूची में शामिल किए गए व्यक्तियों की नियुक्तियों के कोटे के अनुसार नियत की जाती है। इस प्रकार के मामलों की योजना में, किसी संवर्ग में प्रवर सूची में शामिल सहायकों की वरिष्ठता उच्च श्रेणी ग्रेड से स्थातान्तरण किए जाने पर सीधी भर्ती वाले सहायकों की तुलना में जिनके नाम प्रवर सूची में नहीं हैं, नियत करने का प्रश्न नहीं उठता। परिणामतः उस सम्बन्ध में भी कोई असंगति होने का प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का महानिरीक्षक के पद पर दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण

6627. **श्री सिद्ध लाल मुरमू :**

श्री केशवराव पारधी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च/अप्रैल, 1985 के महीने में दिल्ली में नियुक्त वरिष्ट आई० पी० एस० अधिकारियों को दिल्ली से बाहर महानिरीक्षक के रैंक पर पदोन्नति देकर स्थानान्तरित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो नियुक्ति के नए स्थलों सहित इस प्रकार के अधिकारियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन्हें दिल्ली पुलिस में उनके पदभार से मुक्त कर दिया गया है और उन्होंने उस स्थान पर पद भार सम्भाल लिया है जहां उन्हें स्थानान्तरित किया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन्हें दिल्ली पुलिस के पद भार से कब तक मुक्त किया जाएगा और नए तैनाती स्थलों पर कार्य भार सम्भालने के लिए कहा जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विमान रख-रखाव इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थियों की मांगें

6628. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के विमान रख-रखाव इंजीनियरिंग विभाग के विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान किए जाने तथा विश्वविद्यालय में पूर्ण बी० ई० पाठ्यक्रम की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या ये विद्यार्थी नागर विमानन महानिदेशालय (डी० जी० सी० ए०) के अन्तर्गत चलाई जा रही वर्तमान परीक्षा प्रणाली से असन्तुष्ट हैं तथा इनमें अधिक फीस होने के कारण उनके ऊपर आर्थिक बोझ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे डिग्री स्तर तक बढ़ाने तथा विद्यार्थियों द्वारा इस समय उठाई जा रही सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को नागर विमानन विभाग द्वारा ली जा रही परीक्षा की वर्तमान प्रणाली और भारी शुल्क के कारण वित्तीय कठिनाइयों के बारे में विद्यार्थियों के असंतोष के बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) फिलहाल सरकार के पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । विश्व-विद्यालयों को विद्यार्थियों को आने वाली कठिनाइयों को देखना चाहिए तथा उपयुक्त कार्रवाई करनी चाहिए ।

भारतीय मूल के ब्रिटिश राष्ट्रिकों को आवासीय अनुमति पत्र जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाना

6629. **श्रीमती इन्दुमति भट्टाचार्य :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भारतीय मूल और जन्म के ब्रिटिश राष्ट्रिकों को आवासीय अनुमति पत्र जारी करने पर प्रतिबन्ध लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ब्रिटिश नागरिकता को छोड़े बिना भारत में अस्थायी तौर पर रुकने के लिए आवासीय अनुमति पत्र के इच्छुक भारतीय मूल और जन्म के ऐसे ब्रिटिश राष्ट्रिकों को ब्रिटेन में स्थित अपनी सारी परिसम्पतियां अन्तरित करनी पड़ेंगीं और/अथवा ब्रिटेन के बैंकों में जमा उनकी शेष धनराशि स्वदेश भेजनी पड़ेगी ;

(घ) इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों और परिपत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार के प्रतिबन्ध आवश्यक समझे जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

गृह मन्त्रालय में उच्च श्रेणी लिपिकों और सहायकों की पदोन्नति

6630. **डा० गुलाम याजदानी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 29 दिसम्बर, 1983 के ज्ञापन संख्या 5/7/83-सी एस-II (दो) के उपबन्धों के अन्तर्गत 29 दिसम्बर, 1983 से दीर्घावधि आधार पर सहायक के पद पर पदोन्नति सभी श्रेणी लिपिकों को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 10 जनवरी, 1985 के ज्ञापन द्वारा घोषित वर्ष 1983 के लिए सामान्य रिक्तियों को भरने हेतु सहायकों की चयन सूची में शामिल करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो गृह मन्त्रालय के केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा संवर्ग के कितने उच्च श्रेणी लिपिकों को 20 दिसम्बर, 1983 से दीर्घावधि आधार पर सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया है और क्या उपर्युक्त उपबंधों के अन्तर्गत उन सभी कर्मचारियों को सहायक ग्रेड की चयन सूची में शामिल किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उन सभी सहायकों को जिन्हें 29 दिसम्बर, 1983 से दीर्घावधि आधार पर पदोन्नत किया गया है, कब तक उपर्युक्त चयन सूची में शामिल कर दिया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). तीस उच्च श्रेणी लिपिकों की जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29-12-1983 के कार्यालय ज्ञापन के अधीन सहायक ग्रेड में अस्थाई पदोन्नति के लिए निर्धारित क्षेत्र में थे, दीर्घावधि आधार पर 29-12-1983 से सहायक ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया था। इनमें से किसी को चयन सूची में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि वे कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29-12-1983 और 9-1-1985 के कार्यालय ज्ञापनों के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित क्षेत्र में नहीं आते हैं। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनको शामिल करने के लिए चयन सूची के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा।

केन्द्रीय भंडारों में घरेलू उपयोग की वस्तुओं की सीधी सप्लाई

6631. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दिक** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भंडार के शाखा भंडारों द्वारा घरेलू उपयोग की वस्तुओं की मांग पेश नहीं की जाती है और कुछ सप्लायर उनकी मांग लेने और सामान सप्लाई करने के लिए उनके पास जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रचलन को खत्म करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सप्लायरों द्वारा शाखा भंडारों से सीधे ली गई मदों की मांग/मांग सप्लाई की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऐसी सप्लाई लेने का मुख्य कारण यह है कि कुछ वस्तुओं की सप्लाई शाखा भण्डारों को शीघ्र की जानी आवश्यक होती है और उनमें से कुछ वस्तुएं शाखाओं में भंडारण के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। सप्लायरों द्वारा ऐसी वस्तुओं की सीधी सप्लाई किए जाने से शीघ्र सप्लाई, क्षतिग्रस्त वस्तुओं की बदली तथा सोसाइटी की परिवहन लागत में बचत सुनिश्चित होती है ।

(घ) सीधी आपूर्ति की वस्तुएं हैं—अण्डे, उपभोक्ता पैक में शुद्ध आटा, स्थानीय तौर पर बना कपड़े धोने का साबुन, अगरबत्ती, मसाले तथा स्थानीय तौर पर बने बिस्कुट ।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन के कार्य सप्ताह का कार्यान्वयन

6632. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव :**

श्री मानवेन्द्र सिंह :

क्या **प्रधान मन्त्री** केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन के कार्य सप्ताह के बारे में दिनांक 13 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए पांच दिन के कार्य दिवस को कार्यान्वित करने का निर्णय ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह योजना किस तारीख से कार्यान्वित होगी ; और

(ग) इस समय प्रति सप्ताह कितने घंटे कार्य होता है और प्रस्तावित पांच दिन के कार्य सप्ताह कितने घंटे कार्य होगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). अभी इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार चल रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों में जहां सचिवालयी कार्य होता है, महीने में हर दूसरे शनिवार की छुट्टी के बाद प्रति सप्ताह कार्य के घण्टे औसतन 37-1/2 बैठते हैं। पांच दिन की

इस योजना में जिस पर विचार किया जा रहा है, कार्य के विद्यमान घंटों को बनाये रखने का प्रस्ताव है।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध लम्बित पड़े औद्योगिक विवादों के मामले

6633. **श्री सोडे रमैया :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों के विरुद्ध विभिन्न न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में औद्योगिक विवाद के कितने मामले लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इन मामलों में कितनी वित्तीय देयता शामिल है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कानूनी कार्यवाही पर वकीलों की फीस, परामर्श फीस (कर्मचारियों पर हुए खर्च सहित) पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ;

(घ) न्यायालयों के निर्णयों के फलस्वरूप कर्मचारियों को अब तक कितने मुआवजे की अदायगी की गई है ;

(ङ) क्या इस निष्फल खर्च के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ;

(च) क्या इन विवादों को न्यायालयों के बाहर सुलझाने के कोई प्रयास किए गए हैं ;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31-3-1985 को भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों और भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों/यूनियनों के बीच विभिन्न न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में 95 औद्योगिक विवाद लम्बित पड़े थे।

(ख) इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त वित्तीय देयताओं का जायजा लेना सम्भव नहीं है चूंकि प्रत्येक मामले में ये न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय/अधिनिर्णय पर निर्भर करती हैं।

(ग) विधि खर्च जिसमें टैक्स-कन्सलटेंट्स, आडिटर्स और अन्य एडवोकेट्स को दी गई फीस सम्मिलित है, नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	किया गया खर्च (लाख रुपयों में)
1981-82	2.92
1982-83	3.26
1983-84	2.61

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान (1982-83 से लेकर 1984-85 तक) विविध न्यायालयों द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों को क्रियान्वित करने हेतु भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को भुगतान किए गए मुआवजे की अनुमानित राशि लगभग 1.76 लाख रुपए थी।

(ङ) भारत पर्यटन विकास निगम के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

(च) से (ज). निगम हमेशा ही विवादों को परस्पर बातचीत के जरिए निपटाने के प्रयत्न करता है और लम्बित औद्योगिक विवादों का शीघ्र निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों को स्थायी आधार पर प्रगृह आवंटित करना

6634. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 1974 निर्णय कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए बेहाला पुनर्वास कालोनी कलकत्ता 60 में दो कमरों के 324 प्रगृहों को स्थायी आधार पर हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पात्र आवंटितियों को अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या आवंटितियों ने अनुरोध किया है कि बिक्री लागत जल्द निश्चित की जाए तथा अन्य बकाया देय उन्हें किश्तों में वसूल किया जाए ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (घ). प्रगृहों को आवंटितियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि बेहाला टाऊनशिप डवलपमेंट कोआपरेटिव सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की और स्थगनादेश ले लिया। स्थगनादेश के खारिज होने के बाद, राज्य सरकार को 1981 तथा 1982 में निर्देश जारी किये गये जिसमें आवंटितियों से बकाया राशि की वसूली के लिए अपनायी जाने वाली विधि का संकेत दिया गया। पश्चिमी बंगाल के उप सचिव, शरणार्थी राहत तथा पुनर्वास विभाग को कागजातों को बेहाला कालोनी में विस्थापित आवंटितियों को हस्तांतरित करने का अधिकार है। हाल में, राज्य सरकार ने हमें कुछ विषयों पर स्पष्टीकरण देने के लिए लिखा है। इनकी जांच की जा रही है। इन प्रगृहों के शीघ्र हस्तांतरण के लिए हमें कुछ व्यक्तियों तथा संगठनों दोनों से अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।

वन मानचित्र को पुनः तैयार करना

6635. **श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य में राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से वनों के मानचित्र पुनः तैयार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) राज्य सरकारों के सहयोग से वनों के मानचित्र निरन्तर पुनः तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण यह कार्य राज्य सरकारों के सहयोग से उपग्रह चित्रों का उपयोग करके हवाई फोटोग्राफी तथा भूमि-जांच से करता है।

पांचवां भारतीय एंटार्कटिका अभियान

6636. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें भारतीय अंटार्कटिका अभियान (1985-86) के लिए कोई जहाज खरीदा गया है जिसे, किराये के आधार पर दक्षिणी ध्रुव ले जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या "आइस-ब्रेकर" खरीदने का काम पूरा हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अभियान के लिए किन शर्तों पर जहाज किराये पर लिये गये हैं अथवा नहीं लिये जायेंगे ;

(घ) किन-किन देशों अथवा विदेशी शिपयार्डों से किराये पर जहाजों की सुविधाओं की पेशकश प्राप्त हुई है तथा प्रत्येक पेशकश का भाड़े अवधि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या भारतीय शिपयार्डों में इस तरह के जहाज/आइस ब्रेकर नहीं बनाये जा सकते ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) और (घ). ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता। तथापि पांचवें भारतीय अंटार्कटिक अभियान-दल के लिए उपयुक्त जहाज किराये पर लिए जाने के लिए जहाजरानी मन्त्रालय ने चार्टरिंग विंग के माध्यम से बात-चीत शुरू की गई थी। प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ङ) इस प्रकार के जहाज की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव को अन्तिम रूप देते समय एक उपयुक्त हिम-भंजक जहाज को भारतीय शिपयार्ड में विकसित करसे की संभाव्यता की जांच की जाएगी।

उड़ीसा में वायुदूत सेवाएं

6637. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में किन स्थानों के लिए वायुदूत सेवाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या झारसुगुडा, सम्बलपुर और जेपोर आदि स्थानों के लिए वायुदूत सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या उड़ीसा सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वायुदूत ने उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर और राउरकेला को विमान सेवा से जोड़ दिया है।

(ख) और (ग). आवश्यक आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने और प्रचालनों की आर्थिक साध्यता/सक्षमता होने पर वायुदूत की सातवीं योजना की अवधि में झारसुगुडा और जेपुर की विमान सेवा से जोड़ने की योजनाएं हैं।

(घ) जी, हां।

एक अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति

6638. **श्री राजकुमार राय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पंजाब स्थित हिन्दू राष्ट्रीय संगठन का एक प्रतिनिधि मंडल

दिनांक 8 फरवरी, 1985 को प्रधान मन्त्री से मिला था और उसने पिछले चार वर्षों के दौरान हिंदुओं के मारे जाने के बारे में जांच करने हेतु एक अल्पसंख्यक आयोग नियुक्त करने की मांग की थी ;

(ख) क्या संगठन ने यह भी मांग की थी कि देश में विदेशी मुद्रा के आगमन पर प्रतिबन्ध लगाया जाए ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किए गए दिनांक 8-2-25 के ज्ञापन में संगठन ने विभिन्न मसले उठाए हैं जो नोट कर लिए गए हैं।

महाराष्ट्र में रायगढ़ में हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के कारण प्रदूषण

6639. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में पनवेल तहसील में रसगनी में हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स संयंत्र द्वारा फैलाये जा रहे वायु के साथ साथ जल प्रदूषण के सम्बन्ध में सरकार को शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स के प्रबन्धकों पर रायगढ़ जिले के जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जिला मजिस्ट्रेट रायगढ़ द्वारा दिनांक 25-5-1983 को कारखाने के विरुद्ध जे० एम० एफ० सी०, पानेवल, जिला रायगढ़ के कोर्ट में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला विचाराधीन है।

बंगलौर में उद्योगों द्वारा किया जा रहा जल प्रदूषण

6640. **श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वृश भावती घाटी की विषैली सामग्री से प्रदूषित जल में उगाई गई सब्जियों को खाने से बंगलौर और उसके आसपास लगभग दो लाख लोग पेचिस से पीड़ित हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी और निजी दोनों ही तरह के 83 छोटे, मध्यम और बड़े उद्योग जिनमें उद्योगों को अपशिष्टों को साफ करने से पहले ही उक्त घाटी में बहा पाने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यहां पर पैदा हुई घास इतनी प्रदूषित है कि यहां तक कि पशु भी उसको नहीं खाते ; और

(घ) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या वैकल्पिक उपाय अपनाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) कर्नाटक प्रदूषण नियन्त्रण

बोर्ड के अनुसार बंगलौर शहर के प्रमुख अस्पतालों में रिपोर्ट किए गए मामलों में 1983 से पेचिस की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं दिखाई गई है। खाद्य सामग्री की देखभाल करने वालों की व्यक्तिगत स्वच्छता में कमी पेचिस का प्रमुख कारण है, यह सूचना मिली है।

(ख) इस इलाके में स्थित 79 उद्योगों में से जो अपने निस्सरणों की वृषभावती घाटी में प्रवाहित करते हैं, 15 उद्योगों ने अपने स्वयं के उपचार संयंत्र लगा लिए हैं तथा 31 उद्योग अपने निस्सरणों को बंगलौर जल आपूर्ति एवं मल-जल निर्यास बोर्ड के सीवरों में और अधिक उपचार के लिए प्रवाहित कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शेष 33 उद्योगों के सम्बन्ध में उपचार संयंत्र लगाने के लिए कदम उठा रहा है।

(ग) राज्य बोर्ड को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांगला देश में अल्पसंख्यकों की सम्पति का जब्त किया जाना

6641. **श्री अजय विश्वास : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश सरकार ने शत्रु सम्पत्ति के नाम पर अल्पसंख्यकों की सम्पत्ति जब्त की है ;

(ख) क्या सरकार ने बंगला देश में शत्रु सम्पत्ति अधिनियम का क्रियान्वयन रोकने के उद्देश्य से बंगला देश सरकार के साथ यह मामला उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो बंगला देश सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार को इस आशय की कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार ने भारतीय राष्ट्रिकों की तथा बंगला देश में उनके सहभागीदारों की सम्पति को निहित किए जाने का प्रश्न विभिन्न अवसरों पर और विभिन्न स्तरों पर बंगला देश सरकार के साथ उठाया है।

(ग) सरकार को यह आश्वासन दिया गया है कि बंगलादेश सरकार ने अगस्त 1984 में किसी और सम्पत्ति को निहित करने या जो सम्पत्ति पहले ही निहित की जा चुकी है उसके हस्तांतरण पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी जो आदेश दिया था वह लागू रहेगा।

गोरखपुर में तस्करों और समाजविरोधी तत्वों की गतिविधियां

6642. **श्री जितेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाल सीमा के नजदीक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में तस्करों और समाज विरोधी तत्वों की व्यापक गतिविधियों की खबरें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने अपराधियों को पकड़ने और भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत नेपाल सीमा, तस्करी गतिविधियों के लिए संवेदनशील बना हुआ है। वर्ष 1984 और

1985 (मार्च तक) गोरखपुर सीमा-शुल्क प्रभाग के क्षेत्राधिकार में जब्त की गई निषेध-वस्तुओं की कीमत नीचे दी गई है :—

वर्ष	जब्त की गई वस्तुओं की कीमत (रुपये लाखों में)
1984	38.00
1985	18.00 (अनन्तिम)

तस्करों के विरुद्ध अभियान तेज कर दिया गया है । भूमि सीमाओं के आर पार तस्करी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त तस्करी विरोधी उपाय किए गए हैं । तस्करी की प्रवृत्ति और नमूने की भी सतत पुनरीक्षा की जाती है और संबंधित केन्द्र और राज्य सरकार प्राधिकारियों के साथ गहन समन्वय करके अल्प अवधि और दीर्घ-अवधि के तस्करी विरोधी उचित उपाय किए जाते हैं । असामाजिक तत्वों की गतिविधियां कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में आती हैं, जो राज्य का विषय है ।

अन्तरिक्ष का उपयोग करने के संबंध में समझौता/संधि

6643. **श्री विजय एन० पाटिल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाह्य अन्तरिक्ष में हमारे उपग्रहों की स्थापना के लिए अन्तरिक्ष उपयोग करने के सम्बन्ध में हमने कोई समझौता अथवा संधि की है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौते अथवा संधि की शर्तों का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). बाह्य अन्तरिक्ष में स्थान के उपयोग के लिए पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रहों की स्थापना के लिए कोई विशेष करार अथवा संधि नहीं है । फिर भी, सामान्य रूप में अन्तरिक्ष सम्बन्धी क्रियाकलाप "चन्द्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अन्तरिक्ष की खोज तथा उपयोग में राष्ट्रों के क्रियाकलापों को शासित करने के सिद्धांतों पर संधि (1967)" द्वारा शासित होते हैं ।

लेकिन, भू-स्थायी उपग्रहों के सम्बन्ध में, उनकी आवृत्तियां तथा उनकी कक्षीय स्थिति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई० टी० यू०) द्वारा निर्धारित रेडियो विनियमनों और प्रक्रियाओं के आधार पर समन्वय की जरूरत होती है । इस सम्बन्ध में, सरकार ने सोवियत संघ, इन्डोनेशिया, और इन्टेलसैट के साथ, इन संगठनों के उपग्रह संचार जल के साथ भारत के उपग्रह संचार जल के संतोषप्रद सहअस्तित्व के लिए पृथक से "समझौता-ज्ञापनों" (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं । इन समझौता ज्ञापनों की शर्तों में रुचि वाली भू-स्थायी उपग्रह कक्षा में सोवियत संघ, इंडोनेशिया और इन्टेलसैट के उपग्रहों एवं इन्सैट-1 उपग्रहों के लिए कक्षीय स्थितियों सहित तकनीकी विशिष्टताओं का निर्धारण किया गया है ।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

6644. **कुमारी पुष्पा देवी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम की समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में विद्युत विहीन गांवों के विकास के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार का कार्यक्रम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और गैर-परम्परागत ऊर्जा

स्रोत विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के कितने गांवों में इस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया गया है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी उपलब्ध ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के अविद्युतीकृत गांव पिपालिया फंदेखां में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने अगस्त, 1984 में एक समेकित ऊर्जा परियोजना आरम्भ की थी जिसे मेल द्वारा कार्यान्वित किया गया है। परियोजना पूरी हो चुकी है तथा इसमें निम्नलिखित प्रणालियां शामिल हैं ; उन्नत चूल्हे, सौर कुकर, जल पम्पन, पवन चक्कियां, सौर प्रकाशवोल्टीय चालित गली रोशनी, सौर प्रकाशवोल्टीय चालित टेलीविजन और रेडियो, सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प और ऊर्जा बागवानी। एक समुदाय केन्द्र का भी निर्माण किया गया है जिसमें टेलीविजन और सामुदायिक रेडियो रखा गया है।

इसके साथ-साथ अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने मध्य प्रदेश के निम्नलिखित गांवों में सौर गली रोशनी एकक स्थापित किए हैं :

(1) ओर्चा बस्तर जिला।	(2) दर्भा, बस्तर
(3) कलापीपल, उज्जैन।	(4) झाल, रायगढ़
(5) गोपालपुर, उज्जैन।	(6) जबट, सिधी
(7) नाल्डी, उज्जैन।	(8) खमरदीह, सिधी

छठी योजना के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता

6645. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जनजाति उप-योजना और विशेष संघटक कार्यक्रम के लिए वर्ष-वार राज्यों संघ शासित प्रदेशों को कितनी विशेष, केन्द्रीय सहायता जारी की गई और उसके लिए राज्य क्षेत्र से कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मंत्रालयवार और वर्षवार जनजाति क्षेत्रों में उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए राज्य वार कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई ;

(ग) प्रत्येक लाभ प्रदान करने वाली योजना और कार्यक्रम के लिए कितना संस्थागत वित्त प्रदान किया गया और भिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यक्रम-वार कितने परिवार लाभान्वित हुए ; और

(घ) छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में कौन-कौन सी केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें लागू की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनजाति उप-योजना और विशेष संघटक योजना के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवंटित विशेष केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार से हैं :

(रु० करोड़ों में)

	जनजाति उपयोजना	विशेष संघटक योजना
1980-81	70.00	100.00
1981-82	85.00	110.00
1982-83	95.00	120.00
1983-84	110.00	130.00
1984-85	126.62	140.00

जनजाति उपयोजना के लिए छठी योजना अवधि के दौरान राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा निर्धारित धनराशि जनजाति उप-योजना के लिए लगभग 3495.00 करोड़ रु० और विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत 3644.00 करोड़ रुपए का है।

(ख) छठी योजना के दौरान जनजाति उप-योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों द्वारा निर्धारित धनराशि संलग्न विवरण में दिखायी गयी है।

(ग) अनुमान लगाया जाता है कि छठी योजना अवधि के दौरान जनजाति कार्यक्रमों में संस्थागत वित्त का अंशदान लगभग 800 करोड़ रुपए का हो सकता है।

(घ) छठी योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं लागू थी :–

(1) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।

(2) पुस्तक बैंक योजना।

(3) अनुशिक्षण और सम्बद्ध योजनाएं,

(4) अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए छात्रावास,

(5) अनुसंधान और प्रशिक्षण,

(6) स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।

विवरण

छठी योजना अवधि के दौरान जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा निर्धारित धन (रुपये लाखों में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1. कृषि और सहकारिता मंत्रालय	266.16	754.33	1143.54	1289.55	1765.97
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1009.44	907.81	1109.89	977.71	1160.93
3. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	57.76	94.07	202.44	482.00	541.59
4. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	1350.00	1280.00	1364.00	2041.00	2334.00
5. शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय	127.00	463.43	1104.55	1222.75	1533.40
6. श्रम मंत्रालय	1.00	1.47	1.86	2.40	14.91
7. वाणिज्य मंत्रालय	—	90.39	74.19	—	—
8. औद्योगिक विकास मंत्रालय	131.10	133.10	172.80	193.50	2813.70
9. संचार मंत्रालय	2487.63	3051.15	3068.39	4140.00	4640.00
10. सिंचाई मंत्रालय	16.70	89.00	—	—	—
11. ग्रामीण विकास मंत्रालय	*6713.00	*6337.00	*7757.00	*8613.00	—
12. नागरिक आपूर्ति विभाग	—	41.45	71.00	123.00	150.00
13. खाद्य विभाग	—	—	—	—	345.00

14. पुनर्वास विभाग	—	—	3.73*	5.00	—
15. समाज कल्याण मंत्रालय	781.00	1067.00	1570.00	3285.00	4140.00
जोड़					

*अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कुल संयुक्त आंकड़े

[हिन्दी]

सरकारी सहायता से बायोगैस संयन्त्र

6646. श्री शांति धारीवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान सरकारी ऋणों और अनुदानों से देश में कितने बायोगैस संयंत्र लगाये गये ;

(ख) इस समय उसमें से कितने संयंत्र काम कर रहे हैं ;

(ग) शेष बायोगैस संयंत्रों के खराब रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का उनकी मरम्मत के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 1984-85 के दौरान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत देश में कुल 1,80,430 परिवार आधारित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, वर्ष के दौरान 70 सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र भी शुरू किए गए हैं। यद्यपि राजसहायता सरकार द्वारा दी गई है, ऋण वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए हैं।

(ख) और (ग). 1984-85 के दौरान स्थापित किए गए बायोगैस संयंत्रों के काम न करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी, एकल व्यक्तियों से कुछ रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं जो कि निरीक्षण, रिपोर्ट और टिप्पणी के लिए सम्बन्धित कार्यान्वयन एजेंसियों को भेज दी गई हैं। वर्ष के दौरान स्थापित सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्र संतोषजनक कार्य कर रहे हैं।

(घ) "मरम्मत योजना" के अन्तर्गत, परिवार आधारित बायोगैस संयंत्रों की मरम्मत करने के लिए 500 रुपए प्रति खराब संयंत्र तक का उपदान दिया जा रहा है। मरम्मत के लिए उच्चतर उपदान भी केस के आधार पर दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

गुजरात में मेहसाना जिले की थोल झील में पक्षी अभ्यारण्य

6647. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के मेहसाना जिले के कादी तालुक में थोल झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की काफी सम्भावनाएं हैं ;

(ख) क्या थोल झील में "फलेमिन्गीज" जैसे दुर्लभ नस्ल के पक्षी देखे गए हैं ;

(ग) क्या झील को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने से पूर्व औद्योगिक अपशिष्टों के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) "फलेमिंगीज सहित जल" पक्षियों को प्रजाती थोल झील में देखी गई है।

(ग) और (घ). झील में प्रदूषण का नियंत्रण करना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। इस संबंध में अब तक कोई निर्णय लिए जाने की कोई सूचना नहीं है।

उड़ीसा में कम लागत वाले होस्टलों का रख रखाव

6648. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण उड़ीसा के आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में कम लागत वाले होस्टलों के रख-रखाव पर कुप्रभाव हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इन होस्टलों का ठीक प्रकार से संचालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) चूंकि "रख रखाव" राज्य का विषय है, अतः विस्तृत सूचना राज्य सरकार के पास उपलब्ध होने की सम्भावना है।

(ख) भारत सरकार ने वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा में शिक्षा में सुधार करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता में से 320 लाख रुपये उपलब्ध कराए।

घाना अभ्यारण्य भरतपुर में अग्निकांड

6649. **श्री कमल नाथ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भरतपुर में घाना अभ्यारण्य में पिछले तीन महीनों में तीन बड़े अग्नि कांड हो चुके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन अग्निकांडों के कारण कुल कितनी हानि होने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) बताया गया है कि पहले बार आग एक लापरवाह पर्यटक द्वारा सिगरेट का दुर्रा फेंकने से लगी जबकि दूसरी बार आग राष्ट्रीय उद्यान के परिसर से शुरू हुई थी और स्पष्ट रूप से एक ग्वाले की लापरवाही की वजह से लगी। तीसरी बार आग लगने के कारण का पता नहीं लगाया गया है।

(ग) 18 जनवरी, 1985 को पहली बार लगी आग की घटना में लगभग 70 हैक्टर चारागाह भूमि जल गई थी, जबकि क्षेत्र में उगे वृक्ष झुलस गए। 26 फरवरी, 1985 को दूसरी बार लगी आग में काटी गई कुछ सूखी लकड़ी और लगभग 290 हैक्टार में लगी सूखी घास जल गई और उस क्षेत्र में खड़े कुछ पेड़ झुलस गए। 31 मार्च, 1985 को तीसरी बार लगी आग में करीब 250 हैक्टार में लगी घास जल गई और क्षेत्र में कुछ छुट पुट वृक्षों की चोटियां झुलस गईं।

भगवान नटराज मन्दिर का प्रबन्ध

6650. **डा० पेरुमन : क्या संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का तमिलनाडु में चिदम्बरम् में भगवान नटराज मन्दिर का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि भूमि का वितरण

6651. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में वर्ष 1984-85 के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि वितरण की गई है ; और

(ख) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). भूमि की अधिकतम सीमा से बेशी भूमि के भूमिहीन व्यक्तियों में वितरण से सम्बन्धित कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण वितरित किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में किया जाता है। वर्ष 1984-85 में 12000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले गुजरात में उपलब्धि 12943 एकड़ थी।

[हिन्दी]

इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम का नाम बदलना

6652. **श्री निर्मल खत्री :** क्या **युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार इन्द्रप्रस्थ इन्डोर स्टेडियम का नाम बदलकर उसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखने का है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में इन्द्रप्रस्थ स्टेडियम का नाम पहले ही बदलकर "इन्दिरा गांधी स्टेडियम" रखा गया है।

[अनुवाद]

साम्प्रदायिक दंगों के बारे में आयोग

6653. **श्री सी० माधव रेड्डी :**

श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या **गृह मन्त्री** साम्प्रदायिक दंगों के बारे में न्यायिक आयोगों की सिफारिशों के बारे में 25 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 473 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच सभी आयोगों की सिफारिशों पर आधारित कोई कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अन्तर्गत साम्प्रदायिक दंगों की जांच करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक जांच आयोग स्थापित किए गए थे। केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों ने उनके द्वारा नियुक्त किए गए जांच आयोगों के प्रतिवेदनों पर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की थी। सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा आयोगों की रिपोर्टों को, की गई कार्यवाही के ज्ञापन के साथ सम्बन्धित सदनों के पटलों पर रख दिया गया था।

इन जांच आयोगों ने साम्प्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने और सामुदायिक सौहार्द बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। जांच आयोगों को रिपोर्टों में की गई सिफारिशों और राष्ट्रीय एकता परिषद द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने के लिए दिशानिर्देशों का एक सैट संकलित किया गया था। इस संकलन को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को मार्ग दर्शन तथा उचित कार्यवाही के लिए भेजा गया था।

स्वर्गीय प्रधान मन्त्री ने स्वयं साम्प्रदायिक स्थिति की समीक्षा की थी और कार्यवाही के लिए एक 15 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया था। इन सूत्रों को राज्य सरकारों को भेजा गया था जिन्होंने आवश्यक कार्यवाही की है। केन्द्र सरकार स्वर्गीय प्रधानमन्त्री के सुझावों पर राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्यवाही के स्वरूप पर लगातार नजर रखती है।

एक नई आसूचना एजेंसी की स्थापना

6654. **श्री दिनेश सिंह : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने अपने पर्यवेक्षण में एक नई आसूचना एजेंसी स्थापित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) यह सच नहीं है कि कोई नई आसूचना एजेंसी स्थापित की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में आदिवासियों का उत्थान

6655. **श्री सुरेश कुरुप : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में आदिवासियों के उत्थान के सम्बन्ध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का कोई मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और छठी योजना अवधि के दौरान जनजातीय विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी और केरल सरकार द्वारा वास्तव में व्यय की गई राशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). केरल में जनजाति विकास कार्यक्रमों की राज्य के प्रतिनिधियों के साथ और गृह मन्त्रालय तथा योजना आयोग में वार्षिक जनजाति उपयोजना के विचार विमर्शों के दौरान सावधिक पुनरीक्षा की जाती है। अधिकारियों द्वारा चुने हुए क्षेत्रों के दौरे भी किए जाते हैं। केरल जनजाति अनुसंधान संस्था ने अट्टापडी, इडुकी, नीलाम्बुर और वाइनाड एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं के जनजाति उपयोजना कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया है। इसके अतिरिक्त, इस संस्था को यह सलाह दी गई है कि वह वाईनाड एकीकृत जनजाति विकास परियोजना में सहकारी ढांचे और प्राचीन आदिवासी वर्गों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य को आदिवासी विकास के लिए आबंटित विशेष केन्द्रीय सहायता का सूचित किया गया राज्यवार ब्यौरा और खर्च इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	आबंटन	खर्च
1980-81	57.00	64.82

1981-82	48.00	47.98
1982-83	56.00	50.00
1983-84	62.51	62.39
1984-85	64.01	49.90
		(सितम्बर, 1984 तक)

मण्डल आयोग की रिपोर्ट

6656. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मंडल आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग (मंडल आयोग) दिनांक 1-1-1979 को नियुक्त किया गया और इसकी रिपोर्ट दिनांक 31-12-1980 को प्रस्तुत की गई। मंडल आयोग की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी गई थी परन्तु इस पर राज्यों के विचारों में साफ मतैक्य नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों तथा आयोग द्वारा तैयार की गई अन्य पिछड़े वर्गों की सूची की विस्तार से जांच की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि मंडल आयोग ने ऐसे अनेक समुदायों/वर्गों की सूची में शामिल किया है जो वास्तव में पिछड़ेपन की अर्हता नहीं रखते जबकि कुछ अन्य समुदायों/वर्गों को छोड़ दिया है जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए माने गए हैं, अत: मंडल आयोग द्वारा तैयार सूची को प्रकाशित किया जाए और सूची में निहित प्रविष्टियों के संदर्भ में परामर्शी तथा आपत्तियों को आमंत्रित किया जाये। जनता का मत प्राप्त करने का तारीका सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में रह रहे असम के शरणार्थी

6657. **श्री आयनल अबेदिन :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के कैम्पों में असम में आए ऐसे कितने शरणार्थी रह रहे हैं जिन्हें असम सरकार ने अभी तक वापस नहीं लिया है ;

(ख) उन्हें असम में वापस न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या इन लोगों के पश्चिम बंगाल के कैम्पों में रहने पर होने वाले पूरे व्यय को केन्द्रीय सरकार वहन कर रही है ; और

(घ) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). असम के शरणार्थियों की पश्चिम बंगाल से असम को वापसी पश्चिम बंगाल और असम सरकारों से परामर्श करके चल रही है। पश्चिम बंगाल राज्य के अनुसार असम के 2264 शरणार्थी मार्च, 1985 में पश्चिम बंगला सरकार द्वारा जारी रखे गये शिविरों में बचे हैं।

(ग) सरकार 1983 के दंगों के परिणामस्वरूप असम के जो शरणार्थी पश्चिम बंगाल में आ गये थे, उनको राहत प्रदान करने पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार द्वारा किये गए खर्च की पूरी अदायगी करती है।

(घ) दोनों राज्य सरकारों को हाल में सलाह दी गई है कि वे आपस में परामर्श करके वापसी के कार्यक्रम को तेज करें।

[हिन्दी]

पेड़ न गिराने के कारण रुकी पड़ी महाराष्ट्र, की सिंचाई, विद्युत और अन्य योजनाएं

6658. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत पेड़ गिराने की अनुमति न दिये जाने के कारण महाराष्ट्र में अनेक सिंचाई विद्युत तथा अन्य योजनाएं रुकी पड़ी हैं ;

(ख) इस प्रकार रुकी पड़ी योजनाओं में बड़ी मात्रा में सरकारी धनराशि लगी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा उनको पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). महाराष्ट्र में सिंचाई/जल विद्युत परियोजनाओं के सिर्फ चार प्रस्तावों और अन्य कार्य से सम्बन्धित आठ प्रस्तावों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । इसकी मुख्य वजह (वन संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति देने के लिए अपेक्षित जानकारी तथा आंकड़े निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार से प्राप्त न होना है ।

[अनुवाद]

ई० टी० और टी० डी० सी० द्वारा आवंटित किटों से रंगीन टेलीविजन का निर्माण

6659. **डा० ए० के० पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** टी० वी० निर्माताओं द्वारा दिए गए वचन के उल्लघंन के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 4794 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रंगीन टेलीविजन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें अधिकतम खुदरा मूल्य की सीमा की शर्त के साथ ई० टी० और टी० डी० सी० द्वारा रंगीन टी० वी० किट आबंटित किए गए थे और अब मिशन पर उक्त वचन के उल्लघंन के लिए एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रणाली आयोग में मुकदमा चलाया गया है ; और

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक निर्माता द्वारा वास्तव में रंगीन टी० वी० के कितने किट लिए गए प्रत्येक कम्पनी को आवंटित पिक्चर ट्यूबों के ब्रांड नाम क्रमांक या अन्य विशिष्ट चिन्ह क्या थे ; और रंगीन टी० वी० के इस प्रकार के किटों के अन्य पुर्जों के ब्रांड/ट्रेड चिन्ह क्रमांक या अन्य विशिष्ट चिन्ह क्या थे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण, आयात तथा/अथवा विक्रय के व्यवसाय में जुटी 44 दूरदर्शन विनिर्माणकर्ता फर्मों/कम्पनियों/स्वस्वामित्व वाले संगठनों की सूची **विवरण-I** में दी गई है, जिन्हें एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 19(क) (1) तथा धारा 37 और एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति विनियम 1974 के विनियम सं० 58 एवं 58-क के अन्तर्गत एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति आयोग द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 1984 को जांच सम्बन्धी नोटिस (1984 की प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति जांच सं० 138) जारी किए गए हैं ।

(ख) उपर्युक्त रंगीन दूरदर्शन विनिर्माणकर्ता-फर्मों ने जितनी मात्रा में विभिन्न किस्म के रंगीन दूरदर्शन किटों की खरीद की है उनके **ब्यौरे विवरण-II** में प्रत्येक फर्म के नाम के सामने दर्शाए गए हैं ।

आई० टी० टी० किटों की आपूर्ति तोशिबा रंगीन पिक्चर ट्यूबों के साथ, समसुंग किटों की आपूर्ति समसुंग रंगीन पिक्चर ट्यूबों के साथ तथा गोल्ड स्टार किटों की आपूर्ति गोल्ड स्टार पिक्चर ट्यूबों के साथ की गई है। पिक्चर ट्यूबों की क्रम संख्या अथवा कोई अन्य पहचान-चिन्ह सम्भव नहीं है और न ही ऐसे किटों के अन्य संघटक-पुर्जों के सम्बन्ध में उसी प्रकार की कोई जानकारी देना ही सम्भव है, क्योंकि जैसे-जैसे आपूर्तिकर्त्ताओं से ये किटें प्राप्त होती गई उनकी हजारों की संख्या में आपूर्ति की गई।

विवरण-I

1. मैसर्स भारत टी० वी० लिमिटेड,
   15-बी एवं 17-बी, टेक्नोक्राफट्स,
   इण्डस्ट्रियल एस्टेट, बालानगर,
   हैदराबाद-500037
2. मैसर्स बाइवेल कारपोरेशन,
   अन्नपूर्णा होटल बिल्डिंग्स
   नामपल्ली स्टेशन रोड,
   हैदराबाद-500001
3. मैसर्स हाई-बीम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा० लि०,
   नं० 12, प्रथम मेन रोड, गांधी रोड,
   मद्रास-600020
4. मैसर्स डयानावीजन लिमिटेड,
   4, पदमनाभ नगर, अडयार,
   मद्रास-600020
5. मैसर्स वेल्विन टी० वी० इंडस्ट्रीज,
   140/1, वी० एम० एस्टेट
   रोयापेटा,
   मद्रास-600014
6. मैसर्स सुपर्ना वीजन प्रा० लिमिटेड,
   टाईप 2/24, डा० वी० एस० इन्सट्रॉनिक्स एस्टेट,
   मद्रास-600041
7. मैसर्स हारमोनी,
   154, उस्मान रोड, मद्रास-600017
8. दी नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स क० लि० (ट्रोल्को)
   महाकाली केव्स रोड, चाकला, अन्धेरी,
   बम्बई-400093
9. मैसर्स बुश इंडिया लिमिटेड,
   पी० ओ० बा० न० 4127, सुखनगर,
   एन० एस० पतकर मार्ग, बम्बई-400007

10. मैसर्स सुदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टी० वी० लिमिटेड,
डी-24, उद्योग सदन नं० 2, एम० आई० डी० सी०
ई० एस० आई० सी० हासपिटल के सामने अन्धेरी (पूर्व)
बम्बई-400093

11. मैसर्स वीनस रेडियो सर्विस,
10, अनुराज शापिंग सेन्टर
दफ्तरी रोड मालाड,
बम्बई-400064

12. मैसर्स कास्मिक रेडियो
23-सी, महल इंडस्ट्रीयल एस्टेट
महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (पूर्व)
बम्बई-400093

13. मैसर्स कॉस्मिक स्टीरियो इक्वपमेंट प्रा० लिमिटेड,
1, नार्थ ऐस्टेट, बन्खीदिया स्टेडियम, 'डी' रोड, चर्च गेट,
बम्बई-400020

14. मैसर्स जमनादास स्टोन्सी प्रा० लिमिटेड,
पारेख हाऊस, 14, मामा परमानन्द मार्ग,
बम्बई-400004

15. कॉस्ट्रोनिक्स,
41, नवकेतन इंडस्ट्रीयल ऐस्टेट,
महाकाली रोड, अन्धेरी (पूर्व)
बम्बई-400093

16. मैसर्स ईस्ट्रन रेडियो कम्पनी,
एम० जी० मार्ग, विले पार्ले (पूर्व)
बम्बई-400057

17. मैसर्स पायोनियर रेडियो क्राफ्टर,
110-ई, मेयर बिल्डिंग,
सेनापति बपत मार्ग,
दादर (डब्ल्यू, रेलवे) के सामने
बम्बई-400028

18. मैसर्स क्वालिटी ट्रेडर्स,
90-बी, गोखले रोड, नौपदा,
ठाणा-400602

19. मैसर्स वेस्टन इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रा० लिमिटेड,
43-ए, ओखला इंडस्ट्रीयल ऐरिया,
नई दिल्ली-110020

20. मैसर्स बेल्टेक इलेक्ट्रोनिक्स,
ए-28, नारायणा इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
फेज-I,
नई दिल्ली-110028.

21. मैसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लिमिटेड,
239, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया,
नई दिल्ली-110020.

22. मैसर्स बी० पी० एल० इंडिया लिमिटेड,
एम. जी. रोड, बंगलौर।

23. मैसर्स आरवी इलेक्ट्रोनिक्स,
शाप नं० 5, प्लाट नं० 43,
कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली-110065.

24. मैसर्स रिंदम कार्नर,
ई-3, साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-II,
रिंग रोड, नई दिल्ली-110006

25. मैसर्स अल्पना रेडियोज,
1900, चांदनी चौक,
दिल्ली-110006.

26. मैसर्स नैय्यर टेलीविजन प्रा० लिमिटेड,
50-डी, कमलानगर,
दिल्ली-110007.

27. मैसर्स वीडियो इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लिमिटेड,
प्लाट नं० 8/2, साईट नं० 4,
इंडस्ट्रीयल ऐरिया, साहिबाबाद,
गाजियाबाद (यू० पी०)

28. मैसर्स महाजन इलेक्ट्रोनिक्स (रजि०)
89-90, राजा गार्डन, रिंग रोड,
नई दिल्ली-110015.

29. विद्युत,
सेठ शाटी लाल मार्किट,
सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

30. मैसर्स यूनीक इलेक्ट्रोनिक्स,
शॉप नं० 16, सेन्ट्रल मार्केट,
लाजपत नगर, नई दिल्ली।

31. मैसर्स प्रदीप रेडियो एण्ड टी० वी० सेन्टर,
18, डी, मोहन सिंह मार्केट,
रामकृष्ण पुरम, सेक्टर-6
नई दिल्ली।

32. मैसर्स इन्डो-ओरियन,
विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली।

33. मैसर्स पॉल रेडियोज,
24, डी, मोहनसिंह मार्केट,
सेक्टर नं० 6, रामकृष्ण पुरम,
नई दिल्ली।

34. मैसर्स वीडियो टेक्नीकल प्रा० लिमिटेड,
ए-54, 14 वी० क्रास, तीसरा मेन रोड,
दूसरा स्टेज, पीन्या इंडस्ट्रीयल ऐस्टेट,
बंगलौर।

35. मैसर्स पूर्णिमा इलैक्ट्रोनिक्स,
नं० 72, चौथा मेन रोड,
श्रीपुरम, कुमुरा पार्क पश्चिम,
बंगलौर।

36. मैसर्स क्वीलोन रेडियो सर्विस,
28/932, महात्मा गांधी रोड,
त्रिवेन्द्रम-695001.

37. मैसर्स सोलिड स्टेट सेल्स,
स्टैच्यूट रोड,
त्रिवेन्द्रम-695001.

38. मैसर्स श्री पंचमपुखी स्टील एंड टेलीक्ट्रॉनिक्स,
सुदर्शन 35 एम० एम० के सामने
हैदराबाद-500020.

39. मैसर्स एस० सी० शाह,
158, माऊंट रोड,
मद्रास-600002.

40. मैसर्स एत्प्रोज
5, ब्रिज रोड,
अदुयार,
मद्रास-600020.

41. मैसर्स टी० वी० होम,
43, सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर रोड,
अभिराम पुरम,
मद्रास-600018.

42. मैसर्स जयशंकर कमर्शियल कारपोरेशन,
84, बाजार रोड,
रोयापेटा,
मद्रास।

43. मैसर्स क्वासर इलेक्ट्रोनिक प्राइवेट लिमिटेड,
बी/21/21, नन्दज्योत, इंडस्ट्रीयल एस्टेट,
सफेद पुल,
कुर्ला अन्धेरी रोड,
बम्बई-400072.

44. मैसर्स टी० वी० पैलेस,
130, दूसरी मंजिल,
लाल बाग,
बंगलौर-560027.

विवरण-II

क्र० सं०	दूरदर्शन विनिर्माताओं के नाम	ब्रांड नाम	आई० टी० टी० किट	समसुंग किट	गोल्ड स्टार किट
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स भारत टी० वी० लिमिटेड 15 बी० एण्ड 17 बी० टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बाला नगर, बंगलौर-500001	भारत	शून्य	2627	शून्य
2.	मैसर्स बाइवेल कारपोरेशन, अन्नपूर्णा होटल बिल्डिंग, नामपाली स्टेशन रोड, हैदराबाद	—	शून्य	शून्य	शून्य
3.	मैसर्स हाई-बीम इलेक्ट्रानिक्स प्रा० लि० नं० 12, पहला मेन रोड, गांधी रोड मद्रास-600020	सोलिडेयर	2034	शून्य	शून्य
4.	मैसर्स डायनाविजन लि० 4, पद्मनवहा नगर, अड्यार मद्रास-600020	डयानोरा	456	शून्य	1790

1	2	3	4	5	6
5.	मैसर्स वेल्विन टी० वी० इंडस्ट्रीज 140/1, वी० एम० एस्टेट रोयापेटा, मद्रास-600014	डयानोरा	238	शून्य	210
6.	मैसर्स सुपर्णा विजन प्रा० लि०, टाइप 2/24, डा० वी० एस० इंस्ट्रानिक एस्टेट, मद्रास-600041	जानकारी नहीं	24	शून्य	शून्य
7.	मैसर्स हार्मोनी, 154, उस्मान रोड मद्रास-600017	—	शून्य	शून्य	शून्य
8.	दी नेशनल रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कं० लि० (नेल्को), महाकाली केव्स रोड, चकला अंधेरी, बम्बई-400093	—	शून्य	शून्य	शून्य
9.	मैसर्स बुश इंडिया लि०, पो० बा० नं० 4127, सुख नगर, एन० एस० पटकर मार्ग, बम्बई-400007	बुश	शून्य	829	940
10.	मैसर्स सुदर्शन इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टी० वी० लि०, डी-24, उद्योग सदन नं० 2, एम० आई० डी० सी० ई० एस० आई० सी० अस्पताल के सामने अंधेरी (ई), बम्बई-400093	—	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मैसर्स वीनस रेडियो सर्विस 10, अनुराज शापिंग सेंटर, दफ्तरी रोड, मलाद, बम्बई-400064	—	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मैसर्स कास्मिक रेडियो 23-सी, महल इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (ई०) बम्बई-400093	कास्मिक	100	शून्य	शून्य
13.	मैसर्स कास्मिक स्टीरियो इक्विपमेंट्स प्रा० लि०, 1, नार्थ स्टेण्ड, वनखड़े स्टेडियम डी-रोड, चर्च गेट, बम्बई	—	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मैसर्स जमनादास म्टोंसी प्रा० लि० प्रकाश हाउस, 14 मामा परमानन्द मार्ग, बम्बई-400004	—	शून्य	शून्य	शून्य
15.	कास्ट्रॉनिक्स, 41, नवनिकेतन, इंडस्ट्रियल एस्टेट, महाकाली रोड, अंधेरी (ई०), बम्बई-400093	—	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
16.	मैसर्स ईस्टर्न रेडियो कं०, एम० जी० रोड, विले पार्ले (ई०), बम्बई-400057	—	शून्य	शून्य	शून्य
17.	मैसर्स पायनियर रेडियो क्राफ्टर 110-ई०, मेयर बिल्डिंग, सेनापति बपट मार्ग, दादर के सामने, (पश्चिम रेलवे), बम्बई-400028	—	शून्य	शून्य	शून्य
18.	मैसर्स क्वालिटी ट्रेडर्स, 90-बी, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे-400602	—	शून्य	शून्य	शून्य
19.	मैसर्स वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० 43 ए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110020	वेस्टन	1371	3680	शून्य
20.	मैसर्स बेल्टेक इलेक्ट्रोनिक्स, ए-80 नरायणा इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-I, नई दिल्ली।	बेल्टेक्	5486	1580	शून्य
21.	मैसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि०, 239, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110020	टेलीविस्टा	2734	1185	2494
22.	मैसर्स बी० पी० एल० इंडिया लि० एम० जी० रोड, बंगलौर	—	शून्य	शून्य	शून्य
23.	मैसर्स आरवी इलेक्ट्रोनिक्स, शाप नं० 5, प्लाट नं० 43, कम्यूनिटी सेंटर, ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली-110085	—	शून्य	शून्य	शून्य
24.	मैसर्स रिटम कार्नर, ई-3 साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली	—	शून्य	शून्य	शून्य
25.	मैसर्स अल्फा रेडियोज, 1900 चांदनी चौक, दिल्ली-110006	—	शून्य	शून्य	शून्य
26.	मैसर्स नय्यर टेलीविजन प्रा० लि०, 50-डी, कमला नगर, दिल्ली-110007	—	शून्य	शून्य	शून्य
27.	मैसर्स वीडियो इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० प्लाट नं० 8/2, साइट नं० 4, इंडस्ट्रियल एरिया, साहिबाबाद गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)	क्राउन	शून्य	2361	896

1	2	3	4	5	6
28.	मैसर्स महाजन इलेक्ट्रोनिक्स (रजि०) 89-90 राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110015	—	शून्य	शून्य	शून्य
29.	विद्युत, सेठ श्रीलाल मार्किट, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	—	शून्य	शून्य	शून्य
30.	मैसर्स यूनिक इलेक्ट्रोनिक्स शॉप नं० 16 सेंट्रल मार्किट, लाजपतनगर, नई दिल्ली	—	शून्य	शून्य	शून्य
31.	मैसर्स प्रदीप रेडियो एण्ड टी० वी० सेंटर 18-डी, मोहनसिंह मार्किट, आर० के० पुरम, सेक्टर-6, नई दिल्ली	—	शून्य	शून्य	शून्य
32.	मैसर्स इंडो-ओरियन, विकास मार्ग शकरपुर, दिल्ली	—	शून्य	शून्य	शून्य
33.	मैसर्स पोल रेडियोज 24-डी, मोहनसिंह मार्किट, सेक्टर नं० 6, आर० के० पुरम, नई दिल्ली।	—	शून्य	शून्य	शून्य
34.	मैसर्स वीडियो टेक्नीकल प्रा० लि० ए-54, 14 वीं क्रास, तीसरा मेन रोड सेंकिड स्टेट, पीनया इंडस्ट्रियल एस्टेट, बंगलौर।	जानकारी नहीं	100	शून्य	शून्य
35.	मैसर्स पूर्णिमा इलेक्ट्रानिक्स नं० 72, चौथा मेन रोड, श्रीपुरम, कुमरा पार्क वेस्ट, बंगलौर-560001	पूर्णिमा	100	शून्य	शून्य
36.	क्वीलियन रेडियो सर्विस 26/931, महात्मा गांधी रोड, त्रिवेन्द्रम-695001	—	शून्य	शून्य	शून्य
37.	मैसर्स सालिड स्टेट सेल्ज स्टेट्यूट रोड, त्रिवेन्द्रम्-695001	—	शून्य	शून्य	शून्य
38.	मैसर्स श्री पंचमुखी स्टील एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स सुदर्शन 35 एम के सामने, हैदराबाद।	—	शून्य	शून्य	शून्य
39.	मैसर्स एस० सी० शाह, 168 माउंड रोड मद्रास-600002	—	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
40.	मैसर्स टी० वी० होम, 43 सर सी० पी० रामास्वामी अय्यर रोड, अभिरामपुरम, मद्रास-600018	—	शून्य	शून्य	शून्य
41.	मैसर्स एलप्रोस 5, ब्रिंज रोड, अड्यार, मद्रास-600014	—	शून्य	शून्य	शून्य
42.	मैसर्स जयशंकर कमर्शियल कार्पोरेशन, 84, बाजार रोड, रोयापेटा, मद्रास-600014	—	शून्य	शून्य	शून्य
43.	मैसर्स क्वासेर इलेक्ट्रोनिक्स प्रा० लि० बी/20/21, नंद ज्योत इंडस्ट्रियल एस्टेट, सफेद पूल, कुर्ला अंधेरी रोड बम्बई-400027	नेल्को (घ्रु नेल्को)	96	शून्य	शून्य
44.	मैसर्स टी० वी० पैलेस, 130, सेकिंड फ्लोर, लाल बाग रोड, बंगलौर-560027	—	शून्य	शून्य	शून्य

गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा नामीबिया के बारे में की गई घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई

6660. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री एस० एम० भट्टम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष आंदोलन द्वारा नामीबिया के बारे में दिल्ली में 21 अप्रैल, 1985 को की गई घोषणा पर उनका कोई अनुवर्ती कदम उठाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). गुट निरपेक्षादेशों के नामीबिया संबंधी समन्वय ब्यूरो की 19 से 21 अप्रैल, 1985 तक मंत्री स्तर पर जो असाधारण बैठक हुई थी, उसमें न्यूयार्क में समन्वय ब्यूरो के अध्यक्ष को यह प्रादेश दिया गया कि वे संयुक्त राष्ट्र महासचिव को व्यक्तिगत रूप से गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की ओर से यह बता दें कि नामीबिया को स्वतंत्र कराने में असफल रहने पर और प्रीटोरिया द्वारा जो हो गया सो हो गया कि स्थिति कायम करने की अद्यतन स्थिति को लेकर वे कितने चिन्तित हैं। इस मामले की ओर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का ध्यान आकृष्ट कर दिया गया है।

इस बैठक में स्वीकृत घोषणा में भारत को यह प्रादेश दिया गया कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

परिषद् की तात्कालिक बैठक बुलाने के लिए अनुरोध करे जिसमें नामीबिया के सवाल पर विचार पुनः शुरू किया जा सके और इस सम्बन्ध में परिषद् के प्रस्तावों को प्रभावकारी बताया जा सके खासतौर पर 1978 के संकल्प संख्या 435 को। इस बैठक के ठीक-ठीक समय के सम्बन्ध में विचार-विमर्श चल रहा है। असाधारण मन्त्री स्तरीय बैठक में कई गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों को सुरक्षा परिषद की उपर्युक्त बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। उधर सुरक्षा परिषद् के गुटनिरपेक्ष सदस्यों की पहल पर अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद् के सदस्यों की ओर से एक ब्यान जारी करके दक्षिण अफ्रीका की उस इकतरफा कार्रवाई की निन्दा करते हुए उसे अस्वीकार किया है जिसमें उसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प संख्या 435 से बाहर जाकर एक आंतरिक निपटारे की दिशा में कार्रवाई की है, उसकी इस कार्रवाई को अस्वीकार्य करते हुए नामीबिया की तथाकथित "अन्तरिम" सरकार की स्थापना को अमान्य घोषित किया है। अध्यक्षीय वक्तव्य के माध्यम से परिषद के सदस्यों ने नामीबिया के प्रति संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक और प्रत्यक्ष जिम्मेदारी की पुनः पुष्टि की है।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो के अध्यक्ष के नाते भारत संयुक्त राष्ट्र महासचिव से अफ्रीकी एकता संगठन के अध्यक्ष के प्रतिनिधियों से तथा नामीबिया और स्वापो सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं ताकि नामीबिया को शीघ्र स्वतन्त्र कराने के प्रयत्नों में तालमेल रखा जा सके।

पेरुवन्नन समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

6661. **श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पेरुवन्नन समुदाय से इस समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जाति की सूची में संशोधन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) केरल में अनुसूचित जातियों की सूची में पेरुवन्नन समुदाय को शामिल करने के लिए उससे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ). केरल में अनुसूचित जातियों की सूची में पेरुवन्नन समुदाय को शामिल करने के प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

बाघों द्वारा मनुष्यों की हत्या

6662. **श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे बाघों की संख्या कितनी है जिनके बारे में विभिन्न राष्ट्रीय वन्य जीवन पार्कों और उनके आस-पास के इलाकों में पिछले दो वर्षों के दौरान मनुष्यों की हत्या किए जाने की खबरें हैं ;

(ख) कुल कितने बाघों को मानव-भक्षी घोषित किया गया है ;

(ग) इनकी वन्य जीवन पार्क-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या बाघों द्वारा मनुष्यों की हत्या किए जाने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समस्या से निपटने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बीर सेन) : (क) से (ङ). राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

[**अनुवाद**]

खेल परिसंघ

6663. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एथलेटिक्स और विभिन्न खेलों में सरकार से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय परिसंघों की संख्या तथा नाम, इनके वर्तमान पदाधिकारियों के नाम, तथा इनके कार्यालयों के पते क्या हैं सरकार ने इन्हें क्या कार्य सौंपा है ;

(ख) ऐसे निकायों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी नीति क्या है और वर्ष 1980 से अब तक यदि इन्हें कोई अनुदान और सहायता दी गई है तो कितना अनुदान और सहायता दी गई है ;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इन निकायों के परस्पर विरोधी दावेदार है, यदि हां, तो उनके नाम और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें आपस में मिलाकर एक करने तथा इस बात की ओर ध्यान देने का है कि लोकतांत्रिक पद्धति से चुने गए निकाय बनाए गए हैं जिनमें बड़ी संख्या में खिलाड़ी तथा वे लोग शामिल हों जो वास्तव में ही खेलों में रुचि रखते हैं ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) 47 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों के नाम, वर्तमान पदाधिकारी पते, आदि के ब्यौरे दर्शाने वाली एक सूची [**सभा पटल पर रखी है ग्रंथालय में रखी गई देखिए सं० एल० टी० 1124/85**] सरकार, राष्ट्रीय खेल संघों को, जो स्वायत्त निकाय हैं और सरकार के नियन्त्रणाधीन नहीं हैं, कोई कार्य नहीं सौंपती ।

(ख) सरकार केवल उन खेल निकायों की मान्यता के लिए अनुरोध पर विचार करती है जो अखिल भारतीय स्वरूप की हैं और अखिल भारतीय स्तर पर खिलाड़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है तथा निम्नलिखित शर्तें पूरा करती हैं ।

(i) ऐसे निकाय जो कम से कम 3 वर्षों के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पंजीकृत है ;

(ii) उसके देश में कम से कम आधे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में राज्य एकक हो ;

(iii) उसके कम से कम 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित की हो ;

(v) उसने कम से कम 3 वर्षों के लिए अपनी लेखा परीक्षा कराई हो ।

1980-81 से केन्द्रीय सरकार द्वारा खेल संघों/एसोसिएशनों को दी गई वित्तीय सहायता नीचे दी गई है :

	रुपये लाखों में
1980-81	48.97
1981-82	73.83
1982-83	73.08
1983-84	86.25
1984-85	106.50

(ग) और (घ). सरकार को जानकारी है कि सभी राष्ट्रीय खेल संघों में पदाधिकारी चुने हुए है और चयन की प्रक्रिया में विरोधी उम्मीदवार होने स्वाभाविक हैं। सरकार का राष्ट्रीय खेल संघों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुलिस बल में भ्रष्टाचार

6664. **डा० गौरीशंकर राजहंस :**

डा० जी० विजय रामाराव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमन्त्री ने हाल ही में पुलिस बल में राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक अभियान चलाने की घोषणा की है ;

(ख) क्या सरकार की पुलिस बल में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक गोपनीय कक्ष स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) पुलिस बल को कुशल बनाने और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) 18-4-85 को पुलिस महानिदेशकों तथा पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रधानमन्त्री ने पुलिस बल को राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप के साथ-साथ बल के अन्दर राजनीति से दूर रहने की आवश्यकता पर बल दिया था। प्रधानमन्त्री ने यह भी कहा था कि जब भी पुलिस में भ्रष्टाचार के मामले सामने आएं, कार्यवाही बहुत तीव्र, स्पष्टतः दंडनीय अवश्य होनी चाहिए और यह सन्देश बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण इस सम्बन्ध में उपाय करने की जिम्मेवारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं और इसके प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण

6665. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के सृजन की व्यवस्था थी और यदि हां, तो

क्या यह अब कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार जानबूझकर इसमें विलम्ब करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित संविधान के अनुच्छेद 323-क में इस आशय की व्यवस्था है कि संसद, एक कानून बनाकर, संघ में एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रत्येक अथवा दो अथवा दो से अधिक राज्यों में अलग-अलग प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था कर सकती है। इन प्रावधानों के अधीन संसद ने 29 जनवरी, 1985 को प्रशासनिक न्यायाधिकरण विधेयक 1985 पारित कर दिया और 27 फरवरी, 1985 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति दे दी। प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने से सम्बन्धित कार्रवाई की जा रही है। किसी भी प्रकार की देरी लगने का प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करना

6666. **श्री रामभगत पासवान :**

श्री बाला साहेब विखे पाटिल :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली को समाप्त करने और महानिरीक्षक को पुलिस प्रमुख बनाने की पुरानी प्रणाली लागू करने तथा पुलिस से न्यायिक शक्तियां वापस लेने का है ताकि पुलिस अधिकारी इन न्यायिक शक्तियों का अनुचित लाभ न उठाएं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ सहयोग करार

6667. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ सहयोग करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ये किन-किन क्षेत्रों के बारे में है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). भारत सरकार का जर्मन जनवादी गणराज्य के साथ सहयोग के सम्बन्ध में ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। हमें ऐसी भी कोई जानकारी नहीं है कि आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार और जर्मन जनवादी गणराज्य के बीच हाल ही में कोई समझौते हुए हैं। भारत सरकार ने हाल ही में गुजरात खनिज विकास निगम और जर्मन जनवादी गणराज्य के मैसर्स "ताक्राफ" के बीच गुजरात में लिग्नाइट खान परियोजना से सम्बद्ध आर्थिक सहयोग को अनुमोदित किया है।

पुलिस कार्मिकों द्वारा उत्पीड़क पद्धति अपनाये जाने के सम्बन्ध में राज्यों को अनुदेश

6668. **श्री देबी घोसाल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्पीड़क पद्धति अपनाए जाने के दोषी पाये जाने वाले पुलिस कार्मिक के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को कोई निर्देश जारी किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मामलों की जांच-पड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा उत्पीड़क पद्धति का प्रयोग न करने की आवश्यकता पुलिस कार्मिकों को जोर देकर बतलाने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि पर्यवेक्षक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन पुलिस बल को मानवीय ढंग से व्यवहार करना चाहिए। गंभीर किस्म की पुलिस ज्यादतियों के आरोपों के मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच की जाए। जांच पड़ताल की वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर बल दिया जाए। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को यह स्पष्ट करने के लिए भी कहा गया है कि उत्पीड़क पद्धति प्रयोग करने के लिए दोषी पाए गए पुलिस कार्मिक निवारक दण्ड के लिए जिम्मेवार होंगे।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट का प्रकाशन

6669. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी और यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या उसके परिणामों का विश्लेषण किया गया है और वे प्रकाशित कर दिए गए हैं ; और

(ग) क्या इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभिन्न विषयों में सर्वेक्षण दौरों के रूप में निरन्तर आधार पर आयोजित किये जाते हैं। संगठन की शासी परिषद द्वारा सर्वेक्षण परिणामों का अध्ययन किए जाने के पश्चात् सांख्यिकी विभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण के परिणाम तथा उनकी विश्लेषणात्मक टिप्पणियां अपनी तिमाही पत्रिका "सर्वेक्षण" के माध्यम से प्रकाशित करता है। उसके पश्चात पत्रिका की प्रतियां संसद पुस्तकालय में भी रखी जाती हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यों का दर्जा

6670. **श्री आर० प्रभु :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विशिष्ट स्थान दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विभिन्न राज्यों को दिए गए स्थान का पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में प्राप्त रेंक (दर्जे) से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम के निष्पादन में राज्यों का दर्जा

	दर्जा		
	1982-83	1983-84	1984-85
उत्तम निष्पादन दल (100 प्र० श०)			
महाराष्ट्र	10	2	1
तमिलनाडु	1	5	1
पहला निष्पादन दल (90 प्र० श० तथा 100 प्र० श० के बीच)			
राजस्थान	2	1	3
गुजरात	5	7	4
दूसरा निष्पादन दल (80 प्र० श० तथा 90 प्र० श० के बीच)			
हिमाचल प्रदेश	3	3	5
उत्तर प्रदेश	13	10	6
हरियाणा	11	12	7
आंध्र प्रदेश	4	18	8
पंजाब	8	6	9
केरल	14	14	10
मणिपुर	15	9	11
कर्नाटक	12	15	12
तीसरा निष्पादन दल (70 प्र० श० तथा 80 प्र० श० के बीच)			
उड़ीसा	7	8	13
असम	22	13	14
बिहार	17	17	15
मध्य प्रदेश	6	4	16
चौथा निष्पादन दल (70 प्र० श० के नीचे)			
सिक्किम	9	16	17

	वर्षा		
	1982-83	1983-84	1984-85
त्रिपुरा	20	22	18
मेघालय	21	21	19
पश्चिम बंगाल	16	19	19
नागालैंड	19	11	21
जम्मू और कश्मीर	18	20	22

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत केंद्र

6671. **श्री एम० अरुणाचलम : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) देश में परमाणु विद्युत केन्द्रों के लिए ईंधन की अबाध और विश्वस्त सप्लाई प्राप्त करने के लिए क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ;

(ख) उपर्युक्त प्रस्तावों के पूरा हो जाने पर देश में बिजली की कुल कितनी कमी रह जाएगी ; और

(ग) देश में बिजली की आवश्यकता की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए क्या प्रस्ताव पेश किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). क्योंकि सातवीं योजना सम्बन्धी प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन हैं, इसलिए सातवीं योजनावधि में बिजली (परमाणु बिजली, पन बिजली तथा ताप बिजली) सम्बन्धी कार्यक्रम के बारे में निर्णय भी अभी लिए जाने हैं। तथापि, देश में बिजली के उत्पादन और उसकी उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय निरन्तर किए जा रहे हैं ताकि नए बिजलीघरों को चालू करने के कार्यक्रम को तेज किया जा सके और बिजलीघरों की क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके।

पुलिस संरक्षण में संदिग्ध महिलाओं के साथ व्यवहार

6672. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री एन० डेनिस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुलिस संरक्षण में संदिग्ध महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में कोई प्रक्रिया अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कानून में ही कुछ ऐसे विशेष उपबन्ध निहित हैं जिनमें जांच-पड़ताल के दौरान महिलाओं से पूछताछ के लिए पुलिस की जरूरत है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51 (2) में यह व्यवस्था है कि जब कभी किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो तो दूसरी महिला द्वारा बड़ी भद्रता के साथ

तलाशी ली जानी चाहिए। इसी प्रकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 में जांच पुलिस अधिकारी द्वारा महिला के निवास स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर पूछताछ के लिए महिला का ब्यान दर्ज करना वर्जित है। पुलिस हिरासत में महिलाओं का सील भंग करने और बलात्कार करने के मामलों से सम्बन्धित कानूनों को कठोर बनाया गया है। बलात्कार की शिकार महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने और अपराधियों को कड़ी सजा देने के लिए आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का अधिनियम सं० 43) द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किया गया।

राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस मैनुअलों में महिलाओं से पूछताछ, उनकी गिरफ्तारी, तलाशी और हिरासत के बारे में पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं। मोटे तौर से कुछ पुलिस मैनुअलों में यह प्रस्तुत है कि सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के पद से नीचे के किसी पुलिस अधिकारो द्वारा आपराधिक मामलों को छोड़कर महिलाओं को गिरफ्तार नहीं किया जाए; बाण्ड अथवा जमानत प्रस्तुत करने के लिए जितना समय जरूरी है उससे अधिक नहीं रोका जाना चाहिए और तुरन्त जमानत पर रिहा कर देना चाहिए या पुलिस हिरासत में रिमाण्ड पर भेज देना चाहिए। किसी राजपत्रित अधिकारी, जो कैदी की सुरक्षा तथा उचित हिरासत के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, के विशेष आदेश के बिना पुलिस हिरासत में रिमाण्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिए जाएंगे। इसमें यह भी व्यवस्था है कि पुलिस हिरासत में किसी महिला को अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर थाने में एक रात के लिए भी नहीं रखा जाएगा और अपरिहार्य परिस्थितियों में उनके पास कोई महिला अभिरक्षक होनी चाहिए।

अफ्रीकी देशों में भारतीय अध्यापकों को वेतन न दिया जाना

6673. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि नाईजीरिया जैसे कुछ अफ्रीकी देशों में कार्य करने वाले भारतीय अध्यापकों को गत एक वर्ष से वेतन नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). सरकार को नाईजीरिया में अध्यापकों से सम्बद्ध समाचार मिले हैं कि उन्हें कई महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है इसमें भारतीय अध्यापक भी शामिल हैं। हमारे हाईकमीशन ने इस मामले को नाईजीरिया के केन्द्रीय और राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

दिल्ली पुलिस द्वारा उप-निरीक्षकों की सूची "एफ" एक्जीक्यूटिव में पदोन्नति

6674. **श्री केशवराव पारधी** :

श्री सिद्ध लाल मुरमू :

श्री विलास मुत्तेमवार :

डा० वी० वेंकटेश :

क्या **गृह मंत्री** दिल्ली पुलिस द्वारा उप-निरीक्षणक की लिस्ट "एफ" (एक्जीक्यूटिव) में पदोन्नति के बारे में 10 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2496 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति और स्थायीकरण) नियम, 1980 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार सीमित विभागीय परीक्षा और साक्षात्कार करने के पश्चात पदोन्नति सूची "एफ" (एक्जीक्यूटिव) तैयार करने के लिए 31 मई, 1981 को बनाए गए 130 उप-निरीक्षकों के पेनल में से केवल 60 उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 60 उम्मीदवारों को पदोन्नत करने के पश्चात उपर्युक्त पेनल को रद्द कर दिया गया है ;

(ग) क्या विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई गई थी और कुछ नए उम्मीदवारों को निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का औचित्य और कारण क्या है ; और

(ङ) रद्द कर दिए गए पेनल के शेष 70 उम्मीदवारों को कब तक पदोन्नत किए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). दिल्ली पुलिस (पदोन्नति तथा पुष्टिकरण) नियम 1980 के नियम 17 के अधीन मार्च 1981 में हुई विभागीय परीक्षा के परिणामस्वरूप 12-5-1981 से पदोन्नति सूची "एफ" (अधिशासी) में 118 सब-इन्सपेक्टरों के नाम शामिल किए गए थे जबकि 21 उम्मीदवारों के सम्बन्ध में उनके खिलाफ विभागीय जांच-पड़ताल/आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद निर्णय की घोषणा की जानी थी। इनमें से 13 उम्मीदवारों के नाम विभागीय जांच पड़ताल को अन्तिम रूप दिए जाने/उनके अभ्यावेदन स्वीकार किए जाने आदि के बाद पेनल में शामिल कर लिए गए थे। इस प्रकार 12-5-1981 से कुल 131 सब-इन्सपेक्टरों की सूची "एफ" (अधिशासी) में शामिल किया गया था। इनमें से 96 सब-इन्सपेक्टरों को इन्सपेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया था। पैनल में शामिल अन्य उम्मीदवारों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पहले सामान्य श्रेणी के एक उम्मीदवार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका सं० 1981 की 1386 दायर किए जाने पर दिल्ली के सम्मानीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 27-9-84 के अपने निर्णय में कहा कि 60 रिक्तियों को भरने के लिए 13-5-81 को जारी की गई सूची में 118 व्यक्तियों के पैनल को 60 से आगे इन्सपैक्टरों के पदों को नियमित रूप से भरने के लिए 60 से आगे की रिक्तियां भरने हेतु दोबारा नया पैनल तैयार किए बगैर प्रयोग नहीं किया जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुपालन में 13-5-81 को जारी की गई सूची "एफ" को केवल 60 रिक्तियां भरने तक सीमित रखा जाना था और इसलिए 60 के बाद की पदोन्नतियों को तदर्थ आधार पर माना गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निदेशों के अनुसार 60 के बाद की रिक्तियों को भरने के लिए एक नया पैनल तैयार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की 6, 8 तथा 11 मार्च, 85 को बैठकें हुई और पदोन्नति सूची "एफ" (अधिशासी) के लिए नया पैनल तैयार किया गया।

(ङ) उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 1981 में तैयार किए गए पैनल के शेष 71 उम्मीदवारों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता।

दक्षिण अफ्रीका द्वारा नामीबिया से हटने से इन्कार

6675. **डा० जी० विजय रामा राव :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य और गुट निरपेक्ष आन्दोलन का अध्यक्ष होने के नाते,

दक्षिण अफ्रीका की नामीबिया के बारे में भूमिका के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के अन्तर्गत अफ्रीका के विरुद्ध आध्यादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सिफारिश करेगा ;

(ख) क्या अफ्रीका द्वारा संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की खुलम अवहेलना करते हुए नामीबिया से हटने के लिए लगातार मना करने के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने के लिए सरकार का विचार एक विश्वव्यापी प्रचार अभियान चलाने का भी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने इस बात पर गहरा खेद व्यक्त किया था कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के बीच एक राय न होने की वजह से सुरक्षा परिषद की बार-बार इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने से रोका गया है। सुरक्षा परिषद की आगामी बैठक में भारत गुट निरपेक्ष आन्दोलन की ओर से यह अनुरोध करेगा कि गुट निरपेक्ष देशों को दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार के विरुद्ध सभी प्रकार के उपाय बरतने पर बराबर जोर देते रहना चाहिए जिसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाना भी शामिल है।

(ख) और (ग). नामीबिया से सम्बद्ध गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की हाल ही में सम्पन्न मंत्री स्तरीय असाधारण बैठक में ब्यूरो ने संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ मनाने के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र संघ से यह आग्रह किया कि इस सिलसिले में वह अपनी गतिविधियों के कार्यक्रम में नामीबिया के सवाल को भी उचित रूप से उजागर करे ताकि नामीबिया के लिए और जातीय पृथ्वासन विरोधी संघर्ष के लिए सार्वभौम स्तर पर समर्थन हासिल किया जा सके। ब्यूरो ने यह विचार व्यक्त किया कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ व्यापक प्रादेशात्मक प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहिए और जब तक यह काम न हो सके तब तक के लिए सभी देशों से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वे संयुक्त राष्ट्र के संगत संकल्पों और निर्णयों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें और अपनी ओर से प्रतिबन्ध लगाएं। इस बैठक में संसद विज्ञों से, गैर सरकारी संगठनों शिक्षा शास्त्रियों और बुद्धिजीवियों और संसार भर के लोगों से भी यह अनुरोध किया गया कि वे नामीबिया के समर्थन में सामूहिक रूप से जोरदार आवाज लगाएं।

पश्चिम बंगाल को 20-सूत्रीय कार्यक्रम के लिए धनराशि

6676. **श्री गदाधर साहा :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980-85 के दौरान 20-सूत्रीय कार्यक्रम को तेजी से कार्यान्वित करने के लिए पश्चिम बंगाल को आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : परिशोधित 20-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 14-1-1982 को की गई थी और इसका कार्यान्वियन वार्षिक योजना 1982-83 के अंतर्गत शुरू किया गया था। पश्चिम बंगाल में कायान्वित किए गए प्रत्येक सूत्र के बारे में वर्ष 1982-83 1983-84 और 1984-85 के लिए अनुमोदित परिव्ययों से सम्बन्धित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम-पश्चिम बंगाल परिव्यय

(लाख रु०)

मद	1982-83	1983-84	1984-85
सिंचाई	3750	5103	4016
दालें और तिलहन	63	57	उ० न०
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	2000	1863	1555
भूमि सुधार	817	819	700
न्यूनतम मजदूरी	5	उ० न०	उ० न०
बंधुआ मजदूर	—	—	—
अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन-जातियां	1227	1325	700
जल आपूर्ति	820	790	700
आवास स्थल और निर्माण सहायता	225	200	175
गन्दी बस्तियों का सुधार	400	429	250
विद्युत	16335	14101	11600
वनरोपण	39	27	480
स्वास्थ्य	260	450	400
आई० सी० डी० एस० ब्लॉक	500	436	350
शिक्षा	2341	2599	2000
ग्राम और लघु उद्योग	1158	755	600
जोड़ :	29940	28954	23525

"मोर त्रिपुरा एरियाज डिस्टर्बड" शीर्षक से समाचार

6677. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मोर त्रिपुरा एरियाज डिस्टर्ब्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उग्रवादियों की गतिविधियों से प्रभावित और अधिक क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र अधिनियम के अन्तर्गत लाने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में उग्रवादियों से निपटने के लिए क्या स्थायी उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). सरकार मामले की जांच कर रही है। उग्रवादियों से निपटने और विधि एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गये हैं, प्रभावित क्षेत्रों में खोज कार्य किए गए हैं और कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में, जहां आवश्यक हुआ सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोग

6678. **श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा वर्ष 1983 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या क्या थी ;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दिखाई संख्या और उक्त संख्या में कितना अन्तर है ; और

(ग) यदि उनमें बहुत अन्तर है, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1983 में किए गए परिवार उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1983 के सर्वेक्षण के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बताना इस समय सम्भव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

लद्दाख के निकट सियाचिन ग्लेसियर के साथ के क्षेत्र के बारे में संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार

6679. **श्री नारायण चौबे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रकाशित किसी नक्शे में लद्दाख के निकट सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के साथ के क्षेत्र को पाकिस्तान का भाग दिखाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के झूठे प्रचार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). अमेरिका विदेश विभाग द्वारा प्रकाशित कुछ नक्शों में जम्मू और कश्मीर राज्यों में वास्तविक नियंत्रण-रेखा को गलत दिखाया गया है। सरकार ने विभिन्न अवसरों पर इस मामले को अमेरिका की सरकार के साथ उठाया है।

अनिवासी भारतीयों के लिए पृथक विभाग बनाने का प्रस्ताव

6680. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के हित के अनुरक्षण के लिए एक पृथक विभाग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). अनिवासी भारतीयों से सम्बद्ध काम में तालमेल कायम करने के लिए एक प्रभाग स्थापित किया गया है।

कलकत्ता से दार्जिलिंग और दिघा के लिए वायुदूत सेवा

6681. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और दिघा में पर्यटकों की संख्या में हो रही वृद्धि का पता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उनकी समस्या को हल करने के लिए कलकत्ता से दार्जिलिंग और दिघा के लिए वायुदूत सेवा शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

पर्यटन और विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). दार्जिलिंग और दीघा में हवाई अड्डे नहीं हैं और वे बागडोगरा और कलकत्ता से क्रमशः लगभग 30 कि० मी० और 78 कि० मी० की दूरी पर हैं जहां पहले से ही पर्याप्त विमान सम्पर्क सेवाएं मौजूद हैं। दार्जिलिंग और दीघा को वायुदूत सेवा से जोड़ने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

थार रेगिस्तान

6682. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थार रेगिस्तानी के पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी विशेषज्ञ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम के सलाहकार की राय के अनुसार रेगिस्तान फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह रेगिस्तान ग्रामीणों द्वारा रेगिस्तानी पेड़ काटने और वहां पर चारे की व्यवस्था के अभाव में फैलता जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का ग्रमीणों को ईंधन की लकड़ी और चारा सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के अध्ययन के अनुसार थार रेगिस्तान के फैलने के सम्बन्ध में कोई निश्चयात्मक वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। मुख्यतया पारिभाषिक विवाद के कारण विचारों में भिन्नता है। फिर भी, अध्ययन इस तथ्य पर बल देते हैं कि ईंधन व चारे की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनस्पति तथा भूमि संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण रेगिस्तान के अन्तर्गत एक्सरिक स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह सम्भव नहीं है।

जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान को केन्द्र द्वारा दी गई धनराशि

6683. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान पृथक-पृथक राजस्थान में जनजाति क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यह धनराशि किन-किन शीर्षों के अन्तर्गत खर्च की गई और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 में अधिक नियतन था; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी अधिक राशि का नियतन किया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) गृह मंत्रालय द्वारा 1982-83 और 1983-84 के दौरान राजस्थान को आवंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता इस प्रकार थी :—

1982-83	636.79 लाख रु०
1983-84	722.11 लाख रु०

(ख) जिन शीर्षों के अधीन विशेष केन्द्रीय सहायता खर्च की गई, वे इस प्रकार हैं :—

(1) जनजाति उप योजना (एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं)

(2) अधिक जनजाति आबादी वाले क्षेत्र (मादा)

(3) आदिम जनजातियां

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया 1982-83 और 1983-84 का खर्च क्रमश: 630.50 लाख रु० और 716.19 लाख रु० है।

(ग) और (घ). 1982-83 और 1983-84 के दौरान भिन्न-भिन्न शीर्षों और परिवर्तनों के साथ आवंटित की गई राशि इस प्रकार हैं :—

शीर्ष	आवंटित राशि		
	1982-83	1983-84	परिवर्तन
		(रुपये लाख में)	
जनजाति उप-योजना (एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाएं)	410.00	473.11	(+) 63.11
जनजाति आबादी वाले क्षेत्र (मादा)	206.79	241.99	(+) 35.29
प्राचीन जन जातियां	20.00	7.01	(—) 12.99
	636.79	722.11(+)	85.32

[अनुवाद]

देशीय उड़ानों में यात्रियों के लिए असंतोषजनक सुविधायें

6684. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देशीय उड़ानों में यात्रियों को असंतोषजनक सुविधाएं प्रदान किये

जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30 मार्च, 1985 के इंडियन एक्सप्रैस में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार तथा इंडियन एयरलाइन्स का यह सतत प्रयत्न रहता है कि यात्रियों को अधिकतम आराम किया जाए। तथापि यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और यात्रियों की सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से नियमित समीक्षा की जाती है। असुविधाओं के कुछ मामले हो जाते हैं जिनके सम्बन्ध में उच्चतम स्तर पर जांच की जाती है और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

राज्यों में सामाजिक वानिकी योजनाएं

6685. **श्री के० प्रधानी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जहां सामाजिक वानिकी योजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) क्या सरकार ने सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम सभी राज्यों में क्रियान्वित किए जाते हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) (1) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15.2 लाख हैक्टार के लक्ष्य की तुलना में 16.7 लाख हैक्टायर क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए थे। इसके अतिरिक्त 380 करोड़ पौध वितरित किए गए हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(2) जीवित पौधों की दर आमतौर पर सन्तोषजनक रही है। कार्य की क्वालिटी में सुधार हो रहा है।

(3) गैर-सरकारी जोतों में वृक्षारोपण तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ रही है। तथापि, इसे एक पूर्ण जन आन्दोलन बनाने के लिए अभी काफी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

(4) ईंधन तथा चारा उपलब्धता में वृद्धि हुई है, हालांकि मांग काफी अधिक है।

(5) समाज का कमजोर वर्ग सार्वजनिक भूमि पर शुरू किए गए सामाजिक वानिकी कार्यक्रम से निरन्तर अधिक लाभ उठा रहे हैं।

(6) सार्वजनिक भूमियों में पौधे रोपण के मामले में एकल फसल के स्थान पर मिश्रित फसल तथा फल वाले वृक्षों सहित विदेशी के स्थान पर देशीय प्रजातियों का इस्तेमाल निरन्तर बढ़ रहा है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पौध रोपण लक्ष्य	पौध रोपण उपलब्धि	वितरित पौधे (लाख) लक्ष्य	वितरित पौधे (लाख) उपलब्धि
	हैक्टार			
1	2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	103635	108061	2240	3228.79
2. असम	14940	28760	140	168.00
3. बिहार	57436	89278	750	927.93
4. गुजरात	124240	119563	5450	6467.97
5. हरियाणा	57067	71447	1900	1943.50
6. हिमाचल प्रदेश	42670	45350	320	256.80
7. जम्मू और कश्मीर	42740	24743	190	339.57
8. कर्नाटक	59160	69239	3475	3584.98
9. केरल	20785	14233	1250	1740.39
10. मध्य प्रदेश	144300	220644	3740	4020.15
11. महाराष्ट्र	183000	169269	1030	2993.02
12. मणिपुर	9305	4160	27	38.24
13. मेघालय	14070	10735	19	28.05
14. नागालैंड	12060	21333	47.50	218.15
15. उडीसा	136100	86771	284	363.07
16. पंजाब	46940	57568	1400	1329.14
17. राजस्थान	103923	79180	724	855.98
18. सिक्किम	5280	5755	10	14.00
19. तमिलनाडु	113300	158022	747	986.32
20. त्रिपुरा	3710	8698	15	19.75
21. उत्तर प्रदेश	86400	174144	4852.50	6544.20
22. पश्चिम बंगाल	95415	74881	1460	1545.00
23. अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह	800	581	0.50	1.29
24. अरुणाचल प्रदेश	33000	11595	8.60	11.43

1	2	3	4	5
25. चण्डीगढ़	1790	450	—	3.30
26. दादर तथा नगर हवेली	1000	1659	2.00	22.62
27. दिल्ली	1500	786	—	5.37
28. गोवा, दमन और दीव	1083	758	2.00	28.45
29. लक्षद्वीप	—	—	—	0.11
30. मिजोरम	8140	13855	313.00	318.00
31. पाण्डिचेरी	80	404	—	0.55
योग :	1523870 या दस लाख हैक्टार	1670922 या दस लाख हैक्टार	30307.10 या करोड़ पौधे	38004.12 या करोड़ पौधे

सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन

6686. **श्री चन्द्र शेखर प्रसाद वर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो पेड़ लगाने वालों को क्या प्रोत्साहन और सुविधायें देने का विचार है ;

(ग) सरकारी एजेंसियों और अन्य बैंकों द्वारा युक्लिफ्टस के पेड़ लगाने के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार ऐसे पेड़ लगाने के लिए भूमि खरीदने हेतु धनराशि भी उपलब्ध करती है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकारी एजेंसियों और बैंकों द्वारा यदि कोई सहायता दी गई तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन दिया गया है। अलग-अलग राज्य में वर्तमान सामाजिक वानिकी की योजनाओं के तहत दिए गए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन/सुविधाएं ये हैं :

1. बीज/पौधों की मुफ्त अथवा नाममात्र लागत पर आपूर्ति
2. पौधों की बेहतर जीविता को सुनिश्चित करने के लिए नकद प्रोत्साहन
3. अलग-अलग व्यक्तियों/समुदायों को विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को उत्पाद उपलब्ध कराना।

(ग) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दिए जायेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक

6687. **श्री ई० एस० एम० पकीर मोहम्मद :** क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिवर्ष कितने पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आते हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : ताजमहल देखने के लिए प्रतिवर्ष 20 लाख पर्यटक आते हैं।

[हिन्दी]

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

6688. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिर पर मैला ढोने की प्रथा कुछ राज्यों में अब भी विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा के पूर्ण उन्मूलन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी वर्ष 1979-80 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं, और यदि हां; तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या सरकार ने सफाई कर्मचारियों के सामाचिक उत्थान के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). जी हां, श्रीमान्, सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब भी विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विद्यमान है। इस मन्त्रालय ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सीमित धनराशि से 15 राज्यों के 70 चुने हुए कस्बों में सन 1980-81 से 1984-85 तक सफाई कर्मचारियों को मुक्त करने के लिए समग्र कस्बा दृष्टिकोण पर कार्य आरम्भ किया है। विभिन्न राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश/दिशा-निदेशक जारी किए गए हैं। सन 1980-81 से विशेष कम्पोनेन्ट योजना की रूप रेखा बनाते समय सफाई कर्मचारियों सहित अनुसूचित जातियों के विकास को भी ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

समाचार प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति और उपकरणों की सुरक्षा के उपाय

6689. **श्री चित्त महाता :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने समाचार पत्र प्रतिष्ठानों की सम्पत्ति और उपकरणों की सुरक्षा करने तथा समाचार पत्रों के कर्मचारियों और सम्पादकों जिन्हें गम्भीर जोखिम उठाकर निष्पक्ष होकर और निडरता से अपनी भूमिका निभानी होती है, के जीवन की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा किए गए रक्षोपाय किये जाने के बावजूद समाज विरोधी तत्वों द्वारा सम्पादकों तथा समाचार पत्रों के कर्मचारियों पर हमले किया जाना और उनको जख्मी करना जारी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार का क्या कदम उठाने का

विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1125/85**]

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय प्रणाली के सम्बन्ध में गुट-निरपेक्ष आंदोलन विशेषज्ञ समिति

6690. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में आयोजित सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के समय पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय प्रणाली में कार्यकरण की जांच करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उक्त विशेषज्ञ समिति ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस प्रश्न में उल्लिखित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन नीचे लिखे अनुसार किया गया था।

1. प्रो० ए० एम० खुसरो	—भारत
2. श्री एरियल बुइरा	—मैक्सिको
3 श्री अमीर जमाल	—तंजानिया
4. श्री इद्रिस जर्जैरी	—अल्जीरिया
5. श्री अगस्तिन पपिक	—यूगोस्लाविया

(ख) विशेषज्ञ दल की मुख्य सिफारिशें ये थी :—

(I) **धन सम्बन्धी मसले** :—अंतर्राष्ट्रीय समायोजन प्रक्रिया को अधिक सन्तुलित बनाने के तौर-तरीके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा एवं वित्त की शर्तों में समुचित परिवर्तन, विनिमय दर व्यवस्था की स्थितरता, अधिक कारगार निगरानी और नीति समन्वयन, अंतर्राष्ट्रीय द्रव्यता का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार।

(II) **वित्तीय मामले** :—विकासशील देशों को उचित शर्तों पर विकास वित्त, जिसमें सरकारी विकास सहायता शामिल है, अंतरित करने में पर्याप्त वृद्धि और बहुपक्षीय वित्त एवं विकास संस्थाओं को सुदृढ़ करना।

(III) **विदेशी ऋण** :—विकासशील देशों के अत्यधिक ऋणभार को दूर करने के तौर-तरीके।

(IV) **निर्णय लेने की प्रक्रिया** :—विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिकाधिक अधिकार सम्पन्न तथा अधिक न्यायोचित बनाना।

(V) **व्यापार मसले** :—व्यापार प्रणाली के कार्य-संचालन में सुधार लाने और व्यापार और मुद्रा एवं वित्तीय प्रणालियों के बीच एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।

(VI) **विकास के लिए मुद्रा एवं वित्त सम्बन्धी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन** : जिसमें विश्व के सभी देश भाग लें जैसा कि मार्च, 1983 में गुट-निरपेक्ष देशों के आन्दोलन के सातवें शिखर सम्मेलन द्वारा

प्रस्तावित किया गया था। मुद्रा एवं वित्त व्यवस्था सम्बन्धी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका माना गया। इस सम्मेलन का कार्यक्षेत्र और तौर-तरीके सुझाए गए थे।

(ग) विशेषज्ञों के दल की रिपोर्ट स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सितबंर, 1984 में विकसित और विकासशील देशों के राज्याध्ययक्षों/शासनाध्यक्षों को भेजी थी। गुट-निरपेक्ष देशों के आंदोलन के 77 देशों के समूह की मंत्री-स्तरीय बैठकों में विशेषज्ञ दल गठित करने की पहलकदमी का स्वागत किया। मुद्रा एवं वित्त के महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत को संवर्धित करने के उद्देश्य से भारत विकसित और विकासशील देशों के साथ सम्पर्क बनाए हुए है।

तमिलनाडु में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए कल्याण कार्य

6691. **श्री एन० डेनिस :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 20 सूत्री-कार्यकम के अन्तर्गत देश के समग्र विकास पर बल दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में समाज के कमजोर वर्ग विशेषता अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम योजना का एक अभिन्न अंग है जिसमें देश के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है।

(ख) तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के लाभ और कल्याण के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, अधिकतम सीमा से बेशी भूमि के वितरण से संबंधित कार्यक्रम, बंधुआ मजदूरी का पुनर्वास, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के परिवारों को सहायता, भूमिहीन परिवारों के लिए मकान बनाने की जगह और निर्माण सहायता, गंदी बस्तियों का सुधार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास से सम्बन्धित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। तमिलनाडु में 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान इन स्कीमों के अन्तर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन-तमिलनाडु

स्कीम	इकाई	1982-83 लक्ष्य	1982-83 उपलब्धि	1983-84 लक्ष्य	1983-84 उपलब्धि	1984-85 लक्ष्य	1984-85 उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	परिवारों की संख्या	228000	271583	225600	277641	220800	233264
राष्ट्रीय रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम	लाख श्रम दिवस	198	475	305	341	325	367
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	—वही—	—	—	—	—	298	314
भूमि सुधार	एकड़	10000	11960	10000	11416	5000	5067
बंधुआ मजदूर	संख्या	312	312	1300	2060	1294	1554
सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के परिवार	संख्या	160060	158006	180000	223655	180000	219913
सहायता प्राप्त अनुसूचित जनजाति के परिवार	संख्या	3150	5381	4200	5978	5850	1235

1	2	3	4	5	6	7	8
आवास स्थलों का आबंटन	संख्या	80000	116603	175000	211434	175000	205108
निर्माण सहायता	संख्या	40000	38302	40000	40016	40000	42476
शामिल की गई गंदी बस्तियों की जनसंख्या	लाख संख्या	2.15	2.18	1.72	1.68	2.45	2.63
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास	संख्या	15200	17067	39450	28544	33702	36081

टी० वी० कल-पुर्जों के मूल्यों में वृद्धि

6692. श्री आर० एम० भोये : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के बजट में शुरू से ही रियायतों की घोषणा किए जाने के बावजूद सरकारी क्षेत्र के भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड सहित टी० वी० कल-पुर्जों के निर्माताओं ने कल-पुर्जों और टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के मूल्य हाल ही में बढ़ा दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या टी० वी० के कल-पुर्जों में हुई वृद्धि से बाजार में टी० वी० सेटों के दाम बढ़ जायेंगे ; और

(घ) टी० वी० कलपुर्जों और पिक्चर ट्यूब के मूल्यों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि होने का मुख्य कारण ग्लाश शेलों के आयात मूल्य में वृद्धि तथा डालर के विनिमय-दरों में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नवम्बर, 1984 में जो 25 प्रतिशत के सीमा शुल्क की रियायत की घोषणा की गई थी उससे कहीं अधिक वृद्धि ग्लास शेलों के आयात-मूल्य तथा डालर के विनिमय दरों में वृद्धि होने के कारण वह रियांयत निष्प्रभावी हो गई है। यह उल्लेखनीय है कि ई० टी० एण्ड टी० के माध्यम से आयतित पिक्चर ट्यूबों के मूल्य देश में ही उत्पादित पिक्चर ट्यूबों के मूल्यों से काफी अधिक थे। श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के लिए विक्षेपण संघटक-पुर्जों तथा टरेट ट्यूनरों के मूल्यों में केवल थोड़ी ही वृद्धि हुई है क्योंकि इसमें लगने वाली धातु (मिश्रण-धातु) एवं प्लास्टिक जैसी सामग्रियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(ख) भारत इलेक्ट्रॉनिकी लिमिटेड (बी० ई० एल०) "सैमटेल" तथा ई० टी० एण्ड टी० द्वारा जिन श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबों की आपूर्ति की गई है उनके नवम्बर से पूर्व एवं नवम्बर के बाद के मूल्यों के ब्यौरे नीचे दिए गए अनुसार हैं :—

	वर्तमान मूल्य		नवम्बर 1984 से पूर्व के मूल्य
मैसर्स सैमटेल गाजियबाद	—390 रु०		410 रु०
दिल्ली	—400 रु०		420 रु०
		जून	अक्टूबर
मेसर्स बी० ई० बंगलौर एल०	—405 रु०	370 रु०	406 रु०
दिल्ली	—420 रु०	385 रु०	420 रु०
			दिसम्बर, 1984 से पूर्व
ई० टी० एण्ड टी० बम्बई	—460 रु०		497 रु०
दिल्ली	—472 रु०		509 रु०

इसी प्रकार, विक्षेपण संघटक-पुर्जों तथा टरंट ट्यूनरों के नवम्बर, 1984 से पूर्व तथा उसके बाद के मूल्यों के ब्यौरे भी नीचे दिए अनुसार हैं :—

विशेषण संघटक-पुर्जे

	वर्तमान मूल्य	अक्टूबर, 1984 के पहले के मूल्य
2048 ई० एच० टी० सहित प्रति सेट	—97.00 रु०	92.00 रु०
2045 ई० एच० टी० सहित प्रति सेट	—95.55 रु०	94.00 रु०

ट्यूनर

वर्तमान मूल्य	अक्टूबर, 1984 के पहले के मूल्य
95.00 रु०	90.00 रु०

(ग) जी हां, संघटक-पुर्जों की लागत में वृद्धि तथा उत्पादन शुल्क के ढांचे में परिवर्तन के कारण जिसमें प्रसारण लाइसेंस शुल्क (वी० आर० एल०) के एवज में प्रति सेट 100 रु० का एक ही बार अदा किया जाने वाला शुल्क शामिल है, श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के मूल्यों में वृद्धि हुई है।

(घ) चूंकि श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन सेटों के संघटक पुर्जों के मूल्य में वृद्धि का सीधा कारण मुख्यतः उसमें लगने वाले आयातित उपादानों की लागत में वृद्धि है, अतः जब कभी डालर की दरें घटेंगी तभी इनके मूल्यों में भी कमी आएगी।

ऐतिहासिक स्थानों का परिरक्षण

6693. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या **संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के परिरक्षण के बारे में जानकारी मांगी है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं परन्तु अपेक्षाकृत कम विख्यात है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई योजना तैयार की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक जो 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं और राष्ट्रीय महत्व के हैं उनकी सुरक्षा और परिरक्षण प्राचीन संस्मारक पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है और शेष स्मारकों की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। 100 वर्ष से कम पुराने संस्मारकों के परिरक्षण के लिए भी पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना है।

हिमाचल प्रदेश के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों को निपटाया जाना

6694. **प्रो० नारायण चंद पराशर :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन स्वतन्त्रता सेनानियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है जिनके पेंशन मन्जूर किए जाने सम्बन्धी मामले केन्द्र सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार इन मामलों को शीघ्र निबटाने के

लिए कोई ठोस प्रयास करेगी ; और

(ग) ये सभी मामले किस तारीख तक निबटा दिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिए हिमाचल प्रदेश के 64 मामले अन्तिम निर्णय के लिए लम्बित है। इन मामलों का जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

बिलासपुर	28
शिमला	8
मंडी	8
सिरमोर	11
हमीरपुर	2
कुल्लु	1
कांगड़ा	3
ऊना	3
जोड़	64

(ख) और (ग). 57 मामले आवेदक की यातना के दावे के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सत्यापन रिपोर्ट जो स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन योजना के उपबन्धों के अधीन अनिवार्य है, राज्य सरकार से प्राप्त होने कारण लम्बित हैं। इन मामलों का राज्य सरकार से रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद निपटान किया जाएगा। शेष 7 मामलों की जांच की जा रही है।

राज्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के पद

6695. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल, 1985 को प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के कितने पद आबंटित थे ;

(ख) क्या इन दो सेवाओं में किसी में, किसी भी राज्य का कोटा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि की जायेगी और ऐसा कब तक किया जायेगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पहली अप्रैल, 1985 को प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के संवर्ग-पदों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग). भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1984 के नियम 4 के उप-नियम (2) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग की पद संख्या तथा गठन की पुनः जांच करेगी तथा

उसमें यथोचित परिवर्तन करेगी। इस नियम के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर साधारणतः तीन वर्ष में एक बार संवर्ग पुनरीक्षा की जाती है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा किसी पद को संवर्ग में शामिल करना/संवर्ग से बाहर निकालने का निर्णय केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

विवरण

पहली अप्रैल, 1985 को प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की संवर्ग पद संख्या

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	भारतीय प्रशासनिक सेवा में संवर्ग पदों की संख्या	भारतीय पुलिस सेवा में संवर्ग पदों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	156	90
2.	असम-मेघालय	107	59
3.	बिहार	195	98
4.	गुजरात	101	67
5.	हरियाणा	94	44
6.	हिमाचल प्रदेश	59	29
7.	जम्मू व कश्मीर	58	27
8.	कर्नाटक	117	61
9.	केरल	88	57
10.	मध्य प्रदेश	197	152
11.	महाराष्ट्र	160	104
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	74	42
13.	नागालैण्ड	30	—*
14.	उड़ीसा	102	62
15.	पंजाब	192	55
16.	राजस्थान	121	68
17.	सिक्किम	26	8
18.	तमिलनाडु	142	80
19.	संघ शासित क्षेत्र	104	57
20.	उत्तर प्रदेश	265	176
21.	पश्चिम बंगाल	146	116

*नागालैंड में भारतीय पुलिस सेवा का कोई संवर्ग नहीं है।

बागल जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

6696. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ भागों और विशेषकर उड़ीसा में भीमीजा समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है ;

(ख) क्या भीमीजा के समकक्ष बागल जाति को सूची में शामिल नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या बागल जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और इसे अनुसूचित जनजातियों की सूची में कब तक शामिल किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) भीमीजा समुदाय को उड़ीसा सहित किसी राज्य में अनुसूचित-जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। किन्तु भूमिज नाम का एक अन्य समुदाय है जिसको उड़ीसा सहित कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ख) बागल जाति को भीमीजा के समकक्ष मानने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि भीमीजा समुदाय को उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में बागल जाति को शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

केसोरिया समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

6697. **श्री चिंतामणि जेना :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में केसोरिया समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) क्या उड़ीसा में खादल जाति और पश्चिम बंगाल में नामोशूद्र जाति अनुसूचित जातियां हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केसोरिया, खादल और नामोशूद्र एक ही जातियां हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार केसोरिया जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में विचार करेंगी ; और

(ङ) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है और इन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में कब तक शामिल कर लिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमन्।

(ख) खादल नहीं बल्कि खदाला समुदाय को उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है और नामोंशूद्र नहीं बल्कि नामशूद्र को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

(ग) केसोरिया, खादल और नामशूद्र समुदाय तीन भिन्न-भिन्न समुदाय हैं।

(घ) और (ङ). उड़ीसा में अनुसूचित जातियों की सूची में केसोरिया समुदाय को शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) में हिन्दी अध्यापकों के पद

6698. **श्री आर० एम० भोये :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने पिछले वर्ष अपनी किसी प्रयोगशाला में हिन्दी अध्यापक के रिक्त पद को उसी वेतनमान में हिन्दी अनुवादक के रूप में पदनामित किया था ;

(ख) क्या हिन्दी अध्यापक के पद केवल दो अथवा तीन प्रयोगशालाओं में विद्यमान रहेंगे और उनकी कार्य-अपेक्षाओं में अनुवादक कार्य भी शामिल होगा जैसाकि विद्यमान में दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की सभी प्रयोगशालाओं में हिन्दी के कार्य सम्बन्धी पदों में समानता रखने के लिए हिन्दी अध्यापकों/हिन्दी प्राध्यापकों के इन पदों को समान वेतनमान में अनुवादकों के रूप में पदोनामित क्यों नहीं किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जिन राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों में हिन्दी अध्यापक कार्यरत हैं, वहां उनका मुख्य कार्य हिन्दी अध्यापन करना है और अनुवाद कार्य एक अतिरिक्त आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियां

6699. **श्री अनादि चरण दास :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर किए जाने और इनके वितरण में विलम्ब को देखते हुए उनके मन्त्रालय को वर्ष 1983 में स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय में से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि केन्द्रीय मेडीकल कालेजों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां अग्रिम रूप में दी जानी चाहिए और बाद में इस धनराशि को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से प्रशासनों से प्राप्त कर लिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या परामर्श दिया गया है अथवा निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस प्रणाली को पहले ही सफलतापूर्वक लागू कर चुका है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). जी हां, श्रीमान् । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए समिति (40वीं रिपोर्ट, सातवीं लोकसभा) की सिफारिशों के अनुसार जैसा कि स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया, इस मन्त्रालय ने 1983 में सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की योजना को लागू करने जिसमें पिछले वर्ष की 50% प्राप्त राशि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए वर्ष के आरम्भ में ही केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा मेडिकल कालेजों को देने के लिए कहा गया है ताकि वे अपनी पढ़ाई को अच्छी प्रकार चलाने के लिए कुल छात्रवृत्ति का 50% वर्ष के आरम्भ में ही प्राप्त कर सके ।

योजना पत्रिका का उड़िया भाषा में प्रकाशन

6700. **श्री अनादि चरण दास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रकाशित पाक्षिक समाचार पत्रिका 'योजना' को 1985-86 में उड़िया भाषा में प्रकाशित किए जाने का विचार है ;

(ख) इस समय यह कितनी भाषाओं में प्रकाशित हो रही है ; और

(ग) उड़िया भाषा में इसे पहले से ही प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय 'योजना' 10 भाषाओं में निकाली जा रही है ।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर सातवीं योजना में 'योजना' का उड़िया भाषा में प्रकाशन शुरू करने का प्रस्ताव है ।

उड़ीसा के आदिवासी परिवारों के लिए कल्याण कार्यक्रम

6701. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री अनुसूचित जाति और जन-जाति के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध में की गई सिफारिश संख्या 55 के सन्दर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि आदिवासियों को महाजनों, कृषि-व्यापारियों और बिचोलियों के शोषण से बचाने तथा उनकी प्रगति के लिए उस योजना क्षेत्र के 118 खण्डों में 222 बड़ी बहुप्रयोजन समितियां कार्यान्वित की जा रही हैं ; यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) उड़ीसा में विशेषकर उड़ीसा के कोरापुट जिले में पतंगी खंड में कितने आदिवासी परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं ; और

(ख) क्या सरकार पूर्ण विवरण सहित ऐसे 100 परिवारों की सूची सभा पटल पर रखेगी जिन्होंने गरीबी रेखा पार कर ली है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). चूंकि देश में कोई आर्थिक जनगणना नहीं की गई है, अतः जिन लोगों ने गरीबी की रेखा पार की है, उनकी संख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि गरीबी कम करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना के दौरान उड़ीसा में 4,42,248 अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई हैं ।

लाटरियों के पुरस्कार की राशि में वृद्धि

6703. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लाटरियों से सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा लाटरियों के पुरस्कार की धनराशि में दिन प्रतिदिन वृद्धि की जा रही है ;

(ख) क्या राज्य लाटरियों में प्रथम तथा अन्य पुरस्कारों की धनराशि में. वृद्धि करने की एक होड़-सी लगी हुई है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य लाटरियों के पुरस्कारों की धनराशि में वृद्धि की सीमा निर्धारित करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). सरकार को मालूम है कि कुछ राज्यों विशेषतः निजी संस्थानों द्वारा आयोजित की गई लाटरियों में पुरस्कारों के रूप में काफी अधिक धनराशि रखी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) और (ङ). राज्य लाटरियां जो संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में 40वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत आती है, के सम्बन्ध में जून 1984 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। राज्य सरकारों से निजी लाटरियां जो सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की 34 वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत आती हैं, को प्राधिकृत करते समय राज्य लाटरियों से सम्बन्धित दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने का अनुरोध किया गया था।

मार्गदर्शी निदेशों में साधारण साप्ताहिक ड्रा में प्रत्येक शृंखला में प्रथम पुरस्कार पर एक लाख रुपए और 12 वार्षिक बम्पर ड्रा में पच्चीस लाख रुपये की सीमा का सुझाव है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पंजीकृत किए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले

6704. **श्री भोला नाथ सेन : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास पंजीकृत किए गए राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार और सरकारी कर्मचारियों द्वारा असमानुपातिक रूप से परिसम्पत्तियां अर्जित करने के मामले में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ऐसे मामले में क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) कितने मामलों में न्यायालयों में मुकदमें चलाये गये और कितने मामलों में कर्मचारियों के विरुद्ध दोष सिद्ध हुए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले पांच वर्षों अर्थात वर्ष 1980 से 1984 के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार और

सरकारी कर्मचारियों द्वारा अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने से सम्बन्धित जितने मामले दर्ज किए थे उनकी संख्या निम्नलिखित हैं :

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले	अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के मामले
1980	203	86
1981	233	63
1982	281	68
1983	345	78
1984	309	75

(ग) उपर्युक्त मामलों के बारे में कार्रवाई कर ली गई है।

(घ) पांच वर्षों के दौरान सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने के जो मामले विचारण के लिए भेजे गये उनकी संख्या और राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में दोष-सिद्ध पाए गए मामलों की संख्या, पिछले वर्षों के अनिर्णीत मामलों की संख्या सहित, नीचे दी जाती है :—

वर्ष	राष्ट्रीयकृत बैंकों से संबंधित मामले		अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां रखने से सम्बन्धित मामले	
	विचारण के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई	विचारण के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्धि हुई
1980	64	36	8	2
1981	67	22	5	1
1982	88	31	21	1
1983	125	36	12	3
1984	134	41	10	1

शिमिलीपाल वनों में अनाधिकृत लोगों द्वारा नुकसान

6705. डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनधिकृत लोग उड़ीसा के शिमिलीपाल वनों को तबाह कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). असामाजिक तत्वों

की प्रेरणा से "अखण्ड शिकार" के नाम से शिमिलीपाल वनों में सुनियोजित सामुदायिक शिकार किया गया है। स्थानीय प्रशासन इस समस्या को हल करने में पूरी तरह समर्थ है। राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे इस समस्या को हल करने के लिए त्वरित और प्रभावी उपाय करें।

निर्धनता रेखा पार करने हेतु तमिलनाडु में सहायता प्राप्त करने वाले परिवार

6706. **श्री एन० डेनिस** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनता रेखा पार करने हेतु तमिलनाडु में अब तक कितने परिवारों को सहायता प्रदान की गई है ; और

(ख) उक्त राज्य में कितने परिवार निर्धनता रेखा पार कर सके हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) तमिलनाडु में मार्च, 1985 तक एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या छठी योजना के 11.31 लाख परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले 13.96 लाख है।

(ख) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा तमिलनाडु सहित 16 राज्यों में कार्यक्रम के प्रभाव का एक मूल्यांकन अध्ययन किया जा रहा है। उनकी रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

"उड़ीसा में जयश्री केमिकल्स द्वारा प्रदूषण"

6707. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उड़ीसा के गंजम जिले में जयश्री केमिकल्स द्वारा किस सीमा तक वायु और जल प्रदूषण किया जा रहा है ;

(ध) यदि हां, तो उपर्युक्त रसायनिक संयंत्र द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां, उद्योग से सम्बद्ध मुख्य समस्या जल प्रदूषण है केवल वायु प्रदूषण नहीं।

(ख) और (ग). उद्योग ने बहुदिशात्मक बहाव छनन तथा उत्प्रेरित कार्बन छनन पर आधारित एक बहिस्राव उपचार संयंत्र स्थापित किया है। उद्योग ने निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानव उपलब्ध कर लिए हैं।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी की योजना

6708. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधकों ने बोर्ड स्तर तक श्रमिकों की भागीदारी शुरू की है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में, विशेषकर औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने, व्यापारिक हित में तथा भारत पर्यटन विकास निगम और भारतीय पर्यटन की अच्छी छवि बनाने के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने की हाल ही में घोषित सरकारी नीति के अनुसरण में, क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम में प्रबन्ध-व्यवस्था के अन्तर्गत श्रमिकों की भागीदारी भारत सरकार के संकल्प संख्या एल-56025/4/75-डी के आई (बी), दिनांक 4 जनवरी' 77 के अनुसरण में निगम के विभिन्न एककों में, जहां 100 कर्मचारियों से अधिक कार्य करते हैं, एकक-परिषदों के कार्यचालन द्वारा बनी हुई है। मजदूर-संघों की बहुसंख्या के कारण, बोर्ड स्तर के प्रतिनिधित्व को व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की कम्प्यूटर द्वारा निगरानी

6709. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री के आदेश पर सरकारी क्षेत्र की परियोजाओं की कम्प्यूटरों द्वारा निगरानी रखने की पूर्णतया एक नई संकल्पना प्रारम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वियन में होने वाले असाधारण विलम्ब को समाप्त करने में मदद मिलेगी जिसके कारण लागत में भारी वृद्धि हो जाती थी ;

(ग) क्या आयोग में इस प्रयोजन के लिए आधुनिक कम्प्यूटर सुविधाओं से युक्त एक विशेष एकक बनाया गया है ;

(घ) क्या नई योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम को हर महीने के पहले तीन दिनों में एक पत्र में तुरन्त रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसे बाद में योजना में कम्प्यूटर में भरा जाएगा ; और

(ङ) यदि हां, तो आयोग को किस सीमा तक इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त हो रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ). राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र अपने 'निकनेट' के कार्यकलापों के माध्यम से वर्ष 1977 से भारत सरकार में कम्प्यूटर की सहायता से निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्प्रेरण प्रदान कर रहा है। माननीय प्रधान मन्त्री जी ने हाल ही में सरकार में निर्णय लेने के आधुनिक उपकरणों के विकास तथा उपयोग पर जोर दिया है। इनमें से एक प्रणाली का सम्बन्ध योजना आयोग की ऐसी सभी परियोजनाओं पर निगरानी रखने से है, जिनमें पूंजी-निवेश 100 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की लगभग सभी विद्यमान बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सभी 10,000 योजनागत कार्यों पर निगरानी रखने के लिए एक और परियोजना भी शुरू की गई है।

परियोजना निगरानी प्रणाली में सूचना के अन्तर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसकी विफलताओं से सम्बन्धित सूचना शामिल हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विलम्ब के कारण क्या हैं। प्रमुख उपादनों की आपूर्ति में यदि कोई कमी आती है और साथ ही कार्य प्रणाली में सुधार करने के लिए यदि कोई कारंवाई की जाती है, तो इस प्रणाली में उसका प्रावधान किया गया है।

सभी परियोजनाओं के आंकड़े महीने-वार उपलब्ध रहते हैं और प्रत्येक परियोजना के समन्वय-कर्ता को राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में मासिक जानकारी देनी होती है। कार्य-निष्पादन के ऐसे सभी मासिक आंकड़े भर लेने के बाद उन्हें योजना आयोग को पहले सप्ताह की समाप्ति से पूर्व भेज दिया जाता है और वहां से पहले छानबीन हो जाने के बाद राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में प्राप्त होते हैं। उपादानों को तब पंच कर लेने के बाद और उचित रूप से वैध बना लेने के बाद

पूछताछ प्रणाली में डाल दिया जाता है। इस प्रणाली के अन्तर्गत इस समय 88 परियोजनाओं पर निगरानी रखी जा रही है।

"पोली-क्रिटलीन सिलीकान" बनाने की प्रक्रिया

6710. **श्रीमती किशोरी सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे स्थिति राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में कार्यरत एक वैज्ञानिक ने "पोली-क्रिस्टेलीन सिलीकान" बनाने की एक प्रक्रिया विकसित की थी जो कि एक उन्नत प्रक्रिया समझी जाती है।

(ख) क्या उस वैज्ञानिक को इस प्रक्रिया को प्रौद्योगिक संयंत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार से कोई प्रोत्साहन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो प्रौद्योगिक संयंत्र विकसित करने के लिए उसे कब अनुमति दी गई थी ; और

(घ) क्या उसके लिए धन देने के लिए किए गए आश्वासन का पालन नहीं किया गया, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस समय वह विकास किस स्तर पर है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पुणे स्थिति राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०) में प्रयोगशाला स्तर पर अत्यधिक शुद्धीकरण के बाद ट्राइक्लोरोसिलेन से बहु क्रिस्टलीय (पोली-क्रिस्टेलाइन) सिलिकन तैयार किया गया है।

(ख) प्रयोगशाला में प्राप्त सक्षमता/विशेषज्ञता को देखते हुए, प्रक्रिया का आगे विकास करने तथा औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में एक प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एन० सी० एल०) को सभी प्रकार के प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) माह सितम्बर, 1983 में एक प्रायोगिक संयंत्र का विकास करने की अनुमति दी गई।

(घ) आवश्यक धन राशि प्रदात की गई है तथा उपस्करों की खरीद के लिए क्रय आदेश दिए गए हैं। वर्ष 1983-84 में 19 लाख रुपए तथा वर्ष 1984-85 में 18 लाख रुपए दिए गए। कोई धन राशि वापिस नहीं ली गई है।

किन्तु, ट्राइक्लोरोसिलेन को परिशुद्ध करते तथा पोली क्रिस्टेलाइन सिलिकन को परिवर्तित करने के लिए उपस्करों की संरचना की जा रही है तथा वर्ष 1985-86 के दौरान उनकी प्रतिष्ठापना की जाएगी।

दिल्ली में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण देना

6711. **श्री डी० बी० पाटिल : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण दिल्ली के केन्द्र में दिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान आशुलिपि और टंकण का प्रशिक्षण दिया गया ;

(ग) क्या उक्त प्रशिक्षण के दौरान ऐसे उम्मीदवारों को कोई छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी छात्रवृत्ति दी जाती है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान् । दिल्ली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को आशुलिपि और टंकण में प्रशिक्षण, इन समुदायों के उम्मीदवारों को अनुशिक्षण देने के लिए श्रम मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन द्वारा अलग-अलग चलायी जा रही योजनाओं के अन्तर्गत दिया जाता है, ताकि वे विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन परीक्षाओं में बैठ सकें ।

(ख) सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद श्रम मंत्रालय ने जिन उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र दिए हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :—

अवधि	उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें प्रमाण पत्र दिए गए हैं
मार्च 81 से फरवरी 82 (1/I चरण)	314
जुलाई 82 से जून 83 (1/II चरण)	244
नवम्बर 83 से अक्तूबर, (1/III चरण)	297

इसमें, दिल्ली में स्थित केन्द्रों के अतिरिक्त गाजियाबाद स्थित एक केन्द्र के विषय में भी सूचना सम्मिलित है ।

दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों के विषय में सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :

1982-83	120
1983-84	231
1984-85	40

(ग) और (घ). दिल्ली प्रशासन द्वारा कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, लेकिन श्रम मंत्रालय द्वारा 75 रु० प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जा रही है ।

दिल्ली में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित राशि

6712. **श्री डी० बी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/जनजातियों के लिए विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत केन्द्र शासित प्रदेश के लिए 23.35 करोड़ रुपये का योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या लक्ष्य की प्राप्ति हुई है ;

(घ) क्या अनुसूचित जनजाति के परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष कम्पोनेन्ट योजना (1984-85) के लिए 21.33 करोड़ रुपये का अनुमोदन किया गया ।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्। इसकी पर्याप्त रूप से प्राप्ति की गई। 1984-85 के लिए लक्षित 10060 परिवारों में से 9,192 परिवारों को आर्थिक सहायता दी गयी।

(घ) और (ङ). दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की कोई सूची नहीं है, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

रेडियोधर्मी मोनाजाइट रेत के भण्डारों का खनन और परिष्करण

6713. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में रेडियो धर्मी मोनाजाइट रेत के भण्डारों की मात्रा का निर्धारण किया गया है ;

(ख) क्या हेलियम और अन्य पदार्थ बनाने हेतु उनका खनन और परिष्करण किया गया है ;

(ग) क्या इस समय अमरीका ही हेलियम का एक मात्र उत्पादक है ; और

(घ) क्या इस कार्यक्षेत्र का विकास किए जाने पर भारत भी विश्व बाजार में प्रवेश कर सकता है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मोनाजाइट पुलिन बालुका से निकाला जाता है और इसके बाद इसे विरल मृदाओं, थोरियम और यूरेनियम के उत्पादन के लिए संसाधित किया जाता है। हीलियम प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) यद्यपि अमरीका हीलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तथापि फ्रांस, पोलैंड, सोवियत संघ और कनाडा भी इसका उत्पादन करते हैं।

(घ) मोनोजाइट से हीलियम की जितनी मात्रा प्राप्त होने की सम्भावना है, वह घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त रहेगी। इसलिए विश्व बाजार में प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनता के लिए रेडियो सेटों की उपलब्धता

6714. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को रेडियो सेट उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में या तो सस्ते रेडियो सेट नहीं बनाये जा रहे हैं या वे यहां, विदेशी रेडियो सेट होने के कारण बाजार में नहीं आते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). देश के अधिकांश लोगों को रेडियो सेट उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं ;

(i) **औद्योगिक लाइसेंसों को एक ही व्यापक लाइसेंस के अन्तर्गत जारी करना**

पूंजी निवेश के उपयोग का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए मनोरंजन इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में विभिन्न किस्म के उत्पादों के लिए एक ही व्यापक लाइसेंस जारी किया जाएगा ; इसके अन्तर्गत रेडियो रिसीवर टेप रिकार्डर, टू-इन-वन, ध्वनि प्रवर्धक, रिकार्ड प्लेयर, रिकार्ड चेंजर, दूरदर्शन सेट (श्याम तथा श्वेत और रंगीन) बन्द परिपथ (क्लोज सर्किट) दूरदर्शन प्रणालियां तो शामिल हैं, लेकिन ऐसे उत्पाद शामिल नहीं हैं, जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।

(ii) **स्वदेशी संघटक-पुर्जों की उचित मूल्यों पर उपलब्धता**

जो संघटक पुर्जे लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं उन्हें गैर-आरक्षित करने का प्रस्ताव है ताकि संगठित क्षेत्र में उनका अधिक मात्रा में उत्पादन किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे संघटक पुर्जों की लागत कम हो जाएगी।

(iii) **रेडियो लाइसेंस शुल्क समाप्त करना**

सरकार ने प्रसारण रेडियो लाइसेंस तथा विक्रेताओं के स्वामित्व का लाइसेंस समाप्त कर दिया है जिससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों की नई श्रृंखला खोलने में काफी सहायता मिलेगी।

(iv) लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले 165 रु० तक की कीमत वाले रेडियो रिसीवरों को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है।

(ग) जी, नहीं, देश में सस्ते रेडियो सेटों का विनिर्माण और उनकी बिक्री बहुत बड़ी मात्रा में होती है।

कोणार्क टेलीविजन लिमिटेड

6715. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोणार्क टेलीविजन लिमिटेड ने सरकार से अपने विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने हेतु मंजूरी मांगी है ;

(ख) क्या उपरोक्त सरकारी उपक्रम द्वारा अपने आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता और प्रोत्साहन की मांग की गई है ; और

(ग) विभिन्न माडलों के कोणार्क टेलीविजन सैटों के लिए और विशेष रूप से इसके रंगीन टेलीविजन सैटों के माडलों के समूचित विपणन सुविधा प्रदान करने हेतु अन्य क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). मैसर्स कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड को प्रतिवर्ष 40,000 श्याम तथा श्वेत तथा 40,000 रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है।

मैसर्स कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड ने सूचित किया है कि राज्य सरकार ने विस्तार से संबंधित उनकी परियोजना को पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इन विस्तार परियोजनाओं का उद्देश्य आधुनिकरण करना तथा प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता 40,000 सेट से बढ़ाकर 1 लाख सेट करना है। इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए मैसर्स कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड ने राज्य सरकार से सहायता तथा प्रोत्साहन देने को कहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य स्तरीय इलेक्ट्रानिकी विकास निगम के अन्तर्गत आने वाली

इकाइयों को कोई विपणन सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। मैसर्स कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड ने सूचित किया है कि सीमित उत्पादन के कारण देश में जिन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था उन्हें चालू वर्ष में शामिल करने की योजना है तथा वर्तमान विपणन पद्धति को भी मजबूत बनाया जायगा। रंगीन दूरदर्शन सेटों के सम्बन्ध में, मैसर्स कोनार्क टेलीविजन लिमिटेड ने सूचित किया है कि उनके द्वारा उत्पादित सेटों को क्वालिटी के उत्पाद के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा जब उनके उत्पादों की अच्छी मांग होगी तो कम्पनी को रंगीन दूरदर्शन सेटों को विपणन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी जानकारी

6716. **श्री हुसेन दलवाई :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार भारत में दैनिक जीवन में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी तकनीक का आयात करने का विचार है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की वास्तविक योजना क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत में सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में सरकार उसके अनुसन्धान, विकास, प्रदर्शन और उपयोग के बारे में एक देशव्यापी कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है। प्रणालियों की किस्मों का विकास कर दिया गया है और उनको वाणिज्यिक उत्पादन एवं उपयोग के स्तर पर लाया जा चुका है। इन किस्मों में सौर जल तापन प्रणालियां, सौर कुकर, सौर शुष्क, टिम्बर भट्टियां और सौर स्टिल सम्मिलित हैं। इन प्रणालियों के उत्पादन और उपयोग को आर्थिक सहायता, उत्पादन एवं बिक्री कर में छूट निर्माणकर्त्ताओं तथा लाभार्थियों के लिए अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। जल पम्पन प्रणालियां, सड़क और सामुदायिक रोशनी प्रणालियां, सामुदायिक रेडियो और टी० वी० सेट आदि जैसी सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रणालियों को भी देश में प्रदर्शन किया जा रहा है और उनको लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग). विशेष सौर संग्राहकों, कोटिंग एवं प्रणालियों के सम्बन्ध में, विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए सरकार ने कुछ प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। ऐसे प्रस्तावों के लाभों की जांच कर दी गई है और जहां देश को प्रौद्योगिकी या आर्थिक लाभ की गुंजाइश है वहां इनकी मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

राज्य सरकार और गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्यटन उद्योग का विकास

6717. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पर्यटन के विकास के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या 1984-85 में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत में पर्यटन उद्योग का विकास एक सतत प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्रों पर आधार-संरचनात्मक सुविधाएं, कर से छूट, टैक्स हालीडे आदि के रूप में गैर-सरकारी सेक्टर को प्रोत्साहन प्रदान करना, भवन सामग्री के आबंटन में प्राथमिकता, ब्याज-दर और पूंजी प्रोत्साहनों पर इमदाद आदि प्रदान करते हुए इसके विकास के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों—दोनों ने कई कदम उठाए हैं। होटलों के निर्माण यातायात सुविधाओं की व्यवस्था, संचालित यात्राओं और विशेष अभिरुचि वाले समूहों के संवर्धन द्वारा गैर-सरकारी सैक्टर ने अपनी ओर से पर्यटन के विकास में योगदान किया है।

(ख) 1983 के 884,731 पर्यटकों के मुकाबिले 3.6 प्रतिशत की गिरावट दर्शाते हुये 1984 में भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 852,503 थी (पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़कर)। तथापि, कुल पर्यटक आगमन में यह गिरावट मुख्यतया भारत में और क्षेत्र में गड़बड़ी के हालत के कारण थी।

चावल की भूसी से चीनी और शराब तैयार करना

6718. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैविक रसायन और इंजीनियरिंग अनुसन्धान केन्द्र के भारतीय वैज्ञानिकों ने चार वर्ष पहले प्रायोगिक संयन्त्रों की स्थापना करके चावल की भूसी से चीनी और शराब तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी और इसकी अनुमानित लागत और उससे प्राप्त होने वाली आय के ब्यौरे सहित एक विस्तृत योजना विभाग को प्रस्तुत की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीक को अस्वीकार कर देने के क्या कारण हैं और क्या इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास संयन्त्र के साथ कोई विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) क्या जापान ने इस तकनीक का लाभ उठाते हुए चावल की भूसी से चीनी और शराब तैयार करने के लिए व्यापारिक दृष्टि से व्यवहार्य एक योजना तैयार की है जबकि भारतीय वैज्ञानिक उस तकनीक से कोई लाभ नहीं उठा सके ?

विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार को किसी अनुसंधान केन्द्र द्वारा चावल की भूसी से चीनी और शीरा सफलतापूर्वक उत्पादन करने की कोई जानकारी नहीं है। चावल की भूसी तेल का उत्पादन भूसी के विलायक निचोड़ द्वारा किया जाता है। और तेल निकालने के पश्चात बचे हुए भूसे को पशु चारे के विरचन के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार को जापान द्वारा चावल की भूसी से चीनी और शीरा सफलतापूर्वक उत्पादन करने की विकसित की गयी प्रक्रिया के ब्यौरे में कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

काले मृगों का परिरक्षण

6719. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां काले मृग पाए जाते हैं ;

(ख) देश में कितने काले मृग उपलब्ध हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उड़ीसा के पंजाब जिले में बुगुड़ा, रामुन्डा और मेघोई क्षेत्रों में रहने वाले

काले मृगों की समुचित सुरक्षा के लिए कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) काले मृग निम्नलिखित राज्यों के वन में पाए जाते हैं :—

आन्ध्र प्रदेश	उड़ीसा
बिहार	पंजाब
गुजरात	राजस्थान
हरियाणा	तमिलनाडु
कर्नाटक	उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश	पश्चिम बंगाल

(ख) अब तक काले मृगों की देशव्यापी गणना नहीं की गई है। तथापि, अनुमान लगाया गया है कि देश में उनकी संख्या 20,000 से अधिक है।

(ग) और (घ). उड़ीसा राज्य सरकार के अनुसार गंजम जिले में काले मृगों की पूरी सुरक्षा की जा रही है और उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। भेथोई के समीप के क्षेत्र को काले मृगों के संरक्षण के लिए वहां आश्रयस्थल स्थापित करने के लिए चुना गया है।

उड़ीसा में भारत पर्यटन विकास निगम के होटल

6720. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम ने उड़ीसा में अब तक कितने होटल खोले हैं ;

(ख) उन जगहों के क्या नाम हैं जहां पर उक्त होटल खोले गए हैं ;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार उड़ीसा में समुद्र तट के नजदीक कुछ होटल खोलने का है ;

(घ) यदि हां, तो क्या गोपालपुर में समुद्र के निकट भारत पर्यटन विकास निगम का एक ऐसे होटल का निर्माण करने के प्रस्ताव पर विचार होना है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार का कार्यक्रम क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). भारत पर्यटन विकास निगम उड़ीसा के अन्तर्गत भुवनेश्वर में एक होटल और कोणार्क में एक यात्री लाज का परिचालन कर रहा है।

(ग) और (घ). भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना में वर्ष 1985-86 के लिए उड़ीसा में एक नए होटल के निर्माण की किसी स्कीम की परिकल्पना नहीं की गई है। तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के संयुक्त उद्यम कार्यक्रम के तहत पुरी में समुद्र तट के निकट भारत पर्यटन विकास निगम और उड़ीसा पर्यटन विकास निगम लिमिटेड संयुक्त रूप से 190 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर एक 44-कक्षीय 3-स्टार होटल स्थापित कर रहे हैं।

(ङ) पर्यटन विभाग स्वमेव होटलों का निर्माण नहीं करता।

"कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में प्रदूषण नियन्त्रण का अध्ययन

6721. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में किसी स्तर पर प्रदूषण नियन्त्रण (वायु तथा जल दोनों) का कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) निर्धारित न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस उद्योग द्वारा किन अपेक्षाओं का पालन किया जाना चाहिए ; और

(घ) इसके लिए किस सीमा तक विदेशी तकनीक और आयात अपेक्षित हैं और इसमें कितने पूंजी व्यय का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अध्ययन के आधार पर कपड़ा उद्योग के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए गए हैं जो संलग्न विवरण में दिए गए हैं। तदनुसार, राज्य बोर्ड इनके पालन में लगे हुए हैं।

(घ) देशी प्रौद्योगिकी के साथ अनिवार्य प्रदूषण नियन्त्रण अपनाना सम्भव है। बहिस्रावों के उपचार के लिए पूंजीगत व्यय संयंत्रों की किस्म की ओर क्षमता पर निर्भर करते हुए उत्पादन मूल्य के प्रतिशत 0.29 से 1.38 प्रतिशत तक अलग-अलग है।

विवरण

सारिणी-1

कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक

पैरामीटर	कनसंट्रेशन, एम जी/1 से अधिक नहीं
पी एच	5.5 से 9
सस्पेंडेड सौलिड	100
बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड 20° सी, 5 दिन	30

सारिणी-2

अर्ध कृत्रिम रेशा उद्योग के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक

पैरामीटर	कनसंट्रेशन, एम जी/1 से अधिक नहीं
पी एच	5.5 से 9
संस्पेंडेड सौलिड	100
बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड 20° सी, 5 दिन	30
जिंक	1

सारिणी-3

कपड़ा उद्योग के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक

पैरामीटर	कनसंट्रेशन, एम जी/1 से अधिक नहीं
पी एच	5.5 से 9
संस्पेंडेड सोलिड	100
वायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड 20° सी 5 दिन	150
तेल तथा ग्रीस	10
वायोएस्से टेस्ट	90% सर्वाइवल आफ टेस्ट फिस इन 96 आवर्स

वायु प्रदूषण वॉयलर प्रोड्यूसिंग स्टीम के साथ सम्बद्ध है जिसके लिए कणाकार उत्सर्जनों हेतु मानक इस प्रकार से हैं :—

वॉयलर आकार	सुरक्षित क्षेत्र	अन्य क्षेत्र	
		पुराना	नया
1. 200 एम डब्ल्यू से कम	150 एम जी/एन एम^3	(1979 से पूर्व) 600 एम जी/एन एम^3	(1979 के पश्चात) 350 एम जी/एन एम^3
2. 200 एम डब्ल्यू तथा अधिक	150 एम जी/एन एम^3	—	150 एम जी/एन एम^3

केरल के लोक निर्माण विभाग को वन विभाग की स्वीकृति के आदेश

6722. **डा० के० जी० आदियोडी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के लोक-निर्माण विभाग को सार्वजनिक और स्थानीय निकायों द्वारा काफी समय पूर्व बनाई गई सड़कों की मरम्मत और उन्हें पक्का करने के लिए उन सड़कों को अपने हाथ में लेने हेतु वन विभाग की मंजूरी के आदेश नहीं दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत केरल में सड़क निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में वन स्वीकृति का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग

6723. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1985 को भारतीय विदेश सचिव तथा नेपाली अधिकारियों के बीच हुई सरकारी वार्ता के पहले दौर के दौरान भारत-नेपाल द्विपक्षीय सहयोग के तमाम मुद्दों तथा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के परिणामों के मुख्य मुद्दे क्या थे ; और

(ग) इन मुद्दों पर इन दो देशों के बीच किस सीमा तक सहमति हुई है और दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में कितना सुधार हुआ है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) विदेश सचिव की 1 से 2 अप्रैल, 1985 तक नेपाल की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) विदेश सचिव की नेपाल यात्रा हमारे पड़ोसी देशों के साथ सहयोग सुदृढ़ करने को प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमन्त्री के निर्देश के कार्यान्वयन के उद्देश्य से की गई थी। यह यात्रा किसी निर्धारित कार्यसूची के बिना एक सद्भावना यात्रा थी। महामहिम नरेश वीरेन्द्र ने विदेश सचिव की आगवानी की और नेपाल के प्रधानमन्त्री तथा विदेशी मंत्री से भी विदेश सचिव ने मुलाकात की।

(ग) नेपाल के साथ हमारे द्विपक्षीय सम्बन्धों में इस प्रकार की कोई अनिर्णीत समस्या नहीं है। दोनों पक्ष इस बात से सहमत हुए कि दोनों देशों के बीच सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं और इस बातचीत पर संतोष व्यक्त किया गया। विदेश सचिव ने भारत के प्रधानमंत्री की ओर से महामहिम नेपाल नरेश को सम्बोधित एक पत्र भी दिया जिसमें उन्हें भारत आने का निमन्त्रण दिया गया था।

सातवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए परिव्यय

6724. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए परिव्यय में लगभग 7 प्रतिशत की कमी करने के प्रस्ताव पर योजना आयोग द्वारा हाल ही में विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय के लिए पहले से अनुमोदित 3,20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय पर पुनर्विचार करने का भी निर्णय किया गया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 से सम्बन्धित नीति में जिसका राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जुलाई, 1984 में अनुमोदन किया गया था, यह परिकल्पना की गई थी कि "पांच वर्षों में, 1984-85 की कीमतों पर पूर्ण निवेश 320,000 करोड़ रु० होगा जिसमें लोक (पब्लिक) निवेश लगभग 150,000 करोड़ रु० होगा। सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए परिव्यय 1984-85 की कीमतों पर 180,000 करोड़ रु० होगा।"

केन्द्र और राज्यों में सरकारी क्षेत्र के लिए योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सातवीं योजना के दौरान परमाणु और पन-विद्युत परियोजनाएं

6725. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान परमाणु विद्युत कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं दी गई है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने भी सातवीं योजना में किस पन-बिजली परियोजना के कार्यान्वयन की सिफारिश नहीं की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना आयोग के मूल्यांकन के अनुसार सातवीं योजना में परमाणु और पन-बिजली की

इस समय चालू कितनी परियोजनओं के पूरा होने की आशा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ). जल विद्युत और न्यूक्लीयर विद्युत सम्बन्धी कार्यक्रमों सहित सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

अर्ध-सैनिक बलों को मजबूत बनाना

6726. **श्रीमती किशोरी सिंह :**

डा० बी० एल० शैलेश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता के लिए अर्ध-सैनिक कार्मिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो अर्ध-सैनिक बलों को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) असैनिक-कार्यों के लिए बार-बार सेना को न बुलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). राज्य सरकारें मुख्यतः विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बलों को विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों को सहायता करने के लिए बनाया गया है जब राज्य की सशस्त्र पुलिस की यूनिटें अपर्याप्त साबित हो जाती है। केन्द्रीय सरकार बल की अपेक्षित सं० स्थिति की गम्भीरता व आवश्यकता अवधि जिसके लिए बल की आवश्यकता है इत्यादि का विश्लेषण करती है। और मांग तथा उस समय उपलब्ध रिजर्व बल को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल को भेजती है। सीमा सुरक्षा बल मुख्यतः सीमा की सुरक्षा के लिए है और जब केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल उपलब्ध नहीं होता है, सीमा सुरक्षा बल की रिजर्व कम्पनियों को विधि और व्यवस्था कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। समय समय पर सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों को सुदृढ़ करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है। वर्ष 1983 के दौरान सरकार द्वारा केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बलों की 5 बटालियनों और सीमा सुरक्षा बलों की 6 बटालियनों की मंजूरी दी गई थी।

(ग) नागरिक बलों की सहायता हेतु सैनिक सहायता का सहारा अत्यधिक आपातकाल में ही लिया जाता है और वह भी उस अवधि के लिए जब अत्यधिक आवश्यक हो।

एक गैर-सरकारी पार्टी को तारापुर परमाणु बिजलीघर के निकट की लवण भूमि की बिक्री

6727. **प्रो० मधु दण्डवते : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर परमाणु बिजलीघर से कुछ मील की दूरी पर लवण भूमि की किसी गैर-सरकारी पार्टी को बिक्री की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में शिकायत की जांच महाराष्ट्र लोकायुक्त द्वारा की गई थी और उसकी रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा आयोग को भेजी गई थी ;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने किसी गैर-सरकारी पार्टी को इस लवण भूमि की बिक्री के विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार को अपना विरोध व्यक्त किया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). परमाणु ऊर्जा विभाग ने यह बात महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाई है तथा उस सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना।

प्राचीन आदिवासी जनसंख्या

6728. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पता लगाए गए प्राचीन आदिवासी समूहों का ब्योरा क्या है, उनकी जनसंख्या कितनी-कितनी है और वे लोग किन-किन इलाकों में रहते हैं ;

(ख) क्या ऐसे समूहों के लिए कोई परियोजना प्रतिवेदन तैयार किए गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) तथा (ग). राज्य सरकारों द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पता लगाये गये 72 प्राचीन आदिवासी समूहों में से 42 समूहों पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये गए हैं। परियोजना प्रतिवेदनों में क्षेत्रों की प्राकृतिक साधन सम्पन्नता, लोगों की रुचि तथा प्रवीणता तथा क्षेत्र की अनुभव की गयी आवश्यकताओं पर आधारित समूहों के समग्र विकास के लिए कार्यवाही की परिदृश्य योजना सम्मलित है। आवंटित धनराशि से कार्यवाही करने की योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाता है।

विवरण

पता लगाए गये प्राचीन आदिवासी समूह

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्राचीन आदिवासी समूह	घरों की संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. बांडा गोबावा	400
		2. बोन्डी पोरोजा	400
		3. गुतोब गेदाबा	400
		4. खोई पोराज	400
		5. रेपेन्जी पोरोजा	500
		6. थोती	226
		7. डोंगोरिया खोडा	900
		8. कांडा स्वराज	600

1	2	3	4
		9. कुटिया खोंड	900
		10. चेंचू	2860
		11. कालम	5255
		12. कोंडा रेडी	8722
		कुल	21563
2.	बिहार	1. असूर	1404
		2. बिरहार	693
		3. बिजरिया	726
		4. संवार	708
		5. हिलखोरिया	2048
		6. केरवा	3743
		7. मलयहेरिया	2797
		8. पर हईयास	2930
		9. सारिया पहारिया	11809
		कुल	33788
3.	गुजरात	1. कथोडी	588
		2. सिदिस	896
		3. कोलघा	6000
		4. कोतवाजिया	2580
		5. पधार	2037
		कुल	12101
4.	मध्य प्रदेश	1. अमजीमारियास	2446
		2. बेगास	35387
		3. भारिआस	23559

1	2	3	4
		4. हिल कोरवास	13461
		5. सहारिआस	23559
		6. कामार	3950
		कुल	102362
5.	महाराष्ट्र	1. मारियागोंड	1189
		2. कटकारिया	28255
		3. कोलम	11178
		कुल	40622
6.	उड़ीसा	1. बिरहोर	20
		2. दिदायी	433
		3. मानकीदियास	175
		4. लोधा	788
		5. बोन्डा	744
		6. डोंगरिया कोंड	535
		7. कुटिया कांधा	1348
		8. लजिया सोरास	1636
		9. पादि भुगान	727
		10. सोरा	1734
		11. कोरियास	23089
		12. जुआंग	4876
		कुल	36144
7.	राजस्थान	1. सेहारिया	7000
		कुल	7000

1	2	3	4
8.	त्रिपुरा	1. रिआगज	12935
		कुल	12935
9.	पश्चिम बंगाल	1. बिरहार	120
		2. टोटो	135
		3. लोधा	9123
		कुल	9378
10.	उत्तर प्रदेश	1. राजिस	74
		2. बुक्सा	2000
		कुल	2074
11.	कर्नाटक	1. जेनूकुरुबा	1367
		2. रागा	1285
		कुल	2652
12.	केरल	1. चेलानाइकास	70
		2. कादार	66
		3. कुरूम्बास	180
		4. काथनिकास	1057
		कुल	1373
13.	मणिपुर	1. माराम नागास	908
		कुल	908
14.	तमिलनाडु	1. काथानाकिआंस	260
		2. कोटाल	260

1	2	3	4
		3. टोडास	240
		4. इरूलास	1160
		5. कुरूम्बास	940
		6. पनियन्स	1140
		कुल	4000
15.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	1. ग्रेट अंडमानिज	5
		2. जारावास	50
		3. ओगेस (प्रकलित)	19
		4. सेन्टेन्लीज (तदैव)	10
		5. शोन्पेन्स	18
		कुल	102
		कुल योग	287002
		प्राचीन समुहों की संख्या का कुल योग	72

लाटरियां आयोजित करने के लिए नये दिशा निर्देश

6729. **श्री हुसेन दलवाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस समय भारत में प्रचलित लाटरी प्रणाली सम्बन्धी नए दिशा निर्देशों को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रशंसनीय परोपकारी संस्थानों को लाटरी प्रणाली की परिधि में शामिल करने का है ;

(ग) नए दिशा निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) नए दिशा निर्देश कब से प्रभावी होंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). लाटरियां दो प्रकार की हैं अर्थात, वे जो केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा आयोजित की जाती हैं और वे जो निजी व्यक्तियों/संस्थानों आदि द्वारा आयोजित की जाती हैं। राज्य लाटरियां जो संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की 40वीं प्रविष्टि के अन्तर्गत आती हैं के संचालन को नियमित करने के लिए जून, 1984 में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों में प्रथम पुरुस्कार की राशि की सीमा, टिकटों के मूल्य और ड्रा की संख्या तथा टिकटों के मुद्रण की प्रथा प्रक्रिया सम्बन्धी कुछ नियंत्रणों, पुरुस्कारों के

वितरण, ड्रा निकालने आदि पर भी विचार किया गया है। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों से निजी लाटरियां प्राधिकृत करते समय भी इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया गया है।

मिजोरम-बांगला देश सीमा के साथ साथ कांटेदार तारों की बाड़ लगाना

6730. **श्री जी० जी० स्वैल : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिजोरम-बांग्लादेश सीमा पर चकमा लोगों का प्रवेश रोकने के लिए वहां कांटेदार तार की बाड़ लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) प्रस्तावित बाड़ की लम्बाई कितनी होगी ; और

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). विदेशी राष्ट्रिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बंगलादेश सीमा पर कांटेदार तारों की बाढ़ लगाने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लेने के बाद, यह सलाह देने के लिए कि सीमा पर कैसे और किस प्रकार की बाढ़ लगायी जानी चाहिए, एक तकनीकी समिति गठित की गई थी। समिति ने सीमा के साथ 2700 कि० मी० पर संग्रथित तार और 500 कि० मी० पर इकहरी तार लगाने की सिफारिश की है जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, राज्यों और संघ शासित क्षेत्र मिजोरम की सीमाएं सम्मिलित हैं। समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि बाढ़ लगाने का कार्य वास्तव में प्रारम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। तकनीकी समिति द्वारा पूरी सीमा पर बाढ़ लगाने की अनुमानित लागत 207 करोड़ आंकी गई है, इसमें कीमतों में बढ़ोत्तरी, एजेंसी और फुटकर प्रभार सम्मिलित हैं। मिजोरम बंगलादेश सीमा की लम्बाई लगभग 306 कि० मी० है। अतः वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना प्रस्तावित बाड़ की वास्तविक लम्बाई का और मिजोरम-बंगला सीमा के लिए इसकी अनुमानित लागत का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए रविवार को परीक्षा करवाना

6731. **श्री जी० जी० स्वैल : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी चयन आयोग, गोहाटी पूर्वोत्तर क्षेत्र में अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए रविवार के दिन परीक्षा का आयोजन करता है ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश पर्वतीय लोग इसाई हैं और वे रविवार के दिन होने वाली इन परीक्षाओं का विरोध करते हैं अथवा उनमें बैठते ही नहीं हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे निदेश जारी करने का है कि वहां ये परीक्षाएं रविवार के दिन आयोजित न की जाएं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी चयन आयोग को, रविवार के दिन परीक्षाएं आयोजित किये जाने के बारे में उम्मीदवारों से कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) आयोग ने पहले ही जनवरी, 1983 में यह निर्णय किया था कि देश में इसाईयों के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में टंकण परीक्षाएं, आशुलिपि परीक्षाएं, प्रवीणता परीक्षाएं तथा साक्षात्कार रविवार के दिन को छोड़कर किसी अन्य दिन आयोजित किए जाएं।

कलकत्ता हवाई अड्डे की टेलीप्रिंटर वर्कशाप में आग लगना

6732. **श्री जी० जी० स्वैल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे की टेलीप्रिंटर वर्कशाप में भयंकर आग लग गई थी, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ, कर्मचारी घायल हो गए और उड़ानें रद्द कर दी गई थीं ;

(ख) आग लगने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कलकत्ता हवाई अड्डे में आग लगने की पहले भी घटनाएं हुई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) कलकत्ता विमान क्षेत्र पर टेलिप्रिंटर कार्यशाला में थोड़ी सी आग लग गई थी और इसके परिणामस्वरूप सुविधाओं में कुछ घण्टों के लिए अस्थायी रूप से रुकावट आ गई थी जिसके परिणामस्वरूप उड़ानों में देरी हो गई थी । टेलिप्रिंटर कार्यशाला में कुछ उपस्करों को तथा साथ में बिछी तारों में से कुछ तारों को क्षति पहुंची । एक टेलिप्रिंटर मेकेनिक घायल हो गया और उसे अस्पताल में चिकित्सा सहायता दी गई थी ।

(ख) इस घटना की जांच चल रही है । आग लगने के कारण को इस समय बताना सम्भव नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

एयर इण्डिया का आरक्षण कार्यालय

6733. **श्री जी० जी० स्वैल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के आरक्षण कार्यालय में प्रतिदिन लड़ाई-झगड़ा होता रहता है;

(ख) उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनका स्थिति में किस प्रकार सुधार करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं । तथापि, सिंधिया हाउस, नई दिल्ली में बुकिंग आफिस में कभी-कभी अधिक भीड़-भाड़ हो जाती है ।

(ख) दिल्ली में बिजली की अनिश्चित पूर्ति और वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण अभिकलित्र प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को उस समय तक इन्तजार करना पड़ता है जब तक अभिकलित्र फिर से काम न करने लग जाए । पानएम में हड़ताल के कारण कुछ समय के लिए स्थिति कुछ खराब हो गई जिसके परिणामस्वरूप यात्री वहां से इयर इण्डिया को आ गए थे ।

(ग) दिल्ली में अधिक कार्यालय खोलने की आर्थिक आवश्यकता पर विचार किया जा रहा है क्योंकि यह अनुभव किया जाता है कि इससे सिंधिया हाउस, नई दिल्ली के मुख्य बुकिंग आफिस पर दबाव काफी कम हो जाएगा ।

आदिवासी उप-योजनाओं के लिए धनराशि

6734. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा पांचवीं योजना, छठी योजना और सातवीं योजना के दौरान आदि-

वासी उप-योजना वाले क्षेत्रों के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(ख) आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए राज्य क्षेत्र में परिव्ययों के आवंटन हेतु राज्यों द्वारा राज्य-वार क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं, इस सम्बन्ध में उनके मंत्रालय द्वारा क्या दिशा निर्देश जारी किए गये हैं ;

(ग) राज्यों द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए राज्य-वार क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और क्या दिशा निर्देश जारी किए गये हैं ; और

(घ) क्या राज्यों द्वारा और उनके मंत्रालय द्वारा पांचवीं योजना से लेकर छठी योजना के अन्त तक प्रत्येक वार्षिक योजना में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए धनराशि में वृद्धि की गई है, यदि हां, तो जनजाति क्षेत्रों के विकास और आदिवासी लोगों का आर्थिक उत्थान विशिष्ट न होकर सामान्य होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए। (I) उप-योजना क्षेत्र में शामिल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या आकार (II) आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत भौगोलिक क्षेत्र और (III) राज्य के पिछड़ेपन पर आधारित एक विषय का अनुसरण किया जाता है।

(ख) राज्य योजना से आदिवासी उप-योजना के लिए निधियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए राज्य द्वारा सामान्य रूप से अपनाए जाने वाला मानदण्ड आदिवासी क्षेत्रों के पिछड़ेपन पर बल देते हुए राज्य की कुल जनसंख्या से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता राज्य योजना के प्रयासों में योगात्मक है और नाजुक अन्तरालों को पूरा करने के लिए है। परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए अधिक से अधिक विशेष केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है। राज्य सरकारें सामान्यतः इन दिशा निर्देशों का पालन कर रही हैं :—

(घ) विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य योजना से आदिवासी उप-योजना को दी जाने वाली निधियों की मात्रा वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है। इनसे आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने और आदिवासी क्षेत्रों में मूल संरचनात्मक सुविधाओं का सुधार करने में सहायता मिली है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजना/एजेंसी क्षेत्रों के लिए एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र भी बनाया गया है। छठी योजना के दौरान 27.59 लाख आदिवासी परिवारों को शामिल करने के मुकाबले में लगभग 43.58 लाख परिवारों को शामिल करने की उपलब्धि सूचित की गई है।

उड़ीसा की विभिन्न परियोजनाओं के लिए वनों की सफाई

6735. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मध्यम दर्जे की तथा बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के नाम खनन कार्य, ग्रामीण विद्युतीकरण, टेलीफोन लाइनें संबंधी उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय को वनों की सफाई के लिए भेजे हैं और अब तक ऐसी कितनी सफाई हो चुकी है ;

(ख) प्रत्येक योजना के निष्पादन के सम्बन्ध में मंत्रालय ने कौन सी शर्तें निर्धारित की हैं, जिन्हें पूरा करना होगा ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने यह शर्त रखी है कि सिंचाई परियोजना के बारे में कमांड क्षेत्रों में

उतनी फालतू या सिंचित भूमि वन लगाने के लिए दी जाये जितनी वन भूमि परियोजना की डूब में आ जाये; और

(घ) यदि हां, तो बड़े क्षेत्रों को जिन्हें घोषित किया जाना है वन लगाने के लिए आरक्षित रखने पर गरीब से गरीब भूमिहीन लोगों को सिंचाई परियोजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जिन परियोजनाओं और योजनाओं के लिए उड़ीसा राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है उनके नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) संलग्न विवरण-II में वे शर्तें दी गई हैं, जो आमतौर पर विभिन्न किस्मों की योजनाओं के लिए निर्धारित की जाती हैं।

(ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वन कार्यों के लिए वन भूमि देने की स्वीकृति देने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि वन-रहित की गई भूमि के बराबर भूमि में प्रतिपूरक वनरोपण करके वनभूमि की क्षति को पूरा करना चाहिए। सिंचाई परियोजनाओं के मामले में, कमान क्षेत्र में सिंचित वृक्षारोपण करने की सम्भावना का भी सुझाव दिया जाता है।

(घ) वनरोपण और वानिकी कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को लाभ पहुंचाना होता है।

विवरण-I

क्र० सं०	परियोजनाओं के नाम
1.	पुरी जिले में मोदानल्ला लघु सिंचाई परियोजना
2.	बालासौर जिले में रिसिया लघु सिंचाई परियोजना
3.	सुन्दरगढ़ जिले में टेलिंग बांध का निर्माण
4.	सम्बलपुर जिले में रैराखोल से डांडा तक 33 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन माइक्रो वेव परियोजना
5.	पुरी जिले में कमरखुन्टी लघु सिंचाई परियोजना
6.	पुरी जिले में माइक्रो वेव टावर स्टेशन और वहां तक पहुंच सड़क का निर्माण
7.	सम्बलपुर जिले में हाथीवाड़ी से रैराखोल तक 33 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन।
8.	सम्बलपुर जिले में बारुकोट से दार्जिन तक मोड़ सड़क
9.	कटक जिले में कांतिलो जंगल में नारियल वृक्षारोपण
10.	क्योंझर जिले में खान श्रमिकों के लिए समेकित जल आपूर्ति
11.	कालाहांडी जिले में जलाशय का निर्माण
12.	फूलबनी जिले में पैतागम लघु सिंचाई परियोजना
13.	सम्बलपुर और बोलांगीर जिलों में बाक्साइट खनन कार्य
14.	कोरापुट जिले में 33 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन

क्र० सं०	परियोजना का नाम
15.	कालाहांडी जिले में पेन्द्रेवन लघु सिंचाई परियोजना
16.	सम्बलपुर जिले में देवगढ़ से तारंग तक 33 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन और रंगलबेड़ा से गोहिया बांध तक 11 के० वी० ट्रांसमिशन लाइन
17.	फूलबनी जिले में लाखापर्वत लघु सिंचाई परियोजना
18.	फूलबनी जिले में परहेल लघु सिंचाई परियोजना
19.	फूलबनी जिले में डोमकच्छ लघु सिंचाई परियोजना
20.	क्योंझर जिले में खान श्रमिकों के लिए समेकित जल आपूर्ति परियोजना
21.	सुन्दरगढ़ जिले में कम शक्ति का दूरदर्शन रिले केन्द्र
22.	सम्बलपुर जिले में एन० एच० 23 सड़क का निर्माण
23.	गंजम जिले में लघु सिंचाई परियोजना
24.	कालाहांडी जिले में लतावंजी लघु सिंचाई परियोजना
25.	कालाहांडी जिले में काटीकुटा लघु सिंचाई परियोजना
26.	कालाहांडी जिले में खासवहल लघु सिंचाई परियोजना
27.	सम्बलपुर जिले में एरियल रोपवे वेगन लोडिंग कम्पलेक्स इत्यादि का निर्माण
28.	क्योंझर जिले में सापुआ लघु सिंचाई परियोजना
29.	भजनगढ़ से फूलबनी जिले तक 132 के० वी० एकल परिपथ ट्रांसमिशन लाइन
30.	बोलंगीर जिले में आयुध फैक्टरी की स्थापना
31.	सम्बलपुर जिले में चन्द्रापली में ताप बिजली घर
32.	मयूरभंज जिले में सिम्पलोपल वाघ परियोजना के ग्रामीणों का पुनर्वास
33.	कोरापुट जिले में मैसर्स नेल्को द्वारा बाक्साइट का खनन कार्य

विवरण-II

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विभिन्न किस्म की योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वन भूमि के इस्तेमाल की स्वीकृति देते समय आमतौर से निम्नलिखित मुख्य शर्तें रखी जाती हैं :—

1. सिंचाई और जलविद्युत परियोजनाएं

(क) कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

(ख) पूर्ण टैंक के स्तर से 2 मीटर/4 मीटर नीचे तक पेड़ काटने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(ग) परियोजना की लागत पर वृक्ष रहित किए गए क्षेत्र के बराबर क्षेत्र में प्रतिपूरक वनरोपण किया जाना चाहिए।

(घ) यदि वन विभाग को कमान क्षेत्र में, सिंचित बागानों/नर्सरियां लगाने की आवश्यकता पड़ती है, तो वन विभाग को निःशुल्क जल आपूर्ति की जानी चाहिए।

(ङ) परियोजना की लागत पर नहर के दोनों किनारों पर वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

(च) यदि व्यवहार्य हो, तो वन भूमि की क्षति को पूरा करने के लिए कमान क्षेत्र में वनरोपण करना चाहिए।

(छ) बड़ी परियोजनाओं के मामले में, केन्द्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित की गई शर्तों और सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

2. सड़कें

(क) भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

(ख) सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाए जाने चाहिए।

(ग) वन रहित की गई भूमि के बराबर गैर-वन भूमि पर वनरोपण, परियोजना की लागत पर किया जाना चाहिए।

3. ट्रांसमिशन लाइनें

(क) प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वन भूमि के केवल अस्थायी इस्तेमाल की अनुमति दी जानी चाहिए और भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

(ख) वन भूमि पर ट्रांसमिशन लाइन के लिए मार्गाधिकार की अधिकतम चौड़ाई आई० एस० आई० के विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

(ग) मार्गाधिकार के भीतर के पेड़ों को काट देना होगा, मगर तार लगाने के कार्य को पूरा होने पर विद्युत प्रवाह का ध्यान रखते हुए बौने पेड़ों को लगाया जाना चाहिए और ट्रांसमिशन लाइन के रख-रखाव के लिए बाहर को 3 मीटरी चौड़ी पट्टी को खाली छोड़ा जाना चाहिए।

(घ) ट्रांसमिशन लाइन की किसी भी मरम्मत और अनुरक्षण के लिए बिजली प्राधिकारियों की स्थानीय वन अधिकारियों के परामर्श से संचालकों के नीचे, जहां बौने पेड़ लगाए गए हैं, न्यूनतम संख्या में पेड़ काटने की भी अनुमति दी जाए।

(ङ) पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां तारों के लिए पहले ही पर्याप्त मार्ग उपलब्ध होता है, ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाने चाहिए।

(च) वन विभाग काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या के दस गुने पेड़ परियोजना की लागत पर लगाएगा।

4. खनन परियोजनाएं

(क) वन भूमि की कानूनी स्थिति अपरिवर्तित रहनी चाहिए।

(ख) खनन/उत्खनन कार्य के पूरा हो जाने के बाद खोदे गए क्षेत्र का सुधार/पुनरुद्धार किया जाना चाहिए।

(ग) परियोजना लागत पर वन रहित की गई भूमि के बराबर गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वनरोपण किया जाना चाहिए।

(घ) आस-पास के क्षेत्रों में मृदा क्षरण और वायु तथा जल प्रदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जाने चाहिए।

(ङ) परियोजना की अनुमति देते समय केन्द्रीय पर्यावरण विभाग द्वारा निर्धारित की गई शर्तों/सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

आदिवासी संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एजेंसियां

6736. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी संस्कृति का अब तक कितनी एजेंसियों और संगठनों ने अध्ययन किया है तथा उनकी संस्कृति को परिभाषित किया है और संदर्भ के लिए उन्हें वर्गीकृत (कौडिफाइड) किया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, संगीत नाटक अकादमी, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, जनजातीय अनुसन्धान संस्थान सहित केन्द्रीय और राज्य सरकारों की अनेक संस्थाएं तथा संगठन जनजातीय संस्कृति का विभिन्न पहलुओं में अध्ययन कर रहे हैं। वे भाषाओं, लोक कथा, कला में अनुसंधान के कार्य में लगे हुए हैं और इस प्रक्रिया में देश में समृद्ध जनजातीय विरासत के बहुत से पहलुओं को रिकार्ड कर रहे हैं और इस तरह वे इसे परिभाषित कर रहे हैं तथा अपने लोगों के लिए परिरक्षित कर रहे हैं।

सातवीं योजना के दौरान पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

6737. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक पर्वतीय क्षेत्रों वाले उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने उनके मंत्रालय को छठी योजना के दौरान इन क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों को उस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि उन क्षेत्रों में आदिवासी उपयोजना की योजनाओं का विस्तार तथा कार्यान्वयन किया गया है और योजना आयोग उन क्षेत्रों को सातवीं योजना के दौरान शामिल करने को सहमत हो गया है क्योंकि आदिवासी उपयोजना की अवधारणा ये केन्द्रीय प्रायोजित पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को शामिल करने का औचित्य सिद्ध करती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का राज्यवार क्या ब्यौरा है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख). छठी योजना की अवधि में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश सरकारों से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु उड़ीसा सरकार ने नवम्बर, 1979 में योजना आयोग में उड़ीसा के निम्नलिखित जिलों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अनुरोध किया था :—

बोलानगिर, ढेंकनाल, गंजम, कालाहांडी, क्योंझर, कोरापुट, मयूरभंज फूलबनी, सम्बलपुर और सुन्दरगढ़।

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गक आने वाले क्षेत्रों की सूची संलग्न विवतरण में है।

(ग) उड़ीसा सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल करने के लिए सुझाए गए अधिकांश क्षेत्र, काफी सीमा तक, जनजातिय उपयोजना में पहले ही शामिल हैं और इसके अन्तर्गत इसके

लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मिल रही है। इसलिए, इन क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दायरे में भी नहीं लाया जा सका।

जनजातीय उपयोजना में शामिल क्षेत्रों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की व्याप्ति

राज्य	जिला	
1	2	
1. **पहाड़ी क्षेत्र**		
उत्तर प्रदेश	देहरादून	
	पोढी गढ़वाल	
	टेहरी गढ़वाल	
	चमोली	
	उत्तर-काशी	
	नैनीताल	
	अल्मोड़ा	
	पिथोरागढ़	
असम	उत्तरी कछार	
	कर्बी ऐंगलोंग	
तमिलनाडु	नीलगिरि	
पश्चिमी-बंगाल	उप-विभाग का सदर कूरशियोंग और कालिम्पोंग का दार्जिलिंग जनपद	
2. **पश्चिमी-घाट क्षेत्र**		
महाराष्ट्र	धूले	(2)
	नासिक	(8)
	थाने	(5)
	रायगढ़	(7)
	रत्नगिरि (उत्तर)	(5)

1	2	
	रत्नगिरि (दक्षिण)	(5)
	कोल्हापुर	(10)
	संगली	(1)
	सतारा	(8)
	पुणे	(9)
	अहमदनगर	(2)
कर्नाटक	बेलगाम	(5)
	चिकमंगलूर	(5)
	कूर्ग	(3)
	धारवड़	(1)
	हसन	(4)
	मैसूर	(2)
	नार्थ कनारा	(9)
	शिमोगा	(5)
	साऊथ कनारा	(6)
केरल	कन्नोर	(3)
	वाईबाद	(3)
	कोजीकोठ (कालीकट)	(3)
	मालपुरम	(1)
	पलघाट	(3)
	त्रिचुर	(1)
	इराकूलम (कोचीन)	(3)
	इडुक्की	(4)
	कोटयाम	(2)
	क्वीलोन	(4)
	त्रिवेन्द्रम	(2)
तमिलनाडु	नीलगिरि	(4)

1	2	
	कोयम्बटूर	(5)
	पेरीयर	(1)
	मदूराई	(6)
	त्रिरुणावेली	(6)
	रामनाथपुरम	(3)
	कन्या कुमारी	(4)
गोवा	गोवा	(3)

टिप्पणी :—पश्चिमी घाट क्षेत्र के मामले में तालुक सीमांक की इकाई है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली जिले के तालुकों की संख्या के द्योतक हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त के कार्यालय का आयोग के साथ विलय

6738. **श्री अनादि चरण दास :**

श्री राम स्वरूप राम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के 23 नवम्बर 1981 को पदयुक्त होने के पश्चात इस संवैधानिक पद पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह कार्यवाही सरकार के संवैधानिक दायित्वों के कहां तक अनुरूप है ;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी आयोग का इस समय न तो कोई अध्यक्ष ही है और न ही पर्याप्त संख्या में सदस्य हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या समुचित अधिकार देकर तथा संवैधानिक उपबंधों के अनुसार कृत्यों को व्यापक बनाकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के पद और आयोग का विलय करने हेतु तत्काल एक संविधान संशोधन विधेयक लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के पद के पिछले पदधारी के सेवानिवृत्त होने के बाद पद को भरने लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की गयी थी। इस पद पर नियुक्ति के लिए सरकार ने अब उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर लिया है और उसने इस पद पर नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग के अध्यक्ष पद, पिछले पदधारक द्वारा 31 दिसम्बर, 1984 को समाज और महिला कल्याण राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से रिक्त है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग में पहले ही दो सदस्य हैं।

(घ) और (ङ). इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं पड़ा है, क्योंकि वर्तमान प्रबंध पर्याप्त समझते हैं।

विशेष आयोजन समिति द्वारा व्यय के इस्तेमाल सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

6739. **श्री सुरेश कुरूप : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजन समिति ने अभी तक 3,37,432 रुपये के व्यय के इस्तेमाल सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की गई है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). विशेष आयोजन समिति द्वारा उनके 1983-84 के लिए वार्षिक लेखों में बकाया के रूप में दर्शाए गए 3,37,432 रु० के उपयोगिता प्रमाण-पत्र में से अब तक 3,02,366.55 रु० के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हुए हैं। शेष राशि के लिए मामला संघों के साथ उठाया जा रहा है।

राजनीतिक दलों को खेल स्टेडियमों को किराये पर देना

6740. **श्री सुरेश कुरूप : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवें एशियाई खेल स्टेडियमों को किन्हीं राजनीतिक दलों को किराये पर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राजनीतिक दलों के नाम क्या हैं और उन्होंने स्टेडियमों को कितने दिनों के लिए किराए पर लिया ; और

(ग) ऐसे राजनीतिक दलों से कितना किराया प्राप्त हुआ ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण (पृष्ठ 137) में दी गई है।

विशेष आयोजन समिति द्वारा वीडियो उपकरणों की खरीद

6741. **श्री सुरेश कुरूप : क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवें एशियाई खेलों की विशेष आयोजना समिति द्वारा कितने वीडियो कैमरे और वीडियो टेप तथा दूरदर्शन सैट खरीदे गए थे ;

(ख) उनकी खरीद पर कुल कितनी लागत आई थी ;

(ग) उनमें से अब कितने लापता हो गये हैं ; और

(घ) उसके क्या कारण हैं तथा उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख). विशेष आयोजन समिति ने 3,80,237 रु० की लागत से 5 क्लोज सर्किट टी० वी० कैमरे, 5 रंगीन टी० वी० सैट, 5 काले और सफेद टी० वी० सैट और 500 वीडियो टेप खरीदे थे। इसके अलावा, इसे सरकारी सप्लायर की हैसियत से जापान की एक फर्म से निःशुल्क 11 वीडियो कैमरे और 70 वीडियो कैसेट प्राप्त हुए थे।

(ग) उपरोक्त वस्तुओं में से कोई भी वस्तु गुम नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	स्टेडियम का नाम	संगठन का नाम	अवधि		किराया
					रु०
1.	जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रिहायशी खण्ड	भारतीय युवा कांग्रेस (आई) विकास केन्द्र (विशेष आयोजन समिति द्वारा आवंटित)	28-5-83 से 10-7-83	44 दिन	37,367.00
			1-8-83 से 28-8-83	28 दिन	72,735.00
2.	—वही—	भारतीय युवा कांग्रेस (आई) विकास केन्द्र (भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आवंटित)	23-7-84 से 30-7-84	8 दिन	4,680.00
3.	इन्दिरा गांधी स्टेडियम	अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित)	6-5-85	1 दिन	74,500.00

अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

6742. **श्री भोला नाथ सेन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने एक अखिल भारतीय सेवा अर्थात भारतीय इन्जीनियरी सेवा (सिंचाई, विद्युत भवन और सड़क) का गठन करने के प्रस्तावों से राज्य सरकारों को सहमत कराने हेतु कोई प्रयास किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) अब तक कौन-कौन से राज्य उक्त प्रस्ताव से सहमत हुए हैं ;

(घ) कुछ राज्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव का विरोध किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन राज्यों को ही लेकर, इन सेवाओं का गठन करने का है जिन्होंने पहले मंजूरी दे दी है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1126/85**]

राज्य सिविल सेवा संवर्गों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति में असंतुलन

6743. **श्री भोला नाथ सेन : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के उपलब्ध अवसरों में विभिन्न राज्य संवर्गों के बीच कोई असंतुलन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में यदि कोई सुधार हुआ है तो, वह क्या है ; और

(घ) सभी राज्यों के राज्य सिविल सेवा संवर्गों को अखिल भारतीय सेवाओं में पदोन्नति के एक समान अवसर उपलब्ध होना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). जी, हां। विभिन्न राज्यों के राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिए जो औसत समय लगता है वह हरेक राज्य के मामले में अलग-अलग होता है। इस संबंध में 1983 में विभिन्न राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों के मामले में विभिन्न राज्यों के बीच पूरी समानता लाना कठिन है। यह इसलिए कठिन है क्योंकि राज्य सिविल सेवा का आकार तथा राज्य सिविल सेवा में भर्ती का पैटर्न प्रत्येक राज्य के मामले में अलग-अलग होता है। फिर भी, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार यथासम्भव अधिकाधिक समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रयासशील है। सरकार के सचिवों तथा कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों की एक समिति से यह आग्रह किया जा रहा है कि वह अन्य कुछ बातों के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में पदोन्नति के अवसरों का विश्लेषण करें तथा राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में विभिन्न राज्य संवर्गों के बीच असंतुलन में सुधार लाने का सुझाव दें।

विवरण

राज्य का नाम	लिया गया समय
आन्ध्र प्रदेश	10 वर्ष
असम	22 वर्ष
बिहार	28 वर्ष
गुजरात	25 वर्ष
हरियाणा	17 वर्ष
हिमाचल प्रदेश	13 वर्ष
जम्मू व कश्मीर	20 वर्ष
कर्नाटक	12 वर्ष
केरल	9 वर्ष
मध्य प्रदेश	17 वर्ष
महाराष्ट्र	18 वर्ष
मणिपुर	14 वर्ष
मेघालय	22 वर्ष
नागालैण्ड	13 वर्ष
उड़ीसा	25 वर्ष
पंजाब	23 वर्ष
राजस्थान	22 वर्ष
सिक्किम	15 वर्ष
तमिलनाडु	12 वर्ष
त्रिपुरा	14 वर्ष
संघ शासित क्षेत्र	18 वर्ष
उत्तर प्रदेश	28 वर्ष
पश्चिम बंगाल	25 वर्ष

"उद्योगों द्वारा प्रदूषण"

6744. श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के प्रदूषण स्तर का पता लगाने हेतु उनका व्यापक सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उद्योगों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं।

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में 4109 प्रदूषक उद्योगों का पता लगाया गया है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गये हैं :—

—उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण उपाय स्थापित करने के लिए राजी किया गया है तथा चूककर्ताओं के विरुद्ध अभियोग चलाए गए हैं।

—प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की स्थापना तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए हैं।

—उद्योगों के स्थान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए गए हैं।

—वहिस्रावों तथा उत्सर्जनों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, 1966 इकाइयों ने प्रदूषण नियन्त्रण उपायों को अपनाया है।

छठी योजना से पूर्व की परियोजनाएं

6745. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जो छठी योजना से पूर्व शुरू की गई थीं और सातवीं योजना अवधि के पूर्वार्द्ध में पूरी होंगी ;

(ख) छठी योजना से पूर्व शुरू की गई उन परियोजनाओं की संख्या कितनी है, जिन्हें सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किया जाना है।

(ग) ऐसी परियोजनाओं की संख्या और नाम क्या हैं जिनके लिए 1984-85 के बजट में प्रावधान किया गया है परन्तु उन्हें अभी तक मंजूर नहीं किया गया है ; और

(घ) क्या मंत्रालय में कोई ऐसा कक्ष है, जो परियोजनाओं के बिकास पर निगरानी रख सकें, बिलम्ब न होने देने और कीमतों के बढ़ने के कारण लागत में वृद्धि न होने देने के लिए अपेक्षित कार्रवाई कर सके।

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग). परियोजना के न्यूनतम आकार तथा उत्तर में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में तथा इस बारे में किसी संकेत के अभाव में कि क्या सूचना केवल केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं के लिए मांगी गई है अथवा केन्द्र तथा राज्य दोनों ही क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं के विषय में मांगी गई है। अपेक्षित सूचना संकलित करना संभव नहीं होगा।

(घ) योजना आयोग में एक प्रबोधन और सूचना प्रभाग है जो चुने हुए क्षेत्रों में प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्र करता है ताकि कार्यान्वयन में विलम्ब को कम करने के लिए अपेक्षित सुधारात्मक उपायों के बारे में पता लगाया जा सके।

अंटार्टिका अध्ययन संस्थान

6746. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंटार्टिका अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी

ब्यौरा क्या है और इसकें कार्यों का क्षेत्र क्या होगा ;

(ख) उसका अनुमानित वार्षिक व्यय कितना है ;

(ग) क्या सम्पूर्ण अन्टार्टिका क्षेत्र की भूमि अथवा सतह और खनिज एक जैसे हैं इसके बारे में उक्त संस्थान में अध्ययन किया जायेगा ;

(घ) क्या अंटार्टिका के वर्तमान कार्यालयों/प्रयोगशालाओं में वर्तमान प्रबन्ध व्यवस्था अपेक्षानुसार पर्याप्त नहीं है ;

(ङ) अध्ययन के लिए वहां की प्रयोगशालाओं में कार्य तथा संस्थान के बीच समन्वय किस प्रकार स्थापित किया जाएगा ; और

(च) हम से पहले अंटार्टिका को जाने वाले अन्य देशों द्वारा इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अंटार्टिका में भूमि और सतह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न है। उनके नमूने आगे अध्ययन के लिए लाए जाएंगे।

(घ) ध्रुवीय अनुसन्धान से संबंधित कोई संस्थान अथवा केन्द्र इस समय देश में मौजूद नहीं है। अंटार्टिका से एकत्र किए गए आंकड़ों, नमूनों और सामग्री को लगभग उन 20 विभिन्न संस्थाओं द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है, जिनसे वैज्ञानिक अंटार्टिका पर गए हैं।

(ङ) अंटार्कटिका अध्ययन के लिए प्रस्तावित केन्द्र आंकड़ों आदि को समेकित करेगा और भारत में विद्यमान विभिन्न प्रयोगशालाओं का उपयोग अंटार्कटिक नमूनों और सामग्री पर किए गए कार्य के आंकड़े प्राप्त करने के लिए किया जायेगा।

(च) पारम्परिक तौर पर, जिन देशों के स्थायी स्टेशन अंटार्कटिका में हैं, उन सभी के अपने-अपने देश में संग्रहालय, कार्यशालाएं और पुस्तकालय सहित अंटार्कटिक अनुसन्धान संस्थान हैं।

कटक में एक स्टेडियम के निर्माण हेतु सहायता

6747. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से कटक के बाराबाती दुर्ग क्षेत्र में निर्माणाधीन जवाहरलाल नेहरू इन्डोर स्टेडियम के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने कितनी धनराशि की केन्द्रीय सहायता मांगी थी ;

(ग) उक्त स्टेडियम की संशोधित अनुमानित लागत कितनी है ; और

(घ) केन्द्र द्वारा उपरोक्त इन्डोर स्टेडियम के लिए अब तक कितनी सहायता दी गई है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (घ). बाराबाती फोर्ट क्षेत्र, कटक में जवाहरलाल नेहरू इन्डोर स्टेडियम के निर्माण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता लेने के लिए कोई प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

कटक में बाराबत्ती स्टेडियम कम्पलेक्स को आधुनिक बनाने के लिए सहायता

6748. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **युवा कार्य और खेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कटक में बाराबत्ती स्टेडियम कम्पलैक्स के विस्तार और उसके आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को कार्यान्विती हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा उड़ीसा राज्य को उक्त कार्य के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचंद्र सिंह) : (क) से (ग). 1.89 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से बाराबत्ती स्टेडियम कम्पलैक्स के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था। इस परियोजना के लिए मार्च, 1985 में 1.00 लाख रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी और वर्तमान पद्धति के अनुसार 50,000 रुपये की राशि मुक्त की गई थी।

कलपाक्कम परमाणु बिजली घर में खराबी

6749. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजली घर की यूनिट I को किसी समय 1984 के दौरान तथा वर्ष 1985 के पहले तीन महीनों में मरम्मत अथवा रख रखाव के कारण बन्द करना पड़ा था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या उक्त यूनिट में कोई विशेष खराबियों का पता लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजली घर के पहले यूनिट को 7-12-1984 से 6-3-1985 तक वार्षिक रख-रखाव के लिए बन्द रखा गया था।

(ख) इस यूनिट को 27 जनवरी, 1984 को वाणिज्यिक स्तर पर काम करने वाला यूनिट घोषित किया गया था और उसके बाद यह पहला मौका था कि इसे बन्द किया गया। यूनिट को वार्षिक रख-रखाव के लिए बन्द रखने के दौरान बिजली घर के विभिन्न उपस्करों का रख-रखाव किया गया।

(ग) और (घ). टरबाइन जैनरेटर के एक बेयरिंग में बहुत अधिक कम्पन लगातार रहता है। जिन सप्लायरों ने यह उपस्कर दिया था उनके इंजीनियर कम्पन के कारणों का पता लगाने और उसको दूर करने के उपयुक्त तरीके ढूंढने में सहायता दे रहे हैं।

राष्ट्रीय कला परिषद का गठन

6750. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या **संस्कृति मन्त्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कला परिषद का गठन कब किया गया था और उसके सदस्य कौन-कौने थे ;

(ख) क्या उक्त परिषद अभी भी अस्तित्व में है यदि नहीं, तो क्या उसका पुनर्गठन किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो नये संगठन के सदस्य कौन होंगे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक सरकारी संकल्प द्वारा 19 सितम्बर, 1983 को राष्ट्रीय कला परिषद का गठन किया गया था। इसकी संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। इस समय इसको पुनर्गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

राष्ट्रीय कला परिषद् की संरचना

अध्यक्ष		प्रधान मंत्री
उपाध्यक्ष		शिक्षा और संस्कृति मंत्री
सदस्य	1.	वित्त मंत्री
	2.	पर्यटन मंत्री
	3.	पर्यावरण मंत्री
	4.	साहित्य अकादमी का अध्यक्ष
	5.	संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष
	6.	ललित कला अकादमी का अध्यक्ष
	7.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महा निदेशक
	8.	राष्ट्रीय संग्रहालय का निदेशक, नई दिल्ली
	9.	राष्ट्रीय पुस्तकालय का निदेशक
	10.	सृजनात्मक कला, अनुसंधान और शिक्षावृत्ति से सम्बन्धित 8 प्रसिद्ध व्यक्ति
सदस्य-सचिव		सचिव, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

टिप्पणी : संस्कृति राज्य मंत्री और सचिव, संस्कृति विभाग को राष्ट्रीय कला परिषद के क्रमशः उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में अधिसूचित करने के सम्बन्ध में अध्यक्ष के औपचारिक अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के समारोह के लिए राष्ट्रीय समिति का गठन

6751. **श्री हरीश रावत :** क्या युवा कार्य और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के समारोह के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तथा राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार गठित की गई समितियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके कार्य क्या हैं ; और

(ग) क्यां विभिन्न राजनैतिक दलों के सक्रिय युवा संगठनों को भी इन समितियों के साथ संबद्ध किया गया है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग). भारत सरकार ने कुछ समय पहले अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष पर कार्यकारी दल गठित किया था, जिसका कार्य घटनाओं का राष्ट्रीय कलैंडर तैयार करना और उसके कार्यान्वियन का समन्वय और पुनरीक्षण था। युवा कार्य और खेल विभाग के सचिव कार्यकारी दल के अध्यक्ष हैं। कार्यकारी दल जो गैर-राजनीतिक निकाय है, इसमें कार्यकलापों राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर युवा कार्यकलापों के क्षेत्र में कार्यरत कुछ स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल है।

राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उड़ीसा, मणीपुर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, बिहार, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, दमन और दीव, दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार की सरकारों ने अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के लिए राज्य स्तर समन्वय समितियां गठित की हैं। राज्य स्तर समितियों की रचना के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। उनका कार्य सम्बन्धित राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष मानने के लिए समन्वय करने का है।

[अनुवाद]

वन अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रस्ताव

6752. **श्री हरीश रावत :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौड़ागढ़ जिलों से निर्माण कार्य सम्बन्धी कुल कितने प्रस्ताव मंजूरी हेतु मिले हैं ;

(ख) क्या सभी प्रस्तावों को आवश्यक स्वीकृति दे दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं और शेष प्रस्तावों को मंजूर न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से अल्मोड़ा तथा पिथौड़ागढ़ जिलों में योजनाओं तथा परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1-4-84 और 31-3-85 के बीच सिर्फ 60 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग). इनमें से 27 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। पांच के मामले में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों की अपेक्षा नहीं थी।

राज्य सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी तथा आंकड़े अपूर्ण अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई निर्धारित प्रक्रिया तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार न होने की वजह से शेष 28 मामलों को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका।

[हिन्दी]

गोस्वामी जाति को पिछड़ी जाति घोषित करने के लिए अभ्यावेदन

6753. **श्री हरीश रावत :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गोस्वामी गुसाई (गिरि) जाति के संबंधित लोगों को पिछड़ी जाति के वर्ग के रूप में घोषित करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो गोस्वामी (गिरी) जाति के लोगों को कब तक अनुसूचित जन-जाति के लोग घोषित किया जाएगा ;

(ग) क्या उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस जाति को पिछड़ी जाति के रूप में अधिसूचित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो पिछड़ी और अनुसूचित जनजाति के लोगों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं इन लोगों को भी उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). ऐसा मालूम नहीं होता है कि सरकार को गोस्वामी गोसाई (गिरि) जाति के व्यक्तियों को अन्य पिछड़े वर्गों की तरह घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। गोस्वामी (गिरि) जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूचियों के प्रस्तावित विस्तृत संशोधन के संदर्भ में विचार किया जा रहा है क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) की दृष्टि से केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने "गोसाई" को पिछड़े वर्ग के रूप में अधिसूचित किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि "गिरियों" पर कुमाऊं क्षेत्र में पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित होने के रूप में विचार किया जाएगा। पिछड़े तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए यथा स्वीकार्य रियायतें तथा सुविधाएं गोस्वामी गोसाई (गिरि) को केवल तभी दी जाएगी यदि वे पिछड़े वर्ग/अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में शामिल कर लिए जायें।

कोटा (राजस्थान) में डी० सी० एम० के उर्वरक कारखाने से होने वाला प्रदूषण

6754. **श्री शांति धारीवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लाथ मिल, कोटा (राजस्थान) के उर्वरक संयंत्र द्वारा बानगंगा नदी में प्रवाहित किए जाने वाले औद्योगिक अपशिष्ट के कारण प्रदूषण हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन को भारी नुकसान हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, कृषि की पैदावार पर प्रदूषकों के असर का मूल्यांकन करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। कारखाने के निस्सरण कानसुआ नाले में बानगंगा में नहीं प्रवाहित किए जा रहे हैं जिससे कुछ प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु उद्योग ने राजस्थान राज्य बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बहरहाल, राजस्थान बोर्ड ने उद्योग को मंजूरी देने से मना कर दिया है तथा बोर्ड इस उद्योग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रहा है।

दारा खेल अभ्यारण्य में सिंहों की संख्या

6755. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) के दारा खेल अभ्यारण्य में कुल कितने सिंह हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार के पास दारा खेल अभ्यारण्य के विकास के लिए कोई कार्यक्रम है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) राजस्थान में कोटा के निकट दारा अभ्यारण्य में शोर होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) अभ्यारणों की स्थापना तथा उसका प्रबन्ध करना सम्बन्धित राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा चुनिंदा अभ्यारण्यों के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है। 1984-85 के दौरान अभ्यारण्य का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार को सिर्फ 55,000 रुपए की धनराशि दी गई थी।

वनों में खनिज भंडारों का विदोहन

6756. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आरक्षित और अनारक्षित वन क्षेत्रों में खनिज के अपार भंडार हैं ;

(ख) क्या वनों से सम्बन्धित कानूनों के कारण इन भंडारों के विदोहन में बाधाएं आ रही हैं जिसके परिणामस्वरूप राजस्व के रूप में करोड़ों रुपयों की हानि हो रही है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) देश के वन क्षेत्रों में कुछ खनिज भण्डार पाए गए हैं।

(ख) जी नहीं। परन्तु पर्यावरण का संरक्षण अल्प आर्थिक लाभ की तुलना में काफी अधिक महत्व रखता है। तथापि जहां सम्भव होता है वहां अनुमति दी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वरिष्ठ स्तर के पदों पर पदोन्नति की पात्रता

6757. **डा० गौरीशंकर राजहंस** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कोई दिशा निर्देश हैं कि सरकार में वरिष्ठ स्तरों पर पदोन्नति की पात्रता के सम्बन्ध में निर्णय करने में, सम्बद्ध व्यक्ति की गोपनीय रिपोर्ट में दर्शायी गयी योग्यता को एक महत्वपूर्ण आधार माना जाना चाहिए ;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग तथा नियुक्ति समिति ने डाक तार तथा आदि जैसे कुछ विभागों में से संयुक्त सचिव के स्तर पर पदोन्नति हेतु कुछ ऐसे अधिकारियों की पदोन्नति की मंजूरी दी है जिनकी गोपनीय रिपोर्ट में गत पांच वर्षों के दौरान विपरीत/खराब प्रविष्टियां थीं ; और

(ग) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों के चयन में हुई भूल को सुधारने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सरकार में वरिष्ठ स्तरों में पदोन्नतियां पूर्णत: भर्ती नियमों में किए गए प्रावधान के अनुसार की जाती हैं। सरकार में वरिष्ठ स्तरों पर पदोन्नति के लिए पात्रता का निर्धारण करने के लिए गोपनीय रिपोर्टों में दर्शाया गया योग्यता क्रम एक महत्वपूर्ण तत्व होता है।

(ख) और (ग). चूंकि किसी भी विभाग में संयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर में सभी नियुक्तियां गहराई से जांच-पड़ताल के बाद ही की जाती हैं, अत: किसी ऐसे अधिकारी को—जिसकी चरित्र पंजी में गत 5 वर्षों के दौरान प्रतिकूल/खराब प्रविष्टियां की गई हों—संयुक्त सचिव के स्तर पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किए जाने का सामान्यत: प्रश्न पैदा ही नहीं होना चाहिए। यदि सरकार के ध्यान में कोई ऐसा विशिष्ट मामला लाया जाता है, जिसमें किसी खराब रिकार्ड वाले अधिकारी को वरिष्ठ स्तर पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया गया हो, तो ऐसे मामले की जांच की जाएगी।

भारत पर्यटन विकास निगम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

6758. **श्री लाल डहोमा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम में श्रेणी "क" और "ख" के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोई पद रिक्त रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पदों उनके वेतनमान और पद नामों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या श्रेणी "क" और "ख" के अन्तर्गत आरक्षित कोटा सामान्य अभ्यार्थियों के लिए अनारक्षित कर दिया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पदनाम, पदों/रिक्तियों के वेतनमान बताते हुए आरक्षित पदों, अनारक्षित किए गए पदों और आगे ले जाए गए पद

क्रम सं०	पद नाम	वेतनमान	आरक्षित	
			अनु० जाति	अनु० जनजाति
1	2	3	4	5
सीधी भरती वाले पद (भाग-I)				
ग्रुप 'क'				
1.	मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक	1800-2250	1	—
2.	उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)	1500-2000	1	—
3.	प्रबन्धक (सुरक्षा)	1100-1600	1	1
4.	उप प्रबन्धक (होटल परिचालन)	1100-1600	3	2
5.	सॉस सेफ	1100-1600	1	—
6.	सहायक प्रबन्धक (कार्मिक)	700-1300	—	1
7.	सहायक प्रबन्धक (लेखा)	700-1300	1	2

1	2	3	4	5
ग्रुप "ख"				
		शून्य	—	—
			8	6
पदोन्नति पद भाग-II				
ग्रुप "क"				
1.	वरिष्ठ प्रबन्धक (इंजी०)	1300-1700	1	—
ग्रुप "ख"				
1.	वरिष्ठ निजी सहायक	650-1040	2	1
2.	निजी सहायक	650-900	—	3
		जोड़	3	4

जबकि 1984 के दौरान ग्रुप "क" में कोई पद अनारक्षित नहीं किया गया, इसी अवधि के दौरान ग्रुप "ख" के 5 पदों को सामान्य उम्मीदवारों के लिए अनारक्षित किया गया। तथापि, इन पदों को आगे ले जाया गया।

उड़ीसा में अनुगुन नामक स्थान पर स्टेडियम का निर्माण

6759. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या युवा कार्य और खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने अनुगुन में एक स्टेडियम के निर्माण का प्रस्ताव पेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है और उक्त निर्माण कार्य कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग). 20.63 लाख रु० के परिव्यय से अनुगुन में स्टेडियम के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव नवम्बर, 1984 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था। स्टेडियम के लिए एक लाख रु० का अनुदान वित्तीय सहायता की तत्कालीन अनुमोदित पद्धति के अनुसार स्वीकृत किया गया था, और 50,000 रु० की प्रथम किस्त मार्च, 1985 में मुक्त की गई थी।

उड़ीसा में सांस्कृतिक समारोह

6760. **डा० कृपासिन्धु भोई :** क्या संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के जिला मुख्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह मामला इस समय किस स्तर पर है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सेना की भूमिका

6761. **डा० कृपा सिंधु भोई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सेना महान भूमिका निभा रही है ;

(ख) यदि हां, क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सेना की भूमिका को कम से कम करने की वांछनीयता पर विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(घ) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). कानून और व्यवस्था बनाए रखना नागरिक प्राधिकारियों का कार्य है जो कुछ आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए सैनिक बलों की सहायता मांग सकते हैं। कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सेना की भूमिका को कम करने की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार किया गया है और इस आशय के विस्तृत निर्देश हैं कि सेना की सहायता तभी ली जाये जब पूर्ण रूप से अपरिहार्य हो।

भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की संख्या

6762. **श्रीमती फूल रेणु गुहा :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वन सेवा के संवर्ग की अधिकृत संख्या और वर्तमान अधिकारियों की संख्या में कोई अन्तर है ;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं ;

(ग) वर्तमान अधिकारियों के राज्य-वार आंकड़े क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) यह अन्तर मुख्य रूप से पदों की मंजूरी तथा उनकी भर्ती के बीच समय लग जाने से हुआ है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	1-1-85 को भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	93
2.	असम-मेघालय	57

क्रम सं०	संवर्ग का नाम	1-1-85 को भारतीय वन सेवा अधिकारियों की संख्या
3.	बिहार	94
4.	गुजरात	62
5.	हरियाणा	26
6.	हिमाचल प्रदेश	65
7.	जम्मू और कश्मीर	43
8.	कर्नाटक	98
9.	केरल	58
10.	मध्य प्रदेश	235
11.	महाराष्ट्र	116
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	30
13.	नागालैंड	14
14.	उड़ीसा	77
15.	पंजाब	25
16.	राजस्थान	62
17.	सिक्किम	12
18.	तमिलनाडु	75
19.	संघ राज्य क्षेत्र	66
20.	उत्तर प्रदेश	136
21.	पश्चिम बंगाल	69

होमगार्ड्स की संख्या

6763. **श्री विजय एन० पाटिल :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय होमगार्ड्स की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) होमगार्ड्स के लिए न्यूनतम निर्धारित प्रशिक्षण क्या हैं ;

(ग) होमगार्ड्स को क्या सुविधाएं दी जाती हैं ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने होमगार्ड्स को दिए जाने वाले वेतन और अन्य विभिन्न सुविधाओं के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश जारी किए हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री - (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) देश में होमगार्ड्स की राज्यवार वर्तमान संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) 6 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण ।

(ग) (i) मुफ्त वर्दी और धुलाई भत्ता ।

(ii) प्रशिक्षण के दौरान मुफ्त आवास/भोजन और

(iii) वीरता और विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए नकद और अन्य पुरस्कार ।

(घ) और (ङ) जी हां, श्रीमान । केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं :

(1) ड्यूटी और प्रशिक्षण भत्ते की दरें ;

(2) प्रशिक्षण/ड्यूटी के दौरान जख्मी होने/मृत्यु होने पर होमगार्डों के लिए मृत्यु एवं जख्मी लाभ ।

(3) मृतक होमगार्ड के परिवार को दाह संस्कार के लिए अनुग्रहपूर्वक अनुदान ।

(4) केन्द्र और राज्य सरकारों में ग्रुप-ग और ग्रुप-घ के कुछ पदों पर भर्ती के लिए होमगार्डों को कुछ शर्तों के साथ वरीयता ।

विवरण

होमगार्डों की बढ़ी हुई संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	बढ़ी हुई संख्या
1	2	3
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	550
2.	आन्ध्र प्रदेश	8022
3.	असम	17097
4.	बिहार	53716
5.	चंडीगढ़	1029
6.	दिल्ली	9350
7.	दादरा व नगर हवेली	—
8.	गोआ, दमण और द्वीव	375
9।	गुजरात	29619
10.	हरियाणा	12614
11.	हिमाचल प्रदेश	7868
12.	जम्मू व कश्मीर	1360
13.	कर्नाटक	15359
14.	लक्षद्वीप	—

1	2	3
15.	मध्य प्रदेश	16535
16.	महाराष्ट्र	46692
17.	मणिपुर	3086
18.	मेघालय	2535
19.	मिजोरम	589
20.	उड़ीसा	14470
21.	पांडिचेरी	318
22.	पंजाब	31450
23.	राजस्थान	18641
24.	सिक्किम	—
25.	तमिलनाडु	9551
26.	त्रिपुरा	2265
27.	उत्तर प्रदेश	98833
28.	पश्चिमी बंगाल	36993
	कुल	438917

कम्प्यूटरों और इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में भारत-नार्वे सहयोग

6764. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री अनन्त प्रसाद सेठी :

श्री मुरलीधर माने :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परमाणु विद्युत और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुपर मिनी कम्प्यूटर प्राप्त करने में असफल रही है ;

(ख) क्या नार्वे इस्तेमाल के बारे में बिना किसी शर्त के भारत को कम्प्यूटर देने को तैयार हो गया है और यह आश्वासन मांगा है कि कम्प्यूटर सम्बन्धी तकनीकी जानकारी किसी अन्य देश को आगे नहीं दी जाएगी ;

(ग) क्या सरकार के पास भारत में कम्प्यूटर के पुर्जों के निर्माण की क्षमता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सुपर मिनी-कम्प्यूटरों की बिक्री के सम्बन्ध में नार्वे और भारत के बीच कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। किन्तु, नार्वे की कम्पनी ने ऐसे सुपर मिनी कम्प्यूटरों की आपूर्ति की है। किसी तीसरे देश को तकनीकी अन्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि सरकार ने कोई तकनीकी-जानकारी नहीं प्राप्त की है।

(ग) सरकार के पास ऐसे विभिन्न किस्म के संघटक-पुर्जों के विनिर्माण की क्षमता उपलब्ध है जो वैद्युत यान्त्रिकीय इलेक्ट्रोमेकेनिकल तथा इलेक्ट्रानिक स्वरूप के हैं। किन्तु बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों तथा उच्च परिशुद्धता वाले वैद्युत यान्त्रिकीय (इलेक्ट्रोमेकेनिकल) संघटक पुर्जों का विनिर्माण इस समय भारत में नहीं किया जाता है। हमने डॉटमैट्रिक्स प्रिंटर, फ्लापी ड्राइवं, कैथोडकिरण ट्यूब (सी० आर० टी०) आदि जैसे कम गति वाले उपान्त-उपस्करों (पेरीफेरलों) का विनिर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। किन्तु डिस्क ड्राइव, लाइन प्रिंटर, चुम्बकीय टेप ड्राइव, आदि जैसे उच्च गति के उपान्त-उपस्करों का विनिर्माण कार्य अभी देश में शुरू नहीं किया गया है।

(घ) चूंकि समूचे सुपर मिनी-कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए आवश्यक तकनीकी जानकारी इस समय भारत में उपलब्ध नहीं है, अतः विदेशों से प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिस्क ड्राइव, विचेस्टर ड्राइव, चुम्बकीय टेप ड्राइव तथा लाइन प्रिंटर जैसे उच्च गति के उपान्त-उपस्करों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

तस्करों/घुसपैठियों के विरुद्ध सीमा सुरक्षा बल को मजबूत करना

6765. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का विचार तस्करों और घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई करने के लिए सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). सरकार द्वारा समय-समय पर घुसपैठ विरोधी उपायों और सीमा सुरक्षा बल की संख्या की पुनरीक्षा की जाती है। सरकार द्वारा 1983 में सीमा सुरक्षा बल की 6 अतिरिक्त बटालियनें स्वीकृत की गई थी और वे अब भारत-बंगलादेश/सीमा पर तैनात हैं। सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है। अतिरिक्त बटालियनें शामिल करके अधिक सीमा बाह्य चौकियां द्वारा स्थापित की गई हैं। अधिक निगरानी पुर्जों का निर्माण किया गया है और जमीन तथा नदी तटीय मार्गों पर गश्त गहन कर दी गई है।

गोआ, दमन और दीव के कुछ समुदायों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

6766. **श्री एडुआर्डो फलीरो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ शासित क्षेत्र गोआ, दमन और दीव के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सूची में संशोधन किया जाएगा ताकि कुछ अन्य श्रेणियों के लोगों को, इस सूची में शामिल किया जा सके जो तत्सम्बन्धी लाभ पाने के योग्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) भू० पू० संसदसदस्य श्री बी० पी० मण्डल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की गई थीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 (1) और 342 (1) के उपबन्धों के तहत विनिर्दिष्ट किया जाता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची को, गोवा, दमण और दिव संघ शासित क्षेत्र सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में संशोधित करने का प्रस्ताव है। पिछड़े वर्गों की सूची, यदि कोई, सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा रखी जाती हैं। कुछ राज्य सरकारों से टिप्पणियों की अभी प्रतीक्षा है। सभी राज्य सरकारों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने और भारत के महापंजीयक के परामर्श से संशोधित करने के बाद मामले में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूचियों में संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और (342) (2) को ध्यान में रखते हुए केवल संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है।

(ग) पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सिफारिश की गई अन्य पिछड़ी जातियों की सूची आयोग की रिपोर्ट में निहित है, जिसकी एक प्रतिलिपि पहले ही सदन के पटल पर रख दी गयी है।

एयर इण्डिया द्वारा भारत लाये गये विदेशी पर्यटक

6767. **श्री एडुआर्डो फलीरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान एयर एण्डिया द्वारा भारत में वर्ष-वार कितने विदेशी पर्यटक लाए गए ;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितने विदेशी पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है ; और

(ग) एयर इण्डिया द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई योजनाएं तैयार की गई है तो वह क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पाकिस्तान और बंगला देश के राष्ट्रिकों को छोड़कर पिछले 3 वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन निम्नलिखित था :—

वर्ष	पर्यटक आगमन
1982	960,178
1983	884,731
1984	852,503

एयर इण्डिया द्वारा आने वाले विदेशी पर्यटकों के ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1985 के दौरान एक मिलियन पर्यटकों के भारत आने की सम्भावना है।

(ग) पर्यटन के संवर्धन हेतु एयर-इंडिया पर्यटन विभाग के निकट सहयोग से कार्य करता है। संवर्धनात्मक कार्यकलापों में ये शामिल हैं—यात्रा लेखकों, पत्रकारों, दूरदर्शन-दलों और मीडिया-प्रतिनिधियों को भारत की यात्रा करने के लिए आमंत्रित करना, समागम पर्यटक का संवर्धन, उन पर्यटकों को जो कि भारत होते हुए हवाई यात्रा करते हैं, आकर्षित करने के लिए स्टॉप-ओवर यात्राओं का प्रारम्भ, यात्रा अभिकर्ताओं और अन्य व्यवसाय प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत पर

सेमिनार आयोजित करना आदि। फेडरेशन आफ इंटरनेशनल यूथ ट्रेवल आर्गेनाइजेशन अक्तूबर, 1985 में भारत में बैठक करेगी, जिससे भारत अभिमुखी युवा-यात्रा को बढ़ावा मिलेगा।

एशियाटिक सोसाइटी को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव

6768. **श्री के० राममूर्ति :** क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाटिक सोसाइटी को राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं ; और

(ग) क्या "एशियाटिक सोसाइटी" इन मानदण्डों को पूरा करती है अथवा नहीं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एशियाटिक सोसाइटी को एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का इस समय सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की विधवाओं को सात वर्ष के पश्चात् कम पेंशन दिया जाना

6769. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विधवा पेंशन के भुगतान की योजना के अन्तर्गत विधवा की पेंशन सात वर्ष के बाद काफी कम हो जाती है ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान की वर्तमान दर क्या है और प्रत्येक श्रेणी में कितनी कमी हो जाती है ;

(ग) क्या रुपये के वास्तविक मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि कम से कम उसमें कमी न हों ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी सिंह देव) : (क) और (ख). सरकारी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाने पर अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाने पर यदि वह मासिक पेंशन प्राप्त कर रहा हो तो उसके कुटुंब को कुटुंब पेंशन देय हो जाती है। कुटुंब पेंशन का आधार सरकारी कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु की तारीख को अथवा उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख को, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा लिए जाने वाला वेतन होता है तथा कुटुंब पेंशन निम्नलिखित दर पर अनुज्ञेय होती है :—

वेतन रेंज	वेतन का प्रतिशत	मासिक कुटुंब पेंशन	
		न्यूनतम	अधिकतम
		रुपये	रुपये
रु० 400/- से कम	30	60	100
रु० 400/- तथा उससे ऊपर किन्तु रु० 1200/- से कम	15	100	160
रु० 1200/- तथा इससे ऊपर	12	160	250

फिर भी, शोकसंतप्त परिवार की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात् विशिष्ट अवधि के लिए उच्चतर दर पर कुटुंब पेंशन की अनुमति दी है। यदि पेंशनभोगी की मृत्यु 65 वर्ष की आयु का हो जाने के पश्चात् होती है अथवा यदि उसकी मृत्यु उससे पहले हो गई हो तो उक्त सांकेतिक आयु का हो जाने के बाद अथवा यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु उसकी सेवावधि के दौरान हो गई हो तो सात वर्षों के बाद पेंशन की उच्चतर दर अनुज्ञेय नहीं होगी।

ये दरें निम्न प्रकार हैं :—

(क) सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाने के मामले में

कुटुंब पेंशन की सामान्य दर की राशि से दुगुनी (यदि उसे कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन प्रतिपूर्ति भी प्रदान की जाती है तो कुटुंब पेंशन की सामान्य दर का डेढ़ गुना)

अथवा

अन्तिम वेतन का पचास प्रतिशत, इनमें जो भी कम हो।

(ख) सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु हो जाने के मामले में

कुटुंब पेंशन की सामान्य दर की राशि की दुगुनी

अथवा

सेवानिवृत्ति के समय लिए गए "वेतन" का पचास प्रतिशत

अथवा

उसकी सेवानिवृत्ति पर उसे प्राधिकृत पेंशन की राशि, इनमें जो भी न्यूनतम हो।

(ग) तथा (घ). जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार, कुटुंब पेंशन भोगियों को भी समय-समय पर पेंशन पर महंगाई राहत की मंजूरी देती रही है।

दिल्ली में ऊर्जा उद्यानों की स्थापना

6770. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में ऊर्जा उद्यान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या ऐसे उद्यान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रोनिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग). केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के सभी पांच ब्लाकों में ऊर्जा उद्यान बनाने की योजना बनाई है। प्रदर्शन और जागरूकता लाने के लिए सौर जल तापन प्रणालियां, सौर प्रकाश वोल्टीय प्रणालियां, बायोगैस संयंत्र, पवन चक्कियां आदि जैसी अपारंपरिक ऊर्जा युक्तियों की प्रणालियों की स्थापना की जाएगी। चार उद्यानों के लिए भूमि का पहले ही अधिग्रहण किया जा चुका है। और इस पर बाड़ का कार्य दिल्ली प्रशासन के दिल्ली ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है।

कलकत्ता और बलूरघाट के बीच वायुदूत सेवा

6771. **श्री पलास बर्मन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता और बलूरघाट के बीच वायुदूत सेवा शुरू करने का कोई विचार है; और

(ख) क्या इस दडे बलूरघाट हवाई अड्डे, जिसे बहुत पहले छोड़ दिया गया था, का प्रयोग करने का कोई विचार है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). वायुदूत के विस्तार की योजनाओं की पहली प्रावस्था में बलूरघाट (पश्चिमी दिनाजपुर) को विमान सेवा से जोड़े जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि वायुदूत को इस स्टेशन का यातायात सर्वेक्षण करने को कहा गया है। तथा बलूरघाट की सेवा आरम्भ किए जाने पर वायुदूत के विस्तार के बाद की प्रावस्था में इस बात के अधीन विचार किया जाएगा कि प्रचालन आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम/व्यवहार्य हो, आधार संरचना का विकास हो जाए और उपयुक्त विमान क्षमता उपलब्ध हो जाए।

वन विभाग के कर्मचारियों को प्रोत्साहन

6772. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन विभाग के कर्मचारियों को वन नियमों का उल्लंघन करने वाले दोषियों को पकड़ने और उन्हें सजा दिलाने के लिए राज्य-वार क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वन विभाग के कर्मचारियों को जब्त किए गए वन उत्पाद के 5 और 10 प्रतिशत के बराबर की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सभी राज्यों में एक समान प्रोत्साहन दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों को अधिनियम के तहत आर्थिक दण्ड और जब्ती रकम में से अधिकारियों और दोष लगाने वालों को देय पुरस्कार विनियमित करने का अधिकार प्राप्त हैं।

(ख) से (घ). केन्द्रीय वानिकी बोर्ड ने 1 मार्च, 1984 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की कि वन नियमों का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने और सफल अभियोजन के लिए वन कार्मिकों

को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। यह प्रोत्साहन नकद पुरस्कार या वेतनवृद्धि मंजूर करके, त्वरित प्रोन्नति आदि के रूप में दिया जा सकता है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्य सरकारों ने जब्त की गई सामग्री के मूल्य का 10 प्रतिशत पुरस्कार में देने का निर्णय लिए है, बशर्ते कि अधिकतम राशि क्रमशः 1000 रुपए और 4000 रुपए से अधिक न हो। अन्य राज्य सरकारों ने अब तक अपने निर्णय की सूचना नहीं दी है।

लुप्त हुए शहरों की खोज के लिए सघन अनुसंधान

6773. **प्रो० पी० जे० कुरियन :**

श्री हरिहर सोरन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना चलाई है जिनके अन्तर्गत लुप्त हुए शहरों की खोज के लिए हिन्द महासागर के पूर्वी और पश्चिम तट तथा बंगाल की खाड़ी में सघन खोज-कार्य शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो लुप्त हुए शहर कौन-कौन से हैं जिनके लिए अभियान चलाया गया है ;

(ग) इस कार्यक्रम पर कब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(घ) इस खोज में क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने अक्तूबर, 1984 में तीन वर्ष की अवधि के लिए 11.27 लाख रुपए की कुल लागत पर "मैरिन आर्चिपोलोजीकल स्टडीज इन इण्डियन वाट्रस" (भारतीय समुद्र में पुरातत्विक अध्ययन) शीर्ष से एक अनुसंधान परियोजना को मंजूरी दी है जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा ने हाथ में लिया है। इस परियोजना में लगे वैज्ञानिक द्वरका में जल प्लावित बन्दगाहों का सर्वेक्षण और पानी के नीचे खुदाई, गोवा और कावेरीपट्टनम में ध्वस्त जलयानों के अन्वेषण और पानी के नीचे फोटोग्राफी इत्यादि के साथ-साथ लक्ष्यद्वीप में गहरे समुद्र में ध्वस्त जलयानों के अन्वेषण को हाथ में लेना शामिल है। एकत्रित किए गए आंकड़ों का प्रकाशन के लिए विश्लेषण व प्रलेखीकरण किया जाएगा। इस कार्य से प्राचीन तटवर्ती बन्दरगाहों और नगरों के बारे में हमारी जानकारी में योगदान होगा।

(ग) अक्तूबर, 1984 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने परियोजना को मंजूरी दे दी थी और 1984-85 के लिए पहली किस्त के रूप में 5.76 लाख रुपयों की राशि निर्मुक्त की गई है।

(घ) इस परियोजना की प्रगति के बारे में इतना शीघ्र बताना कठिन होगा।

एयर इण्डिया की त्रिवेन्द्रम और कोचीन से चलने वाली विमान सेवाओं में मलयालम समाचार पत्रों की व्यवस्था

6774. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मलयालम जानने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एयर इण्डिया की त्रिवेन्द्रम और कोचीन से चलने वाली विमान सेवाओं में मलयालम समाचार-पत्र उपलब्ध कराने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : एयर इंडिया कोचीन से प्रचालित नहीं करती है। तथापि, त्रिवेन्द्रम तथा खाड़ी के देशों के बीच की उड़ानों में

विमानों में निम्नलिखित मलायालम प्रकाशन रखे जाते हैं :—

(1) मलयाला मनोरमा

(2) मातृ भूमि

(3) केरल कौमुदी

राजस्थान के बाड़मेर जिले में केराडु मन्दिर को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करना

6775. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "केराडु" मन्दिर (बाड़मेर) जिला, राजस्थान को पर्यटक केन्द्र के रूप में अपनाये जाने और उसका विकास करने सम्बन्धी योजना क्या है ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ). विभाग को, राजस्थान के बाड़मेर जिले में केराडु मन्दिर के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राज्य सरकार, केराडु मन्दिरों को एक पर्यटक अभिरुचि के स्थान के रूप में विकसित करने के लिए कार्रवाई कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र के निकायों में चुने गए भारतीय

6776. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र निकायों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की संख्या और मानदण्ड क्या हैं जिनमें 1984-85 के लिए भारत को चुना गया ;

(ख) इन निकायों के कृत्य क्या हैं ; और

(ग) उन सभी निकायों में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1984-85 के दौरान भारत निम्नलिखित 13 संयुक्त राष्ट्र निकायों में चुना गया :

1. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद;

2. सांख्यिकीय आयोग;

3. मानव बन्दोबस्त आयोग;

4. पराराष्ट्रीय निगम आयोग;

5. प्राकृतिक संसाधन समिति;

6. यूनीसेफ कार्यकारी बोर्ड;

7. महिला स्थिति आयोग;

8. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण योजना की शासी परिषद;

9. अन्तर्राष्ट्रीय सिविल सेवा आयोग;

10. भेदभाव की रोकथाम और अल्पसंख्यकों का संरक्षण सम्बन्धी उप-आयोग;

11. जातीय भेदभाव के सभी रूपों का उन्मूलन सम्बन्धी समिति;

12. विश्व डाक संघ की कार्यकारी परिषद;

13. विश्व डाक संघ की डाक अध्ययन सम्बन्धी परामर्शी परिषद।

(ख) संयुक्त राष्ट्र को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में निम्नलिखित लक्ष्यों में संवर्धित करने के इसके विशेष अधिकार का कार्यभार दिया गया है,

I. रहन-सहन का उच्चतर स्तर, पूर्ण रोजगार और आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति एवं विकास की शर्तें;

II. अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य एवं सम्बद्ध समस्याओं का समाधान और अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एवं शैक्षिक सहयोग, और

III. मानवाधिकार और मौलिक स्वतन्त्राओं के पालन का विश्व में सम्मान।

विभिन्न सहायक निकायों, कार्यात्मक आयोगों और विशिष्टता प्राप्त अन्तर-सरकारी संगठनों को इनके अपने विशिष्ट कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध कार्य सौंपे गए हैं।

(ग) भारत ने अपनी राष्ट्रीय नीति और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों तथा गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति व्यापक वचनबद्धता के अनुरूप इन निकायों के विचार-विमर्शों में सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम स्थिति होटल को लाभ

6777. **श्री टी० बशीर :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम स्थित होटल को कितना लाभ हुआ है और उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान होटल में कमरे बुक रहने की दर क्या रही और उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान नवीकरण/मरम्मत आदि पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रबन्धकों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) होटल के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित करने के लिए उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ङ). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रूम ओकुपेन्सी की प्रतिशतता, नवीकरण तथा मरम्मत पर खर्च की गई राशि, प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या, प्रबन्ध को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उठाए गए कदम

वर्ष	निवल लाभ/हानि	रूम ओकूपैन्सी की प्रतिशतता	नवीकरण तथा मरम्मत और रख-रखाव पर खर्च की गई राशि	प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या
			(लाख रुपयों में)	
1982-83	(—) 10.34	42	3.93	43
1983-84	1.35	40	2.96	23
1984-85	4.33	43	4.29	19

होटल के प्रबन्ध को सुव्यवस्थित बनाना एक सतत प्रक्रिया है। टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने के लिए कड़े नियन्त्रण लागू करने के परिणामस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम के कोवलम स्थित होटल ने 1983-84 से लाभ कमाना प्रारम्भ कर दिया है।

फूलबानी जिले में कुटिया कंधा विकास कार्यक्रम

6778. श्री राधा कान्त डिगाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में फूलबानी जिले में कुटिया कंधा विकास कार्यक्रम किस वर्ष से आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार के कार्यक्रम उड़ीसा के अन्य भागों में भी कार्यान्वित किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इनका प्रयोजन क्या है और यह कार्यक्रम कब आरम्भ किए गए हैं ; और

(घ) उन जिलों में अब तक उपर्युक्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कुटिया कोंध विकास एजेंसी बेलघर फूलबनी जिला पांचवीं योजना अवधि के दौरान आरम्भ की गई थी।

(ख) और (ग). उड़ीसा में अभिज्ञात आदिवासी वर्गों के समग्र विकास के लिए पांचवीं और छठी योजना के दौरान बारह प्राचीन आदिवासी वर्गों नामतः डोंगरिया-खोंड, लंजिया-सौरा, लोधा, पौड़ी भुयान, बीरहोर, बोंडो, दिदाई, जौंग, खारिया, कुटिया कौंध, मनकिदिया, सोरा के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं।

(घ) इन कार्यक्रमों में लगभग 36,000 आदिवासी परिवार आते हैं।

उड़ीसा में यात्रिकाओं की स्थापना

6779. **श्री हरिहर सोरन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम ने देश में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों पर "यात्रिकायें" बनाने के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में अब तक कितनी "यात्रिकायें" बनाई गई हैं ;

(ग) देश के अन्य कौन से तीर्थ स्थलों पर अब तक "यात्रिका" बनाई गई हैं ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). भारत सरकार ने धर्मशालाओं/सरायों/मुसाफिरखानों के निर्माण के लिए भारतीय यात्री आवास विकास समिति नामक एक पंजीकृत सोसाइटी की स्थापना की है। समिति ने उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक यात्रिका के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया है। अभी तक मध्य प्रदेश में अमरकंटक और चित्रकूट में दो धर्मशालाएं चालू की जा चुकी हैं और वृन्दावन, कम्पिल, कराऐंकल, विदार और पुरी में पांच धर्मशालाएं निर्माणाधीन हैं।

[हिन्दी]

बिहार में पर्यटक यातायात

6780. **प्रो० चन्द्रभानु देवी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में प्राकृतिक सौंदर्य के अनेक स्थल होने के बावजूद वहां पर्यटकों के यातायात में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है ;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान बिहार में पर्यटक यातायात को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार का विचार कुछ विशेष कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार, भारत की यात्रा करने वाले लगभग 3.29 प्रतिशत विदेशी पर्यटकों ने बिहार में कम-से-कम एक रात्रि व्यतीत की।

(ख) और (ग). केन्द्रीय सरकार ने बिहार में पर्यटन आधार-संरचना के विकास के लिए बहुत सी स्कीमें शुरू की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं : बोधगया में एक ध्यानास्थल पार्क का निर्माण तथा यात्री-गृह का विस्तार, बेतला में एक वन-गृह का निर्माण, बक्सर में ध्वनि-व-प्रकाश प्रदर्शन की व्यवस्था, राजगीर, नालंदा और वैशाली में कैफेटेरिया का निर्माण तथा हजारीबाग में एक पर्यटक-कोच की व्यवस्था।

[अनुवाद]

एयर इण्डिया, बम्बई द्वारा चार्टर्ड एकाउटेंटों के पदों का भरना

6781. **श्री राम समुझावन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया, बम्बई ने कुछ समय पूर्व चार्टर्ड एकाउटेंटों के पदों के लिए विज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) क्या अर्हतायें और अनुभव अवधि निर्धारित की गई थी और कितने पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था क्या उनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों के संख्या कितनी थी ; और

(घ) इन पदों के लिए वास्तविक चयन कब किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). एयर इंडिया ने सहायक लेखा अधिकारी के पदों के लिए आवेदन मंगवाने के लिए दो बार विज्ञापन दिए थे। पहली बार विज्ञापन नवम्बर/दिसम्बर, 1983 में प्रकाशित हुआ था और दूसरी बार विज्ञापन फरवरी/मार्च, 1985 में प्रकाशित हुआ था जो केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए था। दूसरे विज्ञापन में यह आवश्यकता रखी गई थी कि सामान्य उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते थे परन्तु उनके सम्बन्ध में केवल तभी विचार किया जाएगा यदि कोई उपयुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे।

(ग) उक्त पद के लिए निर्धारित की गई अर्हताएं थीं चार्टर्ड एकाउटेंट की उपाधि और उसके साथ अतिरिक्त अर्हता के रूप में एम० बी० ए०, चार्टर्ड एकाउटेंट की अर्हता के साथ कम से कम दो वर्ष का अनुभव तथा बड़े वाणिज्यिक उद्यम में लेखा/लेखा-परीक्षा कार्य का अनुभव निर्धारित किया गया था। अनुभव की अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में छूट दी जा सकती थी। यह भी व्यवस्था रखी गई थी कि सामान्य उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सुयोग्य उम्मीदवारों के मामलों में अनुभव की आवश्यकता में छूट दी जा सकती थी। नवम्बर/दिसम्बर, 1983 के विज्ञापन में दी गई खाली जगहों की संख्या 12 थी जिसमें से 5 जगह अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित थी और 2 जगहें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थीं। फरवरी/मार्च, 1984 में जारी किए गए दूसरे विज्ञापन में 7 खाली जगहें बताई गयी थीं जिनमें से 5 जगहें अनुसूचित जातियों के लिए रखी गई थीं और 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए रखी गई थीं।

(घ) इन पदों के लिए इन्टरव्यू मार्च, 1984 से जून, 1984 के बीच की अवधि में किए गए थे और अन्तिम चयन जुलाई, 1984 में पूरा हो गया था।

निर्गुट शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन के दौरान नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करना

6782. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुए निर्गुट शिखर सम्मेलन के दौरान कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन के लिए कितने तकनीकी अधिकारी और

चतुर्थ श्रेणी (मैसेंजर आदि) कर्मचारी नियुक्त किए गए थे ;

(ग) क्या इन सभी अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को खपा लिया गया है अथवा उनकी सेवाएं नियमित कर दी गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो कितने व्यक्ति विशेषकर मैसेंजर नियमित किए गए हैं अथवा अभी भी ठेके के आधार पर कार्य कर रहे हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों की सेवा को भारत पर्यटन विकास निगम में नियमित करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन के लिए कुल 362 व्यक्तियों को अस्थायी आधार पर नियोजित किया गया था जिनमें से 31 व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी के थे (मैसेंजर्ज आदि)।

(ग) जी, नहीं। सम्मेलन-कार्य के लिए शुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर नियोजित नैमित्तिक स्टाफ को कार्य पूरा हो जाने के बाद कार्यभार-मुक्त कर दिया गया था।

(घ) ऊपर (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन से सम्बन्धित कार्यभार को पूरा करने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम ने राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन परियोजना के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्ति-आधार पर और 187 अतिरिक्त व्यक्तियों को शुद्ध रूप से दैनिक मजदूरी/ठेके के आधार पर रखा था। जबकि प्रतिनियुक्ति-आधार पर नियुक्त व्यक्ति की सेवाओं का अन्य परियोजनाओं के लिए भारत पर्यटन विकास निगम अभी भी उपयोग कर रहा है, शुद्ध रूप से अस्थायी आधार पर नियोजित नैमित्तिक स्टाफ को सम्मेलन सम्बन्धी कार्य पूरा होने के बाद भी भार-मुक्त कर दिया गया था।

वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में नीति आयोजना समिति

6783. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में नीति आयोजना समिति गठित की थी ; और

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गयी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) सिफारिशें परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों, उत्सर्जन मानकों तथा वायु प्रदूषण नियन्त्रण पर प्रशिक्षण सुविधाओं को मजबूत करने से सम्बन्धित हैं।

(ग) सरकार द्वारा की गई कार्यवाही में शामिल हैं :—

(i) स्टैक, उत्सर्जन मानक तैयार किये गये हैं तथा जुलाई 1984 से अधिसूचित किये गये हैं।

(ii) परिवेशी वायु गुणवत्तर मानक तैयार किए गये हैं।

(iii) वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गये हैं।

(iv) राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन तन्त्र परिचालित किया गया है ; तथा

(v) वायु प्रदूषण नियंत्रण में स्नोतकोत्तर तकनीकी प्रशिक्षण के लिये केन्द्रीय बोर्ड द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्वीकार कर लिया है ।

वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण उपस्करों की खरीद पर किया जाने वाला पूंजी परिव्यय

6784. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान वायु और जल प्रदूषण पर नियन्त्रण उपस्करों की खरीद पर कितना पूंजी परिव्यय होने का अनुमान है :

(1) इस्पात (2) ताप विद्युत उत्पादन (3) उर्वरक संयंत्र (4) कागज (5) सीमेंट (6) तेल शोधन और (7) पैट्रोरसायन ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : वायु व जल प्रदूषण नियन्त्रण उपकरणों पर निवेश का उत्तरदायित्व विशिष्ट उद्योगों पर है, जो सरकारी व निजी दोनों क्षेत्रों के हैं। इसलिए पूंजी परिव्यय के आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

परिस्थितिकी की क्षति रोकने के लिए वनरोपण कार्यक्रम

6785. **श्री सनत कुमार मण्डल : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार परिस्थितिकी की क्षति रोकने के लिए एक व्यापक वनरोपण कार्यक्रम आरम्भ करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मोटी रूपरेखा क्या है और पश्चिम बंगाल में इसके अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्रों को सम्मिलित किया जायेगा ;

(ग) क्या वनों पर दबाव कम करने के विशेषता वैकल्पिक सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करके, उपाय तय करने के लिए एक गहन अध्ययन भी किया जा रहा था यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या वन भूमि का मनमाने ढंग से वनों से भिन्न उपयोग किया जाना रोकने के लिए विद्यमान विधान में संशोधन करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां ।

(ख) ईंधन और चारा पौध रोपण के तहत हर साल 50 लाख हैक्टार भूमि लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय अकृष्य भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। पश्चिम बंगाल में इसके तहत कौन से क्षेत्र लाए जायेंगे उनका अभी पता लगाया जाना है ।

(ग) प्रस्ताव है कि ईंधन, कागज बनाने सहित औद्योगिक प्रयोगों, रेलवे स्लीपरों, खनन, विनिर्माण आदि जैसे उपयोग के मुख्य क्षेत्रों में काष्ठ सामग्री के वैकल्पिक प्रयोग द्वारा वनों का दबाव कम करने के लिए अध्ययन किए जायें । वैकल्पिक सामग्री के प्रयोग को प्रोत्साहित करने और लुगदी आदि के आयात को बढ़ाने के लिए वित्तीय उपायों की समीक्षा की जा रही है ।

(घ) वन भूमि के गैर-वन के प्रयोजनों के लिए अन्धाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) बनाया गया है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के विदेशों के दौरे

6786. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में उपाध्यक्षों और वरिष्ठ उपाध्यक्षों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने उपाध्यक्ष/वरिष्ठ उपाध्यक्ष गत दो वर्षों के दौरान विदेशों का दौरा करते रहे हैं, उनके नाम क्या हैं और उनके इन दौरों का क्या प्रयोजन था व उनसे क्या उपलब्धि हुई तथा उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विदेशी दौरों का आयोजन किस आधार पर किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम मुख्यालय में वरिष्ठ उपाध्यक्षों और उपाध्यक्षों की कुल संख्या क्रमशः 2 और 15 है।

(ख) और (ग). सूचना संलग्न विवरण (पृष्ठ 167—175) में दी गई है।

बम्बई में एक और हवाई अड्डे का निर्माण

6787. **श्री गुरुदास कामत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में एक और हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो बम्बई हवाई अड्डे पर विमानों की भीड़ कम करने तथा विमानों को सुरक्षित रूप से उड़ने और उतरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बम्बई विमान क्षेत्र पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इसकी अंतस्थ सुविधाओं में प्रावस्थाबद्ध रूप में विस्तार किया जा रहा है। वर्ष में 25 लाख यात्रियों की व्यवस्था करने की क्षमता वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्री परिसर की पहली प्रावस्था चालू की जा चुकी है और उसी क्षमता की दूसरी प्रावस्था के 1985 के अंत तक चालू हो जाने की संभावना है। तीसरी प्रावस्था के विकास का कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना में करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त, बम्बई विमान क्षेत्र पर भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से, सरकार का सीमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की व्यवस्था करने के लिए कुछ अंतर्देशीय विमान क्षेत्रों का विकास करने का भी प्रस्ताव है।

विमानों के सुरक्षित उड़ान भरने और उतरने की दृष्टि से, अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन द्वारा सिफारिश की गई मार्ग निर्देशन सुविधाओं की बम्बई विमान क्षेत्र पर व्यवस्था की गई है।

विवरण

पिछले दो वर्षों 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ उपाध्यक्षों/उपाध्यक्षों द्वारा किए गए विदेशी दौरे, दौरों का उद्देश्य, दौरों पर हुए खर्च का ब्यौरा आदि

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम व पदनाम	दौरे का स्थान व तारीख	दौरे का उद्देश्य	विदेशी भत्ता	हवाई जहाज का किराया	कुल
1	2	3	4	5	6	7
					रुपये	रुपए
(क)	मार्केटिंग/संवर्द्धनात्मक/व्यावसायिक दौरे					
	सर्वश्री					
1.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, बम्बई, कुआलालम्पुर, बैंकाक बम्बई, दिल्ली 2-4-83 से 6-4-83	कुआलालम्पुर में भारतीय खाद्य व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन	अमरीकी डालर 625 6337.50 रु०	7808	14145.50
2.	ब्रिगेडियर जी एस साहनी उपाध्यक्ष (एम० एम० एण्ड डी०)	दिल्ली, बम्बई, सिंगापुर, बम्बई, दुबई, बम्बई, दिल्ली 22-6-83 से 28-6-83	अतिरिक्त पूर्तिकर्त्ताओं का पता लगाना	अमरीकी डालर 975 9906.71 रु०	14516	24422.71

1	2	3	4	5	6	7
3.	आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, बैंकाक, दिल्ली 7-10-83 से 11-10-83	रोम टॉवर्स होटल के प्रबन्ध/प्रचालन का कार्य अपने हाथ में लेने के सम्बन्ध में वार्ता	अमरीकी डालर 375 3900 रु०	5384	9284
4.	पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, पैरिस, अल्जीरिया, एथेंस, रोम, दिल्ली, 6-11-83 से 12-11-83	एयरपोर्ट होटल, अलजीरिया के प्रबन्ध सेकार्य के लिए मैसर्स एनेमा को प्रबन्धकीय प्रस्ताव देना	अमरीकी डालर 900 9356 रु०	16649	26005
5.	आर० एस० जौली वरिष्ठ (होटल)	दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, माले त्रिवेन्द्रम, दिल्ली 12-2-84 से 17-2-84	विदेश मन्त्रालय के आई० टी० ई० एस० कार्यक्रम के अन्तर्गत मालद्वीव सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में मांगी गई सहायता का निर्धारण करना	अमरीकी डालर 1400 14872 रु०	एयरइण्डिया द्वारा मानार्थ	14872
6.	अरुण क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (ए० टी० ग्री०)	दिल्ली, बम्बई, लन्दन, न्यूयार्क, शिकागो, सेनफ्रांसिस्को लॉसएजेंल्स, न्यूयार्क, दिल्ली	1984 के लिए अशोक ट्रैवल्स एण्ड टुअर्स की अन्तर्राष्ट्रीय मार्केटिंग योजना	अमरीकी डालर 3225 34980.50 रु०	25352	60332.50

	28-1-84 से 20-2-84 4 दिन आकस्मिक छुट्टी शामिल हैं				
7. आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली 2-3-84 से 11-3-84	आई० टी० बी० बर्लिन मेले में भाग लेने के लिए	अमरीकी डालर 1725 10566.25 रु०	19878	3044.25
		1984-85			
संवर्धनात्मक/मार्केटिंग/व्यावसायिक दौरे					
सर्वश्री					
8. आर० एस० जौली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली-फ्रैंकफर्ट (हैनोवर) दिल्ली 3-4-84 से 14-4-84	हैनोवर व्यापार मेले में भाग लेना	अमरीकी डालर 700	1508	9089
9. आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली-न्यूयार्क, शिकागो, लॉसएजेंल्स, सैनफ्रांसिस्को, सिडनी, पर्थ, सिंगापुर, दिल्ली 26-8-84 से 16-9-84	निगम की परिसम्पत्तियों के बिक्री संवर्द्धन के लिए	अमरीकी डालर 3450 40135 रु०	36725	76860
10. आर० एस० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, बम्बई, कुवैत, बेहरीन, दुबई, दिल्ली, 20-11-84 से	खाद्य व सांस्कृतिक समारोह के सम्बन्ध में	अमरीकी डालर 1050 12865 रु०	723 पर्यटन विभाग ने मानार्थ अनिवार्य	13588

1	2	3	4	5	6	7
		27-11-84			यात्रा की व्यवस्था की है।	
11.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली, कुवैत, बेहरीन, दुबई, दिल्ली, 10-12-84 से 17-12-84	संवर्धनात्मक दौरा	अमरीकी डालर 1450 17622.40 रु०	1599 पर्यटन विभाग ने सैक्टर के लिए मानार्थ अनिवार्य यात्रा की व्यवस्था की है।	19221.40
12.	श्रीमती रंजना खन्ना उपाध्यक्ष (होटल बिक्री)	दिल्ली, रोम, मिलान, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, मिलान, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली 19-1-85 से 8-2-85	मिलान, पेरिस व फ्रैंकफर्ट में हुए इण्डिया ट्रैवल मार्ट में भाग लेने के लिए	अमरीकी डालर 2425 27225 रु०	16628	43853
13.	आर० के० पुरी उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली, रोम, मेड्रिड, एमस्टर्डम और पेरिस दिल्ली, 3-2-85 से 13-2-85	स्पेन में फितूर 85 सम्मेलन में भाग लेने तथा एमस्टर्डम में गोल्डन तुलिप के साथ प्रस्तावित मार्केटिंग व आरक्षण करार के लिए	अमरीकी डालर 2000 25600 रु०	16878	42478

14. एम० एन० गुप्ता उपाध्यक्ष (ए० टी० टी०)	दिल्ली, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, दिल्ली 27-2-85 से 10-3-85	आई० टी०बी०बर्लिन मेला 1985 में भाग लेने के लिए	अमरीकी डालर 2225 26700 रु०	16628	43328
15. श्रीमती रंजना खन्ना उपाध्यक्ष (होटल बिक्री)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 2100 25200 रु०	16628	41828
16. एम० एन० गुप्ता उपाध्यक्ष (ए० टी० टी०)	दिल्ली, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, करांची, बंबई, दिल्ली, 18-3-85 से 22-3-85	पारस्परिक आधार पर पाकिस्तान के साथ ग्रुप टूर का निरीक्षण व उसे अन्तिम रूप देने के लिए	अमरीकी डालर 600 7500 रु०	4264	11764
17. आर० एल० जौली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, न्यूयार्क, वाशिंगटन, न्यूयार्क, दिल्ली 27-3-85 से 7-4-85	अमरीका में होने वाले भारतीय मेले के सम्बन्ध में प्रारम्भिक व्यवस्था करने के लिए	अमरीकी डालर 1750 22735 रु०	2712 पर्यटन विभाग ने दिल्ली, न्यूयार्क, दिल्ली सेक्टर के लिए हवाई जहाज की टिकटें प्रदान कीं।	25447
18. अनिल भण्डारी उपाध्यक्ष (प्रचालन उत्तर)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 1750 23735 रु०	2712 —वही—	25447

1	2	3	4	5	6	7
(ख) अनिवार्य दौरे/विश्व संस्थाओं में निगम का प्रतिनिधित्व						
19.	जी० बी० दे० उपाध्यक्ष (मार्केटिंग)	दिल्ली, बम्बई, सिंगापुर, पर्थ, मेलबॉर्न, सिडनी, टोकियो, ओसाका, हांग-कांग दिल्ली, 12-5-83 से 4-6-83	टाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए तथा संवर्द्धनात्मक दौरा	अमरीकी डालर 3125 31750 रु०	28580	60330
20.	ओ० एन० वर्मा उपाध्यक्ष (कार्मिक)	दिल्ली, जेनेवा, दिल्ली, 4-12-83 से 17-12-83	होटल रेस्टोरेन्ट और समान स्थापनाओं के लिए तीसरी त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक में भाग लेना।	अमरीकी डालर 600 6390 रु०	हवाई जहाज की टिकट अन्तर-राष्ट्रीय श्रम संग-ठन द्वारा दी गई	6390
(ग) प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे						
21.	आर० एस० औली वरिष्ठ उपाध्यक्ष (होटल)	दिल्ली, न्यूयार्क, इथोका न्यूयार्क, लंदन, दिल्ली 11-12-83 से 17-12-83	ई० डी० पी० के अन्तर्गत होटल प्रबंध पर एक सेमिनार का आयोजन करने के लिए	अमरीकी डालर 900 9491 रु०	930 इथोका, न्यूयार्क सेक्टर के लिए अन्य सेक्टर अनि-वार्य थे।	10421
(घ) परामर्शी/संविदागत कार्य दौरे						
22.	ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी	दिल्ली, फ्रैंकफूर्ट, कॉपन-	डोकन व मोसूल	अमरीकी डालर	22289	46014

उपाध्यक्ष (एम०एम०एण्ड डी०)	हेगन, हैमबर्ग, फ्रैंकफर्ट, वेनिस-रोम, बगदाद, दिल्ली, 10-8-83 से 26-8-83	होटल परियोजनाओं के लिए किचन तथा लाण्डी उपकरणों, आंतरिक सज्जा और सामग्री के विभिन्न पूर्तिकर्त्ताओं से वार्ता करने के लिए।	2300 23735 रु०		
23. एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 2200 22718 रु०	16879	39597
24. पी० बी० माथुर उपाध्यक्ष (प्रचालन-उत्तर)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 2300 23725 रु०	16879	40604
25. एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	दिल्ली, बगदाद, बेहरीन, दिल्ली, 4-3-84 से 12-3-84	डाकेन व मोसूल होटल परियोजनाओं की प्रगति का पता लगाने तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम व स्टेट आरगना-इजेशन फॉर टूरिज्म (साफ्ट)के साथ विभिन्न तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए	अमरीकी डालर 1050 11337 रु०	8658	19995

1	2	3	4	5	6	7
26.	एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	दिल्ली, बम्बई, बेहरीन बम्बई, दिल्ली 30-10-83 से 6-11-83	डाकेन व मोसूल परियोजनाओं के सम्बन्ध में साख-पत्र खोलने के लिए	अमरीकी डालर 450 4702 रु०	6844	11546
27.	पी० वी० माथुर उपाध्यक्ष (प्रचालन-उत्तर)	दिल्ली, रोम, वेनिस, रोम, दिल्ली 29-2-84 से 5-3-84	मोसूल व डाकेन में होटल परियोजनाओं के लिए किचन उपकरणों का निरीक्षण	अमरीकी डालर 875 9501 रु०	14464	23965
28.	ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (पी० एण्ड पी०)	दिल्ली, बगदाद, बेहरीन, दिल्ली, 4-3-84 से 12-3-84	डोकन व मोसूल होटल परियोजनाओं की प्रगति का पता लगाने तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम व स्टेट आरगनाइजेशन फॉर टूरिज्म (साफ्ट) के साथ विभिन्न तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए	अमरीकी डालर 1050 11337 रु०	8658	19995
29.	एम० एस० एन० अय्यंगर उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 1050 11337 रु०	8658	19995

30. एन० एन० क्षेत्रपाल उपाध्यक्ष (वित्त)	दिल्ली, बगदाद, बेहरीन, दिल्ली, 13-9-84 से 24-9-84	मोसूल व डोकन परियोजनाओं का निरीक्षण	अमरीकी डालर 950 11356.50 रु०	9999	20014
31. एम० एस० एन० अय्यंगर उपाध्यक्ष (इंजीनियरिंग)	दिल्ली, बगदाद, बम्बई दिल्ली, 13-9-84 से 23-9-84	—वही—	अमरीकी डालर 375 4481 रु०	8658	13139
32. ब्रिगेडियर जी० एस० साहनी उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग)	दिल्ली, बम्बई, सिंगापुर, हांगकांग, बम्बई, दिल्ली, 10-1-85 से 17-1-85	ईराक में मोसूल व डोकन परियोजनाओं के लिए फर्नीचर व फर्नीशिंग सामग्री का निरीक्षण तथा लाइट फिटिंग पूर्तिकर्त्ताओं से विचार विमर्श करने के लिए	अमरीकी डालर 1050 12810 रु०	13351	26164
33. एम० एस० एन० अय्यंगर उपाध्यक्ष (इन्जीनियरिंग)	—वही—	—वही—	अमरीकी डालर 1050 12810 रु०	13351	26161

जल एवं वायु प्रदूषण नियन्त्रक उपकरणों का आयात

6788. **श्री राम समुझावन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे विभिन्न किस्म के वायु एवं जल प्रदूषण नियन्त्रक उपकरण कौन से हैं, जिनका आज-कल विदेशों से आयात किया जा रहा है ;

(ख) क्या इनमें से किसी उपकरण को भारत में बनाया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) आजकल विदेशों से बैग फिल्टरों के लिए विशेष प्रकार का कपड़ा व अपशिष्टों के लिए खतरनाक ठोस भस्मका का आयात किया जाता है।

(ख) और (ग). क्योंकि ऐसे उपकरणों की मांग सीमित है, देशी निर्माण सुविधाओं को बनाना आवश्यक नहीं हुआ है।

यमुना नदी का प्रदूषण

6789. **श्री रामा समुझावन :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने यमुना नदी के प्रदूषण पर नियंत्रण करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले को पहले से ही गठित गंगा प्रदूषण प्राधिकरण को सौंपे जाने की आवश्यकता अथवा इसके लिए एक अलग निकाय स्थापित करने पर विचार करेगी ;

(ग) क्या यमुना में दिल्ली से चलकर इलाहाबाद में इसके गंगा में मिलने तक प्रदूषण पर अध्ययन और नियंत्रण किया जाएगा ;

(घ) यदि नहीं, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली इस नदी के किस-किस भाग को शामिल किया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) इस अवस्था में सरकार यमुना नदी पर अलग से कोई प्राधिकरण बनाने पर विचार नहीं कर रही है।

(ग) यमुना नदी के बेसिन में सम्भावित प्रदूषण का अध्ययन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहले ही कर लिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबन्धित होटलों पर विचार

6790. **श्री जगन्नाथ पटनायक :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान विदेशों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान अरब देशों में इस प्रकार के कितने होटल बनाए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) 1985-86 के दौरान किन-किन देशों में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंधित होटलों का निर्माण किया जाना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). भारत पर्यटन विकास निगम के पास सातवीं योजना अवधि के दौरान विदेशों में किसी होटल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यात्री निवासों का निर्माण

6791. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन नगरों में यात्री निवासों का निर्माण किया गया है तथा प्रत्येक यात्री निवास में कितने कमरों का निर्माण किया गया है ;

(ख) क्या अन्य स्थानों पर भी यात्री निवासों का निर्माण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए यात्री निवासों के निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

कलकत्ता को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों से जोड़ने के लिए कदम

6792. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल, कलकत्ता के आधुनिकीकरण के लिए पांचवीं और छठी योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) कलकत्ता को प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, विशेषकर पूर्व और दक्षिण पूर्व के देशों के यात्रियों के लिए, के साथ सीधे जोड़ने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना की अवधियों में कलकत्ता स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण के लिए क्रमशः 928.14 लाख रुपए और 378.91 लाख रु० की राशि खर्च की गई थी।

(ख) इस समय कलकत्ता में एयर इण्डिया और सात अन्य अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, अर्थात् ब्रिटिश एयरवेज, थाई एयरवेज, बंगलादेश विमान, रायल नेपाल एयरलाइन्स, यूनियन आफ बर्मा एयरवेज, ड्रक एयरवेज और एरोफ्लोट द्वारा विमान सेवाएं चलाई जा रही हैं। इनमें से रायल नेपाल एयरलाइन्स और एरोफ्लोट को छोड़कर अन्य विदेशी एयरलाइनें कलकत्ता से पूर्व और दक्षिण-पूर्व को जाने वाले यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। इण्डियन एयरलाइन्स भी जून, 1985 से कलकत्ता से पूर्व की ओर जाने वाले यातायात की मांगों को पूरा करने के लिए कलकत्ता और बैंकाक के बीच सप्ताह में दो बार की सेवाएं आरम्भ करेगी।

विदेशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा-करार करते समय और विदेशी एयरलाइनों के साथ एयरलाइन स्तर पर वार्ता में कलकत्ता को हमेशा ही आगमन-स्थान के रूप में रखा जाता है। पिछले समय में बल्गेरियन एयरलाइन्स, पोलिश एयरलाइन्स, यूगोस्लाव एयरलाइन्स और जोर्डन एयरलाइन्स

को प्रचालन करने के लिए कलकत्ता का प्रचालन केन्द्र के रूप में प्रस्ताव रखा गया है। बल्गेरियन एयरलाइन्स ने कलकत्ता से होकर बैंकाक को प्रचालन करने की सहमति दे दी है, किन्तु जोर्डन एयरलाइन्स ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई है। पोलिश और यूगोस्लाव एयरलाइनों को अभी इस मामले में अपना निर्णय सूचित करना है। विदेशी एयरलाइनें किस हवाई अड्डे से होकर प्रचालन करें यह सम्बन्धित एयरलाइन के वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ना होता है, ठीक उसी जिस तरह एयर इण्डिया को विदेशों में हवाई अड्डों का विकल्प दिया जाता है।

मद्रास के संयुक्त उद्यम क्षेत्र के होटल का निर्माण

6793. **श्री एन० डेनिस : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में संयुक्त उद्यम क्षेत्र में एक होटल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिए चुना गया स्थल निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या स्थल को नामंजूर करने से पूर्व तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम और भारत पर्यटन विकास निगम की संयुक्त समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो होटल के लिए नये स्थल का चयन करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). जी, हां। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम होटल के लिए स्थान के आसपास के इलाके को परिकल्पित किए जा रहे टाइप के होटल परिसर के उपयुक्त नहीं समझा गया था।

(घ) निर्णय लेने से पूर्व भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ने तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण किया था।

(ङ) विचाराधीन संयुक्त उद्यम होटल परियोजना के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक भूखंड की तलाश में है।

उद्योगों में प्रदूषण मुक्त प्रक्रिया तकनालाजियों को अपनाना

6794. **श्री बृज मोहन महन्ती : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण नियंत्रण उपायों के सम्बन्ध में किए गए अनुसंधान परीक्षणों के परिणाम स्वरूप प्रदूषणमुक्त प्रकिया प्रोद्योगिकियों की कई खोजें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी उद्योग में उक्त प्रौद्योगिकियों को लागू किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या राज्य प्रदूषण बोर्डों और राज्य सरकारों को उद्योगों में इस प्रकार की प्रदूषण मुक्त प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए कोई निदेश दिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). अनुसंधान परीक्षणों के परिणामस्वरूप उद्योगों में अनेक परिवर्तन आरम्भ किए गए हैं। इनमें उर्वरक उत्पादन के लिए प्रक्रिया प्रोद्योगिकी में परिवर्तन के माध्यम से संखिया को दूर करना, क्लोर-क्षार उद्योग में झिल्ली सेल प्रोद्योगिकी के द्वारा पारे को दूर करना और नाशीकीटमारों तथा भारी जैविक रसायनिक उद्योग में अपशिष्ट के उपचार के लिए ओजोन का प्रयोग।

(घ) प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रक्रिया प्रोद्योगिकियों ब्यौरे देने वाले व्यापक उद्योग विशिष्ट प्रलेख तैयार किए गए हैं ताकि सम्बन्धित प्राधिकरणों को अनिवार्य मार्गदर्शी सिद्धान्त सुलभ किए जा सकें।

बम्बई की कम्पनियों के विरुद्ध पर्यावरण संबंधी शिकायतें

6795. **श्री दिग्विजय सिंह : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में कुछ निजी और सरकारी क्षेत्र के रसायन उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण के आधार पर शिकायतें दर्ज करायी गई हैं ; और

(ख) इन उद्योगों पर मुकदमा चलाने और इनमें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बम्बई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र जल प्रदूषण अधिनियम, 1969 तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निम्नलिखित 8 कम्पनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं।

1. मैसर्स अनीलिन डाई-स्टफ फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
2. मैसर्स सविता कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड
3. मैसर्स इन्डो निपोन कैमिकल्स लि०
4. मैसर्स कैलिको कैमिकल्स (पहले मैसर्स दी अहमदाबाद मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड कलिको प्रिंटिंग एण्ड कैमिकल्स कम्पनी लि०)
5. मैसर्स इंडियन डाई-स्टफ इन्डस्ट्रीज
6. मैसर्स महाजन प्रोसेसर्स
7. मैसर्स हिन्दुस्तान इनसैक्टीसाईडस लि०, रासायनी
8. मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०, रासायनी

(ख) अभियोग चलाने तथा इन उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करने के लिए की गई प्रगति।

दर्ज की गई शिकायतें तथा इन 8 उद्योगों द्वारा उठाये गए प्रदूषण निरोधक उपाय निम्न हैं :

1. मैसर्स एनिलिन डाई-स्टफ फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड :

जे० एम० एफ० सी० थाने के कोर्ट में अन्तिम सुनवाई के लिए 1979 का एक दाण्डिक मामला लम्बित है।

फैक्टरी ने अक्टूबर 1981 में उत्सर्जन उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए व्यवहार्यता (फीजीबीलीटी) रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वास्तविक निर्माण तथा उत्सर्जन उपचार संयंत्र की स्थापना पर अभी कोई प्रगति नहीं है। मामला कोर्ट में ले जाया जा रहा है।

मैसर्स सविता कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड :

जे० एम० एफ० सी० थाने ने 1977 के दाण्डिक केस संख्या-12113 को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय में इस दोषमुक्ति के खिलाफ 4-7-1977 को याचिका दायर की गई थी जो दाखिले हेतु लम्बित पड़ी है। शुद्ध वातन के उपरांत, फर्म ने आयल एवं ग्रीस प्राप्ति संयंत्र की व्यवस्था की है। निस्सरण उपचार संयंत्र की पूरी व्यवस्था नहीं है।

3. मैसर्स इण्डो निप्पन कैमिकल्स लिमिटेड

2-10-1978 को बम्बई के अस्पलेन्डे कोर्ट संख्या-19 में 1977 का दाण्डिक केस सं०-237/5 दायर किया गया। न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश दे दिये हैं। इस मामलें को दुबारा उठाने हेतु बोर्ड कदम उठा रहा है। फर्म ने अब निस्सरण उपचार संयंत्र की व्यवस्था कर ली है।

4. मैसर्स कैमिको कैमिकल्स

24-9-71 को बम्बई के एस्पलेन्डे कोर्ट के मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में 1977 का एक दाण्डिक केस संख्या 214/एस दायर किया। इस फर्म ने आवश्यक निस्सरण उपचार सुविधाओं की व्यवस्था की है। निस्सरण उपचार सुविधाओं की व्यवस्थाओं की दृष्टि से, यह मामला एम० पी० डब्लयु० पी० अधिनियम, 1969 की व्यवस्थाओं के अनुसार 1980 में संयोजित कर लिया गया।

5. मैसर्स इण्डियन डाई-स्टाफ इण्डस्ट्रीज

26-7-78 को जे० एम० एफ० सी० उलहास नगर में 1978 का दाण्डिक केस संख्या-5930 दायर किया गया :

> "चूंकि इस उद्योग ने जल अपशिष्ट के निष्प्रभावीकरण एवं जमाव समेत प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की है। जमें हुए ठोस निर्वात फिल्टरों में सुखाये जाते हैं। निस्सरण उपचार सुविधाओं की व्यवस्थाओं की दृष्टि से, यह मामला एम० पी० डब्लयु० पी अधिनियम, 1969 की व्यवस्थाओं के अनुसार 1980 में संयोजित कर लिया गया था।

6. मैसर्स महाजन प्रोससंर्स :

20-3-1979 को अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट बम्बई ने 1978 का एक दाण्डिक केस संख्या 15/एस० खारिज कर दिया है। राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा 20-9-1981 को दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

उद्योग ने अनिवार्य बहिस्राव उपचार सुविधाएं स्थापित नहीं किए हैं। बोर्ड जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार अदालत में मामला प्रारम्भ करने पर विचार कर रहा है।

7. मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइडस लिमिटेड

2-7-1983 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को धारा 33 के तहत जे०एम०एफ०सी० पनवेल की अदालत में प्रकीर्ण वाण्डिक विनियोग सं० 1983 का 991 दायर किया गया है। उद्योग ने पातालगंगा के खारे क्षेत्र में उपचारित बहिस्रावों को गिराने के लिए बहिस्राव उपचार सुविधाएं तथा कैरियर पाइप लाइनें सुलभ की हैं। उद्योग उपचार और निपटान का ठीक प्रकार से परिचालन नहीं कर रहा है। बहिस्राव का काफी मात्रा में रिसन हो रहा है और पास के नाले में गिर रहा है जिससे पाताल गंगा नदी में प्रदूषण हो रहा है। चीफ जूडिसियल मजिस्ट्रेट, अलीबाग ने 9-4-1985 को फैक्टरी के विरुद्ध एक अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित किया।

8. मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड

2-7-1983 को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 23 के तहत जे० एम० एफ० सी०, पनवेल की अदालत में प्रकीर्ण दाण्डिक विनियोग संख्या 1983 का 989 दायर किया गया है और नवम्बर, 1983 में अदालत ने अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित किया। उपचारित बहिस्राव को पाताल गंगा नदी के खारे क्षेत्र में एक पाइप लाइन के माध्यम से निस्सारित किया जाता है। उपचार में सुधार से सम्बन्धित और अध्ययन किए जा रहे हैं।

शहरों में जल शोधन सुविधायें

6796. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में श्रेणी-एक के उन शहरों के क्या नाम हैं जहां पर जल शोधन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि श्रेणी-एक और श्रेणी-दो, दोनों ही श्रेणियों, वाले उन शहरों में जहां पर जल शोधन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं प्रदूषित-जल प्राकृतिक जल प्रवाह में चला जाता है और पर्यावरण को दूषित करता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) 1978-79 में केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश में तेनाली एवं तमिलनाडु में सिंग्रानाल्लुर को छोड़कर सभी श्रेणी-I के शहरों ने जल आपूर्ति एवं उपचार सुविधा की व्यवस्था कर ली है।

(ख) जी, हां।

(ग) 1990 तक, श्रेणी-I शहरों की 100 प्रतिशत एवं श्रेणी-II तथा अन्य कस्बों की 50 प्रतिशत आबादी को मलजल-निर्मण एवं सफाई की सुविधायें प्रदान कर दी जाएंगी।

भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच, अदालतों में लम्बित पड़े औद्योगिक विवाद

6797. **श्री टी० बशीर :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 को, भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों और यूनियनों/कर्मचारियों के बीच कितने औद्योगिक विवाद उच्च न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों में लम्बित पड़े थे ;

(ख) इनमें से कितने मामले तीन वर्ष से पुराने हैं और इस प्रकार के विवाद किस तारीख को आरम्भ हुए थे ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कानूनी मामलों पर कितना व्यय किया गया ;

(घ) आंकड़े का वर्ष-वार, यूनिट-वार और विभाग-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इन मामलों को अदालतों के बाहर हल करने का कोई प्रस्ताव है ;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(छ) क्या इन विवादों का निपटान न होने के कारण कोई असंतोष व्याप्त है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 31-3-85 को भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबन्धकों, और भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों/यूनियनों के बीच विभिन्न उच्च न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों में 95 औद्योगिक विवाद लम्बित पड़े थे।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ). सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) और (च). निगम हमेशा ही विवादों को परस्परिक्ता के जरिए निपटाने के प्रयत्न करता है और लम्बित औद्योगिक विवादों का शीघ्र निपटान करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है।

(छ) कुल मिलाकर भारत पर्यटन विकास निगम में औद्योगिक सम्बन्ध मधुर हैं।

विवरण-I

उच्च न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों, आदि में 3 वर्ष से अधिक लम्बित मामलों की संख्या, वे जिस अवधि से लम्बित हैं।

उच्च न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों/श्रम न्यायालयों में जिस वर्ष से मामले लम्बित पड़े हैं	मामलों की संख्या
1. 1973	1
2. 1975	2
3. 1978	2
4. 1979	7
5. 1980	4
6. 1981	8
7. 1982	3
जोड़	27

विवरण-II

1981-82 से 1983-84 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम की विभिन्न यूनिटों द्वारा खर्च किए गए विधि सम्बन्धी और व्यावसायिक प्रभार

(लाख रुपयों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
1. अशोक नई दिल्ली	14.05	10.96	6.35
2. जनपथ, नई दिल्ली	7.98	—	—
3. लोधी होटल, नई दिल्ली	4.91	0.75	—

	(लाख रुपयों में)		
	1981-82	1982-83	1983-84
4. रनजीत, नई दिल्ली	7.25	0.50	2.50
5. अशोक बंगलौर	25.85	16.60	7·80
6. अकबर, नई दिल्ली	6.00	3.25	1.13
7. हसन अशोक	5.86	3.59	1.30
8. जम्मू अशोक	0.30	2.20	3.00
9. औरंगाबाद अशोक	1.56	1.90	13.03
10. खजुराहो अशोक	0.35	0.02	0.20
11. कोवलम अशोक बीच रिसार्ट (एच)	7.44	17.68	7.93
12. एल० वी० पी० होटल उदयपुर	2.59	0.20	1.44
13. टेम्पल बे अशोक बीच रिसोर्ट महाबलीपुरम	0.95	0.87	0.48
14. वाराणसी अशोक	0.73	4.19	2.33
15. कुतुब, नई दिल्ली	0.53	0.65	1.62
16. एल० एम० पी० होटल, मैसूर	11.58	2·90	1.85
17. एयरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	7.55	24.69	27.77
18. पाटलीपुत्र अशोक, पटना	3.88	5.10	8.06
19. जयपुर अशोक	3.14	16.10	0.49
20. कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	4.86	2.91	—
21. सम्राट, नई दिल्ली	—	—	0.15
22. मदुरै अशोक	2.25	—	—
23. कनिष्क, नई दिल्ली	—	—	0.20
24. अशोक यात्री निवास	—	—	0.25
25. टी० एल० एस० और रेस्तरां	—	0.58	6.50
26. डी० एफ० एस०	—	0.55	—
27. ए० टी० टी० ट्रांसपोर्ट डिवीजन	16.74	27.46	13.40
28. मुख्यालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)	153.85	182.31	153.40

पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस को लाभ/हानि

6798. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवायें कितने मार्गों पर चल रही थीं और तत्सम्बन्धी वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इनमें कितने मार्ग लाभकर थे और कितने अलाभ कर थे और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसे कितने मार्ग हैं, जिन पर विमान सेवायें आरम्भ से ही निरन्तर अलाभकर रही हैं और उसके क्या कारण हैं ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान इन्डियन एयरलाइन्स को कुल कितना लाभ अथवा हानि हुई; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में इन्डियन एयरलाइन्स द्वारा प्रचलित मार्गों की संख्या तथा लाभकर और अलाभकर मांगों का ब्यौरा इस प्रकार है :

वर्ष	लाभकर मार्ग	अलाभकर मार्ग	प्रचालित मार्गों की कुल सं०
1981-82	38	78	116
1982-83	42	88	130
1983-84	40	87	127

38 मार्ग ऐसे हैं जो मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से वर्ष 1979-80 से अलाभकर बने हुए हैं :

(1) अधिक स्थानों में रुकने वाली उड़ानों के कारण जिनकी दूरी कम थी जिससे प्रचालन लागत बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई ;

(2) पूर्वी क्षेत्र में कम किराये ;

(3) विमान क्षेत्र की सीमाएं।

(घ) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में इन्डियन एयरलाइंस ने क्रमशः 11.34, 17.92 और 45.85 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

(ङ) ये उड़ानें यद्यपि अलाभकर हैं, तथापि अन्य उड़ानों के लिए सहयोगी हैं और इस प्रकार इंडियन एयरलाइंस के राजस्व में इनका अंशदान रहा है।

रिहन्द सरोवर के समीप सिंगरौली के आसपास बिजली घर

6799. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द सरोवर के समीप सिंगरौली के आसपास अनेक बिजली घर स्थापित किए गए हैं ;

(ख) उनकी उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट की होगी ;

(ग) वे उत्पादन कब प्रारम्भ करेंगे अथवा कितनों ने पहले ही उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है ;

(घ) पर्यावरण सम्बन्धी खतरों से बचने के लिए क्या निरोधात्मक कदम उठाए गए हैं ;

(ङ) क्या राख को गारा बनाने के लिए पानी के साथ मिला दिया जाता है और उसे सरोवर

के एक किनारे पर बनाए गए राख ढेरों तक वहा दिया जाता है और इस बात की आशंका है कि राख रिस कर झील में चली जाने की और सूखने के पश्चात् खुश्की के महीनों में धूल के गुब्बारों में उड़ेगी तथा लोगों के फेफड़ों में प्रवेश करेगी ; और

(च) उक्त खतरे से किस प्रकार से बचने का विचार है बचा जायेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). रिहन्द सरोवर के नजदीक स्थापित या प्रस्तावित पावर स्टेशनों की क्षमता एवं उनके चालू होने का कार्यक्रम आगे दिया गया है :—

पावर स्टेशन	क्षमता	चालू होने का कार्यक्रम
सिंगरौली ताप विद्युत स्टेशन	5 × 200 मेगावाट 2 × 500 मेगावाट	5 × 200 मेगावाट पहले ही चालू हो गया है, 2 × 500 मेगावाट ईकाइयों को 1986-87 एवं 1987-88 के दौरान चालू कर दिए जाने की संभावना है।
विंध्याचल ताप विद्युत स्टेशन चरण-1	6 × 210 मेगावाट	पहली इकाई की जून, 87 में स्थापना की जायेगी एवं उसके बाद 6 महीने के अन्तराल से शेष ईकाइयां स्थापित की जायेंगी ।
रिहन्क ताप विद्युत स्टेशन चरण-I	2 × 500 मेगावाट	1987-88 एवं 1988-89 में चालू किया जाना है।
यू०पी०एस०ई०बी० का अनपारा ताप विद्युत	3 × 210 मेगावाट एवं 2 × 500 मेगावाट	210 मेगावाट ईकाइयों की 1985-86 तथा 1986-87 में स्थापना की संभावना है। 500 मेगावाट ईकाइयां 8वीं योजना के शुरू के वर्षों में लगायी जायेंगी ।

(घ) एन० टी० पी० सी० की मौजूदा ईकाइयों में, जिनकी क्षमता 5 × 200 मेगावाट है उच्च चिमनियों के साथ-साथ उच्च दक्षता वाले स्थिर-विद्युत अवक्षेपकों की व्यवस्था की गई है। द्रव निस्सरण उपचार संयंत्रों में नियामक प्राधिकारियों द्वारा नियत मानकों के अनुरूप मल-जल सहित द्रव अपशिष्टों के उपचार की व्यवस्था की गई है।

(ङ) और (च). राख गारे के रूप में विशेष रूप से निर्धारित राख व्ययन क्षेत्र में ले जायी जाती हैं। राख के व्ययन क्षेत्र से बाहर निकलने वाला पानी नियामक प्राधिकारियों द्वारा नियत मानकों को पूरा करता है। राख के ऊपर पानी की एक तह, राख सूखने में बाधा डालती है जो राख-वययन क्षेत्र से उत्सर्जनों की रोकथाम करती है।

एयर इंडिया और इण्डियन एयरलाइन्स को घाटा

6800. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया को 1984-85 के दौरान कितना लाभ/हानि हुई ;

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया द्वारा अधिक लाभ अर्जित किए जाने के संबंध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं और उसके द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1984-85 में इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया का अनुमानित निवल लाभ क्रमशः 50 और 34 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग). उपलब्ध विमान क्षमता का इष्टतम उपयोग करके और प्रचालन और प्रचालनेतर लागतों पर नियन्त्रण रखकर अपनी-अपनी लाभकारिता में सुधार करने का दोनों एयरलाइनों का एतत प्रयास रहता है। एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स के प्रतिनिधियों की एक समिति इस समय विमान क्षमता के इष्टतम उपयोग और अधिकतम लाभकारिता को सुनिश्चित करने के लिए मार्गों को युक्तिसंगत बनाने की सम्भावना का पता लगाने में लगी हुई है।

भुवनेश्वर और अन्य शहरों के बीच विमान यात्रा के लिए बेहतर सुविधायें

6801. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भुवनेश्वर और राज्य के अन्य नगरों और शहरों को विमान यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) वर्ष 1985-86 में दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और भुवनेश्वर के बीच जो विमान यात्रा सुविधाएं देने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां।

(ख) भुवनेश्वर इण्डियन एयरलाइन्स की विमान सेवाओं द्वारा पहले ही कलकत्ता, हैदराबाद, वाराणसी और दिल्ली से जुड़ा हुआ है। वायुदूत उड़ीसा में राउरकेला और भुवनेश्वर को भी प्रचालन करती है। विमान क्षमता उपलब्ध हो जाने पर, आधार संरचनात्मक सुविधाओं का विकास हो जाने पर और प्रचालनों के आर्थिक दृष्टि से साध्य होने पर, वायुदूत का सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में जयपुर और झारसुगुडा को विमान सेवा से जोड़ने का प्रस्ताव है। हैदराबाद से बम्बई और मद्रास के लिए इण्डियन एयरलाइन्स की संयोजी विमान सेवाएं उपलब्ध हैं।

(ग) आगामी ग्रीष्म कालीन समयावली में भुवनेश्वर को/से नई सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की योजना

6802. **श्री हरीश रावत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अति सुन्दर पिण्डारी, नामिक, सुन्दरढूंगा और मिल ग्लेशियर और बुग्याल उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में स्थित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने की कोई योजना है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). पर्यटन विभाग ने, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा अवस्थाबद्ध विकास के लिए, राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र अभिनिर्धारित किए हैं जिसमें पिंडारी ग्लेशियर शामिल है। तथापि, फिलहाल विभाग के पास इसके विकास के लिए लम्बित कोई प्रस्ताव नहीं है।

एशियाड की मांग को पूरा करने के लिए पांच सितारा होटलों का निर्माण

6803. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने एशियाड और गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जिन कम्पनियों और निगमों के 5 सितारा होटल बनाने के प्रस्तावों को स्वीकार किया था उनके नाम क्या हैं ;

(ख) इन स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कितनी भूमि आवंटित की गई थी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन पार्टियों को कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई थी तथा इन्हें अन्य क्या सुविधाएं दी गई थीं ;

(घ) क्या उपरोक्त भूमि, ऋण और अन्य सुविधाएं देते समय कोई शर्तें लगाई गई थीं ;

(ङ) उनमें से कितने होटल एशियाड/गुट निरपेक्ष सम्मेलन तक तैयार हो गए थे ;

(च) कितनी परियोजनायें अभी पूरी होनी हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) क्या इनके पूरा करने के लिए सरकार ने कोई ऋण सीमा निर्धारित की थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

(ङ) और (च). ऐसा बताया गया है कि आठ होटल परियोजनाओं में से मैसर्स एशियन होटल्स लिमिटेड, सिद्धार्थ इंटरकांटिनेन्टल होटल्स लिमिटेड, भारतीय होटल निगम लिमिटेड और भारत पर्यटन विकास निगम के स्वामित्व वाले चार होटलों का निर्माण पूरा हो गया है। मैसर्स कास्मोपोलिटन होटल्स लिमिटेड के होटलों का निर्माण पूरा होने की सम्भावित तारीख जून, 1986 है जबकि मैसर्स सी० जे० इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड और मैसर्स एन्टर प्राइसेस कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व वाले होटल क्रमशः नवम्बर और दिसम्बर 1985 में पूरे हो जाएंगे। आठ परियोजनाओं में से सात होटल कम्पनियों ने अपने वायदे के अनुसार एशियाड 1982 के दौरान एक खास संख्या में अपने अतिथि कक्ष उपलब्ध कराए थे।

(छ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में, मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

विवरण

होटल कम्पनी का नाम	आबंटित भूमि का क्षेत्र	अण्डर राइटिंग सुविधाओं सहित वित्तीय संस्थानों द्वारा दिया गया ऋण	भूमि की आबंटन और ऋण को मंजूरी की शर्तें	अन्य सुविधाएं
		(लाख रुपये में)		
1. एशियन होटल लि० (हयात रिजेन्सी होटल)	20,000 वर्गमीटर	1298.00	एक शर्त यह थी कि लाइसेंस धारकों/लीजधारकों से यह अपेक्षित था कि वे एशियाड प्रारम्भ होने से पूर्व एक खास कमरे सं० में उपलब्ध कराएं। ऋण के सम्बन्ध में, ब्याज दर, सिक्यूरिटीज का क्रिएशन, स्थानीय प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन लेना आदि से सम्बन्धित शर्तें व्यापक तौर पर वही थीं जो सामान्यतः लागू होती हैं।	प्राथमिकता आधार पर स्टील और सीमेंट के आबंटन की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी।
2. सिद्धार्थ इन्टरकांटिनेन्टल होटल लि०	4,250 वर्गमीटर	285.00		
3. कास्मोपोलिटन होटल्स लि० (सूर्य सोफिटल होटल)	7,400 वर्गमीटर	651.48		
4. भारत होटल लि०	6 एकड़	1150.00		
5. सी० जे० इण्टरनेशनल होटल्स लि० (मेरिडन होटल्स)	4.5 एकड़	1992.00		
6. भारत पर्यटन विकास निगम लि० (सम्राट होटल)	3.195 एकड़	550.00		
7. भारतीय होटल निगम लि० (सेंटौर होटल)	4.5 हैक्टेयर (फ्लाइट किचन सहित)	666.00		
8. नार्दन एन्टर प्राइसेस कार्पोरेशन प्राइवेट लि० (पार्क होटल)	अपनी सम्पत्ति	560.00		

[हिन्दी]

दिल्ली-जयपुर-कोटा के लिए उड़ानें

6804. श्री शांति धारीवाल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-जयपुर-कोटा के लिए सप्ताह में केवल तीन उड़ानें ही हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इन उड़ानों से कुल कितनी आय अर्जित की गई ; और

(ग) क्या इस मार्ग पर हुई आय को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार इस मार्ग पर दैनिक उड़ानें प्रारम्भ करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी, हां। दिनांक 10-5-1945 तक इंडियन एयर लाइन्स द्वारा दिल्ली/जयपुर/कोटा मार्ग पर सप्ताह में तीन सेवाएं प्रचलित की जा रही थीं। दिनांक 11-5-1985 से, इण्डियन एयरलाइंस ने कोटा को और से अपनी सेवाएं बन्द कर दी है। और वायुदूत ने दिल्ली/कोटा/जयपुर/बीकानेर/जोधपुर मार्ग पर डोर्नियर विमान से सप्ताह में तीन सेवाएं आरम्भ कर दी हैं।

(ख) वर्ष 1983-84 में इस मार्ग पर 10.58 लाख रुपये की निवल हानि हुई है।

(ग) जी, नहीं।

[अनुवाद]

विशिष्ट पर्यटन क्षमता का उपयोग

6805. श्री के० रामर्मूति : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसन्धान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारत को सार्वजनिक पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास नहीं करने चाहिएं बल्कि विशिष्ट पर्यटन के विकास की अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इस क्षेत्र में उसे अपेक्षाकृत अधिक लाभ होगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्बन्ध अनुसन्धान परिषद् (आई० सी० आर० आई० ई० आर० द्वारा कराए गए कार्य-प्रणाली सम्बन्धी अध्ययन (मैथॉडालाजीकल स्टडी) के अनुसार, अल्पावधि या मध्यावधि के रूप में भारत में सार्वजनिक पर्यटन का विकास न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। यह निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के केवल कुछ आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करते हुए शुद्ध रूप से मैथे-मैटिकल माडल्ज पर आधारित है। सरकार इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है। इस अध्ययन में इलीट टूरिज्म के बीच जिस भेदीकरण की अपेक्षा की गई है वह स्वाभाविक नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में अन्तर्राष्ट्रीय समझ उत्पन्न करने, राष्ट्रीय छवि को उजागर करने, विचारधारात्मक अन्तरालों को कम करने और विश्व-व्यापी मामलों के प्रति जागरूकता फैलाने जैसे सामाजिक प्रभावों को इस अध्ययन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा, ओपरेशन लैवल पर विशिष्ट पर्यटकों को सार्वजनिक

पर्यटकों से अलगाना भी सम्भव नहीं है। अध्ययन की इन कमि ों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि इस विषय पर कोई कार्रवाई की जाए।

उड़ीसा में स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्राइऐन्गल) का विकास

6806. **श्री हरिहर सोरन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उड़ीसा में स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्राइऐन्गल) के उचित प्रक्षेपण के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) स्वर्ण त्रिभुज के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ग) इन वर्षों में उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार ने कितनी कितनी धनराशि खर्च की है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) पर्यटन विभाग अपने पर्यटक प्रचार साहित्य, फिल्मों और श्रव्य-दृश्यों के माध्यम से उड़ीसा के अन्तर्गत पुरी भुवनेश्वर-कोणार्क सहित, जोकि स्वर्ण त्रिभुज (गोल्डन ट्राइऐंगल) के रूप में भी जाना जाता है, पर्यटक रूचि के विभिन्न स्थानों की छवि उजागर करता है। विदेश-स्थित भारत सरकार पर्यटक कार्यालय व्यापार-प्रदर्शनों प्रदर्शनियों और सेमिनारों आदि द्वारा "स्वर्ण त्रिभुज" का संवर्धन करते हैं।

(ख) से (घ). पर्यटन विभाग ने राज्य सरकार के साथ परामर्श करते हुए केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा आधार-संरचना सुविधाओं के अवस्थाबद्ध विकास के लिए 2 यात्रा परिपथ अभिनिर्धारित किए हैं, जिनमें स्वर्ण त्रिभुज यथापुरी-भुवनेश्वर-कोणार्क शामिल हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान विभाग ने स्वर्ण त्रिभुज के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं :

(1) 3.49 लाख रुपया की अनुमानित लागत पर एक टायलट-ब्लाक का निर्माण, जिनमें से 2.61 लाख रु० की अग्रिम राशि पहले ही रिलीज की जा चुकी है।

(2) 19.23 लाख रु० की अनुमानित लागत पर नन्दन कानन (भुबनेश्वर) के अंतर्गत लायन सफारी पार्क में एक वन गृह का निर्माण।

(3) भारत पर्यटन विकास निगम ने 190.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर पुरी में एक 44 कक्षीय संयुक्त उद्यम, होटल का निर्माण प्रारम्भ किया है।

(4) कोणार्क के लिए मास्टर प्लान तैयार हो गया है और विभिन्न सुविधाओं को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

उड़ीसा में यात्री विश्राम केन्द्र

6807. **श्री हरिहर सोरन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उड़ीसा राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उड़ीसा में चुने गए कुछ यात्री विश्राम केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा खर्च का कितना-कितना हिस्सा वहन किया गया अथवा वहन करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार पर्यटन स्कीमों के विकास पर होने वाले खर्च को सामान्यतः इस आधार पर शेयर करती हैं कि राज्य सरकार भूमि, पहुंच-मार्ग, बहिर्जल और बिजली कनैक्शन्स की व्यवस्था करती है जबकि केन्द्र सरकार भवनों के निर्माण हेतु धनराशियां उपलब्ध कराती है। कुछ अन्य प्रकार की स्कीमों में जैसे परिवहन सुविधाओं, नौकाओं, ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग उपस्कर की व्यवस्था पर हुआ समस्त खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। सुविधाओं का कार्य पूरा करने के बाद उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। जहां तक राज्य सरकार से परामर्श करते हुए अभिनिर्धारित किए गए यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों का सम्बन्ध है, इन्हें केन्द्रीय, राज्य या प्राइवेट सैक्टर में धनराशियों की उपलब्धता और परस्पर-प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए विकसित किया जाएगा।

पश्चिम तट पर पर्यटन क्षमता

6808. **श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि देश के पश्चिम तट पर, विशेषकर केरल और गोवा में, पर्यटन की अत्यधिक क्षमता है, जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त तट पर पर्यटन सुविधाओं का विकास करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). विभाग ने, केरल राज्य सरकार/गोवा दमन तथा दीव संघ शासित क्षेत्र के साथ परामर्श करते हुए केरल में 22 और संघ शासित क्षेत्र में 7 केन्द्रों को केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टर में अवस्थाबद्ध विकास के लिए अभिनिर्धारित किया है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, विभाग समुद्रतट और अवकाश पर्यटन का संवर्धन करने की अपनी कार्यनीति के एक अंग के रूप में केरल राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्र के साथ परामर्श करते हुए समुद्र तट और अवकाश पर्यटन हेतु सुविधाएं, जिनमें जलक्रीड़ाएं प्रारम्भ करना शामिल है, प्रदान करने के लिए कदम उठाएगा।

बड़ौदा में और इसके आस-पास रसायन आधारित उद्योगों द्वारा प्रदूषण

6809. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड : क्या प्रधान मन्त्री** बड़ौदा, गुजरात में और इसके आस-पास रसायन-आधारित उद्योगों द्वारा वायु और जल प्रदूषण के बारे में 20 मार्च, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1984 महीने के दौरान साथ के रसायन आधारित उद्योगों से वायु प्रदूषण के कारण बाजवा, फराचिया और उसके आस-पास के अन्य गांवों के कृषकों की कृषि और सब्जियों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या हैं जो कि खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तरदायी थे ;

(ग) क्या उक्त रसायन यूनिटों के आस-पास की वायु की किस्म का नियमित निगरानी प्रणाली से अनुमान लगाया था ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) उन कृषकों को जिनकी फसलों को नुकसान हुआ था उनको मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ङ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

गिर अभ्यारण में शेरों की संख्या

6810. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1979 की शेरों की गणना के बाद से गिर अभ्यारण्य में शेरों की संख्या बढ़ रही है ;

(ख) क्या गिर अभ्यारण्य के वन के प्रत्येक खण्ड में शेरों की संख्या पर नियमित निगरानी रखी जा रही है ;

(ग) क्या शेरों की संख्या में आगामी गणना मई, 1985 में होनी है ;

(घ) यदि हां, तो मई, 1985 की गणना के अनुसार शेरों की संख्या कितनी है ; और

(ङ) यदि गणना नहीं की गई, तो यह गणना कब की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ङ). 1979 में की गई गणना के अनुसार, गिर आश्रयस्थल तथा राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की संख्या 205 थी। गुजरात राज्य सरकार इस समय एक और गणना कर रही है। संगणना के आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है। इसके बाद परिणाम मालूम होंगे।

विमानों से सामान उतारने में होने वाले विलम्ब के न्यूनतम करने के लिए उठाए गये कदम

6811. **श्री देबी घोसाल :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर विमानों से कन्वेयर बेल्टस तक सामान की ढुलाई में विलम्ब को समाप्त करने/न्यूनतम करने के लिए कदम उठाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई सुधार हुआ है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग). अधिक पर्यवेक्षण करके, अधिक प्रबोधन करके और वाहक पट्टी से सामान की सुपुर्दगी करने के लिए आगमन कक्ष में अतिरिक्त भारिकों को लगा कर इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया ने सामान की सुपुर्दगी करने में देरी को कम-से-कम करने का प्रयास किया है। एयर इंडिया यह सुनिश्चित करती है कि उड़ान के पहुंचने के 15 मिनट के अन्दर-अन्दर पहला सामान और 45 मिनट के अन्दर-अन्दर अन्तिम सामान वाहक पट्टी पर पहुंच जाए। इण्डियन एयरलाइन्स उड़ान के आने के 20 मिनट के अन्दर-अन्दर सामान की सुपुर्दगी करने का प्रयास करती है तथापि उड़ानों के एक ही समय आने के परिणामस्वरूप कभी-कभी सामान की सुपुर्दगी करने में देरी होने के छुट-पुट मामले हो जाते हैं।

राज्यों में अर्ध सैन्य बलों की तैनाती

6812. **श्री देबी घोसाल :**

श्री एस० एम० भट्टम :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में राज्य सरकारों की सहायता के लिए सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केन्द्रीय बलों जैसे अर्ध सैन्य बलों की तैनाती के सम्बन्ध में राज्यों को मार्ग निदेश जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए वर्ष-वार किन-किन राज्यों में कितने अवसरों पर इन केन्द्रीय बलों को तैनात किया गया था ; और

(घ) राज्यों में इन बलों की तैनाती के लिए वर्तमान वसूली दर क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). विधि व व्यवस्था की स्थिति से निपटने हेतु केन्द्रीय बलों के लिए मांग प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में समय-समय पर राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए जाते हैं। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल प्राथमिक रूप से विधि व व्यवस्था की स्थिति, जिसका मुकाबला स्थानीय पुलिस बल की संख्या से नहीं किया जा सकता, बनाये रखने में राज्य सरकारों की सहायता करने से सम्बन्धित है। सीमा सुरक्षा बल भी संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में देश में विधि व व्यवस्था की स्थिति का सामना करने के लिए तैनात किया जाता है, जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल उपलब्ध न होने के कारण ऐसी सहायता जरूरी होती है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और असम राइफल सामान्यतः तब तैनात किये जाते हैं, जब राज्यों द्वारा चुनावों के दौरान अथवा अति विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त बल की मांग की जाती है। राज्य सरकारों को ज़ारी किये गये अनुदेशों में राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सहायता मांगने से पहले विधि व व्यवस्था की स्थिति का उपयुक्त मूल्यांकन करें; अपेक्षित अतिरिक्त बल की निश्चित संख्या के लिए अनुरोध करें; केन्द्रीय बलों के लिए मांग करने से पहले अतिरिक्त बल की लामबन्दी की सम्भावना की जांच करें; सामान्य स्थिति बहाल होते ही केन्द्रीय बलों को मुक्त कर दें; और इस बात पर ध्यान दें कि केन्द्रीय बलों को न्यूनतम अवधि के लिए रखें और केन्द्रीय साधनों के भार को दूर करने लिए स्थिति की दिन प्रतिदिन समीक्षा करें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय बलों की तैनाती का विवरण सभा पटल रखा जाता है। **[ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिए संख्या एल० टी०/1127/85]**

(घ) असम और उड़ीसा को छोड़कर राज्य सरकारों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अथवा सीमा सुरक्षा बल की प्रति बटालियन प्रति वर्ष 60 लाख रु० की दर से और बटालियन के परिवहन/संचालन का वास्तविक खर्च वसूल किए जाते हैं। असम और उड़ीसा के मामले में 1-4-1985 से उनसे प्रति बटालियन प्रति वर्ष 24 लाख रुपये की दर से और बटालियन के परिवहन/संचालन का वास्तविक खर्च वसूल किया जाता है। यदि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीमा सुरक्षा बल की अधिक से अधिक 10 दिन की अवधि के लिए अस्थायी रूप से मांग की जाती है और तैनाती उनके स्थायी मुख्यालय के जिले के अन्दर की जाती है, तो राज्य सरकारों से कोई लागत वसूल नहीं की जाती। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों को 1 अप्रैल, 1985 से 31 मार्च, 1990 तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा

सुरक्षा बल की बटालियनों की तैनाती की लागत की अदायगी करने से छूट दी गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और असम राइफल की तैनाती के लिए किसी वसूली की दर से सम्बन्धित कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का कार्यकरण

6813. **श्री मोहन भाई पटेल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हैं ;

(ख) क्या देश में और अधिक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन खोलने की अत्यधिक मांग की जा रही है।

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(घ) किन-किन राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन खोजने के लिए केन्द्र सरकार से कहा है ;

(ङ) क्या गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय विमानपतन खोजने का निवेदन किया है ; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) इस समय भारत में बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास नामक चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैं।

(ख) और (ग). नये अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों को खोलने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। इन पर विचार किया गया था परन्तु ऐसा महसूस किया गया था कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भारत की और से अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थे। तथापि, सरकार ने हाल में एक समिति नियुक्त की है जो अन्य बातों के साथ-साथ उन अन्य विमान क्षेत्रों का पता लगायेगी जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालन किये जा सकें जिससे कि बम्बई विमान क्षेत्र पर दबाव कम हो जाए।

(घ) कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और संघ राज्य क्षेत्र गोवा की राज्य सरकारों ने क्रमशः बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर और गोवा विमानक्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

(ङ) जी, हां।

(च) अन्य राज्य सरकारों से प्राप्त इसी प्रकार के अनुरोधों के साथ गुजरात सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया था। यह महसूस किया जाता है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। परन्तु बंबई विमान क्षेत्र पर दबाव को कम करने के लिए उपाय सुझाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के संदर्भ में अन्य विमानक्षेत्रों से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों की अनुमति देने के लिए विचार किया जा रहा है।

कचार सिलचर के सिविल हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना को सौंपना

6814. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग का विचार कचार (सिलचर) के हवाई अड्डे को भारतीय वायु सेना के प्राधिकारियों को सौंपने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तरण के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस अन्तराल से उत्पन्न होने वाली अनेक आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याओं के बारे में कुम्भीर ग्राम क्षेत्र के स्थानीय निवासियों की ओर से सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा गया है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). जी, हां। कछार (सिलचर) विमान क्षेत्र को नागर विमानन के महानिदेशक से रक्षा मन्त्रालय को अन्तरण उस क्षेत्र में भारतीय वायु सेना की प्रचालन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया गया है। तथापि, 36.7 एकड़ का एक भाग, जिसमें सिविल अन्तस्थ परिसर और रिहायशी परिसर होगा, अनुसूचित उड़ानों के लिए नागर विमानन विभाग के पास बना रहेगा।

(ग) और (घ). जी, हां। रक्षा मन्त्रालय को कछार (सिलचर) विमान क्षेत्र को अन्तरित करने का निर्णय लोक हित में किया गया है।

नीलगिरि का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

6815. **श्री आर० प्रभु : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना में नीलगिरि का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास हेतु पर्यटन और नागर विमानन के क्या प्रस्ताव उक्त योजना में शामिल किए गए हैं ;

(ख) क्या इन प्रस्तावों में होटलों की स्थापना और संचार सुविधाओं में सुधार शामिल हैं ; और

(ग) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान नीलगिरि में आने वाले विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी थी ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). केन्द्र, राज्य और गैर-सरकारी क्षेत्र में अवस्थाबद्ध विकास के लिए विभाग ने राज्य सरकार से परामर्श करते हुए तमिलनाडू में 18 केंद्र अभिनिर्धारित किए हैं। नीलगिरि में उदकमंडलम इन केन्द्रों में से एक है। तथापि नीलगिरि के विकास का कोई प्रस्ताव विभाग के पास नहीं है।

(ग) नीलगिरि में पर्यटक आगमन के वर्ष-वार विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विदेशी पर्यटक सर्वेक्षण 1982-83 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों में से लगभग 1.4 प्रतिशत पर्यटकों ने नीलगिरि के अन्तर्गत उदकमंडलम में कम से कम एक रात्रि बिताई।

अफ्रीकी देशों में काम कर रहे भारतीयों को अर्जित धन को भेजने में हो रही कठिनाइयां

6816. **श्री आर० प्रभु : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई अफ्रीकी देशों में काम करने वाले भारतीय व्यावसायियों को अपना अर्जित धन भारत भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन देशों के प्रत्यावर्तन के पश्चात भी इन देशों के केन्द्रीय बैंकों द्वारा उनके वेतन वापस आए लोगों को अभी तक भेजे नहीं गए हैं ; और

(ग) इस प्रकार की समस्या किन-किन देशों में विद्यमान है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि भारत वापस आए लोगों को अपने कानून-सम्मत बकाया वापस मिल सकें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख). जी, हां। कुछ अफ्रीकी देशों में हमारे राष्ट्रिक को, जिसमें भारत लौटने के बाद के भी कुछ मामले हैं, अपनी आय की स्वीकार्य का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में हमें रिपोर्टें मिली हैं।

(ग) ये समस्याएं नाइजीरिया, जाम्बिया, तन्जानिया और उगांडा में है। भारत सरकार ने इस बारे में संबद्ध प्राधिकारियों को अभिवेदन दिए हैं। इन देशों ने इन समस्याओं को समझा है और धन भेजने की अनुमति देने के लिए सिद्धान्ततः सहमत हो गए हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों और गम्भीर आर्थिक स्थिति के कारण वे इस समय धन भेजने की अनुमति नहीं दे सके हैं। इस सम्बन्ध में हमारे प्रयत्न बराबर जारी हैं।

राष्ट्रीय पर्यावरण निगरानी संगठन स्थापित करना

6817. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक रसायन, सीमेंट और खनन उद्योगों हेतु ठोस सूचना आधार बनाने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरण निगरानी संगठन स्थापित करने का है जिससे कि इस उद्योगों द्वारा छोड़े गए अपविष्टों का मूल्यांकन किया जा सकें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) से (ग). पर्यावरणीय प्राचलों के एक व्यापक क्षेत्र के बारे में आंकड़े तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन संगठन के गठन का प्रस्ताव है राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रबोधन संगठन की परिकल्पना वायु, जल तथा भूमि गुणवत्ता प्रबोधन, स्त्रोत प्रबोधन, जहरीले अपशिष्ट के ढेरों, भारी धातुओं, विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, क्षेत्र विशेष प्रबोधन आदि की व्यवस्था के लिए होगी।

संगठनात्मक ढांचा, प्रबोधन स्टेशनों के लिए स्थान निर्धारण, शामिल किए जाने वाले प्राचल, अपनाई जाने वाली प्रणाली-विज्ञान आदि का पता लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबोधन संगठन की परिकल्पना विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, अनुसंधान संस्थाओं, केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों आदि के पास उपलब्ध विद्यमान प्रबोधन सुविधाओं का पूरा उपयोग करके एक विकेन्द्रीकृत ढांचे की है।

"सिमलीपाल टाइगर रिजर्व" में पशुओं की हत्या

6818. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अप्रैल, 1985 को "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर गया है कि मयूरभंज जिले (उड़ीसा) में "सिमलीपाल टाइगर रिजर्व" से अनेकों आदिवासियों को वहां बहुत से पशुओं की कथित हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) क्या किसी भी "टाइगर रिजर्व" में किसी भी पशु अथवा पक्षी की हत्या करने पर पूर्ण पाबन्दी है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। सिमलीपाल बाघ आरक्षण स्थल में सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क और सिमलीपाल अभ्यारण्य शामिल हैं। वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्य में किसी वन्य प्राणि या पक्षी का शिकार करने की मनाही है। किसी राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण में किसी वन्य प्राणि या पक्षी को मारने की अनुमति राज्य सरकार को पूर्व अनुमति से केवल मुख्य वन्य प्राणि वार्डन द्वारा दी जा सकती है। ऐसी अनुमति सिर्फ तभी दी जाती है जब वन्य प्राणियों के बेहतर संरक्षण के लिए या किसी अन्य अच्छे और पर्याप्त कारण के लिए उदाहरणार्थ वन्य प्राणि मानव जीवन के लिए खतरनाक हो गया हो, उसे मारना आवश्यक हो जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि राज्य प्राधिकारियों ने सूचित किया है, सिमलीपाल बाघ आरक्षण स्थल में गैर कानूनी शिकार करने के केन्द्र में 108 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। उनसे बड़ी संख्या में तीन-कमान और वन्य पशु पक्षियों का 1.80 क्विंटल कच्चा मांस जब्त किया गया।

ईरान-ईराक युद्ध में मारे गए भारतीय

6819. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-इराक युद्ध में मारे गए भारतीयों की संख्या कितनी है ;

(ख) वे भारतीय किन-किन श्रेणियों के कार्य कर रहे थे ;

(ग) क्या युद्ध में मारे गए कर्मचारियों के निकट सम्बन्धियों को कोई मुआवजा दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इन दो देशों में स्थित अपने मिशनों से प्राप्त सूचना के अनुसार ईरान-इराक युद्ध के परिणाम स्वरूप अब तक कुल मिलाकर 14 भारतीयों की मृत्यु हुई है। इनमें से 11 की मृत्यु 23-9-1980 को बसरा में हुई थी। दो भारतीय पिछले वर्ष खाड़ी में जहाजों पर आक्रमण के फलस्वरूप मारे गए थे तथा एक भारतीय की मृत्यु इस वर्ष बगदाद में हुई।

(ख) इराक में जो बारह भारतीय मारे गये हैं उनमें से ग्यारह कामगार थे और एक इंजीनियर। जहाजों पर हमले में पिछले वर्ष जिनकी मृत्यु हुई थी उनमें एक मुख्य रसोइया था और दूसरा एक कप्तान।

(ग) इन लोगों के सगे-सम्बन्धियों को सूचना दे दी गई है और सभी मामलों में मुआवजा या तो दिया जा चुका है या देने के सिलसिले में कार्रवाई की जा रही है ?

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मृतकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा

	इराक	स्वीकृत मृत्यु-मुआवजा	
क्र० सं०	मृतक का नाम	अमरीका में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा (अमरीकी डालरों में)	इराक में सामाजिक सुरक्षा विभाग (द्वारा दीनारों में)
1.	अनन्त वमन सप्रे	60,000	—
2.	युसुफ खान	30,000	—
3.	नरसन्ना इदिया गनगन्ना	30,000	60,000
3.	जोन गंगाराम येलाना	30,000	56,000
5.	शंकरय्या राजजन्ना कोटा	30,000	56,860
6.	उएवन्ना सवन्ना गवाल्ली	30,000	—
7.	बालू गंगाराम राजन्ना	30,000	51,950
8.	पोशन्ना पोश्या बुय्या	30,000	—
9.	बाई गंगाराम	30,000	57,410
10.	कोटा हसेन थकान्ना	30,000	50,953
11.	सताई राजाराम भमय्या	30,000	53,000
12.	सलीम जफर हसन जैदी (कार्रवाई की जा रही है)	18-3-85 को मृत्यु हुई।	

हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार इस इंश्योरेंस कम्पनी ने क्षतिपूर्ति की राशियां ईराक के रफीद्नेन बैंक को हस्तांतरित कर दी हैं ताकि मृतकों के सगे-सम्बन्धियों को विदेशी मुद्रा भेजी जा सके। श्री सलीम जफर हसन जैदी के सगे सम्बन्धियों को मुआवजे की अदायगी के मामले पर कार्रवाई की जा रही है, उनकी मृत्यु 18-3-85 को हुई थी।

II. **ईरान**

खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमलों के फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी जिनका विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

(1) गिल्बर्ट डिकोस्टा, एम० वी० एलघाद के मुख्य रसोइया जो कि ईरानियन शिपिंग लाइंस का जहाज है, उनकी मृत्यु बुशेर में हुई।

(2) ईरान-हिन्द शिपिंग कम्पनी के एम० वी० आबिद के कैप्टन गौतम चक्रवर्ती जिनकी मृत्यु बंदर इसास खुमैनी में हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जहाजरानी कम्पनियों ने उपर्युक्त दोनों मामलों में मुआवजे का सवाल मृतकों के सगे संबंधियों के साथ, रोजगार संविदा के अनुसार सीधे ही तय कर लिया है। इनमें से किसी भी पक्ष से मुआवजा न दिए जाने की कोई शिकायत नहीं मिली है।

इदुकी परियोजना क्षेत्रीय प्रयोगशाला की ओर से अभ्यावेदन

6820. **प्रो० के० बी० थामस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इदुकी परियोजना क्षेत्रीय प्रयोगशाला, जो इदुकी जल विद्युत परियोजना के पारिस्थितिक प्रभावों का अध्ययन कर रही है। से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला शीघ्र ही बन्द कर दी जायेगी इसलिए वैज्ञानिकों को अन्य जल विद्युत परियोजनाओं में पारिस्थितिक अध्ययन का काम शुरू करके रोजगार दिया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) और (ख). भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के इदुकी अनुसंधान परियोजना क्षेत्रीय प्रयोगशाला में कार्यरत अनुसंधान कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर सावधानी और सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था। अनुसंधान परियोजनाओं, जिसमें इदुकी परियोजना भी शामिल है, के निष्पादन के लिए अनुसंधान कर्मचारियों की नियुक्ति विशेष शर्तों के अधीन की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शर्त लगाई जाती है कि परियोजना के असली स्वरूप के पश्च-परियोजना रोजगार के लिए संस्थाओं या सरकार पर कोई दायित्व नहीं होता है। अन्य विभिन्न अनुसंधान निधिदायी संगठन हैं जिनकी इसी प्रकार की शर्तें अनुसंधान कर्मचारियों पर लागू होती हैं। अनुसंधान परियोजनाएं उनमें अभिकल्पित विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए उसे 5 वर्षों की सीमित अवधि के लिए मंजूर की जाती हैं। अनुसंधान कर्मचारियों की नियुक्ति इस प्रकार परियोजनाओं के पूरे होने तक होती है। इदुकी परियोजना के प्रयोजन का प्रवोधन भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की एक केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता है जिसने परियोजना अवधि को जून, 1984 में एक वर्ष तक बढ़ाने के पश्चात् इस परियोजना को जून, 1983 में बन्द करने का निर्णय लिया है। अनुसंधान परियोजना के परिणामों पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए अवधि को बढ़ाना अनिवार्य समझा गया था। चूंकि सर्वेक्षण के पास पन बिजली परियोजनाओं का अन्य कोई पारिस्थितिकी अध्ययन नहीं है, अतः जब कभी इस परियोजना के अनुसंधान कर्मचारी पदों के लिए अन्यत्र आवेदन करते हैं, आवेदन-पत्रों को निस्संकोच अग्रेसित किया जाता है। पूर्वोक्त प्रभाव की सूचना अभ्यावेदनों के उत्तर में भेज दी गई थी।

ताप बिजलीघरों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई

6821. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में ताप बिजलीघरों से होने वाले प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक कारण इन बिजलीघरों को खराब किस्म के कोयले की सप्लाई किया जाना है ;

(ख) क्या उस प्रकार के ताप बिजलीघरों से बढ़ते हुए प्रदूषण से बचने के लिए सरकार का विचार ताप बिजलीघरों को अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई करने हेतु कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां। भारतीय कोयले में साधारणतया सल्फर कम होता है लेकिन उच्च राख मात्रा है। जब तक कि उच्च दक्षता वाले इलेक्ट्रोस्टेटिक अवक्षेपकों की व्यवस्था न हो। विद्युत संयंत्रों में ऐसे कोयले का उपयोग प्रदूषण कर सकता है।

(ख) और (ग). धुलाई से कोयले में राख की मात्रा कम हो जाती है। बहरहाल, इसकी तक-

नीकी-आर्थिक दृष्टिकोण से जांच की जाती है।

केरल में मलबार सीमेंट्स के पास चूना पत्थर खान द्वारा प्रदूषण

6822. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में सरकरी उपक्रम मलबार सीमेंटस के पास चूना पत्थर खान से निष्कासित मिट्टी मलमपुजहा जलाशय में चली जाती है और उसे हानिकारक बना देती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला मलबार सीमेंटस के अधिकारियों के साथ उठाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(घ) जलाशय को विनाश से बचाने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) चूना भट्टी से मिट्टी नहीं जाती है। जलाशय को खतरा नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्पादन हाल ही में शुरू हुआ है तथा कारखाने के प्राधिकारियों ने परिरेखा बांध एवं रोक बांध इत्यादि जैसी सभी सावधानियां बरतने का आश्वासन दिया है जिन पर शीघ्र ही काम शुरू करने का प्रस्ताव है।

कोचीन और कालीकट में पारपत्र कार्यालय बन्द करना

6823. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोचीन और कालीकट स्थित पारपत्र कार्यालयों को बन्द करने का है ;

(ख) यदि हां, यो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इससे राज्य में पारपत्र के शीघ्र जारी करने पर प्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता

6824. **श्री बी० बी० देसाई :**

डा० जी० विजय रामा राम :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान ने लगभग 3 महीनों के अन्तराल के बाद 5 अप्रैल, 1985 को सरकारी स्तर पर वार्ता आरम्भ की थी ;

(ख) यदि हां, तो वार्ता के दौरान किन मुख्य विषयों पर चर्चा की गई थी ;

(ग) क्या वार्ता शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा रखी गई शर्तों को पाकिस्तान सरकार द्वारा पूरी तरह मान लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (घ). विदेश सचिव ने, जिन्होंने सभी पड़ोसी देशों की यात्रा की शृंखला के एक भाग के रूप में 4 से 6 अप्रैल, 1985 तक पाकिस्तान की यात्रा की थी, द्विपक्षीय और समान हित के अन्य मसलों पर राष्ट्रपति जिया-उल-हक और अन्य पाकिस्तानी नेताओं तथा अधिकारियों से बातचीत की।

इस यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त प्रैस वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1128/85]**

केन्द्रीय जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन

6825. **श्री गौरी शंकर राजहंस : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल प्रदूषण निरोध और नियंत्रण बोर्ड के प्रशासनिक ढांचे के मुख्य क्रिया कलाप क्या हैं और इसके लिए कितनी वार्षिक धनराशि आवंटित की गई है ;

(ख) उक्त बोर्ड को, जिस प्रयोजन के हेतु गठित किया गया है उसमें से कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त बोर्ड के क्रियाकलापों में सुधार करने हेतु इसके प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वीर सेन) : (क) केन्द्रीय बोर्ड राष्ट्रीय स्तर पर जल तथा वायु प्रदूषण प्रबोधन के लिए एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड केन्द्र शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में राज्य बोर्ड के रूप में भी कार्य करता है और प्रदूषण नियंत्रण तथा प्रबोधन के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन में राज्य बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है।

केन्द्रीय बोर्ड के लिए 1985-86 के वित्तीय वर्ष के लिए 290,38 लाख में रुपए निधियां आवंटित की गई हैं।

(ख) केन्द्रीय बोर्ड में अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रदूषण नियंत्रण उपाय तथा परियोजनाएं/कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। आरम्भ किए गए कुछ मुख्य कार्यक्रम ये हैं ; राष्ट्रीय जल संसाधनों का प्रबोधन, सारा गंगा बेसिन जिसमें यमुना का उप-बेसिन भी शामिल है, का समन्वित अध्ययन, देश में 14 प्रमुख नदियों का वर्गीकरण, बड़े तथा मझौले जल प्रदूषण उद्योगों की एक सूची का संकलन, उद्योग विशिष्ट राष्ट्रीय कार्यान्वयन कार्यक्रम, परिवेशी व वायु गुणवता स्टेशनों की स्थापना और अनुसंधान और विकास परियोजनाएं आरम्भ करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के थानों में थानाध्यक्षों के रूप में कार्यरत निरीक्षक

6826. **डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली पुलिस बल में कुल कितने निरीक्षक हैं और उनमें से कितने निरीक्षक विभिन्न थानों में थानाध्यक्षों के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) किसी निरीक्षक को थानाध्यक्ष नियुक्त करने के क्या मानदण्ड हैं और एक निरीक्षक कितनी अवधि के लिए थानाध्यक्षों के रूप में तैनात किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) दिल्ली पुलिस में इस समय निरीक्षकों की कुल संख्या 395 है। इनमें से 66 थाना अधिकारियों के रूप में कार्य कर रहे हैं।

(ख) योग्यता, अनुभव, सत्यनिष्ठा के लिए नेक-नामी और इमानदारी किसी निरीक्षक की थाना-अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए मुख्य मानदन्ड है किसी थाने में थाना अधिकारी के लिए नियुक्ति का सामान्य कार्यकाल तीन वर्ष है लेकिन आपवादिक परिस्थितियों में इसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

ब्रिटेन सरकार द्वारा वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टर्स न खरीदने पर सहायता में कटौती करने की कथित धमकी

6827. **श्री भोला नाथ सेन** :

श्री बृज मोहन महंती :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित भारतीय उच्च आयुक्त ने इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा यह धमकी दी गई है कि यदि भारत द्वारा ब्रिटेन से वेस्टलैण्ड हेलीकाप्टर्स खरीदने के आदेश नहीं दिये जाते हैं तो भारत को दी जाने वाली सहायता में कटौती की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारत को ब्रिटिश द्वारा दी जाने वाली सहायया की पेशकश के साथ कौन-कौन सी शर्तें लागू हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) हाई कमीशन के पूछने पर ब्रिटेन के समुद्रपार विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ब्रिटेन के समुद्र पार विकास मन्त्री, श्री टिमोथी रैयसन द्वारा 26 अप्रैल को बी० बी० सी० पर दिए गए इन्टरव्यू में कही बातों की पुष्टि की। इस इन्टरव्यू में वैस्टलैंड हैलीकाप्टर और यू० के० सहायता के बारे में जो कहा गया है उसका प्रामाणिक पाठ सभा पटल पर रखा है। **[ग्रंथालय में रख दिया गया। देखिए संख्या एल० टी० 1129/85]**

(ग) भारत को ब्रिटेन से मिलने वाली सहायता पूरी तरह से यू० के० स्रोतों से खरीद करने के साथ जुड़ी हुई है।

(घ) भारत सरकार की यह नीति नहीं है कि किसी भी जगह से शर्तों के साथ जुड़ी सहायता स्वीकार की जाए।

नई दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम के लिए दैनिक उड़ानों संबंधी प्रस्ताव

6828. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम उड़ान को दैनिक उड़ान करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब से ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख). दिनांक 1 जून, 1985 से लागू होने वाली ग्रीष्मकालीन समयावली में इंडियन एयरलाइन्स की दिल्ली-गोवा-कोचीन-त्रिवेन्द्रम मार्ग पर मौजूदा सप्ताह में चार सेवाओं को बढ़ा कर दैनिक सेवा कर देने की योजनाएं हैं।

1984 में न्यूयार्क में आयोजित मानव अधिकार समिति का सत्र

6829. **श्री एन० वेंकट रत्नम : क्या विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 से 30 मार्च, 1984 तक न्यूयार्क में आयोजित मानव अधिकार समिति के 21वें सत्र में भारत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) मानव अधिकार समिति में हुई चर्चा के क्या परिणाम रहे ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्रसंविदा के अनुच्छेद-10 के अन्तर्गत भारत की रिपोर्ट एटार्नी जनरल ने 27-30 मार्च, 1984 को मानवाधिकार समिति के 30वें अधिवेशन के समक्ष प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातों में शामिल हैं, आत्म-निर्णय के लिए भारत की प्रतिबद्धता तथा जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विचार, अन्तर्रात्मा और धर्म की आजादी, सार्वजनिक कार्यों, चुनावों और सार्वजनिक सेवा में भागीदारी का अधिकार, निराश्रय और अभागे व्यक्तियों का संरक्षण और पुनर्वास, संघ का अधिकार और एकान्तता का अधिकार जैसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार आदि। इसमें इस बात को उजागर किया गया है कि भारतीय संविधान में किसी धर्म, जातीय मूल, जाति, लिंग, अथवा, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करके आधारभूत अधिकारों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।

एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसका सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च न्यायालय है इस बात का सुनिश्चय करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका आधारभूत अधिकार प्राप्त रहे। इस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत में व्यक्तिगत अधिकार के उल्लंघन को आवश्यक माध्यमों से उचित रूप से दूर किया जा सकता है जिसमें न्यायपालिका के समक्ष याचिका की प्रक्रिया भी शामिल है।

(ख) मानवाधिकार समिति ने भारत की इस रिपोर्ट की और देश में लोकतंत्र की रक्षा तथा व्यक्तिगत, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का पालन करने की दिशा में उसके प्रयत्नों की प्रशंसा की।

भारत और खाड़ी के देशों के बीच यातायात में गिरावट की प्रवृत्ति

6830. **श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और खाड़ी के देशों के बीच यातायात में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है ;

(ख) क्या इसके कारण विमान कम्पनियों में गम्भीर चिंता व्याप्त है क्योंकि खाड़ी के देशों के लिए विमान सेवाएं एयर इण्डिया के साथ-साथ यहां से कार्य करने वाली अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के लिए भी अधिकतम लाभप्रद हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) भारत और खाड़ी के देशों के बीच कुल पर्यटक यातायात में कोई गिरावट नहीं आई है। तथापि इराक, कुवेत और क्वतॉर जैसी कुछ मार्केटों में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) गल्फ-मार्केट के लिए स्थिति में सुधार लाने के लिए समग्र प्रयासों के एक अंग के रूप में एयर इण्डिया ने त्रिवेन्द्रम और धॉहरॉन तथा मद्रास और दुबई के बीच तथा साथ ही साथ मद्रास और आबूधानी के बीच सीधे सम्पर्कों (सेवाओं) की व्यवस्था की है।

राजभाषा अधिनियम 1963 की क्रियान्विति

6831. **श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्य करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 और नियम, 1976 को लागू करना अनिवार्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, राजभाषा विभाग के का० ज्ञा० सं० 13035/3/80-रा० भा० (ग) दिनांक 27-4-81 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति अपेक्षित है।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की नीति यह रही है कि इन पदों के सृजन की स्वीकृति यथाशीघ्र दी जाए।

आदिवासी उप-भोक्ता क्षेत्रों का पता लगाना तथा योजना के अंतर्गत धनराशि का परिमापन

6832. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों और योजनाओं तथा पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके लिए परिमाणित धनराशि का पता लगाने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन मंत्रालयों/विभागों के क्या नाम हैं जिन्होंने इन नीतियों को अपनाया तथा छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके लिए मंत्रालय-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के लिए नीचे दिए गए 15 मंत्रालयों/विभागों ने धनराशि के परिमाणन की सूचना दी है :—

मंत्रालय/विभाग	आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए परिमाणित धन राशि (रुपये लाखों में)
1. कृषि तथा सहकारिता मंत्रालय	5219.55
2. वाणिज्य मंत्रालय	164.58
3. संचार मंत्रालय	17387.17
4. शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय	4451.13
5. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय	5165.78
6. औद्योगिक विकास मंत्रालय	3444.00
7. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	1377.86
8. सिंचाई मंत्रालय	105.70
9. श्रम मंत्रालय	21.64
10. ग्रामीण विकास मंत्रालय	29420.00
11. जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय	8369.00
12. समाज कल्याण मंत्रालय	10843.00
13. नागरिक आपूर्ति विभाग	385.45
14. खाद्य विभाग	345.00
25. पुनर्वास विभाग	8.73

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बूटा सिंह······

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, पश्चिम बंगाल के उद्योग···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, इसके लिए नियम क्या है। किस नियम के अंतर्गत आप इसका उल्लेख कर रहे हो ?

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : (**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : महोदय, पश्चिम बंगाल के उद्योग औद्योगिक अल्कोहल की कमी के कारण बंद होते जा रहे हैं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसको अनुमति नहीं दी जाती है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : महोदय यह असंगत है। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है महोदय।···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप सभी एक साथ क्यों बोल रहे हैं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दे सकता हूं यदि आप नियमों के अधीन चलें इस तरह नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं नहीं कर सकता हूं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री अमल दत्त···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। निश्चित रूप से मैंने अनुमति नहीं दी है। यह सभी असंगत है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, क्या आप नियम जानते हैं ?···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है तब मैं इसे देखूंगा। मैं इसे नहीं कर सकता। इस तरह नहीं। इस तरह सदन की कार्यवाही चलाना असंभव है।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है लेकिन मुझे सदन को नियमों के अनुसार चलाना है। मैं आपके लिए नियम नहीं तोड़ सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है, बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपना स्थान लें। यदि आप नियमों का पालन करना चाहते हैं तो इस तरह चर्चा नहीं की जा सकती···

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी जाती···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो ! मैंने पहले से ही आज एक विषय लिया हुआ है जो उद्योग से सम्बन्धित है और यदि आप अपनी ही तरह से बात करना चाहते हैं तो यह सदन आपका है, आपको जो कुछ करना है कीजिए। लेकिन मैं इसे इस तरह नहीं चला सकता। आप दस आदमी खड़े हैं और इस तरह अपने ढंग से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आप जबरदस्ती बोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह न करें। आप सभी चिल्लाते हैं जो बहुत बुरी बात है। मैं नियमों के अनुसार चलता हूं। मैं आपसे पूछता हूं क्या क्या है और मैं इस सदन के पटल पर सब कुछ चर्चा के लिए रखता हूं। मैं किसी चीज में रुकावट नहीं डाल रहा हूं। लेकिन आप इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस तरह मत कीजिए। मैं इसे पसंद नहीं करता।

श्री अमल दत्त : आप एक एक करके अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु एक एक का तो प्रश्न ही नहीं है। यह प्रश्नकाल या चर्चा करने का समय नहीं है।···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : हमने इसका नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सिद्धांत रूप से यह ठीक नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको ध्यान में कर लिया है लेकिन आप मुझसे यहां नहीं पूछ सकते हैं। आप सदन का समय बेकार में ले रहे हैं। बिल्कुल असंगत, पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना···

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : आप हमें एक मिनट के लिए भी नहीं सुन रहे हैं। यह लाखों के रोजगार का सवाल आता है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है लेकिन सब कुछ नियमों के अनुसार आना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैंने एक नोटिस दिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। वह मेरे विचाराधीन है। मैं आपको इस प्रकार अनुमति नहीं दे सकता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नियम आपको इस प्रकार की अनुमति नहीं देता है।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता। मुझे इस पर विचार करना है। यदि समय होगा तो मैं इस पर विचार करूंगा। यह बहुत सामान्य है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : महोदय, सदन स्थगित होने जा रहा है…(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, कृपया सुनें। आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप मामले पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। मैं कर सकता हूं और आपका हमेशा स्वागत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा यहां स्वागत नहीं हुआ है, मेरा केवल बहुत ही स्वागत होता है।

अध्यक्ष महोदय : जब वह अध्यक्ष से जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं तो इस तरह नहीं…

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं चिल्लाकर कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। चूंकि सदन लगभग दो दिन में स्थगित होने जा रहा है इसलिए आपके पास ध्यानाकर्षण नोटिस को स्वीकृत करने का समय न आए और क्योंकि हम महसूस करते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है इसलिए आप इसमें कार्यवाही करें और संबंधित मंत्री महोदय से वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको हमेशा आने का अनुरोध किया है और मैं मंत्री जी को भी बुलाऊंगा।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी चीज के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु इसे सम्मान के अनुसार किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार का नहीं है, मैं इससे घृणा करता हूं, मैं हमेशा सुझावों के लिए तैयार हूं। मैं हमेशा सहयोग के लिए तैयार हूं। आप आइए और मैं जो कुछ कर सकता हूं, करूंगा लेकिन इस तरह नहीं। यदि आप इसे ऐसे ही करते हो तो मैं दूसरी तरफ जाता हूं और मुझे यह अच्छा नहीं लगता। यह बहुत सामान्य है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : मैंने ऐसे ही समान विषय पर एक नोटिस दिया था और चूंकि समय बहुत कम है इसलिए आप इस पर विचार कर सकते हैं। मेरा सुझाव साधारण है। मंत्री जी को सदन में एक वक्तव्य देना चाहिए या उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए परन्तु मैं अनुरोध करता हूं कि चूंकि मन्त्री जी यहां उपस्थित हैं इसलिए उनसे कहा जाए कि सत्र समाप्त होने के बाद कम से कम वे पश्चिम बंगाल के सभी संसद सदस्यों को बुलाएं और मामले पर चर्चा करें।

अध्यक्ष महोदय : आप मन्त्री महोदय से पूछिए और वह इसको करेंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यदि आप उन्हें निदेश दें तो यह अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता। वह यहां है क्योंकि उन्हें हमारे लिए प्रबंध करना है। वह अपने लिए मंत्री नहीं हैं।

[**हिन्दी**]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीनगर में उसके आस-पास छोटे और बड़े विलेजेज में…

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस तरह नहीं । इसकी अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल : आप इस विषय पर गृहमंत्री जी का बयान दिलवाइए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या ख्याल है कि जोर लगाने से बयान आ जाता है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : वाद-विवाद के दौरान आपको याद होगा कि इस सदन के एक माननीय सदस्य ने जो हमारे साथी हैं एक दोस्त का उल्लेख किया था जो बैंक की धोखाधड़ी में शामिल था । उसका नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया था फिर भी इंडियन एक्स-प्रेस ने उसका नाम प्रकाशित किया है । यह सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी जी, आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए गलत रास्ते पर जा रहे हैं । आपने मुझे विशेषाधिकार का प्रस्ताव दिया है । मैं इस पर विचार कर रहा हूं । जब मैं तथ्यों को प्राप्त करूंगा तो मैं इसमें देखूंगा कि क्या करना है और यह क्या है ।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा) : समाचार पत्रों में आए दिन खबरें छपती रहती हैं । अभी अभी आपने बताया है कि इस पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा । मेरे ख्याल से यह आपकी मेज पर पहले से ही रखी गई सामग्री पर आधारित है । अतः मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में रोज अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले प्रकाशित होते हैं लेकिन 60 से 70% ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की जाती ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि इस तरह मेरा ध्यान आकृष्ट कराया जाए ।

जी नहीं ।

अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

12.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति महासंघ समिति, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा तथा पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : श्री बूटासिंह की ओर से मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(1) (एक) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति महासंघ सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्याकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 927/85]**

व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न (दूसरा संशोधन नियम) नियम 1985, बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुयें) संशोधन नियम 1985 तथा (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) व्यापार और पण्य वस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 की धारा 134 के अन्तर्गत, व्यापार और मण्यबंस्य चिन्ह (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजो संस्करण), जो 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1396 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 928/85]**

(2) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 की धारा 83 की उपधारा (4) के अंतर्गत बाट और माप मानक (पैक की हुई वस्तुएं) संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 20 फरवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 96 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 929/85]**

कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम लि०, बंगलौर तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की तत्सम्बन्धी टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल०टी० 930/85]

(3) (एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 931/85]

(5) (एक) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव सीमित, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(दो) इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव सीमित, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखाओं की एक प्रति।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 932/85]**

जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचना तथा इस पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम श्रेणी तीन और श्रेणी चार कर्मचारी (सेवा के निबंधनों तथा शर्तों का संशोधन) नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 12 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 357 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारण को दर्शाने वाला एक विवरण। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 933/85]**

नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स, कलकत्ता का 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप धारा (2) के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 4 मई, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 438 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 934/85]

(2) (एक) नेशनल कौंसिल आफ साइन्स म्यूज़ियम्स, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) नेशनल कौंसिल आफ साइंस म्यूज़ियम्स कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति)।

(तीन) नेशनल कौंसिल आफ साइन्स म्यूज़ियम्स कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 935/85]

12.10 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम(6) के उपबंधों के अनुसार मुझे विनियोग (सं० 4) विधेयक, 1985, को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 7 मई 1985 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।

12.11 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बन्द होने और उसके परिणाम स्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति का समाचार

[अनुवाद]

श्री मारिश कुजूर (सुंदरगढ़) : मैं उद्योग, और कम्पनी कार्य मन्त्री महोदय का अविलवनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर ध्यानाकर्षण करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :

> "रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के बन्द होने और उसके परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में कर्मकारों के बेरोजगार होने से उत्पन्न स्थिति का समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आर० आई० एल०) साहू जैन समूह की कम्पनी है। इसके डालमिया नगर काम्प्लेक्स में 5 उपक्रम हैं अर्थात सीमेंट, कागज, एस्बेस्टस, वनस्पति एवं वल्केनाइज्ड फाइबर। इसके अतिरिक्त कम्पनी का जयपुर में एक वनस्पति एकक था जिसे अब मूल प्रवर्तक द्वारा जुलाई, 1984 में बेच दिया गया है। कम्पनी में लगभग 10,000 नियमित कामगार तथा 5000 आकस्मिक ठेके पर काम करने वाले कामगार हैं। 1977-78 से कम्पनी के कार्यसंचालन के परिणाम असंतोषजनक रहे हैं और वह निरन्तर हानि पर चल रही है। 31-12-1982 को कम्पनी की 6.04 करोड़ रुपये की प्राथित और चुकता पूंजी तथा 1.01 करोड़ रु० की आरक्षित व अधिशेष पूंजी के बदले संचित हानियों और अमूर्त आस्तियों की कुल राशि 12.32 करोड़ रु० थी। कम्पनी सांविधिक भुगतानों सहित अपनी देयताओं की 30 करोड़ रु० की राशि का भुगतान करने में असफल रही। नकद राशि सम्बन्धी रुकावटों के कारण रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड चालू भुगतान करने में असमर्थ रही और सामग्री तथा सेवाओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में उसे गम्भीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कम्पनी का भविष्य अनिश्चित होने के कारण शिक्षित और अनुभवी कार्मिक निरंतर कम्पनी को छोड़ कर चले जाते रहे जिससे उसके कार्य संचालन में पहले से महसूस की जा रही गम्भीर कठिनाइयों में और वृद्धि हो गई। कम्पनी ने 1982, 1983 और 1984 के दौरान विभिन्न अवधियों के लिए अनेक कामबन्दी और तालाबन्दी की घोषणा की। बिहार सरकार के अनुसार डालमिया नगर स्थित रोहतास इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के एकक 9-9-1984 से बन्द पड़े हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किए गए विस्तृत निदान परक अध्ययन के अनुसार, रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की रुग्णता के मुख्य कारण ये हैं। (1) प्रबन्ध सबन्धी खामी (2) आधुनिकीकरण का अभाव। कम्पनी को पुनरुज्जीवित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों, राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित मंत्रालयों के बीच परामर्श किए गए। जून, 1983 में वित्तीयन संस्थानों द्वारा बनाई एक पुनः स्थापना योजना को जिसमें डालमिया नगर काम्पलैक्स स्थित विभिन्न एककों की पुनः स्थापना और आधुनिकीकरण/विस्तार तथा जयपुर स्थित वनस्पति एकक का विस्तार करना शामिल था, वित्त मंत्रालय की मार्गदर्शन समिति द्वारा फरवरी, 1984 में स्वीकृत कर दिया था यह पुनःस्थापना योजना संस्थानों, राज्य सरकार, उद्योग मन्त्रालय तथा रेलवे बोर्ड द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सहायता राहतों एवं रियायतों के आधार पर

बनाई गई थी। इसी बीच, जुलाई, 1984 में रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने जयपुर स्थित वनस्पति एकक जो कम्पनी का एकमात्र लाभदायी एकक था को बेच दिया था, जिससे समग्र सहायता योजना पर फिर से विचार करना जरूरी हो गया क्योंकि इस एकक का कम्पनी समग्र कार्य में नगद योगदान अब उपलब्ध नहीं था। वित्तीय संस्थानों ने जयपुर के वनस्पति के एकक को बेच दिए जाने पर प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया और रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध में अपना पूर्णतया विश्वास व्यक्त किया। संस्थानों ने रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की जीव्यता के बारे में भी गम्भीर शंकाएं व्यक्त कीं। रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यों तथा उसे पुनः चलाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए अनेक अन्तर-विभागीय बैठकें बुलाई गई हैं। इन चर्चाओं से यह पता चला है कि कम्पनी की वित्तीय स्थिति कुल देयताओं, जो बढ़कर लगभग 75 करोड़ रुपये के आसपास हो गई हैं की दृष्टि से कम्पनी की जीव्यता की कोई सम्भावना नहीं है और कम्पनी की स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे पास में खड़े होकर बातें नहीं करें परस्पर वातचीत करने का यह तरीका नही है, उन्हें ये सब बातें सीखनी चाहिए। माननीय सदस्यगण, परस्पर बातचीत करने का यह तरीका नहीं है। अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो आप बाहर जा कर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन यहां चर्चा में भाग लेने वाले माननीय मंत्री तथा माननीय सदस्यों के काम में खलल मत डालिए। कृपया इस तरह से बात न करें।

श्री मारिस कुजूर : महोदय, बिहार में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के बाद रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड डालमियानगर निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी कम्पनी है। यह कम्पनी पिछले सितम्बर से बन्द है। तब से लगभग 15,000 कामगार बेरोजगार हो गए हैं और भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

माननीय मन्त्री से मैं जानना चाहता हूं कि हजारों कामगारों तथा उनके परिवारों को इस हालत में पहुंचाने वाले प्रबन्धकों के खिलाफ सरकार ने क्या कानूनी कार्यवाई की है ?

क्या प्रबन्धकों ने कामगारों को देय, बकाया राशि का भुगतान कर दिया है या ये भुगतान करने अभी बाकी हैं। यदि हां, तो कितनी राशी बकाया है ?

क्या बिहार राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समक्ष इन यूनिटों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का कभी कोई प्रस्ताव रखा था ? यदि हां तो सरकार इन यूनिटों को पुनर्जीवित करने तथा राज्य और कामगारों दोनों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या उपाय करेंगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इन यूनिटों की स्थिति बहुत खराब है।

12.16 म० प० **[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कामगारों को देय कितनी रकम बकाया है। कामगारों के 7000 करोड़ रुपए बकाया हैं। माननीय सदस्य ने बताया कि लगभग 15,000 कामगार इसमें काम करते थे, क्योंकि यह कम्पनी बड़ी है और अब यह बन्द पड़ी है। इसीलिए मैंने अपने वक्तव्य में इन यूनिटों को पुनर्जीवित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। परन्तु दुर्भाग्यवश, यूनिट की वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है। और जब वित्तीय संस्थाएं इसके पुनर्वास की बात सोच रहीं थी तो प्रबन्धकों ने अचानक जयपुर स्थित लाभ पर चल रही यूनिट को बेच दिया। अतः वित्तीय संस्थाओं का विश्वास प्रबन्धकों पर से उठ गया। उसके बाद उद्योग मन्त्रालय में चर्चा हुई वित्त मंत्रालय में चर्चा हुई तथा मुख्य मन्त्री तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई।

जहां तक अधिग्रहण का सम्बन्ध है मेरे विचार से इस पर विचार करना राज्य सरकार का काम है। शायद राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है। अगर राज्य सरकार इन यूनिटों का अधिग्रहण करना तथा उन्हें स्वयं चलाना चाहेगी तो इसके लिए उन्हें केन्द्र सरकार से जो भी सहायता, सहयोग चाहिए हम उस पर विचार करने तथा सभी सम्भव सहायता देने को तैयार हैं। मालूम नहीं कि बिहार सरकार इन सभी यूनिटों का पुनर्वास करने की स्थिति में होगी अथवा नहीं, क्योंकि वहां इस तरह की अनेक यूनिटें हैं। और अगर राज्य सरकार एक-एक करके इन यूनिटों में काम शुरू करवाना चाहे तो कामगारों को भी राज्य सरकार को अपना सहयोग देना होगा। मैं जानता हूं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमन्त्री स्वयं भी एक अच्छे मजदूर संघ नेता रह चुके हैं कामगारों के साथ उन्हें पूरी सहानुभूति है। अतः सरकार इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रही है कि इस कठिनाई को किस तरह से दूर किया जाये तथा उसका संतोष जनक हल कैसे निकाला जाये। मैं केवल यही कह सकता हूं कि अगर बिहार सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है, अगर भारत सरकार को राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है। तो इसके लिए जो भी सहायता उसे चाहिए तथा जो कुछ सहायता हम दे सकते हैं, उस पर भारत सरकार विचार करने के लिए तैयार है।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष जी, रोहतास इंडस्ट्रीज बिहार के एक बहुत ही पिछड़े इलाके में स्थित है। बिहार ही में नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि एक बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, इन दोनों पिछड़े इलाकों के बीच में वह स्थित है। 15,000 आदमी, जिसमे 10,000 रेगुलर वर्कर हैं और 5,000 कांट्रेक्ट लेबर और कैजुअल वर्कर हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग उससे लाभान्वित होते रहे हैं। वहां दूसरे कांट्रेक्टर, ठेकेदार, मार्किट, ट्रांसपोर्ट हैं।

यह रोहतास इंडस्ट्री सितम्बर से बंद पड़ी है। इससे न केवल जो वर्कर वहां पर काम करते थे, उनको और उनके परिवारों की जीविका पर असर पड़ता है, बल्कि उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो गयी है और पूरा क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।

रोहतास इंडस्ट्री किसी जमाने में बड़ी अच्छी प्रासप्रस इंडस्ट्री हुआ करती थी, इससे काफी लाभ भी उनके मालिकों ने कमाया। उस लाभ को ले जाकर उन्होंने दूसरे क्षेत्र में उसको लगाया, लेकिन उस लाभ को इस इंडस्ट्री के मार्डनाइजेशन में, इस इंडस्ट्री को बढ़ाने में, उन्होंने कोई काम नहीं किया। इस इंडस्ट्री में जैसा कि बताया गया है कि यह पेपर इंडस्ट्री है, घी, वनस्पति और सीमेंट की इंडस्ट्री है, साथ ही साथ वह लोग एक रेलवे लाइन भी चलाते हैं, जहां पर पेसेंजर भी ढोते हैं और माल भाड़ा भी ढोते हैं। शायद उस रेलवे लाइन का हाल में, अभी तक मुझे पता नहीं, राष्ट्रीयकरण किया गया है या नहीं किया गया, लेकिन यह रेलवे लाइन भी बंद है, फैक्ट्री भी बंद है और कारखाना भी बंद है।

एक बड़ी बात यह है कि रोहतास इंडस्ट्री में रा-मैटिरियल उसी क्षेत्र में उपलब्ध है, बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में रा-मैटिरियल उसी क्षेत्र में पेपर, सीमेंट, वनस्पति आदि बनाने का वहां पर उपलब्ध है। यह सारी चीजें एसेंशल कमोडिटिज हैं। इसके बन्द होने से मार्किट में भी इन चीजों की कमी हुई है।

इसके अलावा जो लेबर हैं, वर्कर हैं, जिनकी जीविका पर इसका बड़ा असर पड़ा है, बिहार सरकार ने कोशिश की कि इस मिल को किसी तरह से चलाने के लायक बनाया जाये क्योंकि इसके बंद होने से बिहार की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, इसके लिए उसने कुछ कनसैशन भी दिए, इसका ब्यौरा मंत्री महोदय ने अपनी स्टेटमेंट में दिया है। फाइनेंनशल इंस्टीट्यूशन इस इंडस्ट्री की मदद करना चाहते थे, वह भी उसमें सहूलियत देना चाहते थे। (व्यवधान)

यह इंडस्ट्री तिवारी जी के जिले में है, लेकिन क्षेत्र में नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

इस मिल के बंद होने से वह बहुत चिंतित हैं।

[हिन्दी]

लेकिन जब तक कि यह सारी बात हो, फाइनेंनशल इंडस्टीट्यूशन उनकी मदद करें, बिहार सरकार जो उनके बकायदा हैं, भुगतान है, उसमें कुछ रियायत दे, इसने अपनी जयपुर की यूनिट बेच दी। जयपुर की यूनिट वायबल यूनिट थी। उस यूनिट के बेच देने से बिहार सरकार का भरोसा इसके मैनेजमेंट में नहीं रहा। अब वह लोग उनको कोई भी सुविधा, कोई भी सहूलियत देने के लिए तैयार नहीं हैं।

यह इतनी पुरानी और इतनी अच्छी प्रोसप्रेस इंडस्ट्री जो कि पिछड़े इलाके में रोजगार देने का इतना अच्छा काम कर रही थी, वह क्यों बंद हो गई, इसके पीछे क्या कारण हैं ? सबसे बड़ा कारण जो खुद स्टेटमेंट में मन्त्री जी ने कबूल किया है और हम सब उसको मानते हैं कि सबसे बड़ा कारण बैड-मैनेजमेंट है, इनएफिशेंट मैनेजमेंट है, इनका प्रबन्ध तंत्र खराब है। इस बैड-मैनेजमेंट के कारण इतनी अच्छी इंडस्ट्री को इन लोगों ने चौपट करके रख दिया है। दूसरी बात इनकी गलत नीयत है। संभवतः अब इन्होंने यह सोचा होगा कि अब इससे ज्यादा आमदनी नहीं कमा पायेंगे, इसलिए जितना पैसा उसमें इन्होंने लगाया हुआ था, धीरे-धीरे उस पूंजी को इन्होंने दूसरी जगह स्थानान्तरित करना शुरू कर दिया। दूसरी जगह उसको ले जाना शुरू कर दिया। दूसरी जगह उससे लाभ कमाने के लिए या दूसरे तरीके से फायदा उठाने के लिए यह कोशिश करते रहे। यहां तक कि चार साल से इन्होंने मजदूरों के प्रोविडेंड फण्ड का पैसा जमा नहीं किया है। यह तो एक क्रिमिनल एक्ट है। चार साल से इस सदन में भी सवाल पूछे गए और जवाब दिए गए कि चार वर्षों से मजदूरों के प्रोविडेंड फण्ड का पैसा जमा नहीं किया है। मैं समझता हूं कि इस क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उस इंडस्ट्री का क्या किया जाए। उस इन्डस्ट्री को कैसे चालू किया जाए ? उपाध्यक्ष जी, जैसा मैंने लताया इस रोहतास इंडस्ट्री के बन्द होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की आर्थिक अवस्था अस्त-व्यस्त हो रही है। उस इंडस्ट्री को चालू करना है। इसके लिए बिहार सरकार ने चार-पांच महीने पहले प्रपोज़ल भेजा था कि उस इंडस्ट्री को केन्द्रीय सरकार टेक ओवर कर ले। टेक ओवर करने के बाद धीरे-धीरे उसका राष्ट्रीयकरण कर दे। पहला स्टैप टेक ओवर का है और दूसरा स्टैप राष्ट्रीयकरण का है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं क्या केन्द्रीय सरकार के पास बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आया है ? अगर आया है, तो उन्होंने अभी तक इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की ? टेकओवर का वक्त समाप्त हो गया है। डायरैक्ट तौर से एक लाख लोगों की जीविका का सवाल है, जो उस मिल में काम करते हैं। पांच-पांच, छः-छः, या सात-सात लोगों का परिवार मान लिया जाए तो कम से कम एक लाख लोग आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं। रोहतास इन्डस्ट्री को बन्द हुए छः-सात महीने से ज्यादा का समय हो गया है और उसको खोलने की कोई कोशिश नहीं की गई। उस मैनेजमेंट को सुविधा देने के लिए बिहार सरकार ने भी कोशिश की, फाइनेंशियल इन्स्टीटूशन्स ने भी की, लेकिन इनएफिशियेंट मैनेजमेंट इस सुविधा को लेकर इस मिल को चलाने में असमर्थ है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस मिल का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जितनी जल्दी इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, उतना ही अच्छा होगा। इसमें देरी करने से कोई फायदा नहीं हैं। बजट भाषण में भी वित्त

मन्त्री जी ने कहा था कि जो इनएफिशियेंट मैनेजमेंट होगा, उसको पनिश किया जाएगा। यह शब्द उनके बजट भाषण में था कि उनको सजा दी जाएगी। इतनी देर हो गई है, लेकिन उनको पनिश नहीं कर रहे हैं। सहायता लेने की बात तो दूर, अब उसने बिहार सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीटूशन्स का विश्वास भी खो दिया है। इसलिए मैं आपसे जोर-दार शब्दों में मांग करता हूं कि आप उस रोहतास इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण कर दें। जल्दी से जल्दी उस इन्डस्ट्री को चालू करने की व्यवस्था करें। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितनी जल्दी उसको चालू करने की व्यवस्था करेंगे। इस इन्डस्ट्री के बारे में बहुत से सवाल पैदा होते हैं—उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करेंगे या नहीं; प्रोविडेंट फण्ड का पैसा जमा कराने पर उनके ऊपर मुकद्दमा चलायेंगे या नहीं; फाइनेंशियल इन्स्टीचूशन्स का जो पैसा है, उसको वसूल करेंगे या नहीं। इन सवालों के बारे में मैं पूछना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी नहीं है। मैं सवाल सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि कितनी जल्दी इस मिल का राष्ट्रीयकरण करेंगे और कितनी जल्दी इस मिल को चलाए जाने की व्यवस्था करेंगे?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस यूनिट की हालत ठीक नहीं है। मैं आंकड़े दे सकता हूं, ताकि सदस्य सही स्थिति को समझ सकें। 1-3-1984 को कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियां 18.29 करोड़ रुपए की थीं। 1-3-85 तक उस पर 2.45 करोड़ रुपए का मूल्यह्रास हुआ। अत: 1-3-85 को परिसंपत्तियों का शुद्ध मूल्य 9.84 करोड़ रुपए रह गया। परिसंपत्तियां तो 9.84 करोड़ रुपए थी लेकिन 12-11-84 को इसकी देनदारियां 75 करोड़ रुपए थी। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस यूनिट को पुनर्जीवित करने, उसका प्रबन्ध अपने हाथ में लेने या उसके राष्ट्रीयकरण के लिए सरकार क्या उपाय करेगी। हाल ही में वित्त मन्त्रालय में एक प्रयास किया गया। उक्त मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। समिति ने यूनिट के पुनर्वास की योजना तैयार की। वित्त मन्त्रालय द्वारा इसके पुनर्वास के लिए तैयार की गई इस योजना के अनुसार 174 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। चूंकि इस यूनिट को पुनर्जीवित करने के लिए इतनी अधिक धनराशि की जरूरत है और चूंकि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या भारत सरकार इसका अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो मेरा कहना है कि भारत सरकार न तो इस यूनिट का अधिग्रहण ही करना चाहती है और न राष्ट्रीयकरण क्योंकि जहां तक इसके राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करती। हम महसूस करते हैं कि यह यूनिट पुनरुज्जीवन के लायक नहीं है। अगर बिहार सरकार इसका राष्ट्रीकरण करना चाहती है, तो यह बिहार सरकार के लिए है कि वह इस पर विचार करे और इसके अधिग्रहण आदि के बारे में जो फैसला करना चाहे करे जैसाकि मैंने पहले कहा, कि अगर बिहार सरकार इसका राष्ट्रीयकरण चाहती है या इसके कुछ एककों का पुनरुज्जीवन करना चाहती है, तो इस मामले में जहां तक हो सकेगा हम बिहार सरकार की सहायता करेंगे। हमने पहले ही इस बारे में बिहार सरकार को बल दिया है। असल में, वे चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करे, हमने बिहार सरकार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि हम इसके राष्ट्रीयकरण के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। हमने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अगर बिहार सरकार इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो यह फैसला लेना उनकी जिम्मेवारी है। इस तरह भारत सरकार द्वारा इस एकक का राष्ट्रीयकरण करने या इसको अपने अधिकार में लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर बिहार सरकार इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव रखती है, तो निश्चय ही भारत सरकार उस पर विचार करेगी।

12.33 म० प०

खाने के नमक की भाड़ा दरों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रेल मन्त्री (श्री बन्सी लाल) : माननीय सदस्यों को मार्च, 1985 में रेलवे बजट पर हुई आम बहस और 20 मार्च, 1985 को मेरे द्वारा दिए गए उसके उत्तर का स्मरण होगा। तदनुसार संशोधित किराया और भाड़ा दरें 15-4-1985 से लागू हो गयी हैं। लेकिन, कुछ माननीय सदस्यों ने खाने के नमक की भाड़ा दरों में कुछ राहत देने की बात उठायी थी। हम इस मामले पर काफी सोच विचार करते रहे हैं। माननीय सदस्यों की इच्छाओं का आदर करते हुए और भावना के आधार पर मैंने 500 कि० मी० से अधिक की ढुलाई वाले खाने के नमक के परेषणों को 10 प्रतिशत के पूरक प्रभार से मुक्त रखने का विनिश्चय किया है। अतः मैं घोषणा करता हूं कि 15-4-1985 से माल यातायात पर लगाया गया 10 प्रतिशत पूरक प्रभार 1-6-1985 से खाने के नमक पर लागू नहीं होगा।

———

12.35 म० प०

आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् (उत्सादन) विधेयक

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद के उत्सादन का और उसके अनुपूरक, आनुषंगिक तथा पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, को पेश करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद के उत्सादन का तथा उसके अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं समझता हूं कि यह एक गैर-विवादास्पद विधेयक है और इसे शीघ्र किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी मात्र पेश करने की ही बात है।

———

12.37 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश की सिंचाई परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता

श्री हुसैन दलवाई (रत्नगिरि) : सारे भारत में कई नदियां हैं। अगर इन नदियों में बहने वाले

पानी का सही ढंग से सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए तो आने वाले वर्षों में हमारा देश विश्व में सबसे अधिक अन्न उपजाने वाला देश बन जाएगा। हम अपने लोगों की भलाई के लिए कृतसंकल्प हैं; इनमें से अधिकांश लोग गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे हैं। एक लोकतान्त्रिक देश होने के नाते जिसका समाजवाद में पूर्ण विश्वास है हमें आर्थिक असमानता को कम करना है। हम यह उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं, जब हम देश में कृषि विकास की दिशा में प्रयत्न करें। अगर हम सही आयोजन और कार्यान्वयन करके उपलब्ध विशाल सिंचाई क्षमता का प्रयोग करेंगे तो हम देश के विशाल चरागाहों और बंजर भूमि को उपजाऊ बना सकते हैं जिसमें अनाज पैदा किया जा सकता है। भारत सरकार को देश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और उसके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करना चाहिए।

(दो) ग्रामीण आवास के लिए हुडको द्वारा धनराशि आवंटित किए जाने की अथवा ग्रामीण आवास योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु एक पृथक निगम स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार की नीति के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम को एक 1 लाख 40 हजार मकान बनाने का कार्य सौंपा गया है, जिनमें से 90% मकान ग्रामीण गरीबों के लिए होंगे।

इन 1,40,000 मकानों की लागत करीब 88 करोड़ रु० आयेगी जिसमें से 45.45 करोड़ रु० ऋण के रूप में आयेंगे और बाकी की रकम राजसहायता और लाभार्थियों के अंशदान से आयेंगे।

हुडको का मुख्य उद्देश्य शहरी विकास कार्यक्रम बनाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी योजनाओं को वित्तीय सहायता देना है। कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण आवास के लिए दिए जाने वाले कुल ऋण का केवल 15% ऋण ही हुडको द्वारा दिया जाता है। इस सन्दर्भ में, मैं निम्नलिखित सुझाव देना चाहता हूं :—

(i) हुडको की वर्तमान प्राथमिकता में परिवर्तन किया जाना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा गारंटी दिए जाने पर इसे ग्रामीण आवास के लिए कुल ऋण का 50 प्रतिशत ऋण दिया जाना चाहिए।

(ii) ग्रामीण आवास के मामले में ऋण की अदायगी का समय 10 वर्ष है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह बीस वर्ष है। इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए।

(iii) आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आरम्भ किए गए कार्यक्रम के लिए हुडको को आन्ध्र प्रदेश की ग्रामीण आवास योजनाओं का प्राथमिकता देना चाहिए।

(iv) अगर उपरोक्त विषयों पर हुडको की नीतियों में परिवर्तन किया जाना सम्भव न हो तो ग्रामीण आवास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए अलग निगम स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कमजोर वर्गों के लिए मकान बन सकें।

(तीन) प्रेस (समाचार पत्रों) के लिए एक आचार और नैतिकता संहिता बनाने की आवश्यकता

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : श्रीमन्, प्रेस भारतीय प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं जनता तक इसकी काफी पहुंच है, किन्तु इसकी कोई आचार संहिता नहीं है। उत्तरदायिता आवश्यक है और इसके लिए आचार संहिता का होना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जन संचार एजेंसियां तथ्यों का पता

लगाने और उन्हें जनता तक पहुंचाने और उन पर विचार विमर्श कर जनता की राय छापने के संचार माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाओं या उनके लेखकों के लिए कोई आचार संहिता नहीं हैं, जिसका पालन करने के लिए वे बाध्य हों।

निश्चित ही प्रेस पर कोई आचार संहिता लागू नहीं की जा सकती। इसे प्रेस के भीतर से ही लागू करना होगा क्योंकि बाहर से थोपी गई आचार संहिता का अर्थ है प्रेस पर नियंत्रण जोकि अमान्य है। आचार संहिता या नैतिक मूल्यों के बिना पत्रकारिता के पुराने चले आ रहे मूल्यों का अवमूल्यन हो जायेगा। मात्र नियमों से काम नहीं चलेगा। इसलिए आवश्यकता है प्रेस निकायों के सदस्यों द्वारा स्वयं एक आचार संहिता तैयार करने की और इसे मानने की शपथ लेने की। उसके बाद सरकार उन सदस्यों को सुविधा प्रदान न करे और मान्यता न दे जो इनको मानने के लिए तैयार न हों। प्रेस को न केवल स्वतन्त्रता से कार्य करने की आजादी होनी चाहिए, बल्कि उसे भारतीय पत्रकारों और भारतीय जनता के बीच आपसी विश्वास और आदर को बनाये रखना चाहिए।

(चार) पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के काम को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : श्रीमन्, कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार ने पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की थी ? ताकि बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों को शीघ्र सिंचाई सुविधाओं के लिए कोसी नहर को तैयार किया जा सके और इसमें बाढ़ भी कम आये। यह खुशी कि बात है कि नेपाली भूभाग में यह परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है, किन्तु भारत की तरफ उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। केन्द्रीय सरकार और बिहार राज्य सरकार ने बार-बार कहा है कि जून, 1987 तक इस परियोजना का कार्य पूरा हो जायेगा। लेकिन जिस धीमी गति से इस परियोजना पर काम हो रहा है, उससे जून, 1987 तक इसका पूरा होना असंभव है। अतः केन्द्रीय सरकार बिहार राज्य सरकार को यह आदेश दे कि परियोजना का कार्यशीघ्र पूरा करे और इसकी प्रगति पर निग्रानी भी रखे।

(पांच) दक्षिण मध्य रेल द्वारा कर्नाटक में किसी एक स्थान के लिए एक बार में 20माल डिब्बे बुक करने के नियम में ढील देने की आवश्यकता

श्री डी० के० नामकर (धारवाड़ उत्तर) : दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों द्वारा इस बात पर बल दिए जाने के कारण कि एक स्थान के लिए एक समय में बीस माल डिब्बे बुक किये जायेंगे, कर्नाटक के व्यापार और उद्योग को बहुत कठिनाई हो रही है। उत्तर कर्नाटक विशेषकर हुबली के व्यापारी छोटे छोटे व्यापारी हैं। वे अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास इतना सामान नहीं है कि वे बीस माल डिब्बे बुक करायें। इससे कर्नाटक के कई भागों में आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया है। इस तरह 20 मालडिब्बे की एक साथ बुकिंग कराने की प्रणाली से राज्य के लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कर्नाटक वाणिज्य और उद्योग मण्डल ने महा प्रबन्धक, दक्षिण-मध्य रेलवे से 20 मालडिब्बों की एक साथ बुकिंग कराये जाने के नियम में ढील देने की प्रार्थना की है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय रेल मंत्री जी वाणिज्य और उद्योग मंडल, हुबली की प्रार्थना को स्वीकार करें तथा दक्षिण-मध्य रेलवे अधिकारियों को माल डिब्बे बुक कराने सम्बन्धी कठोर नियम में ढील देने का आदेश दें ताकि व्यापारीगण कर्नाटक राज्य में अपना व्यापार बढ़ा सकें।

(छः) आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की क्रियान्विती में विलम्ब न होने देने के लिए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है कि 1980

में बने वन संरक्षण अधिनियम के कारण निर्माण कार्य, विशेषकर देश के जनजातीय क्षेत्रों में रुके पड़े है। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार को वन भूमि पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। यहां तक कि उन गांवों में, जीवन के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है, बिजली लगाने के लिए भी राज्य सरकार को इजाजत लेनी पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास की गति मन्द रही है। यह भी ज्ञात हुआ है कि छठी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न राज्यों में बहुत सी परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के जनजातीय तथा अन्य निवासियों में असंतोष व्याप्त है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस अधिनियम के कारण किसी भी विकास कार्य में विलम्ब अथवा रुकावट न आये। इसके लिए आवश्यकता हो तो इस अधिनियम में उचित संशोधन किया जाना चाहिए।

(सात) पश्चिमी बंगाल स्थित इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के निरधि सूचित किये जाने के कारण कामगारों की दयनीय दशा

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : पश्चिम बंगाल की इण्डियन रबड़ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पिछले डेढ़ साल से अनधिसूचित कर दिया गया है जिससे लगभग मेरे निर्वाचन क्षेत्र के इस यूनिट में काम करने वाले एक हजार श्रमिक भुखमरी का सामना कर रहे हैं।

इसी बीच एक वर्ष पूर्व भारत सरकार ने कुछ प्रमुख टायर या रबड़ ईकाइयों को मिलाकर, इण्डिया रबर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जी आइ० आर० एम० यूनिट के नाम से जानी जाती है को छोड़कर, टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया का गठन किया है।

रबड़ से बने सामान की मांग भारत व विदेशों में बढ़ रही है। बहुत से सरकारी संगठन, रक्षा एवं रेलवे भी इन सामानों को भारी मात्रा में खरीदते हैं। विशेष रूप में उन सामानों को जो आई० आर० एम० के कुशल कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं।

श्रमिक वार्धक्य आदि के आधार पर संख्या घटाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते कि सरकार इकाई को पुनः चालू करने पर सहमत हो।

उद्योग मंत्रालय इस इकाई को बचाने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कर सकता है :

(एक) अधिसूचना आदेश को वापस करने के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष इस मसले को पुनः रखना ; अथवा

(दो) इस कम्पनी का टायर कारपोरेशन आफ इंडिया या बर्न एण्ड स्टैण्डर्ड कम्पनी में विलय करने का प्रबन्ध करना ; या

(तीन) रबड़ का सामान सप्लाई करने के लिए इसे रेलवे का एक सहायक एकक बनाना।

अगर तुरन्त कदम नहीं उठाये गये तो भुखमरी से परेशान श्रमिक मर जायेंगे।

(आठ) बन्द एककों को खोलने और रूग्ण एककों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : राष्ट्रीय आन्दोलन समिति के आह्वान पर देश में लाखों औद्योगिक श्रमिक बन्दी, तालाबन्दी, छंटनी तथा अनधिसूचना के विरोध में जिसके कारण लाखों श्रमिकों का जीवन खतरे में पड़ गया है 15 मई को अखिल भारतीय दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं। महोदय, सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि 80,110 औद्योगिक ईकाइयां 1983 में रुग्ण थीं और

पिछले 16 महीनों में यानि कि अप्रैल 1985 तक रुग्ण ईकाइयों की संख्या में और वृद्धि हुई है। कुल बैंक ऋण की बकाया राशि 3,101.29 करोड़ रु० हैं। रिजर्व बैंक के विश्लेषण से पता चलता है कि रूग्णता के लिए कुप्रबन्ध, प्रबन्धन में कमी, प्रारम्भिक योजनाओं में कमियां, बाजार में मंदी, बिजली-कटौती, कच्चे सामान की कमी आदि बातें उत्तरदायी हैं। सचेत श्रमिकों एवं उनके संगठनों ने इन बातों का उल्लेख कई बार किया है अब यह न सिर्फ लाखों लोगों की रोटी छीन रहा है बल्कि इससे सरकारी राजकोष का भी काफी नुकसान हुआ है। अतः सरकार को उद्योगों एवं श्रमिकों को बचाने के लिए सभी प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए। केन्द्रीय सरकार को बन्द मिलें तुरन्त चालू करनी चाहिएं और देश की अर्थ-व्यवस्था में पुनः प्राणसंचार के लिए इन रूग्ण ईकाइयों को लाभप्रद बनाना चाहिए।

[हिन्दी]

(नौ) श्री गंगा नगर जिले में बैंक द्वारा हरिजन किसानों और बेरोजगार युवकों को समय पर ऋण दिए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (श्री गंगानगर) : श्रीमान्, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री गंगानगर जिला राजस्थान का प्रमुख कृषि प्रधान जिला है, जहां अनुसूचित जातियों का बाहुल्य है। यहां के हरिजन किसान अधिकांश चयनित परिवारों की परिभाषा में आते हैं। इस क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक लीड बैंक है और अन्य बैंकों की कई शाखाएं भी हैं, परन्तु इनके द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में समय पर ऋण नहीं दिए जाने से किसानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। आए दिन कई प्रकार की व्यवधान/कठिनाइयां कृषक समुदाय को भुगतनी पड़ती हैं। समय पर ऋण नहीं दिए जाने से कृषि उपज की क्षति ही नहीं अपितु कम उपज से राष्ट्रीय उत्पादन को हानि होती है, जबकि केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें इस मामले में कृषकों की हिमायती हैं और वे ग्रामीण कृषि विकास के लिए कृतसंकल्प हैं।

व्यवसायी एवं उद्योगों के जो ऋण दिए जाते हैं, उनके मुकाबले में कृषि उत्पादन/विकास में कम ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। डी० आई० आर० के अन्तर्गत बहुत ही कम ऋण दिए जाने से कृषक समुदाय उचित ढंग से लाभान्वित नहीं हो पाता।

मूलधन पर चक्र वृद्धि सूद वसूल किया जाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को दिए जाने वाले ऋण वितरण बैंकों द्वारा नीतियों और नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों की स्थिति मेरे जिले में गंभीर रूप धारण किए हुए है।

अतः मैं केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बढ़ती हुई कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्न कदम उठाए जाएं :—

1. यह कि चयनित परिवारों को अविलम्ब ऋण स्वीकृत कर भुगतान कराया जाए।
2. यह कि डी० आई० आर० के अंतर्गत अधिक लोगों को ऋण वितरण किए जाएं।
5. यह कि ऋण वितरण की प्रक्रिया सरल की जाए।
4. यह कि बेरोजगार हरिजन युवकों को बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण किए जाएं।

[अनुवाद]

(दस) एस्टोरंग (उड़ीसा) में एक मछली पत्तन का शीघ्र निर्माण करने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण मलिक (जगतसिंह पुर) : भारत सरकार ने मछली पत्तन पूर्व-निवेश सर्वेक्षण के माध्यम से 1974 में उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र का अच्छी तरह से सर्वेक्षण कराने के बाद मछली पत्तन के लिए एस्टोरंग चुना था। 1976 में भारत सरकार ने 66 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर मछली पत्तन के निर्माण के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया। इसके बाद, उष्ण कटिबंधी उत्पाद संस्थान, समुद्र पार विकास मंत्रालय, लंदन ने 291.40 लाख रुपए की अनुमानित लागत की इस पत्तन के लिए एक परियोजना तैयार की। तदन्तर, मुख्य इन्जीनियर, सिचाई ने 4.85 करोड़ रुपए लागत वाली एक विस्तृत और योजना प्राक्कलन तैयार किया।

उसके बाद भारत सरकार ने इस परियोजना को शीघ्र कार्वान्वित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। यदि एस्टोरंग में एक मछली पत्तन स्थापित कर दिया जाता है तो कालान्तर में उड़ीसा में मछली पकड़ने के काम को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि उड़ीसा में अधिकांश लोगों की जीवन वृत्ति का साधन मछली पकड़ना है अतः इस राज्य में मछली पकड़ने के कार्य को विकसित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरी यह मांग है कि उड़ीसा के एस्टोरंग में एक मछली पत्तन अविलम्ब बनाया जाए।

12.52 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज हम भोजन अवकाश न कर सदन के शेष-कार्य को पूरा करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आप सभी इस बात से सहमत हैं और अब हम कार्य सूची का दूसरा मद लेंगे। अब विधि और न्याय मंत्री श्री अशोक सेन नियम 193 के अधीन उठाई गई चर्चा का उत्तर देंगे।

12.53 म० प०

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में न्यायिक सुधारों की तत्काल आवश्यकता

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्री (श्री ए० के० सेन) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस चर्चा से पता चलता है कि न्यायिक समस्या के मामले में इस सभा के विभिन्न वर्गों के लोगों में कितना मतैक्य है। चुनाव आयोग अथवा सेना के समान यह भी एक ऐसा मामला है जिसमें सभी दलों

के सदस्य दलगत विचारधारा को छोड़कर एक हुए हैं और इसके संदर्भ में मैं चर्चिल के उद्‌गारों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने 1954 में न्यायाधीशों का वेतन 3500 पौण्ड, जो युद्ध से सौ वर्ष पहले से चला आ रहा था बढ़ाकर 8000 पौण्ड करने का प्रस्ताव करते समय कहा था। 1954 में यह राशि पर्याप्त थी। आज, वास्तव में, जैसा कि आपको पता है, यह राशि बढ़कर 50,000 पौण्ड हो गई है और इंगलैण्ड में कोर्ट आफ जस्टिस के 60,000 पौण्ड हैं। इसके अतिरिक्त, हाउस आफ कामन्स में 23 मार्च, 1984 को उन्होंने यह कहा था मैं उसे भी उद्धरित करूंगा। यह बात वास्तव में ध्यान देने योग्य है। कभी-कभी हमारे न्यायाधीश और हमारा न्यायिक प्रशासन यहां या विदेश में विवाद का विषय बन जाते हैं, तो मैं बहुत बड़ा खतरा महसूस करता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि न्यायिक प्रशासन के न्यायाधीशों को राजनीति या विवादास्पद स्थिति में क्यों घसीटा जाए। श्री चर्चिल ने यह बात 23 मार्च, 1954 को उस समय कही थी जब वह प्रधान मंत्री थे और उन्होंने न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। आप सभी का कहना है कि यात्रा भत्ते की राशि 500 रु० से बढ़ाकर कुछ और अधिक कर देनी चाहिए तबा आप सभी का कहना है कि 1950 में 3500 राशि का जो महत्व था उसकी तुलना में आज इस राशि का कुछ भी मूल्य नहीं है। श्री चर्चिल ने भी यही बात कही थी कि—

"हमारे देश में उन जैसी कोई चीज नहीं है।"

उन्हें अपते द्वीप ग्रेट ब्रिटेन पर बहुत नाज था। उन्होंने कहा था कि—

"उन्हें जीवन भर के लिए नियुक्त किया जाता है। कार्यकारी सरकार उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकती। राजा अपने आदेश से अथवा मंत्रियों के परामर्श से उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकता। वे अपनी योग्यता तथा ज्ञान के अनुरूप नियमों की व्याख्या कर सकते हैं। राज्य के उच्च अधिकारियों और छोटे अथवा बड़े अन्य सरकारी कर्मचारियों तथा वाणिज्य और उद्योग के अग्रणीय लोगों की अपेक्षा उन्हें अधिक सम्मानित व्यक्ति समझा जाता है। वे कम शक्ति सम्पन्न न्यायपालिका के अधिकारियों से भी स्पष्ट रूप से अधिक सम्माननीय व्यक्ति हैं। दोनों सदनों की संसद के अनुरोध पर राजा की सहमति हो जाने पर ही उन्हें हटाया जा सकता है।"

तदन्तर उन्होंने आगें और भी कहा है कि :

"हमारे द्वीप के इतिहास में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र रखने के सिद्धांत पर ही अनेक बातों की आधार शिला रखी गई है।"

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रो० मधु दंडवते यहां उपस्थित हैं। दिल्ली में नये बार कौंसिल के भवन की आधार शिला रखते समय हमारे प्रधान मन्त्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम निर्भीक और स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते हैं क्योंकि यही हमारे लोकतान्त्रिक संस्थाओं की सबसे बड़ी संरक्षक है। इसके बारे में अपने प्रधान मन्त्री के वक्तव्य को उद्धरित करने के अलावा और कुछ कहना उपयुक्त नहीं होगा।

श्री चर्चिल ने आगे यह भी कहा था :—

"विश्व के समस्त स्वतंत्र देशों ने इसका कमवेश व्यापक रूप से अनुकरण किया है।"

हमने उनकी नकल की है या नहीं यह बात अलग है, किन्तु आज इंगलैंड के उच्च न्यायाधीश भी इस बात को मानते हैं कि हमारे न्यायालय ब्रिटेन का प्रशासनिक विधि से कहीं बढ़ चढ़ कर है। विशेषकर मेनका गांधी के पासपोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए निर्णय को देखकर इसकी पुष्टि होती है। जिसमें न्यायालय ने उनके पासपोर्ट को जब्त करने के जबता सरकार के आदेश को रोक

दिया गया था। न्यायालय ने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि मनमानी शक्तियां और अनिर्देशित विवेक विधि नियम विरोधी धारणा है। आप किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से शासन करने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते, हमारे संविधान में भी सरकार को व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु विधि द्वारा चलाने की बात कही गई है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह (पदरौना) : कानून मनुष्य बनाता है। मुझे आशा है कि श्री विन्सटन चर्चिल ने भारत के बारे में जो कुछ कहा था, उसे उद्धरित नहीं करेंगे।

श्री ए० के० सेन : मुझे उनके अच्छे भाषणों को उद्धरित करने दीजिए। उन्होंने आगे कहा था :—

> "संभवतः हमारे और अन्य सभी प्रकार के सर्वाधिकारवादी शासनों के बीच यही सबसे बड़ा अन्तर है।"

हमारे चारों ओर के लोकतांत्रित देश एक-एक करके सर्वाधिकारवादी सैनिक सरकारों के अधीन होते जा रहे हैं, और केवल यही एक मात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ स्वतंत्रता अभी भी जीवित है और हमारा देश विश्व के समस्त स्वतंत्र देशों में आकाश द्वीप के समान देदीप्यमान है। जितने भी गुट निरपेक्ष देश हैं वे हमारे देश को समस्त मानव जीवन और मानव गरिमा को एक महान मशाल के रूप देखते हैं; हमने किसी का अनुकरण नहीं किया है।

12.59 म० प० [अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उन्होंने आगे यह भी कहा था कि :—

> "कोई भी न्यायाधीश, एक न्यायाधीश की हैसियत केवल उस वैधिक सिद्धांतों की वर्तमान निकाय के अधीन होता है, जो वैधिक सिद्धांत गत अनेक वर्षों में उनके ही पूर्ववर्ती न्यायाधीशों ने घोषित किये हैं; जो कानून पहले की तथा वर्तमान संसद ने पारित किये हैं जिन पर राजाज्ञा प्रदान कर दी गई है। न्यायधीशों से केवल व्यक्तिगत विवादों को निपटाने की ही अपेक्षा नहीं की जाती है अपितु उन्हें नागरिकों और राज्य के बीच उठे विवादों का भी निर्णय करना होता है। इस कार्य में विश्व को अधिकांश देशों में अबोधगम्य समझा जाता है।"

1.00 म० प०

लोक तंत्र में यह एक ऐसा महान कार्य है। जिसे हमारे न्यायालय पूरा करते हैं। ब्रिट्रेन की न्यायपालिका और मैं तो यह कहूंगा कि भारत की न्यायपालिका अपनी परम्परा और अभिलेख से हमारी मानव जाति की महानतम सजीव सम्पत्ति बन गई है और हमारी जनता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता उस विश्व के लिये हमारा एक संदेश है, जो तेजी से हमारे चारों ओर बढ़ता जा रहा है। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकता कि हमारे चारों ओर जो विकासशील देश उभरते आ रहे हैं, उनके लिये हमारी न्यायपालिका एक आदर्श है। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं और यह उदाहरण हमारे लिये एक गौरव की बात है। जब धर्म तेजा को, फरार अपराध अधिनियम अथवा प्रत्यर्पण अधिनियम जैसा कि आज उस अधिनियम का नाम दिया जाता है, के अन्तर्गत भारत सरकार की मांग पर इंग्लैंड से निकालने की इच्छा व्यक्त की गई थी; तब अपीली न्यायालय में इस मामले पर बहस की गई थी। भारत सरकार ने उस समय के महा न्यायावादी सर एलविन जोन्स को संक्षिप्त विवरण दिया था, जो बाद में लार्ड एलविन जोन्स, लार्ड चांसलर बन गये थे। भारत सरकार की ओर से वह उपस्थित हुए थे और मुझे यह जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई है। जब धर्म तेजा की पैरवी करने वाले

वकील ने जोरदार शब्दों में यह कहा था कि उसका मुवक्किल उस देश में न्याय पाने की आशा किस प्रकार कर सकता है जहां की प्रधान मंत्री ही उसके विरुद्ध है, तब मुख्य न्यायधीश श्री पार्कर, जो न्यायालय के पीठासीन अधिकारी थे, ने यह बात दृढ़ता पूर्वक और स्पष्ट रूप से कही थी और उन्होंने जो बात कही थी वह याद करने योग्य है। उन्होंने कहा था "श्रीमान यदि ऐसा कोई देश है, जहां आपका मुवक्किल न्याय पाने की आशा कर सकता है, और वह भी उचित न्याय, तो इसमें मुझे कोई संदेह नही है कि वह देश भारत ही हो सकता।"

इसलिये, हमारी न्यायपालिका का मानक और हमारे न्यायाधीश, स्पष्ट रूप से, कुछ मामलों को छोड़कर, उस मानक तक पहुंच गये हैं, जो अब उन देशों के लिये आदर्श माने जाते हैं, जहां न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती है और हमारे निर्णयों को नजीर के रूप में उद्धरित किया जाता है, और मैं वह बात भी कहूंगा जो लार्ड स्कारमैन ने दो वर्ष पूर्व मुझसे कही थी। लार्ड स्कारमैन विधि आयोग के सभापति हैं और वह इंगलैंड के एक बहुत बड़े न्यायाधीश हैं। काले अमरीकी भारतीयों और गौरों के बीच जातीय विद्रोह हुआ था और पुलिस ने विद्रोहियों का दृढ़तापूर्वक दमन किया और वहां नुकसान तथा अन्य अनेक बातें हुई थी। सरकार ने विद्रोह के कारणों का, जातीय घृणा पैदा होने तथा अन्य विभिन्न बातों का कारण पता लगाने के लिए जांच पड़ताल करानी चाही थी। उन्होंने मुझसे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मामले की जांच करते समय उन्होंने हमारे उस महान जांच आयोग के प्रतिवेदनों से बहुत कुछ उधार लिया है, जिसके अध्यक्ष महान न्यायाधीश थे और उन्हें पता चला कि जहां कहीं भी उन्हें किसी मुद्दे पर मार्ग दर्शन लेने की आवश्यकता पड़ती थी तो वह उन्हें भारतीय नजीरों से ही प्राप्त होती थी।

(व्यवधान)

चाहे जनता पार्टी का राज्य हो अथवा हमारी पार्टी का, हम सभी उन्हीं सिद्धांतों के पालक हैं। भूतकाल में कुछ कमियां रही हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं विशेष अदालतों में बहस करता था और मुझे याद है कि माननीय सदस्यों का विचार था कि श्रीमती गांधी और अन्य लोगों पर विशेष अदालतों में मुकद्दमा चलाया जा सकता है। मैं आपको बता सकता हूं, कि उच्चतम न्यायालय ने अनेक मार्ग निर्देश निर्धारित किये थे और उनसे पता चलता है कि आपातकाल के दौरान अथवा जनता पार्टी के शासनकाल में भी विधि की वही अपनी विधा थी। रोम की सीनेट में महान सिसरों ने जो कुछ कहा था उसे बार-बार दोहराया जाता है।

"अस्त्रों की लड़ाई के बीच भी कानून चुप नहीं रहता। युद्ध अथवा शांति दोनों ही समय उसकी भाषा एक ही होती है।" यदि कानून कानून है और यदि वह नैतिकता और न्याय पर आधारित है; तो उससे यही आशा की जाती है कि उसकी भाषा वही रहेगी चाहे जनता पार्टी सत्ता में रहे अथवा हम लोग सत्ता रूढ़ रहें और यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारी न्यायपालिका और हमारा विधि आधार निष्कलंक बना रहे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : उनके लिये नहीं, अपितु उनके बावजूद उन्होंने भाषा की बात की थी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : घबराइये नहीं।

प्रो० ए० के० सेन : मुझे पता है कि प्रो० दंडवते उस समय जो भी मूर्खतापूर्ण कार्य हुए थे, उन सबसे सहमत नहीं थे और उनके अनेक अच्छे मित्र भी अत्याचारों को कदापि पसंद नहीं करते थे। मैंने यह बात इस सभा में भी कही थी—प्रो० मधु दंडवते को याद होगा—कि जब हमने श्रीमती गांधी

के विरुद्ध उस विशेषाधिकार आदेश को निरस्त करने के लिए, जिसके श्रीमती गांधी को सात दिन के लिए जेल भेजने के आदेश दिए गए थे, संकल्प पारित किया था, उस समय मैंने यह बात कही थी और क्योंकि जब यह सब घटनायें घटी थीं, तब मैं संसद सदस्य नहीं था। मुझे प्रसन्नता है कि मैं संसद सदस्य नहीं था, क्योंकि अन्य जो लोग पराजित हुए थे, उसी समय प्रथम और अन्तिम बार मैं भी पराजित हुआ था।

1980 में जब हम लोग फिर से सत्तारूढ़ हुए थे, और मेरे विचार से हमने रात्रि के एक बजे तक विचार विमर्श किया था उस समय मैंने यह बात कही थी जब कभी कोई सरकार अत्याचार करती है, तो वह अपनी कब्र स्वयं खोदती है और जिस समय आपने श्रीमती गांधी को जेल भेजा था, उसी समय से जनता पार्टी की कब्र खुदनी शुरू हो गई थी।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : आपात काल के कारण भी यही हुआ था।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे विचार से हम दोनों ही पक्षों का इन्हीं कारण से पतन हुआ था। आपके प्रधान मंत्री की बात अभिलिखित है—उन्होंने कहा था। "1977 में हम जनता की भावना को नहीं समझ पाये थे। इसीलिए हमें सत्ता से हटना पड़ा था। 1980 में जनता पार्टी जनता की भावना को नहीं समझ पाई। इसीलिए वह सत्तारूढ़ नहीं हो सकी।" उन्होंने ठीक ही कहा था और मैं उनके विचारों से सहमत हूं।

श्री चंद्र प्रताप नारायण सिंह : विधि मंत्री जी ने कहा था कि आपका पतन इस कारण हुआ था कि आपने श्रीमती गांधी को बंदी बनाया था; जो आप उद्धृत कर रहे हैं उन्होंने वह नहीं कहा था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आपात काल के दौरान आपने दो लाख व्यक्तियों को बंदी बनाया था।

श्री ए० के० सेन : अत्याचार 'स्टार चैम्बर' की देन है। अत्याचार स्वैच्छिक सरकार का अधिकार है। जब कभी भी सरकार के कार्य करने का माध्यम अत्याचार को बनाया गया, तो अत्याचारी का खात्मा हुआ। मैं आपको बताऊंगा। जब रोबर्सपियरे क्रान्ति काल के फ्रांस के महान नेता को वहां की पागल असेम्बली द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था—आपको याद होगा, अगर वहां पर आज कोई नेता हैं तो कल उसे गिलोटीन कर दिया जायेगा। रोबसपियरे उस समय का बहुत ही अच्छा व्यक्ति था जोकि फ्रांस में हुआ। राबसपियरे को गिलोटीन की सजा सुना दी गई थी और जब वह गिलोटीन पर जा रहा था, तो उसने यह शब्द, कहे जिन्हें रसकिन द्वारा 'फ्रेंच रिवोल्यूशन' में उद्धृत किया गया है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मराड कुछ समय के लिए नेता बन गया था, जैसा कि आप जानते हैं जेकोबियन्स, फर्जी जेकोबियन्स और अन्य लोग आए। उन्होंने यह शब्द कहे : "मोन अभी राबसपियरे" (मेरे प्रिय रोबसपियरे) "सोवरे बिमन टोट" बहुत जल्दी तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा हुआ है)। बहुत ही जल्दी उसका भी वही हुआ। उसको भी मार दिया गया।

अतः तानाशाही का यही अन्त होता है। क्योंकि तानाशाही कभी राज्य नहीं करती कभी जिंदा नहीं रहती। महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी तथा आध्यात्मिक विचारों के अन्य महान नेताओं की वाणी सम्पूर्ण विश्व में अमर रहेगी, परन्तु तानाशाह की वाणी क्षणिक है, और हिटलर की कब्र की भांति वे भी कलंकित हो जायेंगे क्योंकि तानाशाही का परिणाम हमेशा ऐसा ही होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : अब आप विषय पर आइये।

श्री ए० के० सेन : अब विषय पर कहिए। मैं विषय पर ही बोल रहा था। प्रो० दण्डवते जी,

क्योंकि आपने कहा है कि हम स्वैच्छिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं, न्यायमूर्तियों की नियुक्ति अपनी इच्छानुसार करा लेते हैं, मैं इसका खण्डन करने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं उस दर्शनशास्त्र पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं जिसके आधार पर संविधान निर्माताओं ने कानून बनाए हैं।

उस समय हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू थे। वे कानून में विश्वास करते थे। और मुझे याद है तथा मैं इसे जिन्दगी भर याद रखूंगा कि जब भी वे संसद में आते थे सबसे पहले वह अध्यक्ष की ओर झुककर अभिवादन करते थे, तत्पश्चात विपक्ष की ओर तथा इसके बाद सभा का अभिवादन करते थे। वे ऐसे व्यक्ति थे जो अगर तानाशाही अधिकारों को अपने हाथ में लेना चाहते तो बड़ी आसानी से ले सकते थे क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा से वह सब कुछ उन्हें दिया जो वह चाहते थे। परन्तु वह इस सबसे दूर रहे और कानून में पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास की भावना से काम किया। इससे हमारे लोकतंत्र की शानदार और सुदृढ़ नींव बनी जो कभी भी नष्ट नहीं होगी। अतः हमें उन महान परम्पराओं को याद करना चाहिए जो हमें उत्तराधिकार में मिली हैं जिनसे कभी खिलवाड़ नहीं किया जायेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रो० दण्डवते जी ने सरकार पर जोरदार प्रहार किया जैसे कि हम इन सब मान्यताओं को भूल गए हों और न्यायपालिका का तिरस्कार कर रहे हों। हम उनसे चपरासियों का-सा व्यवहार कर रहे हों और उन्हें बहुत ही कम पगार दे रहे हों आदि आदि। हमने ऐसा नहीं किया है और स्वयं न्यायमूर्ति भी इसकी पुष्टि करेंगे और न्यायपालिका के साथ आज प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में जैसे संबंध हैं वैसे आज से पहले कभी भी इतने अच्छे नहीं थे। जब उन्होंने मुझे यह कार्य सौंपा तो उनका एक आदेश था कि यह न्यायायिक सुधार का मामला बहुत लम्बे समय से ढीला ढाला पड़ा हुआ है; यही समय है जब इसे तुरन्त पूरा कर देना चाहिए और अगर आप सब ऐसा करने का अधिकार दें तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि हम पांच वर्षों के अन्दर इसके बकाया काम को तथा अनिर्णीत मामलों को और भी अन्य चीजों का निपटान करने में सफल होऐंगे जोकि पिछले कई वर्षों से इकट्ठे हो गए हैं। इस कार्य हेतु क्रांतिकारी सुधारों की आवश्यकता है और यह निकट भविष्य में हर हालत में उपलब्ध होंगे।

बहुत सी चीजें जैसे कि आपने तनख्वाह, भत्ते, छुट्टियां, उनका सम्मान आदि में वृद्धि की बात कही है सरकार ने मुख्य मंत्रियों, विधि मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी जोकि 30 मई को होनी थी। परन्तु, दुर्भाग्यवश, उस दिन प्रधान मन्त्री जी उपस्थित नहीं होंगे। अतः उनके लौटने के बाद यह सम्मेलन होगा और वह इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पता चलेगा कि इस समस्या के सम्बन्ध में सरकार कितनी चिन्तित है।

न्याय की समस्या के बारे में, यह अधिकांश तथा संविधान की आज्ञा है। अनुच्छेद 39 को पढ़ते हैं यह कांग्रेस के शासनकाल में पारित किया गया था, ऐसा नहीं कि आपने विरोध किया था, क्योंकि सभी लोगों ने इसका समर्थन किया था। यह इस प्रकार है :

> "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय समान अवसर के आधार पर सुलभ हो और वह विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाये, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

एक बहुत बड़ा जना देश है जिसे पूरा करना है। मेरे विचार से इस वर्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम चाहते हैं कि यह हमारे जीवनकाल में वास्तविकता में बदल जाये। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वास्तविकता बन जायेगी।

अन्य राष्ट्रों के इतिहास को देखिए उदाहरण के लिए इग्लैंड, जहां पर अधिकतर अदालतें इस परम्परा के आधार पर बनाई गई हैं तथा अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और अन्य देशों में भी ऐसा ही है। एक समय ऐसा था जब इंग्लैंड में न्याय सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेचा जाता था जैसा कि किसी हद तक आजकल न्यायालय के शुल्क द्वारा बेचा जाता है और मजाक में यह कहा जाता है कि हमारा न्याय मूल्यानुसार है। जैसा आप न्यायालय-शुल्क देंगे वैसा ही आपको न्याय मिलेगा। लार्ड डेनिंग ने 18वीं शताब्दी में एक के बाद एक मिसाल देकर बताया परन्तु यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि एक वादी को चांसरी कोर्ट में तब तक कोई आदेश नहीं मिला जब तक उसने न्यायधीश की मुट्ठी गर्म नहीं कर दी। जब वकील ने यह कहा कि उसे डिक्री प्राप्त करने के लिए न्यायाधीश को 3000 पाउंड देने पड़ेंगे तो उस गरीब आदमी ने अपनी सम्पत्ति 3000 पाउंड के लिए गिरवी रख दी। 3000 पाउंड उन दिनों एक मोटी रकम होती थी। मुकदमा लगभग 10 वर्षों तक चलता रहा। इसके अन्त में ब्याज आदि सब देने के बाद वह व्यक्ति सब कुछ हार गया। जिस दिन निर्णय सुनाया गया उसे यह देख कर निराशा हुई कि निर्णय उसके विरुद्ध गया है। वह दौड़ता हुआ वकील के कार्यालय पहुंचा और उससे पूछा "यह क्या है, आप ने तो कहा था कि मुझे 3000 पाउंड में डिक्री मिल जाएगी।" उसने कहा, "महोदय, नहीं। दूसरे पक्ष ने अधिक पैसा चढ़ाया है।"

यह इग्लैंड के इतिहास में दर्ज है।

प्रो० मधु दण्डवते : उन दिनों संसदीय निर्वाचन क्षेत्र भी बेचे जाते थे।

श्री ए० के० सेन : हां, रेटनब्रो।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायधीश का पद बेचा जाता था। अपीलीय न्यायालय का प्रेजीडेन्ट 'मास्टर आफ सेल्स' होता था। वह अब भी है उस पीठ में कई न्यायधीश होते थे सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को यह पद मिला करता था। लार्ड चांसलर अपनी तिजौरी का मुंह खुला रखता था। उसे ऐसे आदमी की तलाश रहती थी जो सबसे अधिक पैसा दे सके। यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि एक व्यक्ति ने चांदी के 1000 शिलिंग पेश किए तो उसने कहा, "परन्तु चमक तो सोने में अधिक है।" इस प्रकार वह व्यक्ति इशारा समझ गया। वह वापस चला गया और 1000 गिन्नियां लाया और उसे 'मास्टर आफ रोल्स' का पद मिल गया ऐसा होता था।

परन्तु समय बीतने के साथ-साथ एक शानदार न्यायिक प्रणाली का निर्माण हुआ। महान न्यायधीश और महान सांसद हुए। यहां तक कि युद्ध के दिनों में भी वे अपना कर्त्तव्य निभाते रहे और व्यक्ति की स्वतन्त्रता को बनाये रखा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण लार्ड एटकिन्स का मामला है। **ईशुणफाई एलीगो बनाम गवर्नर आफ नाइजीरिया** के मामले में नाइजीरिया का वह व्यक्ति बिना किसी कानून के जेल में डाल दिया गया था। उसने न्याय के लिए सबके द्वार खटखटाए। परन्तु उसे नाइजीरिया की अदालतों में न्याय नहीं मिला और तब वह प्रीवी कौंसिल में आया। लार्ड एटकिन्स ने 1936 में, अपीलीय मामले पृष्ठ 48, पर जो कुछ कहा उसे उच्चतम न्यायालय में कई बार दोहराया जा चुका है। उन्होंने कहा :

> "ब्रिटिश न्यायशास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति की स्वतन्त्रता अथवा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कानूनी अधिकार के बिना दखल नहीं दिया जा सकता, यदि दखल दिया भी जाता है तो दखल देने वालों का दायित्व है कि वे यह सिद्ध करें कि यह कानून के अनुसार किया गया है। और वह यदि यह सिद्ध नहीं करता तो न्यायाधीश उसे इस स्वतन्त्रता से वंचित कर देगा।"

हमारी प्रणाली इस पर आधारित है। अब तक न्यायधीश ईमानदार रहे हैं।

न्यायाधीशों का वेतन इस आशा से निर्धारित किया गया था कि उनकी स्वतन्त्रता की गारंटी रहेगी परन्तु मंहगाई और अन्य कारणों से यह वेतन उनके लिए अपर्याप्त सिद्ध हुआ और आज का 3500 रु० 1950 के 400 रु० के बर बर है। आपने ये सब शिकायतें देश भर में और इस सभा में उठाई हैं और यह बात सरकार के ध्यान में भी है। वह इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

परन्तु हमें दो बातों पर गौर करना है। न्यायपालिका का ढांचा और न्यायपालिका का प्रशासन ये दो बिल्कुल भिन्न बातें हैं। न्यायपालिका का ढांचा न्यायधीशों की संख्या और उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। क्यों ? क्योंकि कई वर्षों से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हुई है। 1950 में जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई तो 3000 मामले थे और आज इनकी संख्या 85,000 हो गई है दो वर्ष पहले ये 55,000 थे। परन्तु ये ज्यामित्तीय अनुपात में बढ़ते रहे। इस प्रकार हम उन्हीं न्यायधीशों से उतने मामले नहीं निपटा सकते जितने हम निपटाना चाहते हैं। यह बात केवल उच्चतम न्यायालय के मामले में ही सच नहीं है बल्कि प्रत्येक न्यायालय, उच्च न्यायालय के मामले में लागू होती है। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या भी एक आवश्यक पहलू है।

इसके बाद योग्यता का प्रश्न आता है। मैं दो कारणों से योग्यता का जिक्र करता हूं। एक तो यह कि अच्छे न्यायधीश के बिना आप मामले जल्दी निपटाने की बात नहीं सोच सकते। हम एक ऐसे न्यायधीश को जानते हैं जो मध्यम योग्यता वाले पांच न्यायधीशों के बराबर काम करता है। यदि आप के पास अच्छे न्यायधीश होंगे तो ऐसा प्रत्येक न्यायधीश 20 न्यायधीशों का काम निपटाएगा। यह हमारा अपना अनुभव है। अतः जहां तक संविधान का सम्बन्ध है हमारी न्यायपालिका मूलतः सुदृढ़ है। इसमें उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायपालिका की व्यवस्था है और इसमें और सुधार नहीं किया जा सकता। हमें उनमें मानवीयता का पुट लाना है। उनमें गुणवत्ता लानी है। न्याय-धीशों की संख्या में भी वृद्धि करनी होगी ताकि काम तीव्र गति से हो सके। हर न्यायालय में काम बढ़ रहा है। हजारों नए कानून बनाए जा रहे हैं जिसके कारण हजारों नए अधिकार पर विपरित असर पड़ रहा है और मुकदमेबाजी आदि बढ़ रही है। इसीलिए हमारा प्रयास यही होगा कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के ही उपाय न ढूंढे बल्कि गुणवत्ता में भी सुधार लाए ताकि वकील समुदाय और शैक्षणिक क्षेत्र से प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति न्यायपालिका में आएं।

संख्या के बारे में इसलिए कहा है क्योंकि हमने यह बात स्वीकार कर ली है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश होने चाहिए। आप जानते ही हैं, कि ज्यादातर उच्च न्यायालयों में तो संख्या बढ़ा दी गई है। हम उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान सं० 18 को बढ़ाकर लगभग 30 करने पर विचार करने जा रहे हैं ताकि मामले बकाया न पड़े रहें। आज-कल उच्चतम न्यायालय विविध कार्यों को देखने वाला न्यायालय ही बन गया है। वहां केवल आवेदन पत्रों पर ही विचार होता है अपीलों पर नहीं। मुझे याद है कि जब मैं आया था तो उस समय केवल अपीलों पर ही सुनवाई होती थी और सप्ताह में दो दिन वह भी केवल एक-दो घण्टे के लिए मामलों पर सुनवाई होती थी। उच्च न्यायालयों में भी ऐसा ही होता है। अतः न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। हमने जो यह आदर्श रखा है कि किसी भी न्यायालय में फौजदारी मुकदमें एक साल से अधिक तथा दीवानी मुकदमें दो साल से अधिक समय तक अनिर्णीत नहीं रहने चाहिए। तदनुरूप न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। मेरे ख्याल से हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। परेशानी यह है कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में न्यायालय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों को ही लीजिए। बिहार में अंग्रेजों के जमाने में केवल 300 न्यायालय थे। अब वहां 1400 मैजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीश काम कर रहे हैं। 300 न्यायालयों में उनके बैठने की कैसे व्यवस्था की जा सकती है ? इसीलिए वे खुले

आकाश के नीचे काम करते हैं। उन्हें पेशाबघर आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा भी उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए हम इस बारे में काफी जागरूक हैं। न्यायिक सुधार आयोग की स्थापना की जा रही है लेकिन इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा किए बिना हमें जल्दी तथा कारगर ढंग से काम करना होगा। अतः में मैं माननीय सदस्यों तथा प्रो० मधु दण्डवते से इस बारे में पूरी तरह सहमत हूं कि अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में भी यही रवैया अपनाया जाना चाहिए। उनकी बहुत समय तक उपेक्षा की गई है। विश्वयुद्ध से पूर्व अंग्रेजों के जमाने में एक जिला न्यायाधीश को 2500 रु० मिला करते थे। रुपए की मौजूदा कीमत को देखें तो इस समय उक्त रुपयों की कीमत 25.000 रु० बैठती है। जिला न्यायाधीश के पास कार हुआ करती थी और वह राजकुमारों की तरह रहा करता था। और अब जिला न्यायालयों में जाने पर मैं देखता हूं कि जिला न्यायाधीश के कोट पर पांच टांके पैबंद लगे होते हैं—मैंने खुद गिने हैं पांच टांके लगे होते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : पांच सितारे।

एक माननीय सदस्य : कंजूस।

श्री ए० के० सेन : क्या आपको मालूम है कि न्यायाधीश जो काली जाकेट और कोट पहनते हैं, उनकी कीमत कितनी बैठती है। आजकल कम से कम 1000 रु० की। इसलिए न्यायाधीस को कंजूस मत कहिए। दिल्ली में एक जिला न्यायाधीश मुझे बता रहे थे कि मजिस्ट्रेट तथा न्यायाधीशों को शाहदरा बसों में जाना पड़ता है। दफ्तर के समय बसों में बहुत भीड़भाड़ होती है। कई बार क्या होता है कि चपरासी तो पहले चढ़ जाता है और वह पीछे ही रह जाते हैं और उन्हें उन्हीं वादियों के साथ धक्का मुक्की करनी पड़ती है जिन्हें संभवतः उसी दिन उनकी अदालत में पेश होना होता है इन विसंगतियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार उक्त मामले में बहुत फुर्ती दिखा रही है। अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यक्षमता, समान और गरिमा को उस स्तर तक पहुंचाना है जो स्तर पुराने समय में, दुर्भाग्य से ब्रिटिश शासन के समय में था। मुझे वह महान न्यायाधीश याद आ रहा है जिसने महात्मा गांधी पर चलाए गए मुकदमें में फैसला सुनाया था। उनका फैसला एक यादगार बनकर रह गया है। महान अंग्रेज न्यायाधीश श्री अरविन्दो द्वारा सुनाया गया फैसला अंग्रेजी इतिहास में एक स्मृति चिन्ह बन गया है। गांधी जी ने जब न्यायालय में कदम रखा तो श्री अरविन्दो एकदम से खड़े हो गए···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इसे न्याय संघर्ष कहा गया।

श्री ए० के० सेन : कानून तो तथाकथित राजद्रोहियों का भी सम्मान करता है। यही तो न्याय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय न्याय व्यवस्था का आधार है। 4 उच्च न्यायालयों को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय की मूल शाखा नहीं है। सभी अधीनस्थ न्यायालयों की मूल शाखाएं हैं। जब तक उनके स्तर गरिमा तथा काम की दशाओं में सुधार नहीं किया जाता तब तक हम उनका पूरा सदुपयोग नहीं कर सकते और यह हमें करना होगा असली फायदा तो व्यावसायिक जगत को मिलता है। आज मुझे बम्बई के एक न्यायाधीश ने बताया-—सुनकर बड़ी हैरानी हुई, मैं नहीं जानता था कि एक बड़ी बहु-राष्ट्रीय फर्म के ड्राईवर को मंहगाई भत्ता बोनस आदि मिलाकर महीने में लगभग 3000 रु० मिलते हैं और सफाई वाले को 2000 रु०···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा, हिन्दुस्तान लीवर आदि बहुत सी कम्पनियां दे रही हैं।

श्री ए० के० सेन : उस कम्पनी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं यह सुनकर बहुत हैरान

हुआ था और अपनी अज्ञानता पर मुझे अफसोस भी हुआ था। उक्त मजिस्ट्रेट ने मुझे बताया कि कभी उन्हें दादर से, कभी माहीम से और कभी इनसे भी अधिक दूरी पर स्थित जगहों से आना पड़ता है। वह कहने लगे, "मुझे देखिए बम्बई की गरमी में हर समय पसीना से नहाए रहता हूं। जिस न्यायालय में मैं बैठता हूं वह वातानुकूलित नहीं है। कई बार बिजली भी चली जाती है और हम चिढ़ते-कुढ़ते रहते हैं" ऐसे न्यायाधीश से आप कैसे न्याय की आशा करते हैं? इन समस्याओं पर हमें विचार करना होगा।

सदन को मैं कुछ एक मामलों से अवगत कराना चाहूंगा। मुझे खुशी है इस बार न्याय मंत्रालय की मांगों पर चर्चा न होने के कारण हमें इस पर विचार विमर्श करने का अवसर मिला है। सम्भवतः माननीय सदस्य को उन अनेक बातों का पता नहीं होगा जो इस दिशा में की गई हैं। मेरा पैर कहीं इधर उधर हो गया है। कल तो यहीं पड़ा था। बहरहाल मुझे याद है। किसी ने कहा था कि इन कमीने वकीलों ने न्याय के मंदिर को गंदा कर दिया है। वकीलों न्यायाधीशों, मुकदमेबाजों के बिना न्याय का कोई भी मन्दिर ठीक से काम नहीं कर सकता। इग्लैंड में भी वकीलों को खलनायक माना जाता है। स्विफ्ट की पुस्तक पढ़िए। मैं उनका लिखा उद्धत कर सकता हूं। वह कहता है'''(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : वह तो उद्धहरणों की पुस्तक है।

श्री ए० के० सेन : नहीं नहीं, वह आम किताब नहीं है। प्रो० दंडवते यह उद्धहरण तो आपको मेरे सिवाय कहीं और से नहीं मिलेगा।

स्विफ्ट कहता है—ये वकील हैं। तूफान से बचने के लिए अगर आप उनके चैम्बर में भले ही उनके मधुर स्वभाव के वशीभूत होकर चले जाए पर वर्षों एड़ी-चोटी का जोर लगाने के बाद जब आप वहां से निकलेंगे तो आप सब कुछ वैसे ही गंबा बैठेंगे जैसे तूफान् का मारा कोई पोत बन्दरगाह में पहुंचता है। और डिकन ने अपनी पुस्तक 'ब्लीक हाउस' में कहा है कि "चांसलरी कोर्ट में **जानडंस बनाम जार्न-डाइस** मुकदमा चल रहा है। सभी भद्रजन अपने बिग और चश्मा लगाए बैठे हैं और कागज देख रहे हैं मुकदमा 20 साल से चल रहा है। लोग आए और चले गए और कोई चारा नहीं मिला। सावधान हो जाइए। इस चासलरी कोर्ट में कभी प्रवेश मत करना"। लेकिन अब ऐसा नहीं है गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता तथा इस व्यवस्था के सुचारु होने के कारण आम जनता पहले की तुलना में अब अदालतों में जाना अधिक पसन्द करती है। हमारी कानूनी सहायता व्यवस्था अधिक उन्नत किस्म की है। इसके द्वारा हम न केवल वादियों को अदालतों में सहायता पहुंचा रहे हैं बल्कि हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी सहायता शिविरों तथा कानूनी शिक्षा द्वारा लोगों को मुकदमें बाजी से रोका जाए केरल मद्रास और अन्य अनेक राज्यों में इस दिशा में बहुत सफलता मिली है। जब मैं मद्रास में था तो वहां मुझे कानूनी सहायता के अध्यक्ष श्री राघवचारी ने बताया कि पिछले कानूनी सहायता शिविर में 3,000 मामले आए। भारतीय कानूनी सहायता व्यवस्था की ये कुछ विशेषताएं हैं जो अंग्रेजी न्याय व्यवस्था से काफी भिन्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय एक कहावत है कि आदमी को अगर कोई असाध्य बीमारी है, उसकी आमदनी भी काफी नहीं है और वह सिविल कोर्ट या ऐसी ही किसी अदालत में चला जाता है तो उसके घर की हालत ऐसी हो जाएगी जैसे किसी ने उसके घर चोरी कर ली हो। ऐसा नहीं होता क्या एक बार एक भाषण में मैंने यह कहा था और अवमानना के लिए मेरे खिलाफ रिट याचिका दायर कर दी गई थी।

श्री ए० के० सेन : अन्तिम बात न्यायाधीशों की प्रतिबद्धता के बारे में है। न्यायाधीश की केवल यही प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि वह संविधान, आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए संविधान में निर्धारित किए गए नीति निर्देशक सिद्धान्तों, समतावादी समाज की स्थापना आम व्यक्ति को न्याय

सुलभ कराने तथा शीघ्र न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध हो। न्यायधीश द्वारा ली गई यह शपथ ही उसकी प्रतिबद्धता है कि वह निर्भय और निष्पक्ष होकर संविधान तथा कानून के अनुसार कार्य करेगा। यही उसकी प्रतिबद्धता है। लेकिन प्रो० मधुदंडवते कहते हैं कि प्रतिबद्धता का अर्थ है प्रतिबद्धता से पथभ्रष्ट होना इसका अर्थ प्रतिबद्धता नहीं है बल्कि व्यक्तियों के प्रति निष्ठावान होना है।

प्रो० मधु दंडवते : पिछली गड़बड़ी आपने ठीक कर दी। आपकी टिप्पणी से मैं खुश हूं।

श्री ए० के० सेन : मेरे ख्याल से आपका आशय उन गड़बड़ियों से है जो जनता शासन के दौरान हुईं।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं, नहीं।

(व्यवधान)

श्री ए० के० सेन : मेरे ख्याल से प्रतिबद्ध न्यायाधीश अच्छा न्यायाधीश होता है लेकिन निष्ठाहीन या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठावान न्यायाधीश अच्छा न्यायाधीश नहीं कहला सकता।

प्रो० मधु दंडवते : वाजिब फरमाया।

श्री ए० के० सेन : न्यायाधीशों को निर्भय और निष्पक्ष होकर फैसले सुनाने चाहिए। लार्ड कॉक इंग्लैंड के मुख्यधीश थे। जेम्स प्रथम ने उनसे एक मुकदमे पर कारंवाई करने से मना किया। उन्होंने जो जवाब दिया वह यादगार शब्द बन गए हैं :

> "मैंने न्याय करने की शपथ ली है। मुझे खेद है कि मैं हिज मैनिस्टी की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता क्योंकि यह मेरे द्वारा ली गई शपथ के खिलाफ होगा"।

जेमस प्रथम ने अपने अन्य चापलूस न्यायाधीशों से पूछा कि क्या वे उससे सहमत हैं।

प्रो० मधु दंडवते : आपने हिज मैजिस्टी कहा।

श्री ए० के० सेन : जी हां, क्योंकि उस समय हर मैजिस्टी नहीं थीं। उस समय जेम्स प्रथम थे।

उसके साथ 12 न्यायाधीश थे। बाद में हिज मैजिस्टी ने न्यायाधीशों से पूछा कि क्या वे लार्ड कॉक से सहमत हैं। उन चापलूस न्यायाधीशों ने कहा कि नहीं वे सहमत नहीं हैं और उन्होंने उस मामले की सुनवाई नहीं की जिसके लिए राजा ने उन्हें मना किया था। इन चापलूस न्यायाधीशों को इतिहास ने भुला दिया। वे गुमनामी के अन्धेरे में खो गए लेकिन लार्ड कॉक ने जो उदाहरण पेश किया वह एक स्थायी उदाहरण बन गया है। यह स्तर और सिद्धात होना चाहिए। इसी मानदंड की हमें आकांक्षा करनी चाहिए।

जहां तक कांग्रेस दल का सम्बन्ध है सरकार का यही विचार है कि न्यायापालिका में चापलूस न्यायाधीश कभी नहीं होंगे। न्यायपालिका केवल संविधान में दिए गए उपबन्धों के अनुसार काम करेगी न्यायधीशों से यह आशा की जाती है कि उनके फैसलों में मानवीयता का पुट हो। फैसले शुष्क कानूनों के आधार पर ही नहीं सुनाएं। उन्हें संविधान में दिए गए निर्देशों का पालन महात्मा बुद्ध, महात्मा, गांधी तथा ईसा की शिक्षा को ध्यान में रख करना चाहिए। इसी से हमारे जैसे देश में लोगों को न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। न्यायधीशों द्वारा दिए गए फैसलों में मानवीयता का पुट होना चाहिए। उसे ऐसा न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए जो कानून की पुस्तकों में दिए अर्थ के अनुसार ही फैसले सुनाए और माननीय कमजोरियों को ध्यान में न रखें।

इन शब्दों के साथ मैं अब सभी माननीय सदस्यों को सरकार को बढ़िया सुझाव देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सदस्यों के विचारों में एकमतता है। माननीय प्रधान-

मन्त्री यहां मौजूद हैं। मैं सभी सदस्यों की यह इच्छा अभिव्यक्त करता हूं कि न्यायधीशों की कुछ सेवा शर्तों में अवश्य सुधार किया जाना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि न्यायाधीशों को दिए जाने वाले सवारी भत्ते के साथ यात्रा भत्ते में भी वृद्धि की गई है—अब निशुल्क यात्रा कर सकेंगे उन्हें मिलने वाले पानी तथा बिजली भत्ते में भी वृद्धि की गई है। बात बहुत छोटी है। लेकिन इसे व्यापक दृष्टि से देखिए। इंग्लैंड तथा अन्य देशों में ऐसा ही किया गया है ताकि न्यायाधीशों को पहले की तरह वही गरिमा और अधिकार मिल सकें जो हम उन्हें दिलाना चाहते है। उन्हें पानी, बिजली आदि की मांग न करने दें। उन्हें कुछ सुविधाएं उदारतापूर्वक दें। देश इसके लिए उनसे कभी ईर्ष्या नहीं करेगा। विंस्टन चर्चिल ने कहा था "न्यायपालिका हमारी महानतम संस्था है उसे यह सब देने से हम कभी इन्कार नहीं करेंगे। महोदय, इन शब्दों के साथ···

प्रो० मधु दण्डवते : सबसे बड़ी बात है उन्हें आजादी दें।

श्री ए० के० सेन : आजादी मिली हुई है। आपके समय में उन्हें आजादी नहीं थी।

(व्यवधान)

जहां तक स्थानांतरण का सम्बन्ध है, सभी मामलों में स्थानांतरण मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किया गया है। एक भी मामले में मुख्य न्यायाधीश की सलाह के बिना स्थानांतरण नहीं किया गया है।

श्री ई० अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में की गई टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया गया। बड़ी सफाई से आपने मामले को टाल दिया है।

श्री ए० के० सेन : मैं बताता हूं क्यों ऐसा किया गया। संविधान अंगीकृत करने के बाद नियमानुसार न्यायाधीशों के आचरण की आलोचना या उसकी चर्चा नहीं की जा सकती। इसलिए वे जो कुछ चाहे कहने को स्वतंत्र हैं और हस्तक्षेप न करने के नियमों से बन्धे हुए हैं। उनकी टिप्पणी पर कुछ कह कर हम विवाद में नहीं पड़ना चाहते।

प्रो० मधु दंडवते : विस्तार में मत जाइए क्योंकि आपने दार्शनिक आधार पर चर्चा कर ली है।

श्री ए० के. सेन : न्यायमूर्ति तुलजापुरकर के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन हो सकता है कि उनके द्वारा व्यक्त विचारों से कोई सहमत न हो। इसे थोड़ा अधिक संयमित होना चाहिए। इस बारे में मतभेद हो सकता है। मैं तो इस बात का खंडन करूंगा कि न्यायाधीश चापलूस हो सकते हैं हमें चापलूस न्यायाधीश नहीं चाहिए। इन टिप्पणियों से जनता यह समझने लगेगी कि ऐसे न्यायाधीश इधर उधर है जरूर। मैं नहीं सोचता कि इससे न्यायाधीशों का भला हुआ है। चापलूस न्यायाधीश नहीं चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

प्रो० मधु दंडवते : यही सही प्रतिबद्धता है।

अध्यक्ष महोदय : बजा फरमाया।

1.37 म० प०

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) संशोधन विधेयक—जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम (1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा-शर्तें) अधिनियम 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

श्री विजय कुमार यादव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने कल भी इस सवाल पर अपने कुछ विचार व्यक्त किए थे और आज मैं केवल एक बात उसमें जोड़ना चाहता हूं, जहां तक जजेज की फैसिलिटीज बढ़ाने का सवाल है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं और कल भी जो डिसकशन हुआ, उसमें तमाम लोगों ने एकमत से जो फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं, उसका समर्थन किया था।

1.39 म० प० [उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अभी ज्युडिशल रिफार्म्स के सवाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारे देश के अन्दर ज्यूडिशल व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए न केवल जजेज की जरूरत है, बल्कि लायर्स की भी जरूरत है और हम देश के अन्दर यह पाते हैं कि जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है। बगैर एडवोकेट्स की स्थिति को बेहतर बनाए हुए हम बेहतर जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार आल इण्डिया पैमाने पर यह विचार करे कि जूनियर एडवोकेट्स की जो स्थिति अभी है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सके। मैंने इस बारे में एक सवाल भी किया था। उसके जवाब में मंत्री महोदय ने बताया था कि इस मामले पर केन्द्रीय सरकार कोई कमेटी बनाने जा रही है और जूनियर एडवोकेट्स की स्थिति की जांच पड़ताल आल इण्डिया स्केल पर सरकार करना चाहती है। मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस काम में वह जल्दी करें चूंकि पूरे देश के पैमाने पर जो जूनियर एडवोकेट्स हैं, उनकी ओर से सेन्ट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इस तरह के रिप्रेजन्टेशन्स आ रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने इस सवाल को एजीटेट भी किया है। हम यह आशा करते हैं कि सरकार इस मामले में जल्दबाजी करेगी और कोई ऐसा कदम उठायेगी जिससे उनकी स्थिति में सुधार हो सके और वे ठीक ढंग से कोर्ट्स के अन्दर काम कर सकें तथा अच्छे न्यायालय की दिशा में कोर्ट को उचित सहयोग प्रदान कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शांताराम नायक (पणजी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक तरह से यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधान मन्त्री जी के कहने पर हमारे विधि मंत्री ने देश में न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों या उनकी समस्याओं को सुलझाने का बीड़ा उठाया है। निसंदेह 'बार' का बहुत अनुभव होने के कारण मानन य मंत्री श्री अशोक सेन समस्याओं पर कारगर ढंग से विचार करेंगे और उन्हें सुलझाएंगे।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा कि देश में तीन अंग विभाजित किए गए हैं जैसे न्याय ा

कार्यांग और विधानांग हर एक अंग को अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रह कर काम करना होता है। कई बार कहा जाता है कि कार्यपालिका तो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप करता है। समय-समय पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं। मगर बड़ी अजीब बात है कि आज कल—मैं सम्मानजनक ढंग से कह रहा हूं—कई बार न्यायपालिका विधानमंडल के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। मेरे पास इसके सबूत हैं। उदाहरण के लिए एक वर्ग विशेष के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण किया जाए इसका निर्णय विधानमंडल करता है। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं। प्रतिशत का निर्णय कौन करता है? न्यायपालिका निर्णय लेती है। हो सकता है मैं ठीक नहीं कह रहा हूं। लेकिन न्यायपालिका का कहना है कि निर्धारित प्रतिशत से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरे विचार से यह विधान मण्डल की शक्तियों का कुछ हद तक अतिक्रमण है अतः सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिए।

विधान मंडल की शक्तियों में दूसरे प्रकार का हस्तक्षेप इस तरह किया जाता है। न्यायपालिका का काम मौजूदा-कानून की केवल व्याख्या करना होता है। हां वह पूर्वोदाहरण के अनुसार न्यायिक निर्णय ले सकती है। पर उसे विधान सम्बन्धी नया क्षेत्राधिकार नहीं बना लेना चाहिए। उदाहरण के लिए संविधान निर्माण के समय "मूल ढांचा" जैसी बात नहीं थी। 1955 से संविधान की व्याख्या की जा रही है लेकिन किसी को पता नहीं चला कि "मूल ढांचा" क्या है। 1972-73 में ही कुछ न्यायाधीशों को पता चला कि "मूल ढांचा" क्या है? अगर कागजों पर इस बारे में कुछ लिखा हुआ होता तो 1955-1956 या 1957, में ही लिखा हुआ होता जब उच्चतम न्यायालय ने संविधान की व्याख्या की थी। ऐसा कैसे हुआ कि संविधान की व्याख्या किए जाने के 10-15 साल बाद कुछ न्यायाधीशों को "मूल ढांचे" के बारे में पता चला? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका को कानून की व्याख्या ही करनी चाहिए, कोई नया कानून नहीं बनाना चाहिए।

जहां तक जन हित से सम्बन्धित मुकदमों का सम्बन्ध है मैं इस बारे में कुछ कहना चाहूंगा। यह अच्छी बात है कि जनहित मुकदमें भी हैं। लेकिन इसमें भी कुछ नियम विनियमन होंगे। एक आवेदन पत्र मिला नहीं कि आप उसको याचिका समझने लगे। यह ठीक बात नहीं है। इसीलिए निम्न न्यायालयों में सभी कानूनों का कड़ाई से पालन किया जाता है। निम्न न्यायालयों में प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाता है और उच्च स्तर पर क्या होता है हम एकमात्र आवेदन पत्र को याचिका मान बैठते हैं। अगर इस सम्बन्ध में कुछ नियम तथा विनियम हो तो उचित रहेगा।

कानूनी सहायता की व्यवस्था करना अच्छी बात है। इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। अन्यथा अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और गरीबों को न्यायालयों में न्याय नहीं मिलेगा।

एक और जिस मुद्दे पर मैं बात करना चाहता हूं वह है कि सरकार ने देश के दक्षिणी क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय की बैंच स्थापित करने की संभावना से इंकार किया है। मेरे ख्याल से यह जनता तक न्याय पहुंचाने के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। निसंदेह न्याय तथा निम्न स्तर पर न्यायपालिका को जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जब न्याय जनता तक पहुंचता है तो सभी तरह के न्यायालय—उच्चतम न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों—को जनता तक पहुंचाना ही होता है। अतः दक्षिण में कहीं भी उच्चतम न्यायायय की बैंच स्थापित की जानी चाहिए। अगर इस बारे में विवाद हो कि इसे मद्रास में स्थापित किया जाए अथवा बंगलौर में तो मेरा सुझाव है कि इसकी स्थापना गोआ में की जा सकती है। वहां हमारे पास जमीन है तथा गोआ एक अविवादास्पद स्थल है। गोआ में एक बैंच स्थापित की जा सकती है।

राज्य विधान मंडलों तथा संसद द्वारा पारित अनेक अधिनियम, कानून तथा विधान हैं। बहुत से मामलों में एक ही विषय पर राज्य विधान मंडलों तथा संसद द्वारा पारित अनेक कानून हैं जिसके कारण केवल खण्डशः कानून या अधिनियम ही बनता है। अगर एक ही विषय पर राज्य विधान मंडल तथा संसद द्वारा पारित कानून है तो ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि पुस्तक के एक ही सैट में वे कानून मिल जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री इन मुद्दों पर विचार करेंगे। मैं विधि मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री के० आर० नटराजन (डिंडिगुल) : उपाध्यक्ष महोदय, ए० आई० ए० डी० एम० के दल की ओर से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं मुझे आशा थी कि विधि मंत्री द्वारा एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। अब उन्होंने यह वायदा किया है कि जहां तक न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का संबंध है वह इस बारे में एक व्यापक विधेयक पेश करेंगे। विधि मंत्री जी यह कहने के लिए अब आगे आए हैं कि वेतन और भत्तों में वृद्धि की जानी चाहिए। हम सुझाव देते हैं कि जहां तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है, न्यायाधीशों के वेतन को 5,000 रु० प्रति महीने तक बढ़ा दिया जाए। जहां तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का संबंध है इसे 6000 रु० प्रति महीने कर दिया जाए। जहां तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का संबंध है उनके वेतन को 6000 रुपये प्रति महीने तक बढ़ा दिया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 7000 रु० प्रति महीने तक कर दिया जाए। इसके अलावा सरकार के सचिवों की तरह ही उन्हें मोटर कार भत्ता, मकान भत्ता जैसे अन्य भत्ते दिए जाने चाहिए।

इस समय यह भी कहना है कि जिला न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिए। जिला न्यायाधीशों का वेतन राज्य के आई० ए० एस० के अधिकारी के बराबर होना चाहिए।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय की एक बैंच मद्रास में स्थापित की जानी चाहिए। मद्रास एक लम्बे समय के लिए मद्रास नगर, संयुक्त मद्रास प्रेसिडेंसी की राजधानी था जिसमें अब आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के अधिक क्षेत्र शामिल हैं। अतः दक्षिण में उच्चतम न्यायालय का एक खण्डपीठ या दौरा सर्किट बेंच स्थापित करने के लिए वह उपयुक्त स्थान है। तीन में से एक चार्टड उच्च न्यायालय मद्रास में स्थापित है। मद्रास में एक बहुत अच्छा पुस्तकालय उपलब्ध है। मद्रास, दक्षिण में केन्द्रीय स्थान पर है। इसलिए उच्चतम न्यायालय की एक खण्डपीठ मद्रास में स्थापित की जानी चाहिए।

इसके अलावा मद्रास उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ मदुरै में स्थापित की जानी चाहिए। वह स्थान उपयुक्त है।

लगभग 200 वर्ष पहले ब्रिटिश लोगों ने मदुरै में एक जिला न्यायालय स्थापित किया था। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आता था जो अब दक्षिण जिले में अधिकतर वह क्षेत्र तिरुचि, रामानाथ पुरम, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी बन गये हैं।

सर्किट बैंच की स्थापना के लिए मदुरै स्थान उपयुक्त है। इसके अलावा मदुरै एक महत्वपूर्ण नगर है जैसा कि रामायण में भी बताया गया था। वह प्राचीन नगर है। वहां 3000 सी० सी० से तीन तमिल संगम और न्यायालय कार्य कर रहे थे। इन परिस्थितियों में मद्रास उच्च न्यायालय की एक सर्किट बैंच की स्थापना के लिए यह स्थान उपयुक्त है।

जहां तक मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का सम्बन्ध है, केवल तमिल जानने वाले न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि मूल दस्तावेज तथा शपथपूर्वक साक्षी केवल तमिल में ही उपलब्ध है। इसलिए मद्रास के उच्च न्यायालय के लिए केवल ऐसे न्यायाधीशों को नियुक्त करना चाहिए जिन्हें तमिल आती हो। इसके बाद अब ऐसी नीति बनाई गई है कि मुख्य न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। जहां तक मद्रास उच्च न्यायालय का सम्बन्ध है वहां मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में बार बार परिवर्तन होता है। मद्रास उच्च न्यायालय में कई पदों को नहीं भरा गया है। इसका कारण यह है कि नये मुख्य न्यायाधीश किसी अधिवक्ता या किसी अधीनस्थ न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्य या उपयुक्त नहीं समझ रहे। उसे किसी और पर निर्भर होना पड़ता है और वह कौन है इसका पता नहीं है। वह उचित निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। अतः यह ज्यादा अच्छा होगा कि राज्य सरकार के दृष्टिकोण को अधिक महत्व दिया जाए। उनके पास अधिवक्ता की उपयुक्तता या न्यायाधीश के पद के लिए जिला न्यायाधीश के मूल्यांकन करने के कई माध्यम होते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय में रिक्तियों को उपयुक्त उम्मीदवारों के द्वारा ही भरा जाना चाहिए।

इन परिस्थितियों में मैं अनुरोध करता हूं कि इन सुझावों को लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रभावी उपाय यथाशीघ्र करने चाहिए।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहुत विस्तार से जुडीश्यल रिफार्म्स के बारे में बातें कही गईं और मैंने यह देखा है कि जुडीश्यरी मात्र जजों से नहीं बनती, बल्कि उसके तीन प्रमुख अंग हैं—जज, एडवोकेट और लिटिगेंट। मैं यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि जुडीश्यरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट मुवक्किल होता है, जिसे लिटीगेन्ट कहते हैं। सारा पैसा उसका होता है, जुर्माने के रूप में, कोर्ट फीस के रूप में और तमाम मदों के रूप में, लेकिन आज तक जुडीश्यरी के इस प्रमुख अंग के बारे में विधिवत विचार नहीं किया गया है। मान्यवर, ये सारी व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि गरीबों को न्याय मिले और आज 10-12 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। इतने वर्षों के गुजर जाने के बाद आज भी मुकदमे पेन्डिग पड़े रहते हैं, इसलिए कि तारीख पर तारीख देते रहते हैं और फैसले नहीं किए जाते हैं। मान्यवर, उन मुकदमों में तरमीम के नाम पर, डाक्यूमेंट्स पेश करने के नाम पर, इम्पोर्टेन्ट चीजों के दाखिल न होने के नाम पर, बराबर मौका देते रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो डाक्यूमेंट्स या जो पर्टिकुलर्स मुकदमे से सम्बन्धित हों, वे न्यायालयों में पहले दाखिल कर दिए जाएं, ताकि जो न्याय मिलने में बिलम्ब होता है, उसमें कटौती की जा सके।

हिन्दुस्तान के कुछ राज्यों में समरी ट्रायल्स होते हैं। आज कुछ राज्य ऐसे हैं जहां मामूली-मामूली अपराधों में भी 2,2 और 3,3 साल ट्रायल्स में लग जाते हैं। गवाहियां गुजरने में, इश्यू फ्रेम करने में, जजमैंट डिलीवरी करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। छोटे-छोटे मुकदमें गैम्बलिंग के केसेज अलकोहल के केसेज में जैसे महाराष्ट्र सरकार करती है, सारे मुकदमों को तत्काल सुनवाई के बाद समाप्त कर दिया जाना चाहिए ताकि यह जो सुनाई देता है कि लाखों केसेज पैंडिंग पड़े हैं, वह समाप्त हो जाए।

एक और महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है मुकदमों में वस्तुस्थिति का जायजा लेने के लिए कमिश्नर की नियुक्ति का किया जाना। हमारे

सारे माननीय सदस्यों की जानकारी में यह तथ्य है कि किसी प्लाट का या किसी कन्ट्रोवर्शियल हाउस का या किसी कन्ट्रोवर्शियल वस्तु का मुआयना करने के लिए, स्कैच, नक्शा बनाने के लिए एक कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए लिटिगैंट को 75 रुपये उसकी फीस के रूप में जमा करनी होती है। जब वह नक्शा अदालत में दाखिल होता है तो दूसरा पक्ष उस पर एतराज करता है कि नक्शा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल फैक्ट से अलग है तो फिर उस मुवक्किल को कहा जाता है कि दूसरा कमिश्नर नियुक्त होगा और उसे 75 रुपये फिर जमा कराने पड़ते हैं। फिर दूसरा नक्शा भी गलत साबित कर दिया जाता है और इस तरह से 3,3 साल तक बीसियों कमिश्नर नियुक्त होते रहते हैं और मुवक्किल को हर बार फीस जमा करानी पड़ती है और कार्यवाही में अनावश्यक देरी होती रहती है।

1.56 म० प० **[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]**

मैं चाहूंगा कि जुडिशिल रिफार्म के इस मुद्दे पर हम महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे हैं, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि गरीब लोगों को न्याय जल्दी, शीघ्रता से और कम पैसों में सुलभ हो सके।

अभी बहुत विस्तार से न्यायधीशों की सुविधाएं, तनख्वाह और जीवन-यापन से सम्बन्धित सुविधाओं के बारे में बातें कही गई हैं, मैं उनको सपोर्ट करता हूं। मान्यवर, दंडवते जी ने कल कहा था कि तमाम सीनियर्स को सेप्रस करके जूनियर्स की तरक्की की जाती है। मैं बहुत बुलन्दी से इस हाउस में कहना चाहता हूं कि सीनियोरिटी ही एक गुण नहीं होना चाहिए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए बल्कि उनकी एफीशियेंसी, स्किल और प्रीवियस एक्टीविटीज को मद्देनजर रखते हुए उनकी नियुक्ति पदोन्नति की जानी चाहिए क्योंकि न्यायाधीश का पद गरिमा और गौरव का है।

आज हमारें सामने ऐसे उदाहरण हैं जो कि देश में हुए हैं कि भयभीत होकर जजेज ने बड़े-बड़े अपराधियों को बेल-आउट कर दिया है जबकि कानून इंडियन पीनल कोड के तहत उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी। शासन का यह दायित्व, फर्ज और कर्तव्य है कि वह इस बात की काफी गारण्टी करे जिससे जजेज न्याय देने में भयभीत न हों, उनकी सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

देश को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था की बड़ी महत्ता है। हमारे कांस्टीट्यूशन फ्रेमर्स ने इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए एक इंडीपैंडेंट जुडिशियरी की कल्पना की थी और वह कायम भी की गई, लेकिन आज कामन-मैन का न्यायपालिका से विश्वास हटता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि अगर लोगों को न्याय सुलभ नहीं होगा, न्याय पर से उनका एतबार हटेगा, न्याय में विलम्ब होगा, न्याय खर्चीला होगा तो समाज अराजकता की ओर चला जाएगा। अगर न्याय पर से विश्वास हटा तो अराजकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और समाज की स्थिति अस्त-व्यस्त हो जायेगी।

सभापति महोदय, जो सुझाव दिए गए हैं, समय बहुत कम आपने दिया है, बड़े मूल्यवान विचार मैं रखना चाहता था, और आपके माध्यम से इस फ्लोर से मन्त्री जी तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन ये ऐसे बिन्दु हैं जिन पर विचार कर हम न्याय व्यवस्था को तेजी से आगे ले जा सकते हैं और समाज को न्याय सुलभ करा सकते हैं।

जहां तक पैनल्टी का सवाल है, हम सभी लोग जानते हैं कि दो पक्षों में मुकदमेंबाजी होती है। एक पक्ष अगर अपने विटनैस के साथ हाजिर नहीं होता है तो न्यायालय उस पर जुर्माना कर देता है जिसे टैक्नीकल भाषा में कास्ट कहते हैं।

2.00 म० प०

वह कास्ट उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसका हर्जाना हुआ, जिसका उस दिन नुकसान हुआ, लेकिन आज हमारे देश में वह कास्ट मुवक्किल को न मिलकर वह धन एडवोकेट की जेब में चला जाता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिसका नुकसान हुआ उस व्यक्ति को वह धन मिलना चाहिए, बीच में एडवोकेट उस धन को न ले सकें।

जहां तक मुकदमों के निपटाने का सम्बन्ध है, उसमें कोटे निर्धारित किए गए हैं कि प्रत्येक न्यायाधीश को इतने मुकदमों का इतने महीने में फैसला करना है, लेकिन देखा यह जाता है कि जो मुकदमे बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण हैं, उनको छोड़ दिया जाता है और मामूली मुकदमे निपटाकर कोटा पूरा किया जाता है, इसलिए जहां कोटा फिक्स किया गया है, वहां इस बात की भी व्यवस्था की जाये कि न्यायाधीश के कोटे में बड़े, गम्भीर और इम्पोर्टेंट मुकदमे भी शरीक किए जाएं। इस प्रकार सामान्य मुकदमों को निपटाकर कोटे पूरे करने की प्रथा समाप्त हो जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : महोदय, न्यायिक सुधारों के बारे में मन्त्रीजी के महान भाषण में एक बड़ा विषय ले लिया गया है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है यह मुख्यतः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित है और यह छोटा-सा संशोधन है जिसके द्वारा हम न्यायाधीशों के यात्रा भत्ते में 300 रुपये से 500 बढ़ा रहे हैं।

दोनों तरफों से माननीय सदस्यों के भाषण सुनने के बाद हमने कुछ टिप्पणियों को नोट किया है और हमने मंत्रीजी के माध्यम से यह भी आश्वासन दिया है सभा में जो कुछ कहा गया है, सरकार इस बारे में उससे भी अधिक चिन्तित हैं।

महोदय, मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में स्वीकृति एक प्रस्ताव के अनुरूप यह संशोधन लाया गया है। उन्होंने स्वयं यह सिफारिश की थी कि यात्रा भत्ता 300 रुपये से 500 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए, बैठक की यह सिफारिश अनिर्णीत पड़ी हुई थी और हमने इस गरिमापूर्ण सदन में उन्हें पेश करना सौभाग्य समझा है।

जब हमने यह भार सम्भाला तो तीन मामले अनिर्णीत पड़े हुए थे। एक मामला यात्रा भत्ते के बारे में था। दूसरा मामला पानी और बिजली के प्रभार के बारे में था। क्योंकि उन्हें निःशुल्क आवास दिया जाता है और वे पानी और बिजली प्रभार के लिए 200 रुपए प्रति महीने के भी पात्र हैं तो उनकी यह इच्छा हुई कि जो कुछ मंत्रिमण्डल के मंत्रियों को जो राशि मिलती है उन्हें भी उसके बराबर राशि मिलनी चाहिए। हम इस मामले पर भी विचार कर रहे हैं। न्यायाधीशों की यात्रा सुविधाओं के बारे में भी हम सोच रहे हैं। अतः मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो कुछ सिफारिशें की गई थी इन सबको सरकार ने सभी सुझावों को व्यवहार्य रूप से लागू कर दिया है। मुझे सदन को विश्वास में लेते हुए खुशी होती है कि तीन सेवा शर्तों के बारे में सभी सिफारिशों के, जिनका सुझाव दिया गया था, बिना, किसी शर्त के सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इस बात से पता चलता है कि न्यायाधीश हमसे जो कुछ करने को अपेक्षा करते हैं हमने उसे हमेशा स्वयं ही कर दिया है।

इस गरिमापूर्ण सदन की सूचना के लिए इस मामले में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान

के अन्तर्गत व्यवस्थित उनके वेतन के अतिरिक्त 1984 से सरकार ने सभी न्यायाधीशों को 2250 रुपये प्रति महीने मंहगाई भत्ते की मंजूरी दी है। अतः महोदय, मुद्रास्फीति को देखते हुए जो दिन-प्रतिदिन हमारी जिन्दगी में होता है। उनके वेतन में यह वृद्धि की गई है इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के 500 रुपये प्रति महीने का व्यय भत्ता भी मिलता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 300 रुपये प्रति महीने व्यय-भत्ता मिलता है। यात्रा भत्ता जो पहले 300 रुपये दिया जाता था उसे हम 500 रुपये बढ़ा रहे हैं। बाद में हम इन सब बातों पर और आगे जाएंगे जब हम मुख्य न्यायाधीशों से मिलेंगे और उपयुक्त संशोधनों पर विचार करेंगे। प्रो० रंगा चिन्तित थे और हम सब भी इस बारे में सोचते हैं। हम इन सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए उत्सुक है और हम शीघ्र ही उनके विषय में आगे विचार करेंगे। हमने उनके पानी और बिजली के प्रभार बढ़ा दिए हैं। हम जल्दी ही उनकी सेवा शर्तों को सुधारने के लिए अन्य विधेयक लाएंगे। इसलिए जहां तक न्याया-धीशों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का सरकार का सम्बन्ध है हम इसके लिए हैं और हम इसे करेंगे। लम्बित मामलों के बारे में बहुत से सुझाव दिए गए थे कि किस प्रकार से विलम्ब तथा खर्चा आदि न्यूनतम हो। यह गम्भीर समस्या है। मैं माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं कि हमें इस समस्या को बहुत तेजी से निपटाने की कोशिश करनी है। इसे कैसे किया जाए? राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमने इसकी चर्चा की जिसमें यह कहा गया है कि हम एक न्यायिक सुधार आयोग की स्थापना कर रहे हैं। आप शीघ्र देखेंगे कि यह न्यायिक सुधार आयोग कम अवधि के भीतर कार्य करना शुरू कर देगा। प्रश्न यह है। हमने घोषणा की है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इस आयोग का मुख्य होगा। वह सिफारिश आनी बाकी है। हम इसे एक समयबद्ध कार्यक्रम देंगे ताकि न्यायिक और कानूनी सुधार तेजी से किए जा सकें। इस विषय में वापस नहीं जाना है। हमने इस मामले पर नजर रखी है। कांग्रेस दल की अपेक्षा निर्धनों के लिए और कौन चिन्तित हैं? हम हमेशा गरीबों के लिए खड़े हुए हैं वास्तव में केवल हमारी ही ऐसी पार्टी है जो गरीब लोगों के बारे में फिक्र करती है, हमसे ज्यादा अच्छा और कोई दल दावा नहीं कर सकता है। महोदय, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए और समाज के निर्धन वर्गों के लिए हमारा सम्बन्ध वर्षों से रहा है जो इतिहास बन गया है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सिर्फ कागजों पर।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम आपके साथ किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम आपको परिणाम दिखाएंगे जो अपना प्रमाण आज होंगे। यह कोई तरीका नहीं है कि आप यहां कुछ बोलें, और मैं कुछ कहता रहूं। हम आपको परिणाम बताएंगे : हम हमारा मतलब व्यवहार से है। हम इसे करेंगे।

इसका दूसरा पहलू यह है। मैं कांग्रेस दल और अन्यों के बीच अंतर बताने की कोशिश करूंगा। वे लोग कौन थे जिन्होंने देश में कानूनी सहायता बन्द कर दी थी? यदि आप पूरी तरह समझें तो जान सकते हैं। कृपया अपने आपको याद करें कि यह कांग्रेस नहीं थी परन्तु यह कोई अन्य दल था जिसने इस देश में कानूनी सहायता बन्द कर दी थी। यह हमारा विशेषाधिकार है जिसे 1980 में हमने इसे पुनः प्राप्त किया। हम इस दिशा में तेजी से जा रहे हैं। हमारे पास गरीबों को कानूनी सहायता देने का सही कार्यक्रम है। यदि आप कोई विवाद में पड़ना चाहते हैं तो मैं आपको कांग्रेस और अन्य दलों के बीच अन्तर बताऊंगा। लेकिन मैं इसे नहीं बताना चाहता। आप जानते हैं। आप बहाना करते हैं कि आपको इस बारे में कुछ पता नहीं है। अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के साथ हमारी वचनबद्धता कुछ नई नहीं है। यह ऐतिहासिक है। हमारे पूर्वजों ने कमजोर और गरीब वर्गों को संरक्षण दिया और यह हमारे संवि-

धान में प्रतिष्ठापित किया गया है। यह हमारी विरासत है। हमें इसे निश्चय ही लागू करना है। आज न्यायाधीश इसी समाज से आते हैं। वे न्यायाधीश जो अपनी वकालत छोड़ देते हैं वे हमेशा समाज की सेवा में आते हैं। वे अधिक पैसा कमाने नहीं आते हैं क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक वकील जो किसी समय पर लाभदायक वकालत की स्थिति पर था वह महसूस करता है कि उसे राष्ट्र के लिए समर्पण करना चाहिए, वह महसूस करता है कि उसे उस हद तक आना चाहिए जहां देय यह महसूस करता है कि उसे भूमिका अदा करनी है। वे अधिक पैसा नहीं चाहते हैं। वे प्रतिष्ठा वाली जिन्दगी चाहते हैं। हम उनके साथ सतत सम्बन्ध बनाते हैं। मैं आपको उनकी सेवा शर्तों के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे पास बार के एक बहुत बड़े सदस्य हैं जो हमारे मंत्री जी हैं जिन्होंने देश में सभी न्यायाधीशों को व्यवहार्य रूप से प्रशिक्षित किया है। मुझे यह कहने में गर्व होता है। सरकार और न्यायाधीशों के बीच किसी भी तरह कोई खाई नहीं है। हमें गर्व है कि तीन या चार महीनों के भीतर हम न्यायाधीशों के लाभ के लिए तीन मामले लाए हैं। ऐसा नहीं है कि इसे नहीं किया जाना चाहिए। यह किया गया है क्योंकि यह उनकी देय थी। हम एक और बैठक बुला रहे हैं—इसकी घोषणा पहले की गई थी—आप बहुत शीघ्र देखेंगे कि यह अनियमितता दूर कर ली गई है।

श्री सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : हमने न्यायाधीशों को और अधिक सुविधाएं दिए जाने के बारे में नहीं पूछा है। हमने न्यायाधीशों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण मांग की आवाज उठाई है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं हर मुद्दे पर आ रहा हूं। मैं सेवा के बारे में विचार कर रहा हूं। मैं आपको दुबारा से याद दिलाता हूं कि यदि यह सरकार की नीति के अंतर्गत आता है तो हम किसी भी न्यायाधीश के स्थानान्तरण के मामले में संकोच नहीं करेंगे और उच्चतम न्यायालय ने सात न्याया-धीशों के मामले में बताया है और हमने प्रत्येक मार्गदर्शन सिद्धांत को लागू किया है जिसे उच्चतम न्यायालय ने बताया है यह मार्गदर्शन सिद्धान्त इस प्रकार है :—

(1) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बाहर से होगा।

(2) वह सेवारत न्यायाधीशों में से वरिष्ठ होगा।

(3) एक उच्च न्यायालय को दूसरे उच्च न्यायालय के लिए मुख्य न्यायाधीश का प्रस्ताव करना चाहिए और सब न्यायाधीश को स्थानान्तरित करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ली जानी चाहिए। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि कल हमने प्रत्येक मामले की पुनरीक्षा की। न्याया-धीशों का स्थानांतरण हमेशा मुख्य न्यायाधीश की सहमति से होता है और वे मार्गदर्शन सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरित होंगे। गलती कहां है ? लोग आधी सच्चाई कल्पना करने की कोशिश करते हैं, मैं महसूस करता हूं बल्कि मुझे आश्चर्य और दुःख होता है कि लोग स्थिति को कम आंकते हैं। वे आधी सच्चाई पर और कुछ कल्पनाओं के कारण ऐसा करते हैं। हमें अपनी न्यायिक प्रणाली पर गर्व है और न्यायाधीश इस व्यवस्था पर प्रसन्न है कि वे भारत के लोकतंत्रीय विचारों के वातावरण में कार्य करते हैं और वे इसकी सहमति प्रकट करते हैं लेकिन प्रश्न यह है कि गरीब आदमी यह महसूस करता है कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट प्राप्त की है और हम इसे सदन के पटल पर रख रहे हैं। हमें यह देखना है कि उच्च न्यायालय जन-साधारण के हित में कार्य करें। इसके बाद हमें अधिवक्ताओं के संगठनों के भी उनके बारे में बोलने का अनुरोध करना है कि वे केवल धनी वर्ग की सेवा न करके समाज के सारे वर्ग के हितों को भी ध्यान में रखें और सेवा करते समय फीस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। तब हमें प्रक्रिया भी देखनी होगी। आज, यदि मैं प्रक्रिया में संशोधन करूं तो सबसे पहले आप आलोचना करेंगे "देखिए यह सरकार कुछ गलत कार्य कर रही है, यह प्रक्रिया में

परिवर्तन कर रही है और इसमें इसका स्वार्थ है और दृष्यता है।" हम इसकी जिम्मेदारी न्यायाधीशों के कंधे पर डाल रहे हैं जो प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन करने के बारे में जांच करेंगे जिन्हें निश्चय ही करना है और जिसकी आवश्यकता है में वे मामले हैं जहां आप केवल तभी स्वीकार करोगे जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आयोग सहमति दे कि संविधान के अंतर्गत इस प्रक्रिया में यह परिवर्तन किया गया है। आप हमें अवसर दे और हम बताएंगे कि प्रक्रिया में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया कमजोर लोगों के समर्थन, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यक के समर्थन के लिए होनी चाहिए। यह हमारी वचनबद्धता है। महात्माजी और पण्डितजी ने जो कहा है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। हम उनको लागू करेंगे और कुछ शीघ्र ही परिणाम दिखाएंगे। अतः ये मुद्दे निश्चित रूप से अविवादास्पद है। हमने राष्ट्रपति के अभिभाषण में न्यायिक सुधारों के बारे में घोषणा की थी। मैं निवेदनपूर्वक कहता हूं कि यदि कोई न्यायाधीश कभी कुछ कहता है जिससे हमें कष्ट होता है तो वह हमें सावधान करता है। हम इसे आलोचना की दृष्टि से नहीं लेते हैं। हम आलोचना की प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ पक्षपात बाहर से नहीं होना चाहिए। हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम गलती कर सकते हैं। हम रोज सदन में आते हैं और आपके सामने होते हैं। आप हमेशा मुझे बता सकते हैं। मेरे अधिकारी, मेरे मन्त्री जी, प्रधान मन्त्री जी यहां उपलब्ध होते हैं और हम यहां आपको सुनने के लिए तैयार हैं। परन्तु यदि कहीं भी किसी भी तरह से कोई गलती नहीं है और फिर भी आप कहते हैं कि हमने कुछ गलती की है तो आपको अपने विचारों को ठीक करना होगा। अब हम आपके सामने हैं और आप बात कर सकते हैं। अतः हम आपको आश्वासन देते हैं कि चाहे यह न्यायिक सुधार, कानूनी सुधार या न्यायाधीशों की परिलब्धियां या न्यायालय के कार्य के बारे में हो, यह पूरे सदन के संयुक्त प्रयास होंगे कि इसे किस प्रकार हम और आधुनिक, और दक्ष बनाकर गरीब लोगों को सहायता प्रदान करें क्योंकि धनी लोग न्यायपालिका का उपयोग कर सकते हैं और वे अपने लाभ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गरीब लोग कहां जाएं? आप उनके प्रतिनिधि, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और आपको इसे देखना चाहिए कि हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात न करें क्योंकि वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं और यह काफी मुश्किल कार्य है। न्यायाधीश न्यायालय में बैठता है और उसे नहीं मालूम है कि हम यहां क्या चर्चा कर रहे हैं सिवाए उसके जो समाचार-पत्रों में छपता है। अतः जब कभी भी किसी बात पर आक्षेप होता है, हमें संयम से काम लेना होगा। क्योंकि नगरपालिका भी बराबर शासन का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। अगर न्यायपालिका के साथ कुछ गलत होता है तो राज्य को कठिनाई होती है तथा इस देश की जनता को कष्ट भोगना पड़ता है।

सेवा शर्तों के सम्बन्ध में, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हम उन्हें उससे बहुत अधिक देंगे जितना वे चाहते हैं। परन्तु हम आशा करते हैं कि वे भी लोगों की उसी उत्साह तथा भावना से सेवा करें। अगर न्यायाधीश काम नहीं करते तथा अगर वे मामलों को शीघ्रता से नहीं निपटाते तो स्वयं न्यायपालिका का उद्देश्य ही पूरा नहीं होता।

बकाया मामले एक गम्भीर समस्या है। हम उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से कहेंगे कि मामलों के वर्ग बनाकर विशेष शाखाएं इन वर्ग के मामलों को निपटाने के लिए बनाएं। अगर एक श्रेणी विशेष के मामले पर फैसला हो जाता है, मेरे विचार में कई सौ मामलों के निर्णय उसी श्रेणी के एक फैसले के आधार पर किए जा सकते हैं। परन्तु इस समस्या पर स्वयं मुख्य न्यायाधीश को विचार करना होगा। हम यह नहीं कर सकते। हम इन सब बातों को लेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह छोटे सा संशोधन जिसका हमने प्रस्ताव किया है, जो हम कार्यवाही करने जा रहे हैं

उस लड़ी की कार्यवाहियों में पहला है। मैं आशा करता हूं कि आप इसको स्वीकृत प्रदान करने के लिए सहमत होंगे।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या वह एक बहुत ही विस्तृत विधेयक न्यायधीशों की सेवा शर्तों के बारे में लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। अगर ऐसा है, तो क्या वह निकट भविष्य में न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से सम्बन्धित उपबन्धों में कोई संशोधन करने के लिए विधेयक ला रहे हैं ताकि न्यायाधीशों को वही उपादान की धनराशि मिल सके जो आजकल आई० ए० एस० अधिकारियों को मिल रही है?

श्री एच० आर० भारद्वाज : हमने पहले ही वित्त मंत्री से इसकी सिफारिश की है। जो कुछ भी बजट भाषण में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित किया गया है, वह समान तौर पर न्यायधीशों पर भी लागू होना चाहिए।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : अधिनियम का संशोधन किए बिना यह नहीं किया जा सकता।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हम ऐसा करेंगे। अगर वित्त मन्त्री सहमत हो जाते हैं तो यह कोई समस्या नहीं है। हम पहले ही इस दिशा में आधा कार्य कर चुके हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : माननीय मन्त्री ने हमें सद्भावना के साथ आश्वासन दिया है तथा मैं उनमें विश्वास करता हूं कि सरकार आम व्यक्ति के फायदे तथा पूर्ण प्रणाली को ठीक करने के लिए विशेष प्रकार के सुधार सामने लाएगी। मुझे उनकी सत्य निष्ठा पर शक नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि जहां तक बकाया मामलों का सम्बन्ध है क्या कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त है। कल, एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने गत 12 वर्षों के दौरान बहुत से मामले नहीं निपटाये हैं और 110 मामले उच्चतम न्यायालय के पास अनिर्णीत पड़े हैं, इत्यादि। आप कहते हैं कि आप उनसे कहेंगे। परन्तु कहने से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या बकाया मामलों को निपटाने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जायेंगे? कितने न्यायाधीशों के स्थान रिक्त पड़े हैं जिन्हें आपको भरना है? क्या आप श्री तारकुंडे की सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेंगे, जो बकाया मामलों के निपटाने, ट्रिब्यूनल नियुक्त करने आदि से सम्बन्धित हैं। ये आपके सामने निश्चित तथा ठोस प्रस्ताव है। क्या आप उन पर कार्यवाही करेंगे?

श्री एच० आर० भारद्वाज : महोदय, मुझे खेद है कि वे मेरी बात को नहीं समझ सके हैं। मैंने कहा है कि बकाया मामलों का निपटारा न्यायालयों द्वारा किया जाना है न कि विधायकों द्वारा। बकाया मामलों का निपटारा उनके द्वारा किया जाना है और जब वे अधिक न्यायाधीशों की मांग करेंगे तो हम उन्हें देंगे। हम उन्हें सुझाव ही दे सकते हैं। हम सभी मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करेंगे। मन्त्री महोदय ने ऐसा कहा है। किस प्रकार से बकाया मामलों को कम किया जा सकता है इसके लिए हम रास्ते सुझा सकते हैं। आप वास्तव में यहां पर वाद-विवाद करके बकाया मामलों को नहीं निपटा सकते। आपको कुछ व्यावहारिक कार्य करना होगा। न्यायालयों को निर्णय करना है। वे वकीलों से अनुरोध करेंगे। वे संभवतः न्यायाधीशों से अनुरोध करेंगे और यदि उन्हें अधिक न्यायाधीशों की जरूरत है तो हम उन्हें अधिक न्यायाधीश देंगे। हमने कहा है कि 18 से, हम 30 करने के लिए तैयार हैं। हमने प्रत्येक उच्चतम न्यायालय में संख्या बढ़ाई हैं और हम उसे और बढ़ाने के लिए तैयार हैं। परन्तु अगर वे न्यायाधीश कार्य नहीं करते हैं तो हम केवल उनसे अनुरोध कर सकते हैं। हम न्यायाधीशों से लड़ नहीं सकते। आप मुझसे लड़ सकते हैं परन्तु मैं न्यायाधीशों से नहीं लड़ सकता।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम 1954 तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रो० रंगा ने प्रत्येक खंड 2 और 3 पर एक-एक संशोधन का प्रस्ताव किया है। चूंकि इन संशोधन का प्रस्ताव करने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिए इन संशोधनों को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

हम अब खंड 2 और 3 पर एक साथ विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है।

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति जी, ये जजिज साल में कितना काम करते हैं। ये साल में 183 दिन काम करते हैं। आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिज 182 या 183 दिन से ज्यादा साल में काम नहीं करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में आज भी 1 लाख 40 हजार केसिज पेंडिंग हैं और हाई कोर्ट में 10 लाख केसिज पेंडिंग हैं।

यहां पर जजिज की तन्ख्वाह की बाबत सवाल पैदा नहीं किया गया। जब आप जजिज का मापदण्ड तन्ख्वाह से करते हैं तो जो मेम्बर आफ पार्लियामेंट हैं जो कि इतना काम करते हैं उनको क्या मिलता है? ये मिनिस्टर इतना काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं; उनकी क्या हालत है?

2.23 म० प० **[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

जजिज को डियरनेस अलाउन्स सम्पचरी अलाउन्स मिलता है। उनको हाउस मिलता है, वेल फर्निश्ड बंगला मिलता है। ट्रेवलिंग फेसिलिटीज मिलती हैं, मेडिकल फेसिलिटीज मिलती

हैं। आज आप उनकी तनख्वाह की बात करते हैं। आपको मालूम है कि एक जज को टोटल अमोल्युमेंट्स कितने मिलते हैं? एक जज को 2,250 रुपये महीना तो डियरनेस अलाउंस मिलता है। 500 रुपये महीना सम्पचुअरी अलाउंस मिलता है। उसके बाद सारी फेमिली को मेडिकल फेसिलिटीज मिलती हैं। रिटायर होने के बाद भी यह फेसिलिटीज उसको मिलती हैं।

जो हमारे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानी की, जेल गये, हमारे एम० पी० लोग हैं इनकी हालत को देखिए। हमारे मन्त्री यहां बैठे हैं इनके बारे में भी सोचिए कि उन्हें क्या तनख्वाह मिल रही है।

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिज साल में 6 महीने काम करते हैं, मेम्बर आफ पालियामेंट के लिए कोई होलिडे नहीं है। वह घर पर पहुंचता है तो वहां भी लोग आते-जाते रहते हैं। हमारे जनार्दन पुजारी जी को आप रात के 9 बजे तक आफिस में बैठा देखेंगे। वे कभी सिनेमा नहीं जाते हैं।

भारद्वाज जी यह तो एक प्रतिष्ठा का पद है, इज्जत का पद है। अभी अशोक सेन साहब ने बड़ा अच्छा फिलासफिकल भाषण दिया। हिन्दुस्तान की जो हालत है, उसके अन्दर अगर आप तन्ख्वाहों की बाबत न्याय करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि इस एमपीज की तन्ख्वाएं बहुत कम हैं। आज उनको क्या मिल रहा है, क्या महंगाई बढ़ रही है। न तो हम लोगों को वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, उनको वह और इलेक्ट्रिसिटी का पैसा मिलता है। उनको बंगला फ्री मिलता है, हमें किराए पर मिलता है। एमपीज और मिनिस्टर को क्या तन्ख्वाहें मिलती हैं? इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए और मुकदमों का फैसला भी जल्दी होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सिक्का निर्माण (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कुछ समय से ऐसे समाचार मिलते रहे हैं कि देश में सिक्कों की कमी है। इस सदन के माननीय सदस्यों ने भी इस स्थिति पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार ने सिक्कों की कुल उपलब्धता बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नई मशीनें तथा उपकरण खरीदकर, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को शुरू करके तथा दो पारियों को शुरू करके, और कार्य के घंटे बढ़ाकर बम्बई, कलकत्ता तथा हैदराबाद स्थित तीनों टकसालों का उत्पादन बढ़ाया गया है। जिसके परिणाम स्वरूप, 1981-82 में 5250 लाख सिक्कों के उत्पादन की तुलना में 1983-84 में 10630 लाख सिक्कों का उत्पादन हुआ है

तथा 1984-85 में यह बढ़कर 13560 लाख सिक्का हो गया है। 1985-86 में 20000 लाख सिक्कों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

हालांकि इन उपायों के बावजूद सिक्कों की मांग और सप्लाई का अन्तर बना हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी जरूरत का अनुमान 1985-86 के लिए 26000 लाख सिक्के लगाया गया है, जो 1992-93 तक बढ़कर 32000 लाख सिक्के हो जाएगा। अतः दीर्घकालीन उपाय के रूप में वर्तमान तीनों टक्सालों का आधुनिकीकरण करने तथा 15000-2000 लाख सिक्के प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक नई टक्साल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में नोएडा में स्थापित करना शामिल है। सरकार ने एक तकनीकी समिति का भी गठन किया है जो एक नई सिरीज के सिक्के, उनके आकर, वजन तथा धातु/मिश्रधातु रचना आदि के बारे में एक दीर्घकालीन सिक्का नीति को चरणबद्ध ढंग से अपनाने की सिफारिश करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक देश में सिक्कों के वितरण के लिए जिम्मेदार है। 'इश्यू आफिसों, खिड़कियों तथा छोटे सिक्कों के डिपो से जनता को सप्लाई करते का काम भारतीय रिजर्व बैंक करता है। स्थानीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में छोटे सिक्कों के डिपो का जाल बिछाने का भी इसने प्रस्ताव किया है ताकि भारतीय रिजर्व बैंक की सिक्के देने वाली खिड़कियां पर भीड़ कम की जा सके। एक ही खिड़की से विभिन्न मूल्य के सिक्के देने का प्रबन्ध भी इसने किया है।

दुर्भाग्य से कुछ असामाजिक तत्व इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं और जमाखोरी की खबरें मिल रही हैं, जिससे कृत्रिम अभाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

आवश्यक हिदायतें विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई हैं कि अगर सिक्कों को पिघलाने की शिकायतें आती हैं। तो छोटा सिक्का अपराध अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही करें, हालांकि समस्या प्रभावी तौर पर केवल तभी सुलझाया जा सकता है अगर सिक्कों की उपलब्धता रहे, ताकि अभाव की मनोदशा बनने की सम्भावना को कम किया जा सके। विद्यमान् अधिनियम, अर्थात 1906 का सिक्का निर्माण अधिनियम, केवल देश की ही टकसालों में सिक्का निर्माण की अनुमति देता है। 1906 के सिक्का निर्माण अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि सरकार के पास विदेशों से सिक्का निर्माण कराकर सप्लाई को बढ़ाने का अधिकार प्राप्त हो सके। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि सिक्कों के अभाव को पूरा करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की यह कोशिश रहेगी कि मांग की पूर्ति देश की टकसालों के सिक्का उत्पादन से ही पूरी हों। जैसा कि मैंने पहले बताया है, विद्यमान तीनों टकसालों का आधुनिकीकरण करने की सभी कोशिशें की जा रही हैं ताकि भविष्य की अनुमानित मांग को पूरा किया जा सके। अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन का सहारा वास्तव में अभाव को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

अब, मैं विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत समक्ष विचार के लिए रखने की कोशिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य वाद-विवाद कर सकते हैं। इससे पहले हमें इसके लिए समय निर्धारित करना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : एक घंटा काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल तीन व्यक्तियों ने अपने नाम दिए हैं। एक घंटा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सरकार इस कानून के द्वारा 1906 के सिक्का निर्माण अधिनियम का संशोधन करना चाहती है ताकि विदेशों से सिक्कों का आयात करने का उपलब्ध हो सके।

सिक्कों की कमी कोई हाल ही की बात नहीं है। इसे 1981, 1982 तथा 1983 के वर्षों

में भी महसूस किया गया था । 1982 से सिक्कों के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। 1982-83 में यह 6600 लाख सिक्के थी जो वर्ष 1984-85 में बढ़कर 13560 लाख सिक्के हो गई है । और इस वर्ष माननीय मंत्री ने कहा है कि अनुमान लगभग 20000 लाख सिक्कों का है। आज न केवल इन सिक्कों की कमी है बल्कि हमने यह महसूस किया है कि एक रुपये और दो रुपये के नोटों की सप्लाई की स्थिति भी अच्छी नहीं है। अतः क्या भविष्य में सरकार एक और दो रुपये के नोटों के आयात के लिए एक दूसरा कानून लाएगी क्योंकि एक रुपये और दो रुपये के नोटों की सप्लाई में परेशानी है ?

गत वर्ष, रेलों का किराया बढ़ाया गया था । रेलवे द्वारा क्या तर्क दिया गया था ? रेलों का किराया सिक्कों की कमी के कारण बढ़ाया गया था । 50 पैसे से एक रुपया, एक रुपये 50 पैसे से 2 रुपये आदि आदि बढ़ाया गया था। रेलों का किराया बढ़ाने के लिए तत्कालीन रेल मन्त्री ने सिक्कों की कमी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। सिक्कों की कमी एक परेशानी है। इस परेशानी तथा सिक्कों की सप्लाई पर बहुत बार इस सदन में तथा राज्य सभा में भी चर्चा की गई थी और सरकार को कुछ कदम उठाने थे। पहले भी उन्होंने कुछ कदम अपने देश की तीनों टकसालों के आधुनिकीकरण के लिए उठाए हैं। परन्तु इन सब उपायों के बावजूद समस्या अब भी बनी हुई है और सरकार ने सिक्कों के आयात का फैसला किया है। कलकत्ता, हैदराबाद तथा बम्बई की तीन टकसालों में 22 नयी सिक्का प्रेसों शुरू करने का एक अन्य प्रस्ताव था। अतः मन्त्री महोदय कृपया स्पष्ट करेंगे। क्या इन 22 सिक्का निर्माण करने वाली प्रेसों को स्थापित किया गया है अथवा नहीं ? गत वर्ष इसी सदन में अतारांकित प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि एक नई टकसाल स्थापित की जाएगी। उस टकसाल के मामले में क्या प्रगति हुई है ? इसका निर्माण कार्य शीघ्रता से क्यों नहीं कराया जाता है ? इस नई टकसाल को स्थापित करने का निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया था जब तीन वर्ष पहले सिक्कों की कमी महसूस की गई थी ? अगर यह निर्णय तीन वर्ष पहले ले लिया गया होता तो अब तक नई टकसाल बनकर तैयार हो गई होती और सरकार को विदेशों से सिक्के आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। गत वर्ष एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मन्त्री ने इस सदन में तथा दूसरे सदन दोनों में कहा था कि सिक्कों के अभाव की यह समस्या एक वर्ष के अन्दर दूर हो जायेगी। अगर ऐसा है तो सरकार क्यों सिक्कों का आयात करने जा रही है ?

क्षमता के उपयोग का प्रश्न उठता है। तीन टकसालें यहां हैं। क्या इन टकसालों की क्षमता का पूरा उपयोग किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो सरकार तीनों टकसालों की वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए कौन से कदम उठाने जा रही है ?

लागत का प्रश्न आता है। यह कहा गया है कि लगभग 5000 या 6000 लाख सिक्कों का आयात किया जायेगा। क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि एक सिक्के पर कितनी लागत आएगी और क्या लागत स्वदेशी लागत से अधिक होगी ? इन सिक्कों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ? क्या इसका हिसाब लगाया गया है ? मैं यह भी जानना चाहूंगा क्या किसी देश से सिक्कों के आयात के लिए कोई संधी की गई है ?

गत वर्ष अखिल भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी संघ आल इण्डिया रिजर्व बैंक एम्पलायज एसोसियेशन ने कुछ सुझाव दिए थे कि किस प्रकार से सिक्कों की कमी की समस्या को हल किया जा सकता है। मैं जानना चाहूंगा कि उनके क्या सुझाव थे तथा क्या सरकार ने उन सुझावों पर विचार किया है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मेरा प्रस्ताव है कि विद्यमान टकसालों की उपयोगिता को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा नई दिल्ली के पास प्रस्तावित नौएडा वाली टकसाल को शीघ्रता से

स्थापित किया जाना चाहिए। सरकार को करोड़ों रुपये खर्च करके सिक्कों का आयात नहीं करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस कानून का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जिन प्रपोजल्स के साथ आए हैं, उनका स्वागत करते हुए मैं उनका ध्यान देश में आज सिक्कों की भारी कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आज सिक्कों की इतनी बड़ी दिक्कत है कि सामान्य आदमी बहुत कठिनाई अनुभव कर रहा है, विशेष तौर पर वह लोग जिनका काम बाहर जाने का पड़ता है, सफर करने का पड़ता है।

आज बस में जाइए, कन्डक्टर को यदि आप नोट देते हैं तो वह रेजगारी वापिस देने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है, इसी प्रकार दुकानदार असमर्थता प्रकट करता है। इससे वस्तुतः जिस चीज को व्यक्ति खरीदना चाहता है, उसका वास्तविक मूल्य न चाहते हुए भी बढ़ जाता है। अन-नैसेसरीली जनता में असंतोष पैदा हो रहा है।

इस सदन में पिछले 5 सालों में कम-से-कम 3, 4 बार यह मामला उठ चुका है, हर बार यह जवाब आता है कि इस कमी को दूर करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। रिजर्व बैंक, जिस पर इस कमी को दूर करने के लिए मौनिटर करने का दायित्व है, उसको निर्देश दे दिए हैं, वह निर्देश का पालन करेगा। हर बार निर्देश के बाद कमी दूर क्यों नहीं हुई, यह समझ में नहीं आता। या तो रिजर्व बैंक आपके निर्देशों का पालन नहीं करता और अगर पालन करता है तो आपके आउटलैट पर ऐसे लोग बैठे हैं जो सिक्कों का अवैध व्यापार करते हैं या मार्केट में जब सिक्के जाते हैं तो कुछ लोग हमारी अर्थ-व्यवस्था पर करैन्सी पर नजर रखते हैं और करेन्सी को अपने यहां जमा कर लेते हैं। एक बात देखने में आती है कि कुछ लोगों में सिक्के जमा करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ जान-बूझकर और कुछ अन-जाने में ऐसा करते हैं। कुछ सिक्के ऐसे होते हैं जिनकी धातु की कीमत उनके प्रचलित मूल्य से अधिक होती है।

इसके लिए जो कानून बना है, उसका उपयोग इतना एफक्टीव नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको ठीक तरह से इम्पलीमेंट करने में कठिनाई होती है और जो इस प्रकार की प्रेक्टीस उपयोग में लाते हैं वह बच जाते हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि--

अपने देश में कितने सिक्कों की खपत होती है, कितनी उसकी कमी रहती है, उसकी जानकारी अलग से हो जाने से यह कठिनाई दूर करने में कोई समस्या नहीं रहेगी। साथ ही साथ यह भी देखें कि इस साल की कमी को देखते हुए अगले साल कितनी आवश्यकता होगी, इन सब का पता लगाकर सिक्कों को अपने यहां ढालना चाहिए ताकि आने वाले दिनों कमी न हो। इस व्यवस्था का हमें तत्काल उपाय खोजना होगा। वैसे आप तत्काल उपाय के रूप में अपने सिक्कों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे कमी दूर हो, लोगों की मुश्किल दूर हो क्योंकि इम्पोर्ट करना कोई स्थायी हल नहीं है, स्थायी हल तभी सम्भव हो सकता है, जब उनकी व्यवस्था को हम सुधारें, जितनी कमियां हैं उनको पूरी तरह तलाश करें, जो मैनेजमेंट है, उसको ठीक तरह कन्ट्रोल करें।

साथ ही साथ मिंग लगाने की जो बात है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने नौएडा में जगह भी दे दी है। मैं नहीं समझता कि क्या विलम्ब है कि उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा रहा है। जो आपने योजना बनाई है वह बहुती कम है और उसका स्वरूप बहुत छोटा है। मैं आपसे आग्रह

करना चाहूंगा कि आप क्षमता को बढ़ायें, बड़ी मिल लगायें ताकि जिस समय कमी पैदा होती है उस समय ठीक तरीके से उस कमी का दूर करने के लिए एक एफेक्टीव कन्ट्रोल आपका रहेगा।

. इन्हीं के साथ मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान खराब नोटों की तरफ भी खींचना चाहता हूं। इस समय हालत यह है कि यदि किसी व्यक्ति को 1, 2, 5 या 10 रुपये का नया नोट चाहिए तो वह बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। जब तक हम में से कोई 5-10 बार पत्र लिख कर रिजर्व बैंक को आग्रह नहीं करते कि फलां आदमी को नये नोट दे, तब तक उस व्यक्ति को नोट नहीं मिल पाते। यह बात सबके साथ होती है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को अच्छे नोट नहीं मिलते हैं, केवल सड़े-गले नोट मिलते हैं। एक प्रकार से वैस्टीड इंटरस्ट वाले लोग इस व्यापार में लगे रहते हैं, इसलिए इनको आप देखने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ, मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने किसी भी स्वतन्त्र देश के बारे में यह नहीं सुना कि वह सिक्कों का आयात करता हो। महोदय, मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूं। हमारे स्वदेशी आन्दोलन का क्या हुआ ? इस सभा में हम लोग दिन-रात आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं। यदि अपने देश में अपेक्षित सिक्कों का हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? हमने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की भारी प्रगति की है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार देश की सिक्कों सम्बन्धी जरूरत का पूर्वानुमान नहीं लगा सकी। सिक्कों की कमी होना कोई नयी बात नहीं है। उसकी कमी पिछले दो या तीन वर्ष से बनी हुई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अब तक सरकार क्या करती रही। दो वर्ष तक सरकार सोती रही और फिर एक दिन अचानक इस विधेयक के साथ यहां उपस्थित हो गयी है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि अन्य देश हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब हम दूसरे देशों से सिक्कों की भीख मांगेंगे ? मुझे विश्वास है कि यदि आप ऐसा करेंगे तो हमारे देश की छवि धूमिल हो जायेगी। कुछ भी हो, आज उसका आयात करना आवश्यक हो गया है। मेरी यही अभिलाषा और इच्छा है कि सिक्कों का यह आयात अन्तिम हो। हमें पता है और अन्य अनेक माननीय सदस्य उन कठिनाइयों पर प्रकाश डाल चुके हैं जिनका हमने अनुभव किया है। हर रोज, हर एक माननीय सदस्य उस कठिनाई का अनुभव कर रहा है। अभी, परसों ही, दिल्ली में, मेरे पास एक रुपये का नोट नहीं था और मेरे पास केवल 70 या 80 पैसे की रेजगारी थी। टैक्सी वाला एक रुपये के बदले 80 पैसे की रेजगारी पाकर बड़ा प्रसन्न था। सिक्कों की कमी की यह स्थिति है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया, छोटे नोटों तक की कमी है। इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है।

मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय, कोई ऐसा दूसरा विधेयक प्रस्तुत नहीं करेंगे जिसमें सभा से नोटों को आयात करने की अनुमति मांगी गई हो। हमारे देश के लिए वह बहुत ही अशोभनीय बात होगी। इस कमी का कारण मेरी समझ में नहीं आता। हमारे पास अत्यधिक आधुनिक टकसालें हैं और इन टकसालों की क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो एक और टकसाल स्थापित कर सकते हैं। वास्तव में, मैं इस कमी का कारण नहीं समझ पाया। यह बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

मैं चाहता हूं कि आगे सिक्कों का आयात न करना पड़े। यदि हम छोटे सिक्कों का आयात करते हैं तो बाहर के देशों के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? विशेषकर ऐसी स्थिति में जब कि आज प्रातः काल ही, हम लोगों ने प्रौद्योगिकी के मामले में आत्मनिर्भर होने के बारे में चर्चा की है इसलिए, सिद्धांत

के रूप में मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूं और मैं चाहूंगा आगे ऐसा विधेयक सभा के समक्ष न लाया जाये। हम लोग हवाई जहाज और अन्य आधुनिकतम उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं और बहुत सारे देशों में इनमें कई तन्त्रों और उपकरणों की मांग है। उद्योग के क्षेत्र में हमने बहुत ज्यादा और बड़ी तेजी से प्रगति की है। इसलिए मैं समझता हूं कि आगे कोई मन्त्री इस प्रकार विधेयक सभा में प्रस्तुत नहीं करेंगे।

सिद्धान्त रूप से, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में सिक्कों का बहुत बड़ा अभाव है। इस अभाव के कारण हमारे यहां की जनता कितनी त्रस्त है, इस ओर में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मुख्य बात यह है कि सिक्कों की कमी की वजह से रेलवे के टिकट घरों की हालत क्या है, इस बात को हम सब जानते हैं। रेलवे के टिकट घरों में यदि आप टिकट लेने जायें और किसी टिकट की कीमत रेजगारी में 40 पैसे हो या 56 पैसे हो, तो अमुमन देखा यह जाता है कि एक रुपया ले लिया जाता है और बाकी उसको वापिस नहीं लौटाये जाते हैं। पूछने पर यह कहा जाता है कि क्या करें, छोटे छोटे सिक्के नहीं हैं, इसलिए हम नहीं दे पा सकते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि दिन भर में यदि कोई गरीब आदमी दो या तीन जगह ट्रेन से जाना चाहे तो 40 या 50 पैसे के टिकट के लिए उसको एक रुपया देना पड़ता है। खासकर हमारे सुदूर देहातों की दुर्दशा यह है कि गरीब आदमी खिड़की पर खड़े होकर पैसे मांगता हुए देखे जाते हैं और उनकी ट्रेन छूट जाती है। दोनों ही स्थिति हमारे समझने के काबिल है और हमें समझना चाहिए।

देहातों में एक और स्थिति बड़ी भयावह है, रेजगारी की कमी की वजह से सामान की खरीद-बिक्री सिक्कों में नहीं हुआ करती है। अगर कोई देहात की दुकान से सामान खरीदेगा तो उसको धान देकर या गेहूं देकर, उतने हिस्से के मुताबिक, वह सामान खरीदा जाता है। यदि आपके पास रेजगारी नहीं है तो भी आप को वह काम करना ही है, ऐसी स्थिति में धान या गेहूं के बिना कोई सामान नहीं खरीद सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि हर सेक्शन में काएन्ज की कमी का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है। यह बहुत अच्छी बात है—माननीय मन्त्री जी इस तरह का बिल लाये हैं, सिक्कों की कमी देश में अवश्य पूरी की जानी चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं—हमारे यहां सिक्कों की डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत गड़बड़ी है। अमुमन यह देखने में आता है कि नये सिक्के और नये नोट शहरों तक ही सीमित रहते हैं। देहातों में जब भी कोई सिक्का या नोट दिया जाता है तो वह इतनी खराब स्थिति में होता है कि उसे आप अपनी जेब में रखते हैं तो वह पसीने से गल जाता है। इस तरह से काफी बड़ा बोझ खराब नोटों की वजह से या खराब सिक्कों की वजह से हमारे देहातों पर पड़ रहा है। आप इस कमी को दूर करने के लिए बाहर से मंगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, यह एक अच्छा प्रपोजल है। सिक्के आयात करने की आवश्यकता है तो आप जरूर आयात करें, लेकिन यह भी देखना आवश्यक होगा कि आयात करने से फारन-एक्सचेन्ज हम बाहर देशों को देंगे। क्या यह उसके मूल्य के बराबर होगा या उसमें कमी होगी या उससे कम पैसे में हम अपने यहां उन सिक्कों को बना सकते हैं। यदि हम उस मूल्य से कम लागत पर अपने देश में बना सकते हैं, तब हमें बाहर से मंगाना उचित नहीं होगा। मन्त्री जी ने अभी बतलाया है कि हम नौएडा में इस तरह का कारखाना खोलने जा रहे हैं जहां नये सिक्के बनाये जायेंगे, यदि ऐसा है और कम मूल्य पर हम उन सिक्कों को बना सकेंगे तो शायद बाहर से आयात करने की आवश्यकता

ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सम्भव है कि यहां पर बनाने का काम शीघ्र शुरू न हो सके, तब तक यदि आप आयात करना चाहें तो अवश्य कीजिये। एक निवेदन यह है कि सिक्कों के बनाने में जो मैटीरियल यूज होता है, वह कुछ दूसरी तरह का मैटीरियल यूज किया जाय जिसके दाम कम हों। हम कम पैसों में अपने ही यहां इण्डियनीनसली सिक्के बनायें और भरसक कोशिश करें कि हमें आयात करने की आवश्यकता न पड़े। इस तरह से हम अपने फारन-एक्सचेन्ज को वेस्ट होने से बचा सकेंगे।

सिक्कों की कमी का एक कारण यह है—मैंने देखा है कि कई लोगों के घरों में सिक्कों का अम्बार लगा रहता है। वे सिक्कों को गला कर दूसरी चीजें बनाते हैं। ऐसा देहातों में भी देखने में आता है। यह अपराध है। इसको दूर करने के लिए आप कोशिश करें और इसके लिए अगर कोई बिल लाने की जरूरत हो, अमेण्डमेन्ट की जरूरत हो तो वह भी अवश्य लाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जहां एक ओर हैरान करने वाला है, तो दूसरी ओर अशोभनीय भी है। हैरानी की बात यह है कि गत तीन वर्षों से सरकार इस बात का दावा करती रही है कि सिक्कों का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया है और एक वर्ष में उनका उत्पादन दूने से भी अधिक हो गया है। क्या गत वर्ष भारत के आर्थिक कार्य कलाप अचानक इस कदर बढ़ गये कि दूनी संख्या में सिक्कों के परिचालित किये जाने के बावजूद, हम लोग इसी कठिनाई में पड़े हुए हैं ?

3.00 म० प०

मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इस बात का पता लगाने का कभी गम्भीरतापूर्वक प्रयास किया हो कि सिक्कों की यह कमी कितनी है तथा इसमें कितनी बनावटी है। यह देखकर हैरानी होती है। मेरे ख्याल में सिक्कों की यह कमी बनावटी अधिक है क्योंकि जिन लोगों को इससे लाभ हो रहा है, वे निश्चित रूप से कुछ कम्पनियां हैं। टाफियों वाली कम्पनियों की बात ही छोड़ दीजिये। माचिस की कम्पनियों की बात भी छोड़ दीजिये। किन्तु उपभोक्ता क्षेत्र में कुछ नई कम्पनियों का प्रवेश हो गया है। कुछ बहु-राष्ट्रिक कम्पनियां हैं, जिनका विज्ञापन तथा जिनके उत्पादनों का विज्ञापन हम लोग हर रोज दूर दर्शन पर देखते हैं, उन कम्पनियों को भी इससे लाभ हो रहा है। हर जगह हमें मूल्य से अधिक राशि देने को बाध्य होना पड़ता है। इसलिए इन कार्यकलापों के पीछे निश्चित रूप से कुछ एजेन्सियां काम कर रही हैं। मेरे विचार से संयोगवश अथवा कुछ ग्रामीण व्यक्तियों द्वारा सिक्कों को गलाने के कारण ऐसा हो रहा। इसलिए सर्व प्रथम मैं गत दो वर्ष के दौरान इस ओर समुचित खोजपूर्ण दृष्टि-कोण न अपनाये जाने के कारण सरकार को दोषी ठहराती हूं। दूसरी बात, यह बहुत ही अशोभनीय बात है क्योंकि वर्ष 1985 को 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने का वर्ष कहा जा रहा है। यदि 21वीं शताब्दी में प्रवेश की शुरूआत ही सिक्कों के आयात से होगी तो, मुझे समझ नहीं आता कि लोग इस शुरूआत के बारे में क्या सोचेंगे। क्या वे लोग ऐसा नहीं सोचेंगे कि यह अस्त्र भी असफल साबित होगा स्थिति यही प्रतीत होती है।

मुझे पता है कि बहुत अधिक तो नहीं, किन्तु कुछ ऐसे देश अवश्य हैं जिन्होंने विदेशों से सिक्के आयात करने का प्रयास किया था। मुझे पता है कि किसी समय में आस्ट्रेलिया की सरकार ने जापान से सिक्के आयात करने का निर्णय लिया था। मुझे यह भी पता है कि जापान से सिक्के आयात करने के विरोध में आस्ट्रेलिया की सरकार के विरुद्ध कितना जबरदस्त आन्दोलन चलाया गया था। इसलिए,

जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूं, सिक्कों का आयात करना वस्तुत: अशोभनीय है। वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इस समय सरकार विकल्प के बारे में राय मांग रही है और विकल्प पर अमल किया जायगा, तब आयात करने का प्रश्न उठेगा और तभी सवाल उठेगा कि कितना खर्चा होगा। स्वाभाविक है कि इस समय हम लोगों को इसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेने को कहा गया है। जब से सिक्कों की कमी हुई है, तब से ही हर व्यक्ति परेशान है, इसलिए सरकार चाहती है कि इस बात को जाने बिना ही हम सिक्कों के आयात के पक्ष में अपना मत दे दें कि उस पर कितनी लागत आयेगी, विदेशी मुद्रा की कितनी क्षति होगी और क्या इसका उत्पादन यहां भी हो सकता है अथवा नहीं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूं कि वित्तीय ज्ञापन व्यय के बारे में बिल्कुल चुप है क्योंकि उसमें केवल विकल्प लेने की बात कही गयी है। इसीलिए मैंने यह बात कही थी कि यह मुद्दा भ्रम में डालने वाला तथा अशोभनीय दोनों ही है। इसलिए, मैं वास्तव सरकार के इस प्रस्ताव से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि सिक्कों का विदेशों से आयात करने के लिए विकल्प लिया जाय। मेरे विचार से विकल्प लेने के स्थान पर सरकार को चाहिए कि वह उन काला-बाजारियों का पीछा करे जो इस धंधे को चला रहे हैं और उन्हें सजा दें और यदि सिक्कों की बनावटी कमी न होकर वास्तविक है, तो सिक्कों का उत्पादन बढ़ाया जाय। इसके बारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय सम्मान के विचार से, काले-बाजारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा कदम उठाये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन सब बातों से जनता बहुत अधिक परेशान है, मेरा विचार है कि वित्त मन्त्री को यह विधेयक वापिस ले लेना चाहिए और यह कहना चाहिए कि अपने ही साधनों से, जो नितांत सम्भव है, सरकार सिक्कों की कमी को दूर करने का वैकल्पिक प्रबन्ध करेगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : इस संशोधन के बारे में मेरा कुछ भी बोलने का विचार नहीं था किन्तु जब मैंने इस विधेयक को सरसरी तौर से देखा, तो मुझे पता चला कि यह संशोधन बहुत ही खतरनाक है।···(**व्यवधान**)। मैं बहुत ही संक्षेप से बोल रहा हूं किन्तु उस ओर बैठे अपने साथियों से मेरा अनुरोध है कि वे लोग मन्त्री महोदय से इस विधेयक को वापिस लेने का अनुरोध करें। महोदय, मैं बहुत ही संजीदगी से यह बात यह कह रहा हूं। मुझे यह बात पता नहीं है कि क्या मन्त्री महोदय इस विधेयक को स्वयं ही वापिस ले सकते हैं अथवा नहीं किन्तु जिस संशोधन के लिए आपका मत मांगा जा रहा है, वह संशोधन बहुत ही खतरनाक है।

मैं श्रीमती गीता-मुखर्जी तथा श्री कृष्ण अय्यर की इस बात से सहमत हूं कि इससे देश के सम्मान बड़ा भारी धक्का ललेगा। पहली आपत्ति तो यहीं है।

माननीय मन्त्री महोदय ने सिक्कों की कमी बताई है। इस बात से सभी सहमत हैं। सिक्कों की कमी है किन्तु इसमें कोई कोई गड़बड़ी नजर आती है; क्योंकि आपका कहना है कि सिक्कों का उत्पादन दूना कर दिया गया है। इस बीच में आबादी तो दूनी नहीं हुई है। इसलिए निश्चित रूप से सिक्कों की जमाखोरी की जा रही है। सरकार उसकी छान-बीन करे। इसके अलावा देश मं और अधिक टकसाल स्थापित करने का ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। एक और टकसाल स्थापित करने पर कितना खर्चा आयेगा है? इसके अलावा कितने देशों ने सिक्कों का आयात किया है? इसका इतिहास क्या है? परम्परा क्या रही? मेरे साथी ने आस्ट्रेलिया का उल्लेख किया था। वहां घोर विरोध हुआ था और वहां की सरकार को इस इरादे को त्यागना पड़ा था और अन्ततोगत्वा उन्होंने सिक्कों का आयात नहीं किया था।

महोदय, यह मुद्रा परिचालित करने की बात है। साधारण पत्र की बात नहीं है। यदि आप करेंसी का आयात करेंगे तो भारत का सम्मान निश्चित रूप से कम हो जाएगा। क्या आप करेंसी नोट नहीं छाप सकते? सिक्कों का ढालना अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है किन्तु नोट छापने में तो कोई कठि-

नाई नहीं होती। आपका वित्तीय ज्ञापन अधूरा है। अल्पसूचना पर संशोधन रखने और अध्यादेश जारी कर सभा का अपमान करने की आपकी आदत बन गई है। आप मुद्रा का आयात करने जा रहे हैं। यह काम जोखिम भरा है।

वित्तीय ज्ञापन में आपने सुरक्षा समस्या का उल्लेख किया है और सुरक्षा के बारे में उद्देश्य तथा कारणों के वक्तव्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है। वे आवश्यक कदम कौन-कौन से हैं? आप अफसरशाही तथा अन्य लोगों को उनकी जानकारी दे सकते हैं, संसद को नहीं? क्या हमें यह जानने का अधिकार नहीं है कि आप सुरक्षा के क्या उपाय करने जा रहे हैं।

उसके अतिरिक्त वित्तीय ज्ञापन में यह भी कहा गया हैं कि आप न केवल सरकारों से करेंसी नोटों अथवा सिक्कों का आयात करेंगे अपितु व्यक्तियों से भी करेंगे। व्यक्ति से करने का क्या कारण है? मैं सरकारों से आयात करने का विरोध करता व्यक्ति की तो बात ही क्या है।

इसलिए आप इस संशोधन को अल्पसूचना पर लाए है। चूंकि भारत का मान दाव पर लगेगा और आपातकाल भी नहीं है, इसलिए हम सभी इस कमी को बर्दाश्त करेंगे जब तक की सभी इसकी कमी को महसूस न करने लगें और इस अवसर पर मैं श्री पुजारी से अनुरोध करता हूं कि वह समय की नजाकत को देखते हुए इस संशोधन को वापिस ले लें।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : इस विधेयक पर छः माननीय सदस्य बोल चुके हैं। वे लोग अपने सुझाव दे चुके हैं। जो छः माननीय सदस्य बोले हैं; वे श्री वासुदेव आचार्य, हैं श्री हरीश रावत, श्री कृष्ण अय्यर, श्री मनोज पांडे, श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री सोज। कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक की यह कहकर आलोचना की है कि यह विधेयक खतरनाक है, इससे भारत के सम्मान को धक्का पहुंचता है, तथा इस विधेयक में ये कमी है, आदि। वे लोग यह भी चाहते हैं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाए। देश के विभिन्न भागों से हमें सिक्कों की कमी की शिकायतें मिल रही हैं। हमने संसद के अन्दर और संसद के बाहर इसकी कमी की शिकायतें सुनने को मिली हैं। श्री रावत ने देश में इसकी कमी के कारण जनता को हो रही परेशानियों के बारे में बताया है। श्री पाण्डे जी ने भी सिक्के की कमी के कारण राष्ट्र को हो रही परेशानियों के बारे में बताया है। यदि आप इस कमी का इतिहास जानने की चेष्टा करेंगे तो आपको पता लगेगा। देश में तीन टकसाल हैं जो बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता में स्थित हैं। ये टकसाल एक सप्ताह में 60 घंटे की पारी के आधार पर काम कर करती थीं। 1977 में—मैं वर्ष 1977 पर विशेष रूप से जोर दे रहा हूं यह 60 से घटाकर 54 घंटे कर दिए गए थे। वर्ष 1978 में एक बार फिर 54 घंटों को कम करके 48 घंटे कर दिए गये थे। जैसा कि सदस्यों को पता है, सिक्कों के वितरण का काम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। हुआ यह कि भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्पादित सिक्के नहीं उठाये। टकसालों में उनका ढेर जमा हो गया। माननीय सदस्यों को मैं सूचित करना चाहूंगा कि 1979-80 में 5519.3 लाख सिक्कों का उत्पादन होता था। भारतीय रिजर्व बैंक 766.57 लाख सिक्के उठाता था और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा/के कारण 7144.2 लाख सिक्के एकत्र होते रहते थे।

एक माननीय सदस्य : इसके लिए कौन उत्तरदायी था?

श्री जनार्दन पुजारी : विरोधी दल के जिन माननीय सदस्य ने यह बात कही है 1977 और 1979 के बीच वह भी जनता पार्टी के शासनकाल में सत्तारूढ़ थे। श्री कृष्ण अय्यर को इस बात का पता है कि 1977 और 1979 के बीच इस देश पर किसका शासन था और वह उस समय भी सरकार के समर्थक थे। किसी समय में सरकार यह निर्णय लेने वाली थी कि हैदराबाद की टकसाल बन्द कर

दी जाये। उसी समय हम सत्ता में आये। हमने यह निर्णय बदल दिया। यदि हमने यह न किया होता तो आज स्थिति ही दूसरी होती। अब, दुर्भाग्यवश, ऐसा हो ही गया। वर्ष 1981-82 में 5250 लाख सिक्के ढाले गए थे। रिजर्व बैंक ने 8360 लाख सिक्के उठाये थे। भारतीय टकसालों में 570 लाख सिक्कों का ढेर था। उस समय कमी थी उस समय कमी महसूस की गई थी। देश में बेईमान लोग भी हैं। हमने राज्य सरकारों को लिख दिया है कि सिक्कों का गलाना एक अपराध है। हमने राज्य सरकारों को इस बात का ध्यान रखने को लिखा है कि सिक्के न गलाये जायें। अगर सिक्के गलाने के किसी मामले का पता चले तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाये।

1982 से उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ है और हमने अनेक प्रोत्सासन योजनायें लागू की हैं। सिक्कों की ढलाई का काम आधुनिक बनाने के उपाय किए जा रहे हैं और टकसालों में और अधिक पारियां चलाई जा रही हैं। दुर्भाग्यवश, कलकत्ता टकसाल का श्रमिक संघ पारी प्रणाली पर सहमत नहीं है। अभी फरवरी 1985 में ही वे लोग दूसरी पारी चलाने को राजी हुए हैं। इसका क्या परिणाम निकला? वर्ष 1981-82 में 5250 लाख का उत्पादन हुआ था। उत्पादन अब पहले से तीन गुणा हो गया है। वर्ष 1984-85 में 1355.69 लाख सिक्कों का उत्पादन हुआ था। इतने उपाय करने के बावजूद मांग पूरी नहीं हो पा रही है और भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 वर्ष के लिए जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से 1983-84 में 20500 लाख सिक्के, 1984-85 के लिए 22500 लाख सिक्के तथा 1985-86 के लिए 26000 लाख सिक्के दरकार होंगे। तीन टकसालों से हमारा लक्ष्य 20000 लाख सिक्के प्राप्त करने का है।

माननीय सदस्य श्री आचार्य ने नोयडा संयंत्र के बारे में पूछा है। मेरा निवेदन है कि भूमि अर्जित की जा चुकी है। लोगों को उस संयंत्र की योजना तैयार करने को भेजा जा रहा है।

वे प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए विदेश भी गए। सरकार ने इस परियोजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और 1989 तक यह परियोजना पूरी हो जाएगी। संयंत्र लगाने का काम सितम्बर, 1985 में शुरू होगा और 34 से 36 महीनों में यह पूरा हो जाएगा अर्थात 1989 के अन्त तक हम इस परियोजना को आरम्भ और इसमें उत्पादन शुरू कर पाएंगे। परन्तु आज वास्तविकता यह है कि यहां छोटे सिक्कों की कमी है। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा कि इस देश में बेईमान लोग हैं जो सिक्कों की कमी पैदा कर रहे हैं। वे अधिक मूल्य पर सिक्के बेचने के लिए इन्हें संचित कर रहे हैं। ऐसा भी होता है। आप में से कुछ लोग सम्भवत: पूछ सकते हैं कि उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते जो इन्हें बेचने के जमा कर रहे हैं? हमने लोगों को होने वाली परेशानी पर विचार किया है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे रीति-रिवाज है कि विवाह के समय सिक्के दिए जाते हैं। कुछ लोग भगवान को पैसा चढ़ाने के लिए सिक्के इकट्ठे करते हैं। उदाहरण के लिए, तिरुपति मन्दिर में लोग सिक्के इकट्ठे करते हैं और भगवान को चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब मन्दिरों में सिक्के और मुद्रा के रूप में दान लेने के लिए संदूक रखे होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना होगा। हमारे यहां ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि उसे कार्यान्वित करने वाले तंत्र भी लोगों को कोई कठिनाई पैदा न करे। लेकिन साथ ही साथ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार 1992 तक 32000 लाख सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रश्न यह है कि क्या हम 1992 तक 32000 लाख सिक्के बना पायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिला सकता हूं कि हम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारा 1984-85 तक 20000 लाख सिक्कों के उत्पादन का लक्ष्य है। हम नोएडा में एक टकसाल खोलने जा रहे हैं जिसकी उत्पादन क्षमता 1989 तक 20000 लाख सिक्के तैयार करने की होगी। इसका अभिप्राय है कि 1989 तक हम 40000 लाख सिक्कों का उत्पादन कर पायेंगे जबकि रिजर्व बैंक का

अनुमान 32000 लाख सिक्के उत्पादन करने का है।

अब प्रश्न यह है कि हम इन सिक्कों का आयात करने क्यों जा रहे हैं। इनका संकट है, कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता। प्रश्न यह है कि क्या हमें मांग पूरी करने के लिए उपाय करने चाहिए अथवा हमें इस मामले पर चुप्पी साध लेनी चाहिए। लोगों, विशेषकर निर्धन वर्ग, को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय सदस्यों की बात पूरी तरह से समझता हूँ और लोगों की चिंता से भी चिंतित हूँ विशेष रूप से कमजोर वर्ग का क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति अपने घर से 20 मील की दूरी पर जाता है और होटल में खाना खाता है, और होटल का मालिक उसे बकाया पैसे देने की बजाय उसे एक चिट दे देता है क्योंकि उसके पास छोटे सिक्के नहीं हैं। इससे उस व्यक्ति को घाटा होगा, क्योंकि वह उतनी दूरी से उन पैसों को लेने के लिए नहीं आएगा। यह संभव नहीं है इस तरह से सिक्कों की कमी से गरीब लोगों को कठिनाई हो रही है। यहाँ तक कि बसों में भी, कंडक्टर यात्रियों को बाकी पैसे देने की बजाय एक पर्ची पकड़ा देता है। देश में जनता की यह हालत है। हम इस समस्या का समाधान कैसे करें? भले ही थोड़े समय के लिए इसका समाधान हो, यदि संसद इस विधेयक पर स्वीकृति दे देती है तो हम 20000 लाख सिक्कों का आयात करने जा रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब आपने 20000 लाख सिक्कों का लक्ष्य रखा है, तो आपको इसके लिए धन की व्यवस्था करने की बात को भी ध्यान में रखना होगा।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं इस मुद्दे पर भी आऊंगा।

जो लोग सिक्के जमा करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अधिक सिक्के परिचालित किए जायेंगे और उन्हें सिक्कों को बाहर निकालना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपके ही कहने के मुताबिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सिक्कों का अन्य रूप में परिवर्तन किया जा रहा है। यदि आप अधिक सिक्कों की सप्लाई करेंगे तो वे इन सिक्कों का अन्य रूप में अधिक परिवर्तन करेंगे।

श्री जर्नादन पुजारी : माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि सिक्के गलाने की कीमत धातु की कीमत से अधिक पड़ती है।

श्री जी० जी० स्वेल (शिलांग) : यदि आप ऐसे सिक्के बनाते हैं जिनका मूलभूत मूल्य अंकित मूल्य से अधिक है, तो आप समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यदि आप और सिक्के जारी करेंगे तो अधिक सिक्कों का विपणन किया जाएगा।

श्री जर्नादन पुजारी : माननीय सदस्य प्रो० सैफुद्दीन सोज ने एक मुद्दा उठाया है। मैं उन्हें यह जानकारी दे सकता हूँ। एक रुपए का सिक्का बनाने के लिए धातु की कीमत 32.68 पैसे पड़ती है और ढलाई की लागत है 20.31 पैसे। अत: लोगों के लिए इसे गलाना और फिर धातु बेचना लाभप्रद नहीं होगा। हम यह जानते हैं कि वे इसे गलायेंगे नहीं, अपितु वे इसे अधिक मूल्य पर बेचेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसका क्या प्रमाण है कि वे इन्हें अधिक मूल्य पर बेच रहे हैं?

श्री जर्नादन पुजारी : मैं इसे बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमने राज्य सरकारों को भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए लिखा है। यदि और अधिक सिक्के जारी किए गए तो स्वाभाविक है वे लोग इन सिक्कों की जमाखोरी करने से पहले दो बार सोचेंगे। माननीय सदस्य

द्वारा दूसरी बात यह कही गई है कि इस बात का पता लगाया जाए कि क्या देश में सिक्कों की निर्माण लागत विदेश में सिक्के की निर्माण-लागत से कम होगी। माननीय सदस्य की सुविधा के लिए हम कह सकते हैं, कि विदेशों में सिक्के की निर्माण लागत देश में इसकी निर्माण लागत से कम है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : विदेशी मुद्रा के नाते, इसकी कीमत कितनी है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमारी प्रतिष्ठा के बारे में क्या ?

श्री जनार्दन पुजारी : यदि आप समझते हैं कि सिक्कों का आयात करने से हमारी प्रतिष्ठा में कुछ फर्क पड़ेगा और जहां तक हमारे देश की प्रतिष्ठा का सम्बन्ध है यदि इससे धक्का लगता है तो इस पर विचार करना सदन का काम है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि जहाँ तक इस पहलू का सम्बन्ध है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमें मांग पूरी करनी है और हमें उपाय खोज निकालना है। इसीलिये यह कदम उठाया गया है। माननीय सदस्या श्रीमती मुखर्जी ने कहा है कि यह विधेयक वापिस लिया जाना चाहिए। निवेदन करने से पूर्व माननीय सदस्यों को लोगों की दशा के बारे में सोचना चाहिए था। मैं इस तथ्य से पूर्णतः अवगत हूं कि सी० पी० आई० और सी० पी० आई० (एम०) के सदस्य निर्धन वर्गों का प्रतिधित्व करते हैं और हमने यह ऐसा कदम उठाया है, जिसका मैं समझता हूँ कि आपको स्वागत करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पेश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरम्भ करेगी। प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता। मैं मात्र सिक्का निर्माण के सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूँ। मन्त्री महोदय ने अभी कहा है कि लोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य से इन सिक्कों को अन्य रूप में परिवर्तित कर रहे हैं, क्योंकि सिक्के का अंकित मूल्य वाणिज्यिक मूल्य से कम है। विदेशों में कहीं-कहीं मैंने तांबे के 10 रुपए मूल्य के सिक्के देखे हैं। यदि अंकित मूल्य कम नहीं है, अर्थात यदि सरकार 10 रुपए या 5 रुपये मूल्य के सिक्के बनाती है, तो मैं समझता हूँ कि इसे परिवर्तित करने का काम काफी हद तक रोका जा सकेगा। (**व्यवधान**) अंकित मूल्य अधिक है और वाणिज्यिक मूल्य कम है, इसलिए इसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० सैफुद्दीन सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है। मैंने एक आपत्ति उठाई है कि हमें आयात नहीं करना चाहिए। मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूँ। हम विकास की एक ऐसी स्थिति में पहुँच चुके हैं। जहां पहुँचकर हमें दूसरा आयात नहीं करना चाहिये, क्योंकि इससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष हमारी प्रतिष्ठा कम होगी। मुझे इस पर आपत्ति है और मैंने पूछा है कि हमें विदेशी सरकारों से ही इसका आयात क्यों करना चाहिए। लेकिन मंत्रालय का विचार लोगों से सिक्के आयात करने का है। कम से कम उन्हें यह विचार छोड़ देना चाहिए। यदि उन्हें हमारा मत बिलकुल नहीं मानना है तो वे सरकार से ही इसका आयात करें।

दूसरे, मन्त्री महोदय ने हमारे समक्ष स्वीकार किया है कि लोग वाणिज्यिक कारणों से सिक्कों को गला रहे हैं। बाद में उन्होंने इससे इंकार कर दिया।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने वैसा नहीं कहा। विपक्ष की माननीय सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने कहा कि कुछ लोग इनकी जमाखोरी कर इन्हें गला रहे हैं। मैंने कहा कि हमने राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए लिखा है। यदि कुछ लोग वाणिज्यिक कारणों से, सिक्के गलाते हैं तो राज्य सरकारें कार्यवाही कर सकती हैं।

जहां तक सुरक्षा सम्बन्धी पहलू का सम्बन्ध है, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पहले ही यह मुद्दा उठा चुका हूँ। आप याद कीजिए।

श्री जनार्दन पुजारी : हम सुरक्षा सम्बन्धी उपाय भी कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम ये निर्देश देने जा रहे हैं कि सिक्कों का निर्माण या ढलाई करने के पश्चात्, उन लोगों द्वारा बनाए गए उपकरण नष्ट कर दिये जाने चाहिए।

जहां तक आपके सुझाव का सम्बन्ध है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को इन सिक्कों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, इन मामलों का मूल्यांकन किया जा रहा है जैसे—हमें क्या-क्या कदम उठाने हैं। कृपया यह बात सरकार पर छोड़ दीजिए। सरकार पर कुछ विश्वास रखिए (**व्यवधान**) हमें अन्य कई बातों पर भी विचार करना है और देखना है कि हमें कौन से कदम उठाने चाहिए जिनसे देश का हित हो। कृपया यह बात सरकार पर छोड़ दीजिए। यदि सरकार कुछ गलती करती है तो यह उसके लिए जिम्मेदार है। आप इस सम्बन्ध में बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रश्न पूछे जाने के लिए ही हैं। (**व्यवधान**)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया यह बताइये कि व्यक्तिगत रूप से कोई यह काम नहीं करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.25 म० प०

काली मिर्च पर निर्यात शुल्क बढ़ाने सम्बन्धी अधिसूचना के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 403 (ङ) का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से काली मिर्च पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 3 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया गया है।"

3.36 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

काली मिर्च निर्यात शुल्क के शीर्षक संख्या 2 के अंतर्गत आती है और उसमें इसकी निर्यात-शुल्क पर 1-25 रुपए प्रति किलोग्राम बताई गई है। तथापि 16 फरवरी, 1979 से काली मिर्च पर सीमा शुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। उस समय एफ० ओ० बी० यूनिट वसूली लगभग 20 रुपए प्रति किलो थी।

काली मिर्च का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य 1983 के अंत में बढ़ना शुरू हो गया। सरकार कुछ समय से निर्यात मूल्यों की इस प्रवृत्ति को देखती रही है। काली मिर्च का नवीनतम निर्यात मूल्य लगभग 40 रुपये प्रति किलो रही है। तदनुसार निर्यात शुल्क से छूट हटा ली गयी है और काली मिर्च पर 3 रुपए प्रति किलो की दर से निर्यात शुल्क लगा दिया गया है। अब इससे प्रति वर्ष 7.5 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, समय-समय पर निर्यात शुल्क में परिवर्तन किए जाते हैं। चालू वर्ष के बजट प्रस्तावों में 12 मदों पर निर्यात शुल्क दर समाप्त की गई और केवल 4 मदों पर ही निर्यात शुल्क लगाया गया है। इन 4 मदों में से कॉफी पर निर्यात शुल्क 29 अप्रैल, 1979 से 720 रुपए प्रति क्विंटल से घटाकर 570 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। अभी प्रस्ताव यह है कि अभी पारंपरिक निर्यात मदों पर निर्यात शुल्क पुनः आरम्भ किया जाए। निर्यात शुल्क पुनः लगाए जाने के समय इस बात का भी पूरा ध्यान रखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ने से हमें लाभ अधिक हो और शुल्क से हमारे निर्यातकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।

मैं इस संकल्प पर विचार किया जाने और इसे पारित किया जाने की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित, धारा 8 की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 मई, 1985 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 402 (ङ) का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से काली मिर्च पर उद्ग्रहणीय निर्यात शुल्क को 3 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.38 म० प०

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं इस सभा की अनुमति से पहले ही एम० आर० टी० पी० (संशोधन) विधेयक 1985 पेश कर चुका हूं, जिसमें एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 20 (क) में वर्णित आस्तियों के मूल्य की सीमा 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए किये जाने का उपबन्ध है। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन बिलकुल ठीक समय पर लाया गया है तथा समुचित है। देश इस समय प्रौद्योगिक क्रांति, जिसकी 21वीं शताब्दी में आरम्भ होने की संभावना है, के कगार पर खड़ा है। इसलिए हमें अभी तक किए गए आर्थिक विकास का जायजा लेना चाहिए और भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। पिछले 30 वर्षों में भारत ने कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर महत्वपूर्ण प्रगति की है। तथापि देश को अभी भी गरीबी हटाने, मजदूरी सम्बन्धों सामग्री की सप्लाई बढ़ाने और मुख्य सामग्री की सप्लाई में वृद्धि करने के साथ-साथ औद्योगिक बुनियादी ढांचे में विकास करने की दिशा में काफी कुछ करना है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के नीति पत्र में इस बात पर ठीक बल दिया गया है कि मूल ढांचे में जो रुकावटें और कमियां हैं, उन्हें दूर किया जाए, उद्योगों की क्षमता उपयोगिता और उत्पादकता को बढ़ाया जाए तथा आधुनिकीकरण और उद्योग में प्रतिस्पर्धा पर बल दिया जाये।

यद्यपि अवरोधक तथा व्यापारिक व्यवहार अधिनियम 1969 से, जो पिछले 14 वर्षों से लागू है, आर्थिक शक्ति कुछेक लोगों के हाथों में केन्द्रित न किये जाने से सफलता मिली है, सभी लोगों ने विशेषकर नए उद्यमियों ने यह विचार व्यक्त किया है कि किसी उपक्रम को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अध्याय 3 के विनियामक उपबन्धों के अन्तर्गत लाने के लिए 20 करोड़ रुपए की वर्तमान परिसंपत्तियों की जो सीमा रखी गई है उससे अधिक परिसंपत्ति वाले एकाधिकार गृहों को अनुचित लाभ मिलता है, क्योंकि नए उद्यमों को भी ऐसे एकाधिकार गृहों, जिनकी आस्तियां बहुत अधिक हैं, के समकक्ष रखा जाता है जिनसे वह प्रतियोगिता करना चाहता

है। उनके द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि इससे प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा तथा एकाधिकार गृहों के हाथ में धन केन्द्रित नहीं होगा। यदि नए स्वतंत्र उद्यमियों को एम० आर० टी० पी० अधिनियम का प्रतिबन्ध लगाए बिना, उन क्षेत्रों में समुचित पूंजी निवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिन पर अब तक इन एकाधिकार गृहों का ही एकाधिकार था।

आरम्भ में 1969 में जब संसद में मूल एम० आर० टी० पी० अधिनियम पारित किया गया था तो धारा 20 (क) में बीस करोड़ रुपए की आस्तियों की सीमा अस्थायी तौर पर निश्चित की गई थी और तत्कालीन कंपनी कार्य मंत्री ने संसद में बताया था कि यह मात्र कार्यकरणी सम्बन्धी व्यवस्था है। जब से एम० आर० टी० पी० अधिनियम लागू हुआ है सरकार को विभिन्न सूत्रों से अभ्यावेदन मिल रहे हैं कि किसी उपक्रम को एम० आर० टी० पी० अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने के लिए 20 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति की सीमा अवास्तविक है और उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। सरकार निश्चित रूप से यह महसूस करती है कि किसी उपक्रम का छोटा होना और बड़ा होना वास्तव में अर्थ-व्यवस्था के विकास से संबद्ध है। इस प्रकार से 1970 में किसी संयंत्र और मशीनरी 5 लाख रुपए तक के पूंजी निवेश वाला एक एकक औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में लघु एकक माना जाता था। आज संयंत्र और मशीनरी में 35 लाख रुपए तक के पूंजी निवेश वाले एकक को आई० डी० आर० अधिनियम के अंतर्गत लघु एकक माना जाता है। सचमुच यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए था, क्योंकि जैसे जैसे राष्ट्र की संपत्ति बढ़ती है, वैसे ही हमारे छोटे या बड़े की परिकल्पना में भी आवश्यक परिवर्तन आ जाता है। इसके अतिरिक्त धन के मूल्य में कमी के साथ साथ ही आकार के संयंत्र का मूल्य, जिसकी कीमत 1970 में 20 करोड रुपए से अधिक नहीं होगी आज उसका मूल्य बहुत अधिक होगा और स्वाभावत: आस्तियों की वित्तीय सीमा आर्थिक शक्ति के सूचकांक के रूप में एक ही समान नहीं रह सकती। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है राष्ट्र के संसाधनों में बढ़ोत्तरी होती है और राष्ट्र के संसाधनों में वृद्धि के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विकास के समान वित्तीय सीमा भी बढ़ती है। अर्थ-व्यवस्था के गतिवाद में ऐसा होना स्वाभाविक है। यदि एम० आर० टी० पी० अधिनियम की धारा 20 (क) में 20 करोड़ रुपए को परिसंपत्ति की सीमा आने वाले समय में भी आर्थिक शक्ति के केन्द्रण के सूचकांक के रूप में बने रहने दी जाती है तो यह गलत होगा क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होगा कि जब से एम० आर० टी० पी० अधिनियम लागू हुआ है, तब से आर्थिक विकास बिलकुल नहीं हुआ है। मूल्य वृद्धि और औद्योगिक आधार के विस्तार को ध्यान में रखते हुए, सरकार यह महसूस करती है कि विनियमनकारी प्रावधानों को लागू करने और उपक्रमों को पंजीकृत करने के उद्देश्य से अधिनियम धारा 20 के खण्ड (क) में आस्तियों की सीमा को बढ़ाकर सौ करोड़ रुपये करना उचित होगा। विधेयक के प्रस्तावित उपबंध में सरकार का यही आशय प्रतिबिम्बित होता है।

अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार कर इसे पारित करे।

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : मंत्री महोदय ने अभी एक संशोधन विधेयक पेश किया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है कि परियोजनाओं की लागत और उनके आर्थिक स्वरूप में वृद्धि हो गई है और इसलिए निर्धारित सीमा की पुनपरीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां लागत में वृद्धि नहीं हुई है, मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है? सभी क्षेत्रों में आप ऐसा पायेंगे। यह केवल एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों और उपक्रमों तक ही सीमित नहीं है। क्या सरकार अन्य क्षेत्रों के बारे में भी इसी प्रकार का उदार दृष्टिकोण अपनाएगी? निश्चय ही नहीं। मैं एक सामान्य उदाहरण लेता हूं। ग्रामीण आवास के

मामले में, उदाहरण के तौर पर 'हुडको' एक मकान के निर्माण के लिए 6,000 रु० की अधिकतम सीमा की अनुमति देता है। क्या आप इसे पाँच गुना बढ़ाकर 30,000रु० कर देंगे ? निश्चय ही इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। अधिकतम सीमा 6,000 रु० ही है और इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। जब आम आदमी, गरीब आदमी की बात आती है तो इस प्रकार की सुविधाएं कभी नहीं दी जाती क्योंकि सरकार की यह मंशा नहीं है कि वह इस पहलू को भी ध्यान में रखे। मूल्यों में वृद्धि वह मुख्य कारण नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा। इसके पीछे और कुछ भी जो सामने नहीं दिखता। हमारे सामने एक और विधेयक आ रहा है, जिसके अधीन निजी कम्पनियों द्वारा राजनैतिक दलों को दिये जाने वाले दान को नियमित किया जायेगा। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। क्या ऐसी आशंका का पर्याप्त आधार नहीं है ? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मूल्यों में वृद्धि मात्र एक बहाना है। मात्र तर्क के लिए इसका सहारा लिया गया है, जिसका कि कोई आधार नहीं है। मुख्य मंशा निजी क्षेत्र को मजबूत करना है—निजीकरण करना न कि राष्ट्रीयकारण करना। यह राष्ट्रीयकरण का उल्टा है। इस देश में या विदेशों में अभी जो कार्य सरकारी उपक्रम कर रहे हैं, उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता निजी क्षेत्र को सौंपा जा रहा है। यह राष्ट्रीयकरण का उल्टा हो रहा है। मैं संविधान के अनुच्छेद 3812, का हवाला दे रहा हूँ। यह विधेयक संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है। यह संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है। अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है कि

"राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और,··· प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अफसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।"

अनुच्छेद 39 में कहा गया है :

"(क) समान रूप से नर और नारी सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो :

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो।"

इस प्रकार संविधान में सरकार को ऐसे किसी भी कार्य को करने की मनाही है जिससे धन का केन्द्रण कुछेक लोगों के हाथ में हो जाए। लेकिन इस मामले में एकाधिकार घराने, बड़े औद्योगिक घराने, पूंजीपतियों को, जानबूझ कर खुले तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे समय में जब 'फिक्की' का 50 करोड़ रुपये से अधिक की छूट सीमा की वृद्धि की प्रत्याशा नहीं थी, वहीं सरकार, जानबूझकर इस सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर रही है। उनके लिए यह एक सुखद आश्चर्य है। ऐसा करने के क्या कारण हैं ? मुझे डर है कि समाजवाद के दिन समाप्त हो गये हैं और इसे अलविदा कह दिया गया है। हाल ही में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में कुछ ग्रुपों द्वारा दबाव डाले जाने पर, समाजवाद का वही पुराना नारा लगाया गया और संशोधित संकल्प में इसे संशोधित रूप में शामिल किया गया है। वे खुले तौर पर बड़े औद्योगिक घरानों और एकाधिकार घरानों का समर्थन कर रहे हैं, पहले हम धन पर उच्चतम सीमा लगाने की बात करते थे। वे दिन अब खत्म हो गये हैं। पहले हमें बार बार यह कहा जाता था कि आप में असमानता समाप्त करने की पूरी आवश्यकता है। लेकिन हमें अब ऐसी कोई बात नहीं सुनाई देती है। आय और धन में असमानताएँ

बढ़ती जा रही हैं। कुछ एक लोगों के हाथों में धन इकट्ठा हो रहा है। आम आदमी की हालत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है और उसे अधिक कष्ट सहने पड़ रहे हैं। गरीबी बढ़ रही है। आज हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की यह दशा है और जिसे न केवल सहन ही किया जा रहा है, बल्कि सरकारी नीतियों से बढ़ावा भी दिया जा रहा है, इन नीतियों के अनुरूप ही यह विधेयक है। मेरा मुख्य विरोध यही है। इस मामले पर विस्तार से न कहते हुए, क्योंकि एक अन्य विधेयक भी आ रहा है, मैं अपने दल की ओर से जिस प्रकार से यह विधेयक पेश किया गया है उसका विरोध करता हूँ क्योंकि यह सब बड़े औद्योगिक घरानों के हितों का समर्थन करने, उन्हें बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा और ऐसा राष्ट्र समाजवाद और उन सभी मूल्यों के कीमत पर किया जा रहा है यह किया जा रहा है, जिनके लिए यह देश सदा से समर्थन करता आया है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : माननीय सभापति जी, यह जो एम० आर० टी० पी० एक्ट अमेंडमेंट बिल है इसके द्वारा 20 करोड़ रुपये को 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसका मैं समर्थन करता हूं।

अभी मेरे एक मित्र जो कि बड़े बुद्धिमान हैं ने वहां से अपना भाषण दिया और कहा कि सरकार समाजवाद की तरफ नहीं जा रही है, पूंजीवाद की तरफ जा रही है। जहां तक पूंजीवाद का ताल्लुक है यही सरकार उसको खतम कर रही है। इसने ही प्रयत्न करके ऐसा संविधान बनाया जिसमें कि पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है।

जहां तक बड़े घरानों का ताल्लुक है उनको भी इस देश में रहने का हक है। जहां तक समाजवाद को बढ़ाने और गरीबी को खत्म करने का सवाल है, हमारी पार्टी हमेशा इसके लिए काम करती है। मन्त्री जी ने जो यह अमेंडमेंट बिल रखा है इसमें उन्होंने कोई खास बात नहीं की है। इसके द्वारा थोड़ा-सा बेनिफिट ही दिया है।

इन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो शताब्दी अधिवेशन हुआ था उसमें इस तरह का सवाल पैदा हुआ था। विपक्ष के जो महानुभाव बोल रहे थे कि उसमें बड़े घरानों की मदद करने की बात कही गई थी, यह बात ठीक नहीं है। हमारा लक्ष्य समाजवाद के लिए काम करने का है।

उनको याद रखना चाहिए कि जहां तक मजदूरों और उनके हितों का सवाल है उसके लिए सदा सरकार आगे बढ़कर काम करती है। जहां तक पूंजीपतियों का सवाल है उनको ज्यादा मदद विपक्ष से मिलती है। वे ही पूंजीपतियों के फायदे के लिए सबसे ज्यादा एजीटेशन कारखानों में कराते हैं। इससे प्रोडक्शन घटती है। फिर कारखाने घाटे में चले जाते हैं। मेरा सजेशन है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश आगे न बढ़ सके, देश प्रगति न कर सके। यह जो अमेंडमेंट लाया गया है यह देश को आगे बढ़ाने में मदद करता है। जहां तक हमारे कारखानों का ताल्लुक है, अभी प्राइवेट सेक्टर की बात कही गयी, मैं पब्लिक सेक्टर की बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए हमको प्रयत्न करना चाहिए और वह प्रयत्न इस तरह से हो सकता है कि जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहां कारखानों, उद्योगों की बहुत कमी है, वहां पर उनको स्थापित किया जाए। वहां पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों को कारखाना लगाने के लिए लायसेंस दिया जाना चाहिए, उनको लायसेंस जारी करने की नीति इस तरह की होनी चाहिए कि वे कारखाना ऐसे इलाकों में लगाएं, ताकि गरीब लोगों को फायदा पहुंच सके।

मैं समझता हूं कि जहां हम अच्छे कदम उठा रहे हैं वहीं हम समाजवाद की तरफ भी बढ़ रहे हैं। समाजवाद लाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों को उठाना बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें उधर इन्वेस्टमेंट

करना होगा, उधर अधिक उद्योगों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जहां खेतीबाड़ी है, बागबानी है, वहां यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो पूंजीपति हैं, उनसे हमने पैसा लोगों की भलाई के लिए लगवाना है, इसके लिए उनको प्रलोभन देना होगा और जो उनके पास धन पड़ा है, उसको सामाजिक कामों के लिए खर्च कराना होगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह पैसा लेने वाला नहीं, पैसा छोड़ने वाला बिल है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यहां पर लेने की बात है। जब लेंगे तभी तो देंगे, अगर लेंगे नहीं तो देंगे कहां से ? तो मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बुद्धि को दुरुस्त करके इस बात की तरफ ध्यान दें कि लेंगे तो देंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो हम कहां से देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मन्त्री जी कि आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जहां आपने बहुत अच्छे-अच्छे काम किए हैं और अच्छे काम करने के लिए प्रयत्नशील हैं वहां इस तरह के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए अधिक से अधिक मदद दी जानी चाहिए। जो पिछड़े क्षेत्र हैं, हिमाचल प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे नागालैण्ड-मिजोरम के इलाके हैं, उनमें जो पहाड़ी लोग हैं, उनके लिए मैं यह समझता हूं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास जो विभाग है, उससे वहां की आर्थिक स्थिति में आप सुधार ला सकते हैं। आज बड़े-बड़े आदमी ऐसी जगहों पर उद्योग स्थापित कर रहे हैं जहां पर रेलवे का हैड है, जहां पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, ज्यादा सबसिडी मिलती हैं। प्राइवेट लोगों को भी ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने खोलने चाहिए ताकि वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, वहां सेब और आलू की खेती होती है। मैं यह कहना चाहता हूं, जैसाकि सुबह प्रश्न चल रहा था सांप और मगरमच्छों को पालने के लिए, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश की हालत जिस तरह से भी सुधर सकती हो, उस ओर कदम उठाए जाने चाहिए। हमारे यहां जितने भी कारखाने लगते हैं, सब मैदानी इलाकों में लगते हैं और जो सिर्फ आयाराम-गयाराम का काम करते हैं, पैसा लूटमार कर चले जाते हैं। ये लोग हर जगह पहुंच जाते हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जहां भी सबसिडी मिलनी है, वहां से सबसिडी लेकर और वहां से अपना कारखाना दूसरी जगह ट्रांसफर करा लेते हैं, दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। हर जगह कारखाने वालों की देनदारी रहती है। जहां आप छूट दे रहे हैं, इतना भारी प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां यह बात भी देखी जाए कि हमें इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। इस बात को सोचकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो सुविधाएं दी जाती हैं, प्रोत्साहन दिया जाता है, इसका यूटीलाइजेशन देश के लिए होना चाहिए, यही मेरा कहना है। विपक्ष के लोग तो हमेशा विरोध ही करते रहते हैं।

इतना कहकर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

4.00 म० प०

भारत के प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के षडयन्त्र का अमरीका के फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा पर्दाफाश करने के समाचार के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री जी० जी० स्वेल (शिलांग) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अमरीका के फैडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक ऐसे षडयन्त्र

का, जो भारत के प्रधान मन्त्री की आगामी अमरीका-यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के बारे में था, पर्दाफाश किये जाने के समाचार पर विचार करती है और उसे गहरी चिन्ता का विषय मानती है।"

श्रीमन्, इस घृणास्पद षडयन्त्र की खबर, कि प्रधान मन्त्री को अगले माह अमेरिका यात्रा के दौरान मारे जाने का षडयन्त्र जिसे कि अमेरिका के प्रतिष्ठित आसूचना संगठन--फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पर्दाफाश किया है, से हम सबको गहरा धक्का लगा है। लेकिन यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले तीन वर्षों से हम सिख उग्रवादियों की समस्या से निपट रहे हैं। हमारे लिए प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या की बात से बढ़कर कोई सदमा या हैरानी की बात नहीं हो सकती। लेकिन अब हमें इस घृणास्पद प्रवृत्ति, चाहे आप उसे उग्रवाद, आतंकवाद, कहें या अपनी जन्म भूमि के प्रति विश्वासघात कहें, के विरुद्ध अधिक लड़ना पड़ रहा है, उसका अधिक कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। तथापि, इन काली घटनाओं में एक आशा की किरण दिखाई दी है। अमेरिका में ही एक अमेरिकी गुप्तचर संगठन द्वारा इसका भंडाफोड़ हुआ है। हमारे लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने इस बारे में बार-बार ध्यान आकर्षित किया था और अन्ततः उन्होंने मरकर इसकी कीमत चुकाई। हम देश की भीतर और बाहर कार्यरत इन घृणास्पद ताकतों के प्रति ध्यानाकर्षित करते रहे हैं। लेकिन जो कुछ हमने कहा---उसके प्रति विश्व के बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया। जो चेतावनी हम दे रहे थे, उसको पश्चिमी देशों ने चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन या जर्मन संघीय गणराज्य हो—इसे गम्भीरता से लेने के बजाय मजाक में लिया। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इन देशों ने हमारे देश के कुछ ऐसे लोगों को शरण दी, जो हमारे देश में अपराध करने के बाद वहां चले गये थे। यह भी एक सर्वमान्य तथ्य है कि वे लोग खुल्लमखुल्ला इस देश और सरकार के प्रति जहर फैलाते रहे हैं। यह भी सर्वमान्य बात है कि जो लोग यहाँ से कानून के शिकंजे से भाग गये थे, उन देशों द्वारा वीसा आदि दिये जाने के आधार पर पश्चिमी देशों में निर्बाध रूप से घूमते रहे हैं।

अब, पहली दफा, अमरीका की फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी ही धरती पर इस बुराई का पर्दाफाश किया है। पहली दफा इस मस्तिष्क, विवेकहीन बुराई, पागलपन और सनक को अमेरिका में, अमेरिका सरकार के सामने और अमेरिका के लोगों के सामने बेनकाब किया है, अतः यह स्वाभाविक ही है कि हम अमेरिका सरकार से आशा करें कि भविष्य में वह इस बारे में और कदम उठायेगी। एफ० बी० आई० ने एक ही षडयन्त्र का पर्दाफाश किया है। कई अन्य षडयन्त्र भी हो सकते हैं। अमेरिका में जो कुछ हुआ उसका सारे विश्व में प्रचार हुआ है। सभी संचार माध्यमों ने इस खबर को प्रेषित किया है। इसलिए हमें विश्व के बाकी देशों को बताने की आवश्यकता नहीं है—चाहे वह देश अमेरिका हो, कनाडा हो, ब्रिटेन हो या जर्मन संघीय गणराज्य हो। उनकी एजेन्सियों द्वारा ही यह प्रचारित किया गया है। उग्रवाद और आतंकवाद का यह भद्दा चेहरा बेनकाब हो गया है, इसलिए उनके लिए स्वाभाविक ही है कि वे इन लोगों तथा इनके समूहों से, सख्ती से पेश आयें। इस उग्रवाद से न केवल भारत की हानि होती है, बल्कि उस देश के नाम पर ही बट्टा लगता है जहां यह अपराध किया जाता है।

इसके बाद और आगे कुछ कहने से पहले मैं समझता हूँ कि मुझे इस अवसर पर, अमेरिका सरकार और एफ० बी० आई० को अपनी ओर से और सभा की ओर से भी बधाई देनी चाहिए।

मुझे पता चला है कि विदेश मन्त्रालय ने कल ही अमेरिका को उनकी इस कार्य कुशलता के लिए, भूरि-भूरि प्रशंसा का सन्देश भेज दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने पहले ही आपके मन की बात जान ली होगी।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं समझता हूँ कि इस सभा के सभी सदस्य, अमेरिका सरकार को उसके द्वारा किये गये अच्छे कार्य की प्रशंसा करने में मेरा साथ देंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि, क्योंकि खालिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है—मैं उन्हें सिख नहीं कहना चाहता—मैं अभी भी सिखों और अपने को खालिस्तानी कहने वाले लोगों में काफी अन्तर करता हूँ—मैं अभी भी यह मानता हूँ कि सिख समुदाय के प्रबल बहुमत ने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और इस देश के इतिहास में सदियों तक सुनहरे पन्ने जोड़े हैं, इस बात को समझते हैं कि उनकी महानता भारत की महानता से परस्पर सम्बद्ध है। ये केवल कुछ ही गैर-जिम्मेदार लोग हैं, विशेषकर वे जो इस देश से भाग गए हैं और जो समृद्ध पश्चिम देशों में सुख से रह रहे हैं, और जिन्हें अगर भारत के सिखों को कुछ हो जाये तो कुछ भी मूल्य नहीं चुकाना पड़ेगा, उग्रवाद में संलग्न हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह अमरीकी लोगों और अमेरिका सरकार द्वारा भारत और भारत की समस्याओं के प्रति दुबारा से सोचने का समय है।

ये लोग किस प्रकार का खतरा पैदा कर रहे हैं? हम सोच सकते हैं कि वे प्रधान मन्त्री की हत्या का षडयन्त्र रच रहे हैं। हमें बताया गया है कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री की हत्या कर वे एक बार फिर सनसनी फैलाना चाहते थे। मेरे लिए यह कुछ रहस्यपूर्ण है। जब और सूचना प्राप्त हो जायेगी तो हमें इन बातों पर अधिक शांति मे विचार करना होगा। प्रत्यक्षतः मुझे यह बात अत्यन्त मूर्खतापूर्ण लगती है। अगर वे वास्तव में प्रधान मन्त्री को मारना चाहते थे, तो पहले हरियाणा के मुख्य मन्त्री को मारकर पूर्वाभास क्यों देना चाहते थे? अगर उनका यह प्रयास सफल हो जाता—शायद यह मुख्य मन्त्री का सौभाग्य था या एफ० बी० आई० की कुशलता थी ऐसा नहीं हुआ, मैं नहीं जानता—अगर ऐसा हो जाता तो निकट भविष्य में प्रधान मन्त्री की हत्या के किसी षडयन्त्र के रचने का प्रश्न ही नहीं होता। क्यों? अगर हरियाणा के मुख्यमन्त्री की हत्या कर दी जाती तो उन्हें प्रधान मन्त्री के विरुद्ध अपने सभी षडयन्त्रों को छोड़ना पड़ता।

4.11 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मन्त्री इस देश में प्रधान मन्त्री या यहाँ की सरकार के मात्र मुखिया ही नहीं हैं, बल्कि इस देश की इच्छाओं के प्रतीक हैं, वह इस देश की अधिकांश लोगों की इच्छाओं के प्रतीक हैं, तीन-चौथाई जनादेश का प्रतीक है, और अगर कोई प्रधान मन्त्री की हत्या का प्रयास करता है तो वह समूचे राष्ट्र के लिए खतरा है। अगर कोई प्रधान मन्त्री के विरुद्ध षडयन्त्र रचता है तो वह सारे राष्ट्र के प्रति षडयन्त्र करता है। आपका और अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। यह समाचार पत्र में छपी कोई घटना ही नहीं है, बल्कि इस सभा ने भारत की लोक सभा, जहां भारत के लोग मिलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं, इस घटना पर अपने विचार रखे हैं। मुझे आशा है कि यहां व्यक्त की गयी हमारी भावनाएं न केवल इस देश में फैलेंगी, बल्कि अमेरिका तक भी पहुँचेंगी। सारे विश्व को पता लगेगा कि भारत के लोगों और संसद की इस पर कैसी प्रतिक्रिया है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह एक घृणास्पद षड्यन्त्र है। यह केवल प्रधान मन्त्री के लिए ही चुनौती नहीं थी, बल्कि इस देश के लिए भी चुनौती थी। न्यूयार्क में इन मुट्ठी भर लोगों ने बैठकर वहां क्या योजना बनाई थी ? उनका उद्देश्य क्या था ? प्रधान मन्त्री की हत्या का षड्यन्त्र बनाने के अलावा, हमें एफ० बी० आई० ने बताया है कि वे उसी समय इस देश में कुछ तोड़फोड़ भी करना चाहते थे, इस देश में कुछ भवनों को, पुलों को, अणु संयंत्र आदि को बमों से उड़ाना चाहते थे। उनकी योजना की पैशाचिकता को देखें। क्या इन लोगों को अगर राज्य मिल जाए तो क्या वे इसे चला पायेंगे ? क्या इन खालिस्तानियों ने कभी लोगों के जीवन के बारे में सोचा है ? अगर अणु संयंत्र को उड़ा दिया जाता है तो क्या हो जायेगा ? कोई भी कायर गद्दार ऐसा कर सकता है। लेकिन इस संयंत्र से फैलने वाली विकीरण किरणों से जो लाखों लोग के जीवन में जहर घुलेगा उसका क्या होगा ? क्या वे इस बारे में सोचते हैं ? इन लोगों का यही सही चेहरा है जिसे फैडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन ने पूरे विश्व के समक्ष बेनकाब कर दिया है और मेरे विचार में हमें इसके लिए एफ० बी० आई० का आभारी होना चाहिए और इसकी प्रशंसा करनी चाहिए।

सभी जानते हैं कि भारत लोकतन्त्र का समर्थक है। सभी इस बात को जानते हैं। अमरीका लोकतन्त्र का समर्थक है। भारत और अमरीका के जो कुछ भी मतभेद हैं, वे देश की राजनीतिक एवं देश की नीति सम्बन्धी है। दोनों में एक चीज की समानता है। दोनों देश लोकतन्त्रीय हैं। यदि अमरीका लोकतन्त्र के लिये वचन बद्ध है और यदि भारत में लोकतन्त्र को खतरा, चुनौती तथा इसके प्रति कोई षड्यन्त्र होता है तो अमरीका के लोगों को उसे विश्व के समग्र लोकतन्त्र के लिए खतरा समझना चाहिए। अमरीका की जनता ने हमारी अपेक्षा आतंकवाद का अधिक सामना किया है। यद्यपि हमारा जख्म हाल ही का है जो कि कुछेक महीनों पहले हुआ है। अमरीका के लोगों को याद रखना चाहिए कि 100 वर्ष पहले आतंकवाद ने उनके पूरे इतिहास में महान राष्ट्रपति लिंकन की जान ली जिन्होंने अमरीका में एकता बनाये रखने के लिए आखिर तक संघर्ष किया। और इस एकता को न बनाए रखकर अमरीका की आज यह स्थिति है। यदि अब्राहिम लिंकन द्वारा अमरीका की एकता को न बनाए रखा जाता तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आज अमरीका दक्षिण अमरीका की अस्थिर गणतन्त्रों में होता। जब इस कड़े संघर्ष के बाद वह एक थियेटर में मनोरंजन कर रहे थे तो एक कातिल ने उन पर गोली चला दी।

बीस या इससे अधिक वर्ष पूर्व अमरीका ने अपने एक और युवा राष्ट्रपति जॉन एफ० केनेडी का जीवन आतंकवादियों के हाथों खोया। राष्ट्रपति रीगन भी भाग्यवश बच गये। वह भाग्यशाली थे और उन्हें परमात्मा की शुक्रगुजार होना चाहिए कि वह बच गये परन्तु उन्हें हत्यारे की गोली खानी पड़ती। अत: श्रीमान, यह भाग्य की ही बात है कि यह घटना अमरीका में हुई तथा अमरीका की एफ० बी० आई० ने उसे बेनकाब कर दिया। जैसा कि मैंने बताया है कि यह अवसर है, भू-राजनीतिक तथा भू-नीति में मतभेद इसमें बाधक नहीं बनने चाहिए। यह एक साझा लक्ष्य है जिसके लिए भारत तथा अमरीका की जनता और सरकार को मिलकर कार्य करना चाहिए तथा आतंकवाद के भद्दे रूप को समाप्त करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अमरीकी सरकार को इन लोगों का पता लगाने उन्हें पकड़ने तथा उन्हें सभी प्रकार से नियंत्रित करने के उपाय करने चाहिए। मैं अन्य मित्र देशों, जैसे कनाडा, फैडरेल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, ब्रिटेन तथा फ्रांस से उम्मीद करता हूँ कि वे इस बारे में अधिक कार्यवाही करेंगे।

महोदय, निश्चित रूप से एक ढंग है जिसमें ये कार्यवाहियां होती हैं। अभी पिछले दिन इस पर वादविवाद हुआ था तथा मैंने कहा था कि कहीं इसकी एक केन्द्रीय कमान है, देश के भीतर अथवा बाहर कोई व्यक्ति सामूहिक रूप से इन आतंकवादियों और उग्रवादियों को ऐसी गतिविधियों के लिए प्रेरित कर रहा है। आप घटनाक्रम को ही देखें। समझौते के लिए सरकार ने सिखों के कुछ नेताओं को रिहा किया है। इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रस्ताव और आशा थी। उस अवसर को निकट पाकर कुछ व्यक्तियों ने इन नेताओं को अलग करके अकाली दल का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसके तुरन्त बाद दिल्ली तथा अन्य स्थानों में निर्मम भीरुता पूर्वक बम विस्फोटों में भारी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की जानें ली गयीं। क्या इससे बड़ी भीरुता' की बात हो सकती है कि गरीब लोगों को जीवन से खेलने के लिए ट्रांजस्टर जैसी वस्तु में बम रख दिये गये। निर्दोष व्यक्ति उसे उठाते और बजाते हैं विस्फोट होता है तथा अनेक लोगों की जानें जाती हैं। क्या इससे बड़ा भीरुता पूर्ण कार्य और कोई हो सकता है? इसके साथ ही हमें प्रधान मंत्री की जान लेने की साजिश का पता चलता है। अत: यह एक स्पष्ट ढंग है। मुझे समाचार पत्रों से पता चला है कि हमारे गुप्तचर विभाग के व्यक्ति फैडरिल ब्यूरो ऑफ इन्वेसटीगेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए वाशिंगटन गये हैं। ऐसा ही होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि वे इस षड्यंत्र का पता लगाने से भी अधिक बड़ा कार्य करेंगे। अब इस मामले में समन्वित अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास किया जाना चाहिए। हमें सभी तरह के आतंक का सामना करना है। अमरीका तथा भारत सरकार द्वारा मिल कर कार्य करने के इस अवसर का लाभ उठाया जाना चाहिए तथा यदि सम्भव हो तो कनाडा, ब्रिटेन, फ्रेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकारों के साथ मिलकर आतंकवाद के मुख्य केन्द्र का पता लगाना चाहिए।

महोदय, मुझे कुछ निराशा के साथ कहना पड़ता है कि एफ० बी० आई० का एक गुप्त एजेन्ट सिख उग्रवादियों के गिरोह में प्रवेश करके यह पता लगा सका परन्तु हम इस बारे में कुछ नहीं कर सके वह उनका मित्र बन गया। उन्होंने उस पर दृढ़ विश्वास किया वे उससे कुछ बातें जानना चाहते थे। भूतपूर्व नौसेना अधिकारी था। परन्तु वह नौसेना अधिकारी नहीं रहा था और एफ० बी० आई० का एक गुप्त एजेन्ट था और इस प्रकार वह उनका मित्र बन गया था और उन्होंने उस पर विश्वास किया और उसे बताया कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी मदद चाहते हैं। हमें बताया गया है कि गुप्त एजेन्ट की आतंकवादियों के साथ हुई वार्ता का वीडियो ट्रेप वाले कमरे से रिकार्ड किया गया तथा इसे टेप को अमरीकी न्यायालय में पेश किया गया। हमें सरकार को इसका न केवल पता लगाने के लिए अपितु उन लोगों को न्यायालय के समक्ष ले जाने के लिए बधाई देनी चाहिए। वीडियो टेप न्यायालय के समक्ष पेश किए गए हैं। इस सभी बातों पर बोलते समय मुझे निराशा होती है मैं 'शर्म' शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। यह कैसी बात है कि समूची दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर इन लोगों ने ट्रांजिस्टर बंमों को रखकर यह अत्याचार किया और हमें उसका पता भी न चल सका?· पर कैसे सम्भव हुआ कि ये लोग श्रीमती गांधी के शयन कक्ष तक भी पहुंच सकें। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। राजनीतिक हत्यायें शताब्दियों से होती आयीं हैं परन्तु व्यक्ति के अपने ही अंग रक्षक द्वारा उसकी हत्या कर दी जाये, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं ये बातें विद्वेष भाव से या आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। मुझे तथ्य सामने रखने चाहिए। यह कैसे सम्भव हुआ कि इन अंतरक्षकों का इतना विश्वास किया गया और ये श्रीमती गांधी के निकट आ सकें। हमारे गुप्तचर संगठनों का पूर्णतया विफल रहा। यह विश्वासघात और पूर्ण विफलता है। न

केवल हम उस समय विफल रहे हैं अपितु आज भी विफल रहे हैं। इतनी ही बात कि वे लोग षड्यंत्र रचते रहे। हमारी अक्षमता प्रकट करती है। निश्चय ही हमारे पास उतने आधुनिक साधन नहीं है जितने कि अमरीका के पास हैं परन्तु फिर भी निश्चय ही हम जो कुछ हम कर पाये हैं उससे काफी अधिक कर सकते थे। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि यह अमरीकी सरकार का कर्तव्य है और हमारा कर्तव्य यह है कि हम अमरीकी जनता को बतायें कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री की हत्या प्रयत्न करके ये लोग भारत की जनता की लोकतंत्रीय आकांक्षाओं का हनन कर रहे हैं। पांच व्यक्ति अमरीका में बैठ कर भारत के 70 करोड़ लोगों की इच्छा का हनन कर रहे हैं, यह केवल उनका पागलपन है। ऐसा कभी नहीं होगा। परन्तु काफी क्षति पहुंचाई जा सकती है।

अब इतना कहने के बाद मैं इसे फिर दोहराऊँगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे मित्र श्री मिर्धा, विदेश मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्योंकि यह घटना अमरीका में हुई है। यदि यह बात भारत में घटी होती तो श्री चव्हाण का दायित्व बन जाता। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनके दूतावास क्या कर रहे हैं। वाशिंगटन में उनका दूतावास क्या कर रहा है। निःसन्देह एफ० बी० आई० द्वारा समाचार दिये जाने के बाद हमारे वाशिंगटन के दूतावास ने उसकी पुष्टि की है। बस, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ बहुत ही गंभीर बात हो रही है। अभी पिछले ही दिनों हमने अमरीकी कांग्रेस के उप-भवन में सिखों के मानवीय अधिकारों के तथाकथित उल्लंघन के बारे में एक संक्षिप्त विवरण पर वाद विवाद किया था। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि अमरीका विदेश विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। अमरीका में कुछ अच्छे कार्यकर्ता मानवीय अधिकारों के नाम पर इकट्ठे हो गये। उसी प्रकार से हो सकता है कि हमने संसदीय सौध के एक समिति कक्ष में किसी संगठन को बैठक करने की अनुमति हो। अब हमने इस पर चर्चा की है और मेरे विचार में जब अमरीका सरकार का कहना है, कि इसका उस संक्षिप्त विवरण से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह कुछ निजी व्यक्तियों का कृत्य है और अमरीकी कांग्रेस द्वारा पूरी सुनवाई जैसी कोई बात नहीं है या हमें इसमें भेद अवश्य करना चाहिए। अब कांग्रेस के कुछ सदस्यों की सहायता से कुछेक प्राइवेट लोगों द्वारा सुनवाई अमरीकी कांग्रेस द्वारा की गई सुनवाई से भिन्न है। उस समय मैंने कहा था कि यदि पूरी अमरीकी कांग्रेस इस मामले पर सुनवाई करती है तो इसका मतलब होगा कि भारत और अमरीका के बीच सम्बन्ध टूट जायेंगे। हम अपनी संसद अपने देश के बारे में किसी बाहर के देश की एजेंसी द्वारा जाँच करने की अनुमति नहीं देंगे। हमारा राष्ट्र प्रभुसत्ता सम्पन्न मजबूत स्वतन्त्र राष्ट्र है परन्तु यह कहने की बात है। मेरे पास यू० एन० आई० द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट है जिस पर वाशिंगटन 4 मई लिखा हुआ है। मैं इससे तीन-चार पैरा तक पढ़कर सुनाता हूँ।

"रोबर्ट म्राजिक के नेतृत्व में 17 प्रमुख अमरीकी कांग्रेस के लोगों ने निर्णय लिया कि यदि दिल्ली में हुए दंगों को सरकार द्वारा कराई गयी न्यायिक जांच के निष्कर्ष सही एवं सन्तोषजनक नहीं पाये गये तो अमरीकी कांग्रेस भारत में सिखों की स्थिति पर सुनवाई करेगी।"

कांग्रेस के सदस्य श्री राबर्ट म्राजिक ने, जो कि न्यूयार्क के डेमोक्रेट हैं, कैपिटल हाल में कहा कि यदि राजीव गांधी यह शपथ नहीं लेते हैं कि वह दिल्ली के दंगों की सही जाँच करायेंगे तो मैं स्वयं पंजाब के मामले पर पूरी कांग्रेस द्वारा सुनवायी कराने के लिए पहल करूंगा। श्री म्राजिक ने बताया कि उन्हें 17 अन्य कांग्रेसियों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने पहले 25 मार्च को दिल्ली के दंगों की जाँच की माँग करते हुए एक संयुक्त पत्र भारतीय दूतावास को लिखा था।

श्री स्राजिक ने बताया कि उन्हें 25 मार्च के पत्र की पावती के बारे में न तो फोन न ही पत्र प्राप्त हुआ। कि प्रभावशाली ग्रुप के अधिकांश कांग्रेसी सदस्य जिन्होंने सुनवाई की मांग की है, महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी उप-समितियों में हैं।

जब इस बात पर टिप्पणी करने को कहा गया कि कांग्रेस के सदस्य भारत से नाराज क्यों हैं, तो अनेक सुविज्ञ कांग्रेसी स्रोतों से पता चला कि भारतीय दूतावास ने 25 मार्च के पत्र की अवहेलना, करके बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया है जिसमें वास्तव में चिन्ता व्यक्त की गई थी और उससे बहुत से हस्ताक्षर करने वाले कांग्रेसी सदस्यों को विश्वास हो गया कि भारत कुछ छिपा रहा है।

25 मार्च के 18 कांग्रेसी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित पत्र के माध्यम से भारतीय राजदूत का ध्यान उनकी ऐसे मामलों पर "चिन्ता" की ओर दिलाया गया कि श्रीमती गांधी की मृत्यु के बाद हुई हिंसा की घटनाओं को रोकने में पुलिस ने किस हद तक लापरवाही बरती। पत्र में आगे भारतीय राजदूत से पूछा गया कि बहुत से सिखों तथा भूतपूर्व विदेश मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उन दावों में क्या कोई प्रामाणिकता है कि हो सकता है कि दंगों को कांग्रेस (इ) के सदस्यों ने भड़काया हो।

उन्होंने बताया कि इसीलिए वे नाराज हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है।

कांग्रेसी क्षेत्रों और भारत के प्रति सहानुभूति रखने वाले क्षेत्रों में भी यह व्यापक रूप से कहा जा रहा है कि 18 कांग्रेसी सदस्यों द्वारा पंजाब की स्थिति पर बैठक करने की मांग से पता चलता है कि हो सकता है कि भारत ने अपने परम्परागत प्रभावपूर्ण क्षेत्र में अपना समर्थन अर्थात् लोकतन्त्रीय पार्टी को भी खो दिया है। उन 18 कांग्रेसी सदस्यों में जो पंजाब के मामले पर कार्यवाही की मांग कर रहे। 15 डेमोक्रेट हैं तथा उनमें से अधिकांश कांग्रेस की शक्तिशाली समितियों में वरिष्ठ एवं उच्च स्थिति पर हैं।

कांग्रेसी सदस्यों ने एशियाई तथा प्रशान्त महासागर पर सभा की विदेशी मामलों की उपसमिति को भी "भारत के अल्पसंख्यक सिखों की सुरक्षा तथा कल्याण के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए लिखा है तथा उससे कहा है कि प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी की दुःखद हत्या के बाद के दिनों में जो मानवीय अधिकारों का कथित हनन हुआ है उसकी वैधता की जांच करने के लिए सुनवाई प्रारम्भ करे। कांग्रेसी सदस्यों ने सभा की एसियाई मामलों संबंधी उप-समिति का पद भी बनाया है कि इन प्रश्नों का उत्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

जो बात सामने आई है वह यह है कि बहुतों को यह कि कांग्रेसी दबाव के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है अपितु पूरे अमरीका में फैले हुए भारतीय हैं जिनमें अधिकांश सिख हैं जिनकी अपने कांग्रेसी सदस्यों के पास समुचित पहुंच है।

ऐसा समझा जाता है कि यदि सभा की एशियाई तथा प्रशान्त महा सागर सम्बन्धी उप-समिति ऐसी सुनवाई करने से इनकार कर देती है तो सभा की विदेशी कार्यों सम्बन्धी उप-समिति निश्चित रूप से पंजाब के मसले पर श्री स्राजिक, जोकि एक प्रभावशाली सदस्य है, के कहने पर सुनवाई करेगी।

अतः इससे स्पष्ट है कि श्री स्राजिक तथा उसके 16 अन्य सदस्य, जिन्होंने राजदूत को पत्र

लिखा था, नाराज हैं। वे नाराज इसलिए हैं क्योंकि हमारे राजदूत ने पत्र की पावती देने से इन्कार कर दिया, उन्होंने पत्र का उत्तर देने से इन्कार कर दिया।

क्या इस प्रकार से हमारे दूतावासों तथा राजदूतों को कार्य करना चाहिए। आप कैसा महसूस करेंगे यदि लोक सभा के पन्द्रह सदस्य यहां पर अमरीकी दूतावास को पत्र लिखें और वह आपके पत्र का जवाब तक न दे ? आप इसके बारे में कैसा महसूस करेंगे। मेरा विचार है कि अमरीका स्थित हमारे दूतावास तथा राजदूत के लिए यह अवसर था कि वह पत्र लिखें और इस स्थिति को स्पष्ट करें। यदि लोग कटु भाषा का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है ? हमें स्पष्ट करने का अवसर मिलता है कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने की बजाए हम उनके पत्रों की पावती स्वीकार न करके तथा उत्तर न देकर उनसे बैर मोल लेते हैं। महोदय, क्या इस प्रकार से हमारे राजदूतों को बर्ताव करना चाहिए ? मैं स्वयं राजदूत रह चुका हूं और मैं दायित्व को जानता हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ जबकि किसी ने मुझे पत्र लिखा और पत्र प्राप्त होने पर मैंने निजी तौर पर उस पर कार्यवाही न की हो क्योंकि मेरे विचार से राजदूत का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह मैत्रीपूर्ण और विश्वासोत्पादक छवि प्रस्तुत करे ताकि लोगों को यह पता चले कि उसके देश का दृष्टिकोण क्या है तथा उसको चाहिए कि वह उन देशों के जनप्रतिनिधियों के साथ झगड़ा मोल न ले। मैं श्री मिर्धा अथवा जो कोई मंत्री उत्तर दे रहे हों' उनसे कहूंगा कि वह कृपया पता लगाये। इस समाचार-पत्र में जो कुछ कहा गया है यदि उसमें सच्चाई नहीं है तो आप इसके बारे में मौन क्यों बने रहे ?

महोदय, अन्त में बहुत से क्षेत्रों में कहा गया है और मांग की गई है कि इसको देखते हुए प्रधान मंत्री अमरीका की अपनी यात्रा रद्द कर दें अथवा स्थगित कर दें। मेरे अच्छे मित्र श्री मधु दंडवते ने संशोधन की सूचना दी है कि सरकार यात्रा को रद्द न करे। मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ। आप क्या चाहते हैं ? हम इसके बारे में सोचें ही क्यों ? यदि हम कभी ऐसा करते हैं तो हम इन उग्रवादियों की जीत में सहयोग ही करेंगे। इसका आशय होगा कि कहीं पर थोड़े से उग्रवादी धमकी देकर इस सरकार के कार्यकरण को निष्प्रभावी कर सकते हैं तथा इस सरकार के पहिए को जाम कर सकते हैं। क्या हमें इतनी आसानी से डराया-धमकाया जा सकता है ? इस प्रकार से हम विदेशों में किस प्रकार की छवि अंकित करेंगे ?

मैं कहूंगा कि अमरीका की यात्रा करने का प्रधान मंत्री के लिए यह उचित अवसर है। ऐसा अवसर है जो पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ जब वहां की सरकार और उस सरकार की एजेंसियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये लोग भारत के, अमरीका के तथा लोकतंत्र के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। मेरे विचार से इसको देखते हुए अब अमरीका में हमारे प्रधान मंत्री, की बात को बहुत अच्छी तरह से सुना जायेगा। इस अवस्था में उनकी जवांमर्दी, उनकी विश्वासोत्पादकता तर्क और सूझ-बूझ के रूप में अमरीका में प्रकट भारत की लोकतांत्रिक इच्छा एक बड़ी शक्ति के रूप में कार्य करेगी जिससे रास्ते में आने वाली बहुत सी छोटी-मोटी गलतफहमियां उसी प्रकार दूर हो जायेंगी जिस प्रकार प्रातः सूर्य के उदय पर ओस की बूंदें लुप्त हो जाती हैं। उनकी यात्रा पर हमारी सद्भावना और आशीर्वाद उनके साथ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते ने संशोधन की एक सूचना दी है। मैं उन्हें इसे प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री स्वैल के प्रत्येक शब्द का समर्थन करते हुए मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रस्ताव के अन्त में "और सरकार से आग्रह करती है कि प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा रद्द न की जाये क्योंकि इसका अर्थ विदेशों में रह रहे उग्रवादियों की निंदनीय अवपीड़क गतिविधियों के आगे मूक समर्पण करना होगा।"

जोड़ दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक बात कहना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते है मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे संक्षेप में बोलें और प्रत्येक सदस्य सात अथवा आठ मिनट से अधिक समय न ले। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन मिनट लूंगा। अभी मैं स्वैल साहब की तकरीर सुन रहा था, कई बातें मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अमरीका में खतरे की घंटी बजी है और हमें एहतियात रखनी चाहिए। अच्छा हुआ कि अमरीका ने जो राज फाश किया, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि अमरीका हमारे लिए ज्यादा कुछ मदद कर सकता है इस बारे में, क्योंकि तारीख बताती है कि अमरीका ने अपने प्रेसीडेंट की ही हिफाजत नहीं की तो हमारे प्राइम-मिनिस्टर की क्या हिफाजत करेगा। मेरा मतलब यह है कि हमें अपनी हिफाजत खुद कर लेनी चाहिए। क्या हम लोग इसके लिए तैयार हैं, क्या हमारी फोर्सेस इतनी वहां पर हैं। मुझे मालूम है कि कई लोग वहां गए हैं; कितने लोग गए हैं, कितना एरिया वे कवर कर चुके हैं, इसकी जानकारी सरकार को होगी। अभी जो लोग पकड़े गए हैं, उनके बारे में पूरी मालूमात मेरे पास नहीं है, तो मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि हम लोग अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं यह खतरा मोल लेने के लिए और मेरी राय में प्राइम-मिनिस्टर को अभी नहीं जाना चाहिए। ठीक है, महीने, दो महीने, तीन महीने के बाद जब आप समझते हों कि पूरा इंतजाम हो गया है तो फिर से कार्यक्रम बनाया जा सकता है। वहां पर आप लोग हैं, अमरीका के लोग भी हैं और आप समझते है कि कोई खतरा नहीं है, तब जा सकते हैं। जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाएं, वहां यही करें। ये न हो कि जहां जा रहे हैं, वहां के लोगों पर ही बिल्कुल आधारित रहें, हमें अपने लोगों को भेजकर वहां पर सारा इंतजाम कराना चाहिए, क्योंकि सिक्ख लोग अपने लोग हैं। यह ठीक है कि वे हमारे सिटिजन नहीं है, कई साल पहले वहां गए, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि वे किस तरह से सोचते हैं, कहां जाते हैं, कैसे काम करते हैं, उनके मूवमेंट्स को जितना हम लोग, हमारे इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के लोग समझ सकते हैं, दूसरे नहीं समझ सकते। जो काम हमारे इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट के लोग कर सकते हैं, वह अमरीकन्स नहीं कर सकते। यह और बात है कि इत्तिफाक से लोग पकड़े गए, क्योंकि एफ० बी० आई० के लोग वहां पर थे, एक एक्सीडेंट था कि वे वहां मौजूद थे, वहां बातचीत हो रही थी और वे पूरा टेप-रिकार्ड करके ले आए। यह एक इत्तिफाक है, यह कैसे हो सकता है कि सब लोग जो भी कर रहे हों, अमरीकन्स उनको जानते हों ? तो मेरी अर्ज यह है कि इस बारे में हम लोगों को एहतियात से कदम उठाना चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए और प्राइम-मिनिस्टर के दौरे को मुल्तवी करना चाहिए, कुछ दिन के लिए, यह मेरी सलाह है। फिर गवर्नमेंट अपनी मरजी से देख ले, क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है कि गवर्नमेंट की वहां कितनी तैयारी है, इंटेलीजेंस

डिपार्टमेंट के लोग गए हैं और पूरा इंतजाम कर लिया है, इस सबका ख्याल करते हुए अगर गवर्नमेंट समझती है कि ठीक है तो कोई बात नहीं है, जा सकते हैं। मैं स्वैल साहब की इस बात से सहमत हूं कि दौरा कैंसिल नहीं करना चाहिए, लेकिन पोस्टपोन करने में कोई हर्ज नहीं है। आखिर जा क्यों रहे हैं ? वहां जा रहे हैं एक तो मेन प्रोग्राम है फेस्टीवल आफ इंडिया का एनागरेशन करना है, ठीक है जब जाएंगे तो प्रेसीडेंट से मिलेंगे, दूसरे लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन यह तो कभी भी हो सकता है। फेस्टीवल आफ इंडिया का एनागरेशन मैं नहीं समझता कि इतना इंपार्टेंट है। फ्रांस में, अमरीका में फेस्टीवल आफ इंडिया हो रहे हैं, लेकिन इनकी अहमियत को मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। जापान में एक बहुत बड़ा फेस्टीवल चल रहा है, उसमें हमको शिरकत करनी चाहिए थे। हम अपने देश को इक्कीसवीं सदी में ले जाने के लिए हाई टेक्नालाजी की बात करते हैं, लेकिन जहां हाई टेक्नालाजी का शो-पीस है, सारी दुनिया का शो-पीस है, टोकियों में चल रहा है मार्च 17 से, वहां हम नहीं जा पाए, क्योंकि वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो वहां न हो। रशियन हैं, साउथ अफ्रीका से लोग गए हैं, अमरीका से गए हैं, कई देशों के स्टाल लगे हैं, सिवाए इंडिया के, वहां तो हम नहीं जा पाए, लेकिन आप जा रहे हैं फेस्टीवल आफ इंडिया का एनागरेशन करने के लिए, मैं इसको इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता, क्योंकि अगर हमारी तमद्दुन तहज़ीब को, कल्चर को देखना चाहते हैं तो यहां भी आ सकते हैं। यहां आकर वे देखें, लेकिन हमारे मंदिरों से मूर्तियों को ले जाकर वहां दिखाना कि देखो यह हिन्दुस्तान की तहजीब है, यह कोई मतलब नहीं रखता, ऐसा मैं समझता हूं। (व्यवधान)

तो मेरी राय है कि अभी प्राइम-मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए और बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जान की परवाह नहीं करते, जो अपनी जान देने पर तुले हुए हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे मरने-मारने के लिए तैयार हैं, ऐसे कुछ लोग तैयार हो गए हैं। ऐसे लोगों से एहतियात करना जरूरी है क्योंकि वे नादान और मैड-मैन हैं। उनको कुछ भी कहेंगे तो सुनेंगे नहीं। कवि भर्तृहरि ने कहा था :

"फूल की पत्ती से कट सकता है, हीरे का जिगर,
मर्दे नादा पे कलामे नर्मो नाज़ुक बे-असर।"

इनके साथ जैसा सलूक करना है, वह तो करना ही चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी नहीं जाना चाहिए और पोस्टपोन कर देना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में, मैं कामना करता हूं कि प्रधान मंत्री की यात्रा सुरक्षित रहे और वह सही-सलामत वापस आयें व उनकी उम्र लम्बी हो तथा वह सक्रिय जीवन व्यतीत करें। मैं समझता हूं कि सारे सदन की भी यही कामना है। मुझे विश्वास है कि उनकी इन देशों की यात्रा से हमारे इन देशों से सम्बन्ध सुदृढ़ होंगे और विश्व-शान्ति में सहायक होंगे।

इस बात के बावजूद की एफ० बी० आई० ने इस षणयन्त्र का पता लगाया है, मैं श्री स्वैल की तरह उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं एफ० बी० आई० और सी० वी० आई का अर्थ क्या है। एक ओर जहां एक एजेंसी, सत्ता में बने रहने के लिये, गृह-फ्रन्ट पर कार्य करती है वहां

दूसरी अपनी गुप्त हरकतें विश्व के अन्य भागों में कर रही होती है। अगर आप अमेरिका के सारे इतिहास का अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि अपने देश में अपनी साख बनाये रखने के लिए, वह इस अनोखी तरकीब, चाल का इस्तेमाल करते हैं। वे अपने सम्बन्ध कायम रखने के लिए उनकी हर कोशिश रहती है कि उनका नाम उसमें न आने पाये जबकि दूसरी जगहों पर चक्र रचने से वे बाज नहीं आते। इसीलिए हमें अपनी सारी शक्ति और ध्यान संयुक्त अमेरिका में प्रधान मंत्री की यात्रा पर केन्द्रित नहीं करना चाहिए। मैं विदेश मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे मिस्र, फ्रान्स और अन्य स्थानों में जहां प्रधान मंत्री जाने वाले हैं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इन्तजाम करें, क्योंकि उग्रवादियों की हमेशा ही यह चाल रहती है कि गुप्तचरों और अन्य लोगों का ध्यान किसी स्थान विशेष पर केन्द्रित रखा जाए और दूसरे स्थानों के प्रति उनको शक न होने दिया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, उग्रवादियों का आन्दोलन और अन्य प्रकार की गुप्त गतिविधियां, जब से फ्रांस में डे गाल ने शासन सम्हाला है, तभी से और अमेरिका में भी, बहुत सक्रिय हैं। हाल ही में सेना द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान सादात की हत्या कर दी गई। इस प्रकार सारी गतिविधियां इरान युद्ध से आरम्भ होकर, इरान-ईराक युद्ध, अरब में इजरायली युद्ध, और अन्तत: मिस्र में सादात की हत्या और विश्व में इसी प्रकार की कार्यवाहियों की हमें जानकारी है। एफ० बी० आई० ने अपना कार्य किया है। ऐसा नहीं था कि एफ० बी० आई० इस षड्यन्त्र का पता लगाना चाहती थी। अन्जाने में ही उन्हें पता लग गया, वे इसका पता लगाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर ऐसा ही होता, अगर अमेरिका भारत के प्रति इतना ही सक्रिय और चौकन्ना होता और हमारे देश की एकता और अखण्डता के प्रति सचेष्ट रहता तो निश्चय ही उसने लास ऐंजल्स ओलम्पिक में जब हमारे हाकी के खिलाड़ियों को पीटा गया था, उनकी बेइज्जती की गई, इस तरह की कार्यवाही की होती। लेकिन तब कोई पुलिस उनकी सहायता के लिए नहीं आई और न ही उन्होंने इस कृत्य की निन्दा ही की गई। मुझे खेद है, मैं एफ० बी० आई० की ज्यादा प्रशंसा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने ऐसा कार्य किया है, जिससे ऐसे हालात पैदा हों जिनसे दोनों देशों के बीच बेहतर सम्बन्ध स्थापित हों। मैं आशा करता हूं कि यह लाभदायक होगा, लेकिन इस समय मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री स्वैल ने भावावेश में और अपनी भावनाओं को न दबा पाते हुए और राजदूत के अपने अनुभव के आधार पर अमेरिका में हमारे राजदूत की आलोचना की है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे राजदूत को बेशक प्रत्येक व्यक्ति से मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे मामले में जिनमें देश के स्वाभिमान का सम्बन्ध हो अगर हमारा राजदूत हमारे लोगों की इच्छाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता तो वह भारत का सच्चा राजदूत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि जिस मामले का इन्होंने जिक्र किया है, कुछ कांग्रेस जनों के पत्र के प्राप्त होने का, वह बिल्कुल ठीक है। उसे क्या जरूरत पड़ी है ऐसा करने की ? लेकिन बात यह है कि ऐसे देश में जहां श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या से पूर्व ही अमरीकी अधिकारी तथा कुछ एक लोग उनकी हत्या सम्बन्धी लेख लिख रहे थे, उस समय अमरीका के कांग्रेसमैन क्या कर रहे थे ? वह चुप थे चुप्पी साधे हुए थे। इसलिए, मैं सोचता हूँ कि हमारे राजदूत के इस कार्य पर उसे इस प्रकार दंड नहीं देना चाहिए। यह सत्य है कि राजदूत लोगों को शामिल कर बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है।

मेरा आज का पहला सुझाव यह है। मैं संक्षेप में सुझाव दूंगा। पहला सुझाव है कि विदेश मन्त्री को विदेशी दूतावासों द्वारा विदेशों में स्थित भारतीयों को शामिल कर, आतंकवादियों और

उग्रवादियों की विदेशों में तथा भारत में गतिविधियों की निन्दा करने के बारे में दी गई कार्यवाहियों के बारे में हमें सन्तुष्ट करना चाहिए। यह बात मैं हमेशा ही कहता रहा हूं कि न्यूयार्क, कैलीफोर्निया न्यू जर्सी या पैरिस या अन्य स्थानों में करीब एक दर्जन उग्रवादी सक्रिय हैं। लेकिन ऐसे कई भारतीय लोग हैं जो हमारे प्रधान मन्त्री का भला चाहते हैं, जो संसदीय लोकतन्त्र का भला चाहते हैं, वे अधिकारिक रूप से शामिल नहीं हैं, कुछ दर्जन चुने हुए लोग और दूतावास के कुछ मित्रों को ही प्रधान मन्त्री के स्वागत के लिए बुलाया जाता है। ऐसा क्यों? उग्रवादिता के खिलाफ जन आन्दोलन नामक संगठन है उसे प्रधान मन्त्री की यात्रा में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कई एक संगठन है जो भारत के प्रति चिन्तत हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी जी की वर्तमान अमेरिका यात्रा के प्रति कई भारतीय उत्सुकता प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें कई पत्र प्राप्त हो रहे हैं। हमारे लोग वहाँ हैं। वे वहां प्रधान मन्त्री को देखने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं मुझे पत्र प्राप्त हो रहे हैं। अत: हमारे दूतावास के कर्मचारियों को उन्हें कुछ सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए उन्हें यह अनुभव कराने के लिए कि भारत उनके साथ है और प्रधान मन्त्री की यात्रा महत्वपूर्ण है कुछ कार्य-क्रम चलाने चाहिए। यदि वे सक्रिय हैं तो उग्रवादी क्या कर सकते हैं? उग्रवादी क्या कर सकते हैं? संयुक्त राज्य अमरीका में उग्रवादियों की अपेक्षा ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो भारत का भला चाहते हैं। हमारे दूतावास सम्भवत: इस प्रकार कार्य नहीं कर रहे हैं अथवा वे अत्यन्त संशयी हैं। मैं आसूचना से जानता हूं कि वे सभी पर सन्देह करेंगे। परन्तु कुछ उग्रवादी और आतंकवादियों को छोड़कर विदेशों में इस देश के लिए काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

और एफ० बी० आई० द्वारा जिस षड्यन्त्र का पता लगाया गया है उसका सम्बन्ध भारतीय सिखों से है इसका उत्तर विदेश मन्त्री देंगे। मुझे तो इसमें भी सन्देह है कि क्या वे भारतीय सिख हैं जो विदेशों में हैं उनमें से अधिकांश इस देश का भला चाहते हैं। इनके अलावा अमरीकी सिख हैं और कनाडा के सिख हैं। मैं भारत के पवित्र नाम को उनके साथ नहीं जोड़ना चाहता। उनका भारत से कोई सम्बन्ध नहीं है। वे कभी भी भारत वापस नहीं आयेंगे। उन्होंने गुरुद्वारों के विकास के लिए कभी एक पैसा नहीं देते हैं। वे भारत में आए बिना वहां आनन्द मना रहे हैं और भारत का भला चाहने वाले लोगों को और देश भक्त सिखों को साथ लेकर चलना आवश्यक है क्योंकि अन्य लोगों का तो भारत से कोई संबंध नहीं है। इसलिए हमें इन भारतीय सिखों के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए जो भारतीय मिशनों के माध्यम से भारत के लिए काम करना चाहते हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है हमें अत्यन्त सावधान होना चाहिए। हो सकता है अमरीका में इस प्रकार का कोई षड्यन्त्र न हो। मैं पुन: सी० आई० ए० पर आ रहा हूं। वे जिस षड्यन्त्र का वे प्रचार करना चाहते हैं वह षड्यन्त्र है ही नहीं। इस प्रकार मेरे विचार में हमारी गुप्तचर विभाग इसका अध्ययन करने में अत्यन्त सक्षम हैं और उसे अध्ययन करना चाहिए। उन एफ० बी० आई० के इस रहस्योद्घाटन से अचानक इतना नरम अथवा भावुक नहीं हो जाना चाहिए। उन्हे सी० आई० ए० की नीति के सम्बन्ध में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सी० आई० ए० विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के समय वह विश्व के विभिन्न भागों में क्या करती है। इस सम्बन्ध में मैं सोचता हूं कि हमारी गुप्तचर विभाग को भी इसी प्रकार कार्य करना चाहिए।

वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं यह यात्रा भारत महोत्सव के सम्बन्ध में है। कोई यह कह रहा था, शायद व्यंग्य कस रहा था कि कृषि मन्त्री को जाना चाहिए और इसमें भाग लेना चाहिए। मैं उनमें से नहीं हूं। संकट की इस घड़ी में केवल एक सांस्कृतिक महोत्सव नहीं है। यह सम्पूर्ण देश की छवि को निखारना है औरवह भीसंकट की उस घड़ी में जब श्री राजीव गांधी के साथ एक नए युग की शुरूआत हो रही है और इसलिए मुझे विश्वास है कि उनकी उपस्थिति इस देश की प्रतिष्ठा बढ़ाएगी और इससे अमरीका, फ्रांस और अन्य भागों में रहने वाले लोगों को भारत के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अत: इस यात्रा को रद्द करने अथवा श्री राजीव गांधी के अतिरिक्त अन्य किसी नेता को महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। और मेरे विचार में यह उचित भी नहीं होगा।

अन्त में मैं दो सुझाव देकर समाप्त करता हूं। एक सुझाव हवाई अड्डे से प्रधान मन्त्री की विदाई तक उनकी सुझाव के सम्बन्ध में है। निसन्देह यह काम गृहमन्त्री श्री चव्हाण का है। विदेशों में सुरक्षा की व्यवस्था सम्बन्धित देशों के साथ मिलकर करनी होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि कुछ सदस्य यह महसूस करते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने एक बहुत बड़ा काम किया है इसलिए अमरीका को, यदि वह हमारे साथ मैत्री रखना चाहता है, जैसा कि वे कहते हैं, और इंगलैंड और फ्रांस को भी तथ्य की जानकारी होने के बाद कि हमारे प्रधान मन्त्री की हत्या का षडयन्त्र रचा गया था जिसका रहस्योदघाटन एफ० बी० आई० ने किया है, इसकी निन्दा करनी चाहिए और अपनी पूरी शक्ति और गुप्तचर व्यवस्था उग्रवादियों को अपने देश में अलग थलग करने और उनकी कार्यवाहियों को रोकने के लिए लगा देनी चाहिए, यह काम चाहे वे बी० बी० सी० के माध्यम से करें या वायस आफ अमरीका के माध्यम से। यदि वे मिल-जुल कर यह काम करते हैं तो उनकी इच्छा समझ में आती है। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो मैं यही कहूंगा कि उनका सोचने का ढंग वही है जो 31 अक्तूबर से पहले था।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह सभा को न केवल तैयारियों के बारे में आश्वासन दें बल्कि विदेश कार्यालय की व्यवस्था के बारे में तथा अन्य देशों द्वारा, जहां प्रधान मन्त्री जायेंगे जैसे मिस्र, रूस, अमरीका आदि द्वारा की गई तैयारियों तथा कनाडा, इंगलैंड जैसे उन देशों के द्वारा की गई तैयारियों के बारे में भी आश्वासन दें जो हमारे साथ मैत्री चाहते हैं और जहां ऐसी गतिविधियां चल रही हैं। क्या ये सभी सरकारें ये कदम उठायेंगी ? जब ईराक और ईरान के खिलाड़ी यहां एशियाई खेलों में भाग लेने आए थे तो विश्व में यह कोई नहीं कह सका कि हमने कोई ऐसा काम होने दिया जिससे उनकी भावनाओं को चोट पहुंची हो। जब ईरान के शाह ईरान में थे और शाह के विरुद्ध भारत में प्रदर्शन हो रहे थे तो हमने उनके दूतावास के किसी भी अधिकारी को कोई चोट नहीं पहुंचाने दी। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन और एशियाई खेलों के दौरान इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। हमने विश्व के सभी भागों के लिए सद्भावना व्यक्त की थी।

जब अमरीकारी कांग्रेस के लोग सिखों के मामलों की देखभाल कर रहे हैं और सी०आई०ए० हमारे हितों के विरुद्ध कार्य कर रही है, ऐसे समय में एफ० बी० आई० ने एक बहुत अच्छा काम किया है जिसके लिये हमें उसको बधाई देनी चाहिए। परन्तु हमें यह अनुभव नहीं करने लग जाना चाहिए कि सब कुछ ठीक है और सही है। ऐसा समझना गलत होगा। मैं एक बार पुन: सावधान करना चाहता हूं कि हो सकता है यह षडयन्त्र कहीं और के लिए बनाया गया हो। कृपया इस बात का ध्यान रखें और सी० आई० ए० की गतिविधियों को गहराई से अध्ययन करें।

4.58 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : पूरे देश ने यह समाचार सुनकर राहत की साँस ली कि अमरीका की फैडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने अपने देश में हमारे प्रधान मन्त्री की आगामी अमरीका यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के षड्यन्त्र का पर्दाफाश किया है। यह समाचार हमें उस समय मिला जब हमारे देश में, दिल्ली तथा देश के उत्तरी भागों में दो तीन दिन पहले ही उग्रवादियों द्वारा लोगों पर बड़ा भयावह हमला किया गया था। फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि उग्रवादियों के षड्यन्त्र में इस प्रकार की कार्यवाहियाँ शामिल थीं। हमारे देश में यह घटना होने के बाद। हमने संसद में इस पर चर्चा की, पुलिस तथा प्रशासन की त्रुटियों के बावजूद उन्होंने स्थिति को गम्भीर होने से बचा लिया था तथा गृह मन्त्री ने विशेष रूप से कहा कि उग्रवादियों द्वारा जिन हथियारों का प्रयोग किया गया उनमें से कुछ हथियार विदेशों में निर्मित थे, अचानक हमें पता चला कि एफ० बी० आई० ने किसी षड्यन्त्र का पर्दाफाश किया है। हमारी सरकार ने अमरीका सरकार को इसके लिए बधाई दी है। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधान मन्त्री की हत्या का षड्यन्त्र रचा गया था। माननीय सदस्य, श्री दास मुंशी द्वारा जो बातें कही गई हैं मैं उनकी कई बातों से सहमत हूँ।

5.00 म० प०

प्रधान मन्त्री की हत्या की योजना बनाई गई है। मैं नहीं समझता की सी० आई० ए० इतनी बेवकूफ है कि इस मामले में निष्क्रिय होकर बैठी रहती कि भारतीय प्रधान मन्त्री की अमरीका में हत्या हो। श्रीमती गांधी की हत्या अमरीका में नहीं की गई थी। अत: श्री स्वैल आप खुश मत होइए। ओह ! वह यहाँ उपस्थित नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जैसाकि हमने आज के समाचार पत्रों में देखा कि एफ० बी० आई० द्वारा न्यूयार्क न्यायालय में एक शपथपत्र दर्ज किया गया था जिससे पता चलता है कि इस वर्ष जनवरी में इस षड्यन्त्र का पता चला था जब एक भूतपूर्व नौसेना अधिकारी न्यूयार्क के एक होटल में उग्रवादियों से मिले थे। जनवरी में इसका पता चला था। हमें विचार इस प्रश्न पर करना है कि इस षड्यन्त्र में जिस बात का पर्दाफाश हुआ था उस तरह की घटना भारत में हुई अर्थात यहाँ बम-विस्फोट हुए तथा लोगों की मृत्यु हुई। क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में हमारी सरकार को कोई सूचना दी थी उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़ी योजना के लिए आपको किन्हीं बातों का पता लगाना होता है। मेरे विचार से इस घटना को प्रकाश में लाने का काम भारत को विभाजित और विखंडित करने के प्रयास में अमरीकी ऐजेन्सियों के अन्तर्ग्रस्त होने की बात को छिपाने के लिए किया गया। इस सम्बन्ध में श्री स्वैल ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इस देश की वही प्रतिक्रिया हुई तो प्रतिदिन और प्रतिमाह इस तरह के षड्यन्त्रों का पता चलने लगेगा। हमारे प्रधान मन्त्री की हत्या का षड्यन्त्र रचा गया लेकिन एफ० बी० आई० ने कुछ किया है और सी० आई० ए० जो करने जा रहा है, हमें उस भेद का पता लगाना होगा।

अब श्री स्वैल ने एक अन्य मुद्दे का जिक्र किया है और यह आज के सम्पादकीय में प्रकाशित भी हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है :

"ऊपर से देखने पर यह बात बहुत अजीब लगती है कि एक आतंकवादी दल जो श्री

> राजीव गांधी की, उनकी अगले महीने की अमेरिका यात्रा के दौरान हत्या करना चाहता था, उसने भेद खुल जाने का जोखिम उठाकर हरियाणा के मुख्य मन्त्री की हत्या का प्रयास भी किया।"

मैं नहीं जानता, पूरी बात भ्रम पैदा करने वाली है। उन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है। अब उन्हें हमारे देश के लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है। वे चाहते थे कि जो बम-विस्फोट की प्रतिक्रिया स्वरूप बहुसंख्यक समुदाय द्वारा कोई कार्यवाही की जाती। वैसा नहीं हुआ। अब वे सामने आ रहे हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि बहुत सीधे सादे हैं; वे दोषी नहीं हैं हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनका यह सुझाव है कि हमारे प्रधान मन्त्री को अमरीका की यात्रा स्थगित कर देनी चाहिए। नहीं। उन्हें वहाँ जाना चाहिए। यह उनका कर्त्तव्य है कि वह हमारे प्रधान मन्त्री के लिए सुरक्षा प्रदान करें। साथ ही हमें अपनी सतर्कता में ढील नहीं देनी चाहिए। हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि उनका अहित न हो। श्री माधव रेड्डी ने जो कुछ कहा था वह ठीक है। जब वे अपने ही राष्ट्रपति की रक्षा नहीं कर सकते तो वे दूसरे देश के प्रधान मन्त्री की क्या रक्षा करेंगे।

अब प्रश्न यह है कि अमरीका सरकार से आतंकवादियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। श्री गांधी की अमरीका यात्रा के दौरान हत्या की योजना बनाकर शायद वे अपनी सीमा लांघ गए थे। वे हमला कर सकते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं। लेकिन उसके लिए दोषी किसे ठहराया जाए? अब हम उन्हें बधाई सन्देश भेज रहे हैं। वर्ल्ड विश्व संगठन का जो केन्द्रीय कार्यालय अमरीकी सैनिक मुख्यालय पैंटेगोन की बगल में है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या वे उसे बन्द करने जा रहे हैं? नहीं वे उसे बन्द नहीं कर रहे। इस सन्दर्भ में मैं एक अन्य सम्पादकीय उद्धृत करना चाहता हूँ जो आज के इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुआ है :

> "आवश्यकता यह बताने की है कि विदेशों में उग्रवादियों ने इतना उग्र रूप धारण नहीं किया होता यदि उन्होंने यह नहीं सोचा होता कि विदेशी सरकारें उनके विरुद्ध कोई कड़ा रवैया नहीं अपनाएगी।"

इसके लिए वे जिम्मेवार हैं। उन्होंने इसे प्रोत्साहन दिया है। जब आप आरम्भ से ही उग्रवादियों को प्रोत्साहन देते हैं, तो कई बार बात आपके हाथ से निकल भी सकती है। भिंडरावाला आपके हाथ से निकल गया।

अब जो भेद प्रकट हुआ है, मैं समझता हूँ वह भी उसी सुनियोजित आंदोलन का एक भाग है। लेकिन यह कह कर मैं प्रधान मन्त्री की हत्या करने के षडयन्त्र की गम्भीरता को कम नहीं कर रहा। हम जानते हैं कि अमरीका के शासक दल के आतंकवादियों के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कुछ देशों में क्या किया, ग्वाटे माला में उन्होंने क्या किया, चिली में क्या किया, हिन्द महासागर के देशों में क्या किया। हम जानते हैं कि हर स्थान में उन्होंने क्या किया। कासट्रो को मारने का उन्होंने कितनी बार यत्न किया। अतः मैं इन सब बातों को कहकर सभा का अधिक समय नहीं लूंगा।

अमरीका के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय मेले के उद्घाटन के लिए भारत के प्रधान मन्त्री की अमरीका यात्रा पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु हमें सतर्क रहना है हमें देखना है कि इसमें क्या उलझनें हैं। भारतीय मेला बहुत अच्छी बात है— परन्तु उसकी पृष्ठभूमि में बहुत सी बातें हो रही हैं। मुझे एक विचलित करने वाली सूचना मिली है।

प्रिंसटन विश्वविद्यालय में 16 मार्च को एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार का विषय था "भारतीय सेना की एकता तथा प्रभाविकता तथा भारतीय सेना द्वारा तख्ता पलटने की संभावना" उसमें हमारे आर्थिक सलाहकार श्री एल० के० झा तथा रक्षा अनुसन्धान संस्था के श्री के० एम० सुब्रह्मण्यम ने भाग लिया। क्या उन्होंने उस सेमिनार में भाग लेने के लिए अनुमति ली थी। अमरीका के लोगों को भारतीय सेना द्वारा तख्ता पलटने पर चर्चा करने का क्या अधिकार है। अत: हमें इन्हें सब बातों को समझना है। एफ० बी० आई० के कार्य की प्रशंसा की जाये, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु बात अत्यन्त स्पष्ट है। एक तैयार वक्तव्य में विदेश विभाग के प्रवक्ता एडवर्ड जेरजिआन ने बताया :

> "इस अवसर पर हमें एक बार फिर भारत की एकता एवं अखण्डता के लिए अमरीका के दृढ़ समर्थन की पुष्टि करनी है।"

अब हम देखते हैं कि इस अवसर पर वे ऐसा कहते हैं। लेकिन विभिन्न षड्यन्त्रों में उनके सम्बद्ध होने के बारे में क्या कहा जाए। हाउस आफ रिप्रेसेनटेटिव की विदेश कार्य समिति ने श्री गांधी की यात्रा का स्वागत करते हुए एक संकल्प में बताया :

> "यात्रा से भारत—अमरीका के बीच बेहतर सम्बन्धों का नया अध्याय शुरू होगा।"

इस समय कुछ लोग सक्रिय हैं। वे सुझाव दे सकते हैं कि हम सभी तरह की सतर्कताएं छोड़ दें तथा अपने भेद प्रकट कर दें। ताकि वे सब दाँव-पेंच आजमा सकें। मेरा सुझाव है कि हमें सतर्कता बरतनी है तथा झुका हुआ वृक्ष सीधी छाया नहीं दे सकता। इस बारे में मैं दक्षिण अमरीका की प्रसिद्ध कहानी का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें बताया गया है कि एक शिकारी एक भालू का पीछा कर रहा था। कुछ समय बाद वह थक गया—एक पेड़ के नीचे सो गया। तब भालू ने उसे देखा तथा उससे पूछा, "तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो।" शिकारी ने कहा, "मुझे फर का एक कोट चाहिए। भालू ने कहा मुझे भी अपना पेट भरना है। अत: चलो हम सहयोग करें। शिकारी मान गया। भालू ने उसे गले लगाया तथा उसे फर का कोट मिल गया बाद में भालू ने उसे मार अपना पेट भरा।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें सतर्कता बरतनी है। प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के लिए हमें पर्याप्त सतर्कता बरतनी है।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, इस बात के उल्लेख मात्र से प्रधान मन्त्री की विदेश यात्रा के दौरान उनकी हत्या कर दी जाएगी मैं स्तब्ध रह गया हूँ। अत: मुझे उस समय की याद आती है जब हम कई बार सभा में श्रीमती गांधी के जीवन के खतरों की चर्चा करते थे। तथा सतकर्ता सम्बन्धी शब्द जो आज कहे गये हैं, उस समय भी प्रयुक्त हुए थे। अन्तत: क्या हुआ सभी जानते हैं। देश ने अपनी एकता अखंडता एवं स्वतन्त्रता के लिए भारी मूल्य चुकाया है तथा मैं समझता हूं कि हम दूसरी बार धोखा नहीं खा सकते। अपने अनुभव के आधार पर अभी हमारा जख्म ताजा है। प्रधान मन्त्री की हत्या सम्बन्धी हमारी याददाश्त ताजी है। वह राष्ट्र को और पूरे विश्व की स्वतन्त्रता एवं शान्ति प्रिय शक्तियों को सतर्क करने के लिए कहते रहती थीं। अस्थिरता की शक्तियों से भी हम परिचित हैं। काफी समय से हमारे देश में अस्थिरता पैदा करने तथा उसका विघटन करने के यत्न जारी हैं। अत: मैं समझता हूँ कि राजीव की जिन्दगी को यह खतरा उन शक्तियों की प्रक्रिया जारी रहना है जिन्होंने श्रीमती गांधी की हत्या की। इन मामलों में हम कभी-कभी भावनाओं में बह जाते हैं परन्तु ऐसे मामलों पर चर्चा के समय अच्छा है कि भावनाओं को पृथक रखा जाये तथा ऐसी परिस्थितियों से

निपटने के लिए तर्क, ठंडे दिमाग अनुभव तथा परखी हुई विधियों का उपयोग किया जाये। सौभाग्य से एफ० बी० आई० ने षडयन्त्र का पता लगा लिया है। मुझे विश्वास है कि जो जैसा करता है, वैसा ही भरता है। आप यह नहीं कर सकते कि चोर को कहें चोरी कर और शाह को कहें कि जागता रह। परन्तु जिन देशों में ऐसे षडयन्त्र रचे जाते हैं वे ऐसा करते ही आये हैं अध्यक्ष महोदय, श्रीमान, ...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके भाषण के लिए शान्ति स्थापित करने की चेष्टा कर रहा हूँ। शोर-गुल इतना अधिक था कि मैं आपकी बात को सुन नहीं पाया।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रधान मन्त्री के जीवन को चुनौती वास्तव में हमारे देश की अखंडता और एकता को चुनौती है। मैं यह बात मानने को तयार नहीं कि थोड़े से पथ भ्रष्ट सिख इतना भयंकर और घृणित अपराध करने पर उतारू हैं। इसके बारे में अवश्य कोई योजना होगी। मैं पूरे देश को इस बारे में सतर्क करता हूँ। मुझे खुशी है कि 70 करोड़ जनशक्ति का पूरा राष्ट्र प्रधान मंत्री के पीछे है तथा प्रधान मन्त्री आज देश विदेश में विद्यमान फासिस्ट प्रतिक्रियावादी और अस्थिरता लाने वाली इन शक्तियों को दबाने के लिए भारत की दृढ़ता का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय हम कैसे भूल सकते हैं। अभी हाल ही में अमरीका कनाडा तथा ब्रिटेन में क्या हुआ। ये षडयन्त्र तथा कार्य-वाहियां उन प्रोत्साहनों का परिणाम है जो कि अमरीका आनेडा तथा ब्रिटेन की सरकारी एवं अर्ध सरकारी शक्तियां दे रही हैं। क्या आप भूल सकते हैं। ब्रिटेन के समाचार-पत्रों में श्रीमती गांधी के सिर की कीमत घोषित की गयी थी। ब्रिटेन की सरकार ने क्या कार्यवाही की? क्या हम इस लज्जा-जनक बात को भूल सकते हैं। चूंकि इस मामले पर मैं बहुत बार बोल चुका हूँ मैं बातों को दोहराऊँगा नहीं तथा केवल संगत बातें ही कहूँगा। सभ्य विश्व के इतिहास में इस बात का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है कि कोई देश मित्र देश होते हुए उस देश के सरकार के प्रमुख की हत्या के परिणामों का अध्ययन कराये। हम इन घटनाओं को भुला नहीं सकते तथा हाल के अनुभव से हमें लाभ उठाना चाहिए।

जिन हाथों ने श्रीमती गांधी की हत्या की, वे अभी भी सक्रिय हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया है तथा मैं आपके माध्यम से तथा सभा के ओर से देश को सतर्क करता हूँ कि हमारी सतर्कता में कमी न आये। हम स्वभाव से भोले हैं हमारे, संस्कार ऐसे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस षड्यंत्र के पीछे लम्बी तैयारी है तथा इसके लिए वही शक्तियां उत्तरदायी हैं। यदि यह पता लगाया जा चुका है तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वहां पर उन आतंकवादियों को आश्रय दिया गया है जिन्होंने इधर इतने जुल्म ढाये। हमें इस बारे में भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। मुझे ये सभी बातें अत्यन्त खेद के साथ कहनी पड़ती हैं क्योंकि कई बार बहुत अनुभवी कवियों में ऐसा भोलापन पाया जाता है वे चौकन्ने नहीं रहते तब हमें अत्यन्त दुःख होता है। हम समझते हैं कि हमारे विश्लेषण में कहीं भूल हो गई है। हमें ठंडे दिमाग से स्थिति का विश्लेषण करना चाहिये। यदि माननीय सदस्य इतिहास, हाल के इतिहास, पूर्व के इतिहास, हमारे सम्बन्धों के ढंग पर तथा अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियों पर ध्यान दें तब यह मानने में गलत नहीं होंगे कि यह एफ० बी० मार कर अच्छा प्रयास है जिससे इतनी लम्बी कहानी का अन्त हुआ। यह कहना असत्य नहीं है कि हम भारत की स्वतन्त्रता तथा एकता को सुनिश्चित करने का यत्न कर रहे हैं। हमें अपनी स्वतन्त्रता अर्जित करने में एक शताब्दी लगी तथा हम अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हैं। जो कोई भी भारत की स्वतन्त्रता उसकी स्थिरता को चुनौती देगा हम निष्ठापूर्वक उसका सामना करने को तैयार हैं। राष्ट्र में दृढ़ता होनी चाहिए, और यदि प्रधान मन्त्री जाते हैं,

उन्हें अवश्य जाना चाहिए क्योंकि हम इस चुनौती से भयभीत नहीं हैं। हमें सतर्क रहना है परन्तु ऐसी धमकियाँ हमारे पास आती रही हैं। धमकी देने वाले व्यक्तियों तथा उनका साथ देने वाली शक्तियों का हमें पता लगाना चाहिए तथा जब हमारे प्रधान मन्त्री विदेश जाते हैं उन्हें साफ बता देना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता दाव पर नहीं है। यह किसी भी देश के रहम पर नहीं है, चाहे वह देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।

अन्त में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह पता लगाने के लिए कि सी० आई० ए० तथा ऐसी अन्य ऐजेंसियों द्वारा कौन से विविध कार्य किये जा रहे हैं ताकि उनका भेद छिपा रहे क्या प्रयास किये जा रहे हैं उन्हें वास्तविक खतरा किसी अन्य स्थान से हो सकता है। महोदय, मैं अपने भाषण में जिसमें कांग्रेस में सुनिवाई पर चर्चा की गई थी, सभा को सतर्क कर चुका हूँ कि जो आतंकवादी इस प्रयास के लिए भेजे जायेंगे, हो सकता है वे सिख न हों अपितु ऐसा विनाशक कार्य करने वाले अन्तराष्ट्रीय गुट के ठग हों जोकि व्यावसायिक ठग हैं। अतः हमें यह नहीं समझना चाहिए कि चुनौती एक ही वर्ग के लोगों की तरफ से है—

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। मेरी भी सीमाएं हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : एक शब्द, महोदय, मुझे पूर्व वक्ता से अपने दूतावास के बारे में सुनकर बड़ी हैरानी तथा दुःख हुआ। बेशक इस बात पर चर्चा हो चुकी है। किसी भी देश में हमारा राज दूतावास हमारे हितों के संरक्षण के लिए है। परन्तु जब मानव अधिकारों के स्वयं-भू प्रेमी भारत की प्रभु सत्ता, भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं हम अपने दूतावास तथा राजदूत से यह उम्मीद नहीं करते कि वे ऐसे ग्रुप के कृत्यों में सहयोग दें। मैं समझता हूं उनके पत्र को गम्भीर अवज्ञा माना जाना चाहिए क्योंकि निर्णय देने का प्रयास किया गया गया था। हमारा एक स्वतंत्र प्रभु सत्ता सम्पन्न देश है तथा जहां पर कहीं भी मानवीय अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि अमरीका अथवा ब्रिटेन में कोई ग्रुप ऐसी जाँच करता है तो हमारे दूतावास ने उसे अस्वीकार करके सही कार्य किया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोगों को अपनी आंख का सहतीर नजर नहीं आता। लोगों की आंख में तिनका नजर आता है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसी बात है जिस पर न केवल संसद सदस्यों में अपितु देश की जनता में जाति-धर्म विचारधारा या दल के आधार पर कोई मत-भेद नहीं होना चाहिए। देश का हर नागरिक इस खबर को सुनकर हक्का बक्का रह गया है कि फैडरल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन ने एक ऐसा पैशाचिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है जिसके द्वारा भारत के प्रधान मन्त्री, एक मुख्यमन्त्री की हत्या करने तथा यहाँ गम्भीर रूप से तोड़-फोड़ करने का षडयंत्र बनाया गया था। इस पर बहुत से सदस्यों ने जो कुछ बोला है उसे सुनकर मैं हैरान हूं कि हम इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं अथवा भारत की विदेश नीति या विश्व की स्थिति पर चर्चा कर रहे है मैं नहीं चाहता कि इस चर्चा में इन सभी बातों को शामिल किया जाए ...।

अध्यक्ष महोदय : हमें व्यवहारिक होना चाहिए उसी से फायदा होगा। जो उन्होंने कहा मैं उसकी सराहना करता हूँ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त रिपोर्टों से केवल यही नहीं पता चलता कि हमारे देश के अति विशिष्ट व्यक्तियों की हत्या का षड्यंत्र बनाया जा रहा है बल्कि देश में बहुत विशाल पैमाने पर तोड़फोड़ करने के लिए भारी मात्रा में विस्टफोटक-पदार्थ भी प्राप्त किए जा रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि वे लोग किस क्रूर ढंग से परमाणु संयंत्र, पुलों सरकारी इमारतों आदि को उड़ाने की सोच रहे थे। अत: इस मामले का सम्बन्ध हमारे प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से ही नहीं है। यह तो ऐसी समस्या है। जिसका सामना देश को आगे आने वाले महीनों तथा वर्षों में करना पड़ेगा। सौभाग्य से अभी कुछ समय पहले तक देश आतंकवाद के खतरों से मुक्त था। मध्य पूर्व के देशों तथा विश्व के अन्य भागों में ही आतंकवाद की घटनाएं सुनने में आती थीं लेकिन मुझे आशंका है अब आतंकवाद ने हमारे देश में भी पैर जमा लिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : पर यह यहाँ ठहर नहीं पाएगा। चिन्ता न करें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैंने कहा है मुझे आशंका है कि इसने पैर जमा लिए हैं कि अत: इन आतंकवादी प्रतिविधियों का सामना करने के लिए एक मशीनरी विकसित करनी होगी।

श्री स्वैल ने अपनी विशिष्ट शैली में बताया है कि हमारी गुप्तचर एजेंसियां न केवल स्वर्गीय श्रीमती गांधी की हत्या की योजना का पता लगाने में असफल रहीं बल्कि वे कुछ ही दिनों पहले हुए लगातार बम विस्फोटों के षड्यंत्र का पर्दाफाश भी नहीं कर सकीं। मालूम नहीं इस काम के लिए भी उन्होंने कुछ करना शुरू किया है या नहीं। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इस पहलू पर भी विचार करें।

हमारे नेता, प्रो० दण्डवते ने एक अहानिकारक संशोधन रखा है। मेरे विचार से प्रधान मन्त्री की किसी देश की यात्रा को भारत-महोत्सव या हमारे विदेशिक कार्यों तक सीमित नहीं समझना चाहिए। प्रधान मंत्री को अमरीका के साथ-साथ सोवियत संघ भी जाना है। अगर हमारे जैसे विशाल देश के प्रधान मन्त्री अपनी यात्रा केवल इस कारण से रद्द या स्थगित कर दें कि मुट्ठी भर गुमराह गैर आवसीय भारतीय सिख आतंकवादी षडयंत्र रच रहे हैं, तो यह सारे देश के लिए अपमानजनक बात होगी अगर ऐसा किया गया तो यह ऐसा ही होगा जैसे उन्हें चांदी के थाल में रख विजय भेंट करना जिसके कि वे पात्र नहीं हैं। इससे देश में कुछ गुमराह ताकतों का मनोबल भी बढ़ेगा। मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात में विश्वास नहीं करते कि विदेशों में रहने वाले सभी सिख इस क्रूर कारंधाई में शामिल हैं। कुछ ही सिख हैं जो विदेशी ताकतों की सहायता अथवा उसके बिना यह काम कर रहे हैं। इस पहलू की जाँच की जानी चाहिए। मैं कोई अनावश्यक हौव खड़ा नहीं करना चाहता हूं मैं तो केवल यही चाहता हूं कि प्रधान मंत्री की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि अगले महीने प्रधान मन्त्री की अमरीका तथा फ्रांस की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की जाए। मालूम नहीं इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं। मैं यह भी नहीं जानता कि प्रधानमंत्री को यात्रा के दौरान किये जाने वाले सुरक्षा प्रबंधों की सरकार किस सीमा तक हमें जानकारी दे सकती है। लेकिन सुरक्षा का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। हालांकि सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम मेजबान राष्ट्र पर पूरी तरह निर्भर हो सकते हैं लेकिन मेरा विचार है साथ साथ हमारी सरकार को भी इस सम्बन्ध में उपाय करने चाहिए।

बहुत से सदस्य पहले उल्लेख कर चुके हैं। ये कुछ गुमराह···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वे गुमराह नहीं हैं। वे दुष्ट लोग हैं···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आप जो चाहे विशेषण इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पूरी तरह से सिखाये हुए और गुमराह। प्रो० रंगा इसमे संतुष्ट होंगे। (**व्यवधान**)

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने तीन बार इसे दोहराया है इसलिए मैं उनकी गलती सुधारना चाहता था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मैं अपने शब्द 'गुमराह' पर अडिग हूं। मैं उनमें से नहीं हूं जो सारे सिख समुदाय को दोषी समझते हैं।

एक माननीय सदस्य : वे सिख नहीं आतंकवादी हैं।

(**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, जब मैं उनसे सहमत हो भी जाता हूँ तो भी वे मेरी बात नहीं मानते हैं। मैं नहीं जानता कि इस सदन में मुझे क्या करना चाहिए। जब मैं सरकार की नीतियों का समर्थन उन्हीं के दल के सदस्यों से भी अधिक करता हूं तो मुझे परेशान किया जाता है। श्री स्वैल द्वारा अमरीका तथा श्री तिवारी द्वारा सोवियत संघ के लिए बोलने पर उन्हीं के दल के कुछ सदस्यों में मतभेद हो गया है। लेकिन मैं तो केवल भारत के लिए बोल रहा हूं। उनके विचारों में समानता नहीं है लेकिन मैं तो भारत के लिए बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय मैं इसका जोरदार शब्दों में विरोध करता हूँ। हमने देश के लिए ही बोला है। कहने का ढंग अलग हो सकता है (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : सदन में मतभेद पैदा करना ठीक नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं तो केवल यही बता रहा हूँ कि अध्यक्ष महोदय अधिक मन मोहक हैं। वे उन्हें देखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह एक लम्बी प्रक्रिया है। अत: इन आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए हमारी सरकार को पूरी तरह तैयार होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, अमरीका में कुछ आतंकवादियों ने जो षड्यन्त्र रचा था उसे सुनकर सारे देश को आघात पहुँचा है और सब लोक चौकन्ने हो गये हैं। इस खबर को सुनकर सदन ही नहीं बल्कि देश की समस्त जनता, चाहे उसकी राजनैतिक निष्ठा, जाति, विश्वास, समुदाय या धर्म कुछ भी क्यों न हो सतर्क हो गयी है।

महोदय, यह षड्यन्त्र हमारे प्रधान मन्त्री की हत्या के लिए ही नहीं रचा गया बल्कि सारे देश

के खिलाफ 70 करोड़ लोगों के खिलाफ रचा गया है। अमरीका में पर्दाफाश हुए इस षड्यन्त्र का उद्देश्य देश की अखंडता को छिन्न-भिन्न करना है। यह षड्यन्त्र इस देश की 70 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को धूमिल करने के लिए रचा गया है। प्रधान मन्त्री राजीव गांधी देश की एकता के प्रतीक हैं। वह देश की समस्त जनता की आशाओं और आकाक्षाओं के प्रतीक हैं। वह इस देश की धर्मनिरपेक्षता के प्रतीक हैं उनकी हत्या के लिए किए गए किसी भी प्रयास को लोग बर्दास्त नहीं करेंगे। 31 अक्तूबर को जब सारा देश श्रीमती गांधी की क्रूर हत्या के कारण शोक में डूबा हुआ था, लोगों में निराशा फैली हुई थी ऐसे में देश और जनता को यह जानकर सांत्वना मिली कि राजीव गांधी देश की बागडोर सम्भालेंगे इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि गृह मन्त्री तथा विदेश मंत्री की ओर से प्रधान मन्त्री, चाहे वह देश में हों अथवा विदेश में जीवन की सुरक्षा के लिए कोई ढील न बरती जाए। उन पर किए गए किसी भी हमले को देश की जनता बर्दास्त नहीं करेगी। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इस सदन को आश्वासन दें कि देश में अथवा विदेश यात्रा के दौरान उनकी रक्षा के पूरे पूरे उपाय किये जायेंगे। तेलगू देशम के माननीय सदस्य की इस राय से मैं सहमत नहीं हूँ कि प्रधान मंत्री को अमरीका नहीं जाना चाहिए उन्हें वहां जरूर जाना चाहिए। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है यह जरूरी नहीं कि अकेले अमरीका में ही हो, यह तो किसी देश में हो सकता है। आतंकवादी तो अमरीका, लन्दन, कनाडा तथा अन्य पश्चिमी देशों में अपनी गतिविधियाँ जारी रखे हुए है और उन्हें वहाँ के अधिकारियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त है तथा उन्हें इनकी गतिविधियों की जानकारी है ऐसी स्थिति में हमें बहुत सतर्क रहना है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस षडयन्त्र का पर्दाफाश उस समय हुआ जब देश में बम विस्फोट की घटनाएँ हुई। इसी से देश और विदेश में अपनी गतिविधियां जारी रखने वाले आतंकवादियों के बीच जो सांठ-गाठ है उसका पता चलता है। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि उनमें परस्पर सम्पर्क बना हुआ है। यह मामला सदन तथा सदन के बाहर भी अनेक बार उठाया जा चुका है। कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया था, कुछ देश भी इस बात को स्वीकार नहीं करते थे लेकिन अब यह बात पता चल चुकी है कि अमरीका में ही हमारे प्रधान मन्त्री की हत्या करने का षडयन्त्र रचा गया था। अतः हमें अधिक सतर्क हो जाना चाहिए। मैं माननीय विदेश मन्त्री से एक बात जानना चाहता हूँ। विदेशों में रहने विशाल सिख समुदाय जोकि हमारा समर्थन करता है, जिसे भारत इसकी संस्कृति तथा विरासत पर गर्व है, को शिक्षित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। विदेश मन्त्रालय विदेशों में रह रहे उस विशाल सिख समुदाय को आवश्यक सहायता नहीं दे रहा जो हमारा समर्थन करना चाहते हैं। कृपया उन्हें आवश्यक मार्ग निर्देश तथा सहायता दें ताकि वे आगे आकर आतंकवादियों के खिलाफ बोलें और उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। देश में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त नहीं है। देश में ही आतंकवाद नहीं है बल्कि देश से बाहर भी है. इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। इसके लिए हम अधिक समय तक बैठ सकते हैं या सत्र की अवधि एक दिन के लिए और बढ़ाई जा सकती है। लेकिन विधेयक को तत्काल पारित किया जाना चाहिए। देश की अखंडता तथा एकता के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। अब और कीमत नहीं चुका सकते। हमें प्रधान मन्त्री की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली जरा सी बात को भी नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। प्रधान मन्त्री कोई जीवन की रक्षा के प्रति सरकार द्वारा बरती गयी किसी भी ढ़ील को जनता बरदाश्त नहीं करेगी। इस देश के लोगों का भाग्य खतरे में हैं। आशा है सरकार इस बात पर ध्यान देगी और हमारे प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के लिए पूरे-पूरे उपाय करेगी।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में प्रधान मन्त्री के ऊपर जो खतरे हैं, उसके लिए चिन्ता है और हमारा देश ऐसा है जो आमतौर पर खून खराबे में विश्वास नहीं करता है। मेरे कहने का मतलब पॉलिटिकल खून खराबे से है, बिहार वाली बात दूसरी है। किसी प्रधान मन्त्री की हत्या करके गद्दी पर बैठने वाली बात से आशय है। इस मामले में किसी पार्टी में आमतौर पर कोई मतभेद नहीं है। मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ वह यह है कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिर गांधी की हत्या क्यों हुई और अभी जो हमारे प्रधान मन्त्री हैं, उनकी हत्या की साजिश चल रही है, इसके क्या कारण हैं ? जिन कारणों से प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या हुई, वे कारण आज भी मौजूद हैं। उन कारणों में एक मुख्य कारण यह है कि हिन्दुस्तान ने तटस्थता की नीति को अपनाया है, हिन्दुस्तान ने नानअलाइनमेंट की नीति को अपनाया है, हिन्दुस्तान दुनिया में शांति चाहता है, हिन्दुस्तान दुनिया के अन्दर डिवेलप्ड कन्ट्रीज को खड़ा होने में सहायता देने का प्रयास करता है इस कारण अमेरिका और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनके बेसिक इंटरेस्ट के खिलाफ ये सारी नीतियां पड़ती हैं। इसलिए हिन्दुस्तान को डीस्टेबिलाइज करने की नीति अख्तयार की है। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी उपेक्षा करके अमेरिका अपनी गलत नीतियों को दुनिया पर नहीं लाद सकता है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान को अपना टारगेट बनाया गया है और एफ० बी० आई० के जरिये इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं, जिनसे हम प्रभावित हो जाते हैं। हिन्दुस्तान के बगल में, इंडियन ओशन में दियागोर्गिशिया है, वहां किस प्रकार से फौजी तैयारी चल रही है, पाकिस्तान को किस तरह से हथियार बन्द किया जा रहा है, बंगला देश को किस तरह से मदद की जा रही है, दुनिया के अन्दर क्या बात हो रही है ईविन चायना के साथ क्या सांठ गांठ हो रही है और इस प्रकार से हिन्दुस्तान को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, इस तरफ हमारा ध्यान जाना जरूरी है। इसके पीछे बुनियादी तथ्य यही है कि किसी प्रकार से हिन्दुस्तान को कमजोर करो।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार के जो कार्य हो रहे हैं ये दो-चार आदमियों का कार्य नहीं है, बल्कि एक्स्ट्रीमिस्ट्स को ट्रेनिंग देने, इनको फायनेंस करने, इनकी मदद करने के पीछे इंटरनेशनल कांस्पिरेसी है। यह कार्य कोई दो-चार व्यक्तियों के द्वारा नहीं हो सकता, जब तक इसके पीछे इंटरनेशनल कॉस्पिरेसी न हो, तब तक यह सम्भव नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस सबके ऊपर हमारा और आपका ध्यान जाना जरुरी है और पूरी चौकसी, पूरी तैयारी हमारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, वैसे अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सी० आई० ए०, यानी अमेरिका अपने मुल्क में हत्या नहीं कर सकता, थोड़ी देर को अगर हम इस बात को मान लें, तो जब उसने टारगेट बनाया है, जो उसका इतिहास है दुनिया में, एक-दो मुल्कों में नहीं, बल्कि कई मुल्कों के अन्दर जिस प्रकार की साजिशें उन्होंने की हैं और श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ जो घटना हुई है, इन सबके देखते हुए ऐसा लगता है कि ऐसी शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए हमको चारों तरफ से विजिलेण्ट रहने की जरूरत है। देश के अन्दर विजिलेन्ट रहने की जरूरत है और देश के बाहर भी विजिलेण्ट रहने की जरूरत है। इसलिए जब प्रधान मन्त्री का इस प्रकार टूर पर जाने का प्रोग्राम है, और सिर्फ अमेरिका का ही नहीं, बल्कि और कई मुल्कों में वे जा रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ? ···घंटी···सर, मैं खतम कर रहा हूं। उनकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की जा रही है ? मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल पर हमारे विदेश मन्त्री जरूर प्रकाश डालेंगे।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष जी, एफ० बी० आई० ने अमेरिका में एक साजिश का पर्दाफाश किया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन इससे खतरा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि खतरे का अहसास बढ़ गया है। यह बात साफ हो गयी है, पहले जो यह सूचनाएं मिल रही थीं कि प्रधान मन्त्री और दूसरे जो हमारे विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनकी हत्या का प्रयास विदेशों में भी किया जा सकता है, इस देश में तो किये जाने की आशंका है ही, उसकी पुष्टी होती है।

हम लोग नौवल्स में पढ़ते हैं और भारती सिनेमाओं में देखते हैं, कभी-कभी एक गैंगलीडर होता है और उसके अन्तर्गत कई गैंग काम करते हैं और किसी को मालूम नहीं कि उस गैंग का भी वह लीडर है। वह अलग-अलग काम करते हैं, एक-दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं समझता हूं कि हमारे देश में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है।

आज हमारे देश में अस्थिरता का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ तो साफ झलक भी मिल रही है। हमारे देश में जो उग्रवादी तत्व हैं—पंजाब में, काश्मीर में, उत्तरपूर्वी राज्यों में और दूसरी जगहों पर, उन्होंने अभी लन्दन में अपनी मीटिंग भी की है और वह अपनी एक्टीविटी को आर्डिनेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस देश में जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं।

अध्यक्ष जी आप पंजाब से आते हैं, आपको पंजाब की हालत के बारे में ज्यादा तजुर्बा होगा, हमको थोड़ा कम होगा, लेकिन वह आज सारे देश के सामने है।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय राजस्थान से आये हैं।

श्री जैनुल बशर : राजस्थान से तो चुनकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हिन्दुस्तान से आया हूं।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, आप कहीं से भी आ सकते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश को भी सौभाग्य मिल सकता है, लेकिन आप पंजाब के रहने वाले हैं।

काश्मीर में क्या हो रहा है ? सौज साहब यहां बैठे हैं, मुझे माफ करेंगे, काश्मीर में भी ये शक्तियां हैं जो देश को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती हैं। सबसे बढ़कर गुजरात में क्या हो रहा है ? गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन लोगों के एक वर्ग को नाराज करना चाहता है। वहां जो सामाजिक दंगे चल रहे हैं, वह एक वर्ग को नाराज करना चाहते हैं। कलकत्ता में कुरान के खिलाफ जो लोग रिट फाइल करना चाहते हैं, वह लोगों की भावना को उठाना चाहते हैं, उत्तेजित करना चाहते हैं, दंगा-फिसाद कराना चाहते हैं।

तो कोई एक बास है जो अलग-अलग गैंगों से काम ले रहा है और कहीं उसका को-आर्डिनेशन हो रहा है हमारे देश में विघटन पैदा करने के लिए, यहां अस्थिरता का वातावरण पैदा करने के लिए। वह बास कौन है, यह पता लगाना सरकार का काम है ? विदेश मन्त्री, गृह मन्त्री सबका काम है इसके पता लगाने का। हम पार्लियामेंट के मेम्बर तो उसका शिकार हो सकते हैं, उसका पता नहीं लगा सकते हैं।

इंटेलीजिंस एजेन्सी के बारे में स्वैल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अमेरिका के लोग तो पकड़ सकते हैं,हम इस चीज को नहीं पकड़ सकते। इसके बारे में आप खास ख्याल रखें। क्योंकि आपने घंटी नहीं बजाई, धन्यवाद, मैं इसके पहले ही समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय सत्य के अनुकूल सदन में इस मामले को उठाने के लिए मैं श्री स्वैल को बधाई देता हूं। अन्यथा सत्तारूढ़ पक्ष तो हमें विश्वास में लेने में कंजूसी बरत रहा था। प्रधान मंत्री की सुरक्षा के बारे में श्री स्वैल द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अमरीका में भारत के प्रधान मंत्री की हत्या के षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए मैं फैडरल ब्यूरो आफ इंवेस्टीगेशन को बधाई नहीं दूंगा। यह तो उनका कर्त्तव्य है। अमरीका की यात्रा के समय हमारे प्रधान मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी उस देश की ही है। उस देश को यह बात मालूम होनी चाहिए कि हम इसके लिए उनके आभारी नहीं हैं। मैं श्री तिवारी की इस बात से सहमत हूँ कि प्रधान मंत्री इस देश की आशाओं-आकांक्षाओं के प्रतीक हैं लेकिन इस संसद में हमें जोर देकर कहना चाहिए कि कहीं भी घटी आतंकवादी घटनाओं की भर्त्सना करते हैं। देश में रहते हुए हमारे राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं और यही प्रजातंत्र का सारभूत तत्व है लेकिन जब हमारे प्रधान मंत्री बाहर जाते हैं तो वे सभी विचारधाराओं तथा एक विशाल भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह देश की 70 करोड़ आबादी के नेता हैं। वह कोई साम्मान्य अति विशिष्ट व्यक्ति नहीं हैं। अत: अमरीका यात्रा के दौरान उनके बहुमूल्य जीवन की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह स्पष्ट कर दूं कि प्रधान मंत्री तथा अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री की है। श्री जयपाल रेड्डी ने अपने भाषण के दौरान श्री मिर्धा का ध्यान आकृष्ट किया था। वह विदेश मंत्री के प्रतिनिधि होंगे। लेकिन गृह मंत्री को, चाहे प्रधान मंत्री देश में हों या विदेश में, स्वयं यह तसल्ली कर लेनी चाहिए कि प्रधान मंत्री का जीवन सुरक्षित है। इसलिए प्रधान मंत्री के जीवन की रक्षा करना अमरीकी सरकार का दायित्व है।

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि प्रधान मंत्री को अमरीका जाना चाहिए। अखबारों में तथा कई और जगह सुझाव दिए गये हैं कि उन्हें अपनी अमरीका यात्रा रद्द कर देनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने से देश की प्रतिष्ठा को आंच आएगी। आतंकवाद से हमें घबराना नहीं चाहिए। प्रधान मन्त्री को अमरीका यात्रा का अपना कार्यक्रम रद्द नहीं करना चाहिए। उनकी सुरक्षा तथा सुरक्षा-व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण करना अमरीकी सरकार का कर्त्तव्य है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह बात रिकार्ड पर लायी जाए कि गृह मन्त्री श्री एस० बी० चव्हाण इस बात की पूरी तसल्ली करेंगे कि सुरक्षा-प्रबन्ध ठीक है अथवा नहीं।

प्रो० मधु दंडवते : गृह मंत्री को प्रधान मन्त्री के साथ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गुलाम नबी आजाद : शायद मधु दंडवते जी जाना चाहते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : न बाबा, हम मरना नहीं चाहते।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मधु जी ने सदन में हास्य की लहर दौड़ा दी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गृह मंत्री का उत्तरदायित्व है कि वह सुरक्षा-प्रबन्धों, खासकर प्रधान मन्त्री के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों से पूरी तरह सन्तुष्ट हों। प्रधान मन्त्री तथा उनके साथ जाने

वाले व्यक्तियों के दिलों में इस बात को लेकर कोई दुश्चिता नहीं होनी चाहिए। अतः अमरीका की सरकार जो कुछ करती है वह उसका कर्त्तव्य है। जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है मैं यह बात देश की पूरी जनता की ओर से कह रहा हूँ कि गृह मन्त्री को इन सुरक्षा-प्रबन्धों के प्रति पूरी तरह से अपनी तसल्ली कर लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, शायद किसी भी देश के इतिहास में देश के प्रधान मन्त्री या राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित विदेश यात्रा को लेकर उस देश की जनता ने अपने आपको इतना जुड़ा हुआ महसूस किया होगा, इतना सम्बद्ध महसूस किया होगा, जितना आज हमारे माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी, की प्रस्तावित अमरीका की यात्रा को लेकर इस देश के लोग अपने आपको इतना जुड़ा हुआ या सम्बद्ध महसूस कर रहे हैं।

जो खबरें विदेशों से, उन प्रस्तावित स्थानों से जहाँ प्रधान मन्त्री जी को जाना है, आ रही हैं, उसको लेकर यहाँ सदन और सदन के बाहर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आज चिन्तित है, उद्विग्न है और परेशान है। यकीनन प्रधान मन्त्री जी की इस यात्रा से हमको बहुत लाभ होगा और विशेषकर उनके अमरीका जाने से हमारी नई सरकार को अपने दृष्टिकोण को अपने अपनाए जा रहे अमरीका के दृष्टिकोण के प्रति किस प्रकार से भारत ने महसूस किया है, उस बात को बताने में सहूलियत होगी और साथ-साथ अमरीका द्वारा और वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा जिस प्रकार की भारत विरोधी कार्यवाही की जा रही है, हमारे चारों तरफ युद्ध का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसके प्रति हम अमरीका के जागरूक जनमत को अपनी परेशानी से अवगत करा सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ हम इस वास्तविकता को भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारे देश के प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी, के जीवन को खतरा है। वह खतरा एक सोची-समझी षडयन्त्र के, साजिश के, फलस्वरूप है। वह षड्यन्त्र कोई अकेले व्यक्ति के रूप में, राजीव जी के लिए, नहीं है या एक प्रधान मन्त्री के रूप में नहीं है, वह षड्यन्त्र आज हमारी सारी सार्वभौम नीतियों और सिद्धान्तों के प्रति है, जनतंत्र का है जिसके राजीव जी पोषक हैं। खतरा आज हमारे लोकतन्त्र को है और हमारी नीतियों व सिद्धान्तों को है।

अध्यक्ष जी, हम सब लोग मिलकर, सारे भारत के लोगों को मिल करके इस खतरे का मुकाबला करना होगा। आज कुछ लोग जानबूझ करके दूसरे लोगों के बहकावे में आकर हाथ में तमंचा लेकर या बम लकर हमारे लोकतन्त्र को चुनौती देना चाहते हैं, हमारी आशाओं या अकांक्षाओं के प्रतीक लोगों को चुनौती देना चाहते हैं, तो वास्तव में हम सारे भारत के लोगों को इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से सोचकर एक स्वर के साथ मजबूती के साथ प्रधान मन्त्री जी के साथ खड़ा होना होगा।

षड्यन्त्र जैसा कि प्रो० के० के० तिवारी जी ने कहा वह आज से शुरू नहीं हुआ है। यह षडयन्त्र तो उस समय से शुरू हुआ है, जिस समय से हमने कुछ ऐसे सिद्धान्तों और ऐसी नीतियों को अपनाना शुरू किया है, जो कुछ लोगों के हितों के खिलाफ जाते हैं। विशेषकर 1971 से जबसे हमने बंगला देश के लोगों की आकांक्षाओं को समझकर उनकी मदद करके दुनिया के नक्शे पर एक सार्वभौम देश का निर्माण किया। उसको साम्राज्यवादी शक्तियों ने चुनौती के रूप में माना और

नाना प्रकार के षडयन्त्र करके जिनकी भावनाओं को भड़काया जा सकता है, भड़काना, गलत फहमी में डाला जा सकता है, इस तरीके से कार्यवाही करने की कोशिश की जा रही है।

फैड्रल ब्यूरो आफ इन्वैस्टीगेशन द्वारा कुछ षड्यन्त्रकारियों को पकड़ा गया है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य, श्री जैनुल बशर जी और स्वैल जी ने कहा है कि एक प्रकार से षड्यन्त्र का पर्दाफाश हुआ है, मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं यह तो मानने को तैयार हूँ कि एफ० बी० आई० ने मेहनत करके षड्यन्त्र में लिप्त कुछ लोगों को पकड़ा है, लेकिन यदि हम इसको षडयन्त्र की समाप्ति मानेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। हमने देश में कुछ उग्रवादियों को पकड़ा है, लेकिन उग्रवादियों को पकड़ने से इस देश के अन्दर जो षड्यन्त्र चल रहा है, देश को कमजोर करने का, वह समाप्त नहीं हुआ है। इस लिए इस षड्यन्त्र को पकड़ने मात्र से यह नहीं माना जा सकता है कि इससे षड्यन्त्र की समाप्ति हो गई है। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने भी कुछ प्रश्नों को जन्म दिया है और वे प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि वे कृपया इन बातों की ओर ध्यान दें।

6.00 म० प०

जैसे इस षड्यन्त्र में लिप्त जो दो मुख्य षड्यन्त्रकारी थे, वे निकल गये, अमरीका में नहीं हैं, अमरीका से बाहर चले गये, वे कैसे बच गये? जब उनको ठीक से ट्रैप किया गया था, जैसा अखबारों में शो करने की कोशिश की गई है या जो जानकारी आ रही है, तो मैं नहीं समझ पाता हूँ कि वे कैसे निकल कर जा सकते थे? दूसरे क्या ये षड्यन्त्र कारी किसी बड़े षड्यन्त्र के अंग-पात्र थे, इसके बारे में भी हमको सोचना चाहिए? यूरोप, कैनाडा तथा दूसरी जगहों पर जो षड्यन्त्रकारी हैं, उनके साथ इनका क्या लिंक था? इस विषय में एफ० बी आई० ने जो दावा कोर्ट में दायर किया है उससे कुछ भी जाहिर नहीं होता है। उनका एक या दो देशों में जो गुप्तचर एजेन्सियां हैं उनके साथ क्या सम्बन्ध हो सकता था—यह बात भी स्पष्ट नहीं हुई है। इसके साथ ही हमारे देश में जो उग्रवादी हैं उनके साथ इन उग्रवादियों का क्या सम्बन्ध था—यह बात भी हमारी जानकारी में इससे नहीं आ पाई है। वे लोग आज से काम नहीं कर रहे थे, पहले से कर रहे हैं, एफ० बी० आई० ने ऐसे लोगों को कोई लिस्ट या नाम की जानकारी भी नहीं दी है। इसलिये ऐसा नहीं लगता है कि उनका इरादा बहुत साफ या पाक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इन गिरफ्तारियों को लेकर अमरीका के दृष्टिकोण में एक अच्छे परिवर्तन की शुरुआत मानने को तैयार हूं, लेकिन इसको अपने आप में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा—जैसा कुछ मित्रों ने भी कहा है—हमको एफ० बी० आई० और सी० आई० ए० की एक्टिविटीज को अलग-अलग देखना होगा। जब हम एफ० बी० आई० ने जो कार्यवाही की है उसकी तारीफ करें, तो साथ-साथ इस बात को भी जोड़ना होगा कि सी० आइ० ए० की जो कार्यवाहियां हैं—हमारे देश में, उनके प्रति हमारी जो शंकायें हैं उनको भी खोलकर अमरीका के लोगों को बतलाना होगा, अमरीका की सरकार तक उन बातों को पहुंचाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं खुद इस विचार का हूँ कि प्रधान मंत्री जी को अमरीका जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि अमरीका का दिल साफ हो गया है या कोई बड़ा परिवर्तन हो गया है, बल्कि इसलिए कि हमने एक इरादा बनाया है, उनके निमन्त्रण को स्वीकार किया है। यदि प्रधान मंत्री जी इस समय यात्रा स्थगित करते हैं तो उससे उग्रवादियों के हौसले बढ़ेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा। इसलिये मैं कहूंगा

कि आज भारत के लाखों-लाख लोगों के हाथ उसके लिये दुआओं के रूप में ऊपर उठे हुए हैं, हर इन्सान दुआ कर रहा है कि राजीव जी चिरजीवी हों, वे हमारे देश की एकता और अखण्डता के प्रतीक हैं। उनकी रक्षा हो।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राजीव जी को अपनी प्रस्तावित अमरीका यात्रा करनी चाहिए या नहीं इसका निर्णय सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : यह सही है कि हमारे प्रधान मन्त्री जी का अमरीका के लिए एक निश्चित कार्यक्रम है। हमने इसे स्वीकार किया है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें प्रधान मन्त्री की यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार ने चिन्ता व्यक्त की है। आखिरकार यह भारत सरकार को देखना है कि क्या स्थिति बिल्कुल ठीक है या कोई खतरा है। सदन इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकता है। सरकार जानती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सरकार की ओर से अन्तिम निर्णय आना चाहिए।

उनके अपने देश में ही यह भी समस्या है कि प्रधान मंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। हमारी गुप्तचर सेवा नाकाम हो गई है और इसी कारण हमने हाल ही में अपने प्रधान मन्त्री को खो दिया है। हमारे सरकारी कर्मचारी हमारे प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। वे भी नाकाम हुए हैं। हमारे प्रधान मंत्री की सुरक्षा के लिए हमारे केवल गुप्तचर ही अमरीका जा रहे हैं। मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं, या भारतीय लोगों को किस प्रकार विश्वास आएगा कि उग्रवादी इनका पीछा नहीं करेंगे ?

कुछ समय पूर्व नक्सलवादी आन्दोलन था और हमारे लोग सोचते थे कि शायद बंगाली नक्सलवादी हैं। आतंकवादियों ने समस्त भारत में अपने दल स्थापित किए हैं परन्तु हमने अभी तक इसका पता नहीं लगाया है कि इसे कौन कर रहा है ? हमने अभी तक पता नहीं लगाया है कि इसे कौन कर रहा है और वे किस उद्देश्य के लिए ऐसा कर रहे हैं। वास्तव में यह खरीदे हुए और गुमराह लोग हैं— ये लोग सिख ही नहीं होते बल्कि हिन्दू, ईसाई या किसी भी धर्म के और अन्य देशों के भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी गतिविधियों के बारे में कोई प्रमाण नहीं दिया है। इसलिए दोरे को स्थापित करने का प्रश्न ही नहीं होता है। जब प्रधान मंत्री किसी देश की यात्रा करते है तो भारत सरकार को पूरी तरह से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री अजय मुशरान।

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरी सभा और पूरे देश के विचारों के साथ अपनी सहमति प्रकट करता हूं जिसने सही दिशा में और सर्वव्यापी प्रतिक्रिया की है जैसे ही हमें पता चला कि हमारे प्रधान मंत्री जी की यूरोप के देशों और अमरीका की यात्रा के दौरान हत्या के लिए अमरीका में षड्यंत्र बनाया गया है।

मैं निजी रूप से उस भूत पूर्व सैनिक का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इसके लिए —भले ही अजाने में—सीधा जिम्मेदार था। यदि वे आतंकवादी उससे होटल में नहीं मिले होते और शस्त्र तथा गोलाबारूद प्राप्त करने के लिए उसे ऐजेंट बनने को नहीं कहा गया होता तो इस षड्यंत्र को अभी प्रकट

नहीं किया जा सकता था। हम कैसे जानते हैं कि केवल यही षड्यंत्र है। क्योंकि अमरीका की दो ऐजेंसियां हैं। एफ० बी० आई० औरसी० आई० ए०। पहला डा० जयराज तथा दूसरा श्री हाइड। मैं निजी तौर से महसूस करता हूं कि उनकी एक ऐजेंसी को सब कुछ पता नहीं है जो उनके दूसरी ऐजेंसी को नहीं मालूम है या संभवत: इसकी जानने की अनुमति नहीं है कि दूसरी एजेंसी क्या कर रही है। दिल्ली घटना के परिणाम, पंजाब में हुए कत्लेआम के बाद दिल्ली में हुए कत्लेआम और भूतपूर्व प्रधान मंत्री की हत्या तथा वर्तमान प्रधानमंत्री की हत्या का षड्यंत्र सामने आया है। यह कार्य दिगभ्रमित आतंकवादियों का नहीं है। ये सभी योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए आतंकवादी है जिनका कोई नेतृत्व करता है जो वास्तव में उनके पीछे व्यय कर रहे हैं और यह विश्व के कुछ भागों में स्वतंत्रता की लड़ाई के तरीके की तरह है। अब इस पूरे विषय का राजनैतिक पहलू भी है। मैं समझता हूं कि इस षडयंत्र को प्रकाशित करने का जानबूझकर यह उद्देश्य था प्रधान मंत्री जी को डराया जाए और उनके दौरे को आगे बढ़ाने या रद्द कर अपने आपको सुरक्षा के घेरे में ले जाए। मैं निजी तौर से महसूस करता हूं कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम केवल उनके हाथों खेल रहे हैं। इसलिए प्रधान मंत्री जी के दौरे को स्थगित नहीं करना चाहिए। इसका बहुत अच्छी तरह से कार्यक्रम बना हुआ है। वे ऐसे लोगों के बीच जा रहे हैं जो हमेशा और प्रत्येक विषय पर हमारे साथ नहीं है।

इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इसे किया जाना चाहिए। जहां तक सुरक्षा प्रबन्धों का सम्बन्ध है इसे मैंने अपने भाषण में पहले भी स्पष्ट किया है जितना कम कहा जाए वह ठीक हमारे सुरक्षा सम्बन्ध सर्वत्र खराब है। मैं जानता हूँ कि सुरक्षा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। अमरीका में भी दो राष्ट्रपतियों की हत्या की गई और अन्य को लगभग मार डाला गया था। लेकिन जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है हमें सभी सुरक्षा लोगों के मन में जो निजी अंग रक्षक है और जो प्रधान मंत्री की सुरक्षा के किसीभी तरह से जिम्मेदार है, संदेह और सतर्कता की भावना पैदा करनी चाहिए मैंने निजी तौर से देखा है कि वे प्रधान मंत्री के दोस्तों और संसद सदस्यों के जो उनके पास आते हैं संदेहपूर्ण सतर्कता से निगरानी रखते हैं; कल भी और आज यह ऐसा है। मैं आशा करता हूं कि वे इसे कम न करेंगे।

इसके बाद हम जानना चाहते हैं कि उनके लिए कौन से सुरक्षा के प्रबन्ध किए गए हैं और वे कितनी जल्दी काम करेंगे; वे किस प्रकार संदेहपूर्ण सतर्क है।

मैं अपनी और सदन की ओर से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सफलतापूर्वक और सुरक्षित दौरे तथा सौभाग्यपूर्ण वापसी के लिए प्रधान मन्त्री जी को हमारी शुभकामनाएं।

प्रो० एन० जी० रंगा : सौभाग्यपूर्ण वापसी।

प्रो० मधु दण्डवते : सौभाग्यपूर्ण वापसी।

श्री अजय मुशरान : मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जबकि हमारे युवा नेता पंजाब में समाजवादी ढांचा और राजनैतिक व्यवस्था के बनाने का कठिन परिश्रम कर रहे हैं जो कि पंजाब के लिए सबसे बड़ी उपलब्ध होगी ये आतंकवादी और आतंकवादियों के ये नेता उन्नति में बाधा डाल रहे हैं। वे अपने गुस्सैल और खूनी कट्टरवादिता के साथ उचित विचारों से दूर हट रहे हैं और इसके कम कुछ भी नहीं। वे हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों भी हिंसक हथकंडे अपना रहे हैं। उनका सामान्य उद्देश्य यह है कि और निर्दोष गांव वालों तथा शिक्षित सभ्रांत लोगों में भय का वातावरण पैदा किया जाए मैं अपने प्रधान मन्त्री जी की शुभ यात्रा और सौभाग्यपूर्ण वापसी की कामना करता हूं।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : यह स्वाभाविक है कि यह सदन और पूरा देश हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में अमरीका में हाल ही में किए गए षड्यंत्र जबकि इन्होंने इन देशों की यात्रा करनी है, से चिंतित और दुःखी हुआ है। इन धमकियों को सामान्य रूप से नहीं लिया जा सकता। वस्तुतः यह धमकियां ही नहीं हैं बल्कि इसने शैतानी षड्यंत्र का रूप ले लिया है जिसके ब्यौरे अब एफ० बी० आई० अमरीका सरकार की अन्य एजेंसियों से प्राप्त हुए हैं।

विगत में प्रो० तिवारी और कुछ अन्य लोगों ने भी उल्लेख किया था और संसद सदस्यों सहित कई अन्य जिम्मेदार लोगों ने इंदिरा जी के जीवन के खतरे के बारे में प्रश्न उठाया था। इन घोषणाओं को गंभीरता से ही नहीं लिया गया था बल्कि इनकी उपेक्षा और मजाक किया गया था। और किसके द्वारा ? समाचार पत्रों के कुछ वर्गों तथा बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा यह किया गया था। सबसे बुरी बात हुई और हमने अपने प्रिय नेता तथा प्रधान मन्त्री को खोया। उन दिनों के आघात को अभी भी हम भूले नहीं है। इस बारे में माननीय सदस्यों द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे वास्तव में बहुत अच्छी तरह लिए गए है यह हमें और राष्ट्र को उग्रवादियों की दुष्टता से भरी गतिविधियों के विरुद्ध चाहे वे भारत में हो या विदेश में, सावधान करेगा।

अमरीकी एजेन्सियों द्वारा की गई कार्रवाही के बारे में विभिन्न विचार व्यक्त किये गये हैं। श्री दास मुंशी और अन्यों ने कहा कि एफ० बी० आई० और अन्य एजेंसियों को प्रसिद्धि देना या धन्य-वाद देना कोई आवश्यक या वांछनीय नहीं है। लेकिन हमें कम से कम अमरीका में इन महत्त्वपूर्ण सरकारी ऐजेंसियों की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने इस बारे में खबर मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। उन्होंने सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की हत्या के षड्यंत्र को विफल करने के लिए अमरीकी प्रशासन द्वारा की गई तुरंत कार्रवाई की हम बहुत प्रशंसा करते हैं। हम इस बात पर भी संतुष्ट हैं कि कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है और हम आशा करते हैं कि इन लोगों के विरुद्ध जो इसमें शामिल है तत्काल कार्रवाई की जाएगी। कनाडा, इंगलैंड, पाकिस्तान या जर्मनी संघीय गणराज्य जैसे कुछ देश में ऐसा नहीं किया गया है। हमने विगत में भी अमरीका सरकार के ध्यान में यह बात लाई थी कि उग्रवादी क्या कर रहे थे, और हमारे विचार यह थे कि उनके संचार साधन तथा सरकार उनके विचारों का प्रचार कर रहे और उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी जिससे उग्रवादियों के विचारों को प्रोत्साहन मिल रहा था। बी० बी० सी० में खुलेआम धमकियां की जा रही थीं और कहा जा रहा था कि हत्या के लिए पुरस्कार दिया जायेगा। हमने इस बारे में विरोध भी किए थे। कनाडा और लंदन में हमारे मिशनों को लूटा गया था। हमने सम्बन्धित सरकारों से विरोध किया था कि ये तत्त्व हैं जिन्हें रोकना चाहिए। मुझे करते हुए दुःख होता है कि उन सरकारों ने गम्भीरता से इन मामले पर विचार नहीं किया और हमारे विचार में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की गयी हालांकि उन देशों के कानून इसकी व्यवस्था करते हैं। वे कहते हैं कि उनके देश में बोलने की स्वतन्त्रता है। हमारे पास भी उसी तरह के कानून हैं। यह सब होते हुए भी हमारा देश भी स्वतंत्र है जिसके अन्तर्गत हमारे लोग अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं समझता कि सरकार चाहे की हो या विदेश की हो। अपराधी, अवांछनीय गैर-कानूनी और अपराधिक कार्यों के विरुद्ध कानूनी उपाय नहीं कर पाएगी। इस संदर्भ में एफ० बी० आई० ने जो किया है हम उसकी सराहना करते है और हम यह आशा करते है कि कम से कम ये

कार्रवाई अन्य सरकारें जिसका मैंने उल्लेख किया है करेगी ताकि हमें विश्वास हो कि वे सरकारें गंभीर हैं और इस बारे में हमारे बहुत गम्भीर विचारों से उन्होंने ध्यान में लिया है।

इस विषय के विभिन्न पहलुओं के बारे में माननीय सदस्यों द्वारा बहुत सी बातें कही गयी थीं। हमारे दूतावासों के कार्यों के बारे में भी कहा गया। श्री स्वैल जानना चाहते थे कि कुछ स्थितियों पर हमारे दूतावास सर्तक क्यों नहीं होते हैं जबकि इन्हें ऐसा होना चाहिए था। महोदय, वाशिंगटन में हमारा दूतावास बहुत सतर्क है। जब तथाकथित 'ब्रिफिंग' का प्रश्न सामने आया तो उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ की थी जो तथाकथित 'ब्रिफिंग' से संबंधित थे और ध्यान देने के लिए यह ध्यान देने की बात है कि कांग्रेस के एक भी सदस्य ने इस ब्रिफिंग में भाग नहीं लिया था। मात्र यह तथ्य कि यह केपिटाल में हुआ था इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के कुछ सदस्य इस तथाकथित ब्रिफिंग का समर्थन कर रहे थे। देश में उनके पास एक प्रणाली है कि केपिटाल का क्षेत्र इस तरह की बैठकों के लिए निजी दलों के लिए उपलब्ध हैं। हमें उस पर कोई शिकायत नहीं है। परन्तु उस विशेष ब्रिफिंग का किसी कांग्रेस सदस्य द्वारा संरक्षण नहीं किया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका मतलब अमरीकी कांग्रेस सदस्यों से है।

श्री राम निवास मिर्धा : यदि वे इस तरह का कुछ करते है तो मैं समझता हूं कि इसमें हमारा दूतावास कुछ अधिक नहीं कर सकता है।

जहां तक पत्र का सम्बन्ध है जिसे कांग्रेस सदस्यों ने हमारे दूतावास को लिखा था, कुछ सदस्यों ने उसका उत्तर चाहा है। मैं नहीं कह सकता हूं कि किन शब्दों में पूरा पत्र लिखा गया है और हमारे राजदूत से क्या आशा की गई थी। हमारे राजदूत को ब्रिफिंग में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दिया गया था और यदि इस प्रकार का अनुरोध एक या 17 कांग्रेसियों सदस्यों द्वारा किया जाता है तो मैं नहीं समझता कि हमारे राजदूत सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते थे। लेकिन मुझे पक्का नहीं मालूम है कि उन्होंने वास्तव में क्या कहा या क्या नहीं था।

प्रो० एम० जी० रंगा : वह खेद प्रकट करते हुए मना कर सकते थे।

श्री रामनिवास मिर्धा : 'क्रियात्मक वाक्यांश' क्या थे यह सभी उस पर निर्भर करता है। वे हमसे क्या करने को चाहते है और कहा हम अपने आपके बचाने की कोशिश में उनके जाल में तो नहीं फंस गए। मैं नहीं समझता कि हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए क्योंकि हमारे सामने तथ्य नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री मिर्धा जी। पत्र की पावती प्राप्त न होना हमारी प्रशासनिक सभ्यता को एक भाग है। हमें भी अनुभव मिला है।

श्री रामनिवास मिर्धा : कभी, कभी यह नौकरशाही विलंब होता है परन्तु कभी-कभी यह राजनयिक तरीका भी होता है।

प्रो० के० के० तिवारी : यदि मैं इसे ठीक समझता हूं कि जब किसी देश में कुछ दल एकत्र होते है और मानव अधिकारों की स्थिति पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले सुरक्षा और अखंडता से सम्बन्धित मामलों की चर्चा की जाती है। क्या दूतावास इस प्रकार के पत्रों का जवाब देगा। यह उस प्रकार का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि यह कोई राजनीतिक तरीका नहीं निकाला गया है।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं समझता हूं कि मुझे गलत समझा है । मुझे स्पष्ट करने दें ।

श्री राम निवास मिर्धा : इसे हमें यहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पूरे तथ्य नहीं है। जिस पत्र का विस्तार पूर्वक यहां उद्धृत किया गया है वह हमारे पास नहीं है। अत: मैं श्री स्वैल के प्रश्न के गुणों अवगुणों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, इसके बारे में हम पता लगाने की कोशिश करेंगे।

कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि क्या—प्रधान मन्त्री जी को विदेशी यात्रा करनी चाहिए या नहीं। और यह संभवत: श्री माधव रेड्डी ने कहा था कि इसे रद्द नहीं करना चाहिए। लेकिन इसे स्थगित किया जा सकता है। अन्य सभी सदस्यों ने कहा कि यह यात्रा होनी चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : लेकिन हम में से कई जो चुप बैठे हैं को सही नहीं पता है कि क्या यह ठीक है या गलत है।

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां ! प्रो० दण्डवते ने एक संशोधन प्रस्तावित किया है कि यह यात्रा होनी चाहिए। जैसाकि सदन का विचार है मैं नहीं समझता हूँ कि इस संशोधन पर चर्चा की कोई आवश्यकता है। सबसे पहले, कि शब्द और वाक्य रचना इस तरह की नहीं है जिससे कि हम इस पर वादविवाद कर सके या बिना संशोधन के स्वीकार करे। दूसरा, सदन के संकल्पना अथवा संशोधन के द्वारा किसी समयाविशेष में विधायक परिस्थितियों में से जाने वाली सरकारी कार्यवाही के पूर्व अधिकृत करना। अत: मैं समझता हूँ कि प्रो० दण्डवते···

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे इसे स्पष्ट करने दें कि सदन को इस प्रकार के संवेदनशील विषय पर विभाजित नहीं करना चाहता हूँ। यदि सत्ता रूढ़ दल और विपक्ष दल इसे स्वीकार नहीं करता है, केवल तभी मैं इसके लिए दवाब डालूंगा। अन्यथा मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि इस प्रकार की चीज के लिए दवाब डालें।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं प्रो० मधु दण्डवते का उनके विचार तथा भावनाओं का बहुत आभारी हूँ। (व्यवधान) सौभाग्यवश उनकी भावनाओं का सभी वक्ताओं द्वारा जिन्होंने इस विवाद में भाग लिया समर्थन किया गया है। संशोधन को स्वीकार करने की अपेक्षा यह बहुत अधिक है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और आंशिक रूप से अस्वीकार किया गया है।

श्री रामनिवास मिर्धा : अत: महोदय इस पर और आगे कार्यवाही का विचार नहीं है।

हमें किस प्रकार से प्रधान मन्त्री की सुरक्षा करनी चाहिए, इस बारे में कुछ सुझाव दिए गए थे। हमसे कुछ ब्यौरों की मांग की गयी है। यह भली भांति बताया गया है कि जब प्रधान मन्त्री जी विदेश में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए। इस बारे में हमने वही किया है। हमारे लोग बाहर गए हैं वे संबंधित सरकारों के साथ सम्पर्क किए हुए हैं लेकिन वे कहते हैं कि हमें विदेशी सरकारों पर अपने प्रधान मन्त्री की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए निर्भर नहीं होना चाहिए इसे करने के लिए हमें अपने आदमी भेजने चाहिए। मैं समझता हूँ···

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसी ने भी इस प्रकार से नहीं कहा है कि हमें अपने आदमी भेजने चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : कुछ लोगों ने इसका संकेत दिया था। मैं समझता हूं इसे स्पष्ट रूप से कहा गया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किसी ने वह नहीं कहा।

श्री राम निवास मिर्धा : तब मैं इस पर विवाद नहीं करना चाहता।

अध्यक्ष महोदय : इसे यहीं छोड़ दीजिए।

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : मुझे विश्वास है कि सदन इसे समझ सकेगा कि सारे ब्यौरे देना सम्भव नहीं है परन्तु मैं निश्चित रूप से सदन को आश्वासन देता हूं कि इस बारे में उनकी सारी आशंकाएं पूरी तरह से हमारे सामने है और यदि कुछ करना हुआ तो इस स्थिति में आमतौर से किए जाने वाले प्रबन्ध की अपेक्षा अधिक प्रयास करेंगे जब भी वह विदेश में अथवा यहां देश के भीतर भी दौरे करें जिससे प्रधान मन्त्री को पूरी सुरक्षा उपलब्ध हो। निश्चित रूप से यह वह चीज है जो हम सबको बहुत प्रभावित करती है क्योंकि जैसा कुछ सदस्यों द्वारा उल्लेख किया गया था कि हमारे प्रधान मन्त्री जी राष्ट्र और राष्ट्र की स्वतन्त्र और एकीकृत देश में रहने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा हम माननीय सदस्यों के भावनाओं की प्रशंसा करते हैं। सरकार अपनी इस जिम्मेवारी की प्रति जागरूक है और मैं आपको आश्वासन देता हूं। महोदय, कि हम इस जिम्मेवारी को जितनी अच्छी तरह से हो सकेगा, पूरी करेंगे। अत: यह सतर्कता है जिसके बारे में सरकार ने···

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट के लिए बोलना चाहता हूं। मैं केवले यह कह सकता हूं कि मैं खुश नहीं हूं 'हां' या 'न' कहकर पूरी तरह से मैं तटस्थ हूं। मैं केवल भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे पास फिर से सही सलामत वापस आ जाए।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ ठीक चल रहा है। कोई समस्या नहीं है।

श्री राम निवास मिर्धा : महोदय, हम इस प्रार्थना में सम्मिलित है और इन शब्दों के साथ मै प्रो० दण्डवते से फिर अनुरोध करता हूं कि वह अपने संशोधन पर दबाव न डाले (व्यवधान) मुझे बस यही कहना है। मैं एक बार फिर सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जितनी गम्भीरता से यह मामला लिया जाना चाहिए उसे लिया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : संशोधन के बारे में एक शब्द। मैंने नियमानुसार एक संशोधन का प्रस्ताव किया था। लेकिन मुझे पता चला है कि संशोधन की भावना को पूरे सदन ने स्वीकार कर लिया है। मुझे इसके स्वरूप की अपेक्षा भावना के बारे में चिन्ता है और इसलिए मैं इस भावना को स्वीकार करता हूं तथा मैं सदन से अपने संशोधन को वापस लेने की प्रार्थना करता हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मन्त्री की सुरक्षा के बारे में

हमारी चिन्ता पर सारा सदन एकमत है तथा मुझे इस बात पर भी प्रसन्नता है कि आपने हमें यह अवसर प्रदान किया है जिसमें यह सदन इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात व्यक्त कर रहा।

मैं सिर्फ एक या दो बात स्पष्ट करना चाहता हूं। पहली उस पत्र के सम्बन्ध में है जिसके बारे में मुझे बताया गया है कि 17 कांग्रेसी व्यक्तियों ने हमारे राजनयिक को भारत में सिखों के मानवीय अधिकारों के कथित हनन सम्बन्धी जानकारी के लिए पत्र लिखा था। मैं निश्चयपूर्वक कहना चाहता हूं कि पत्र के लिखे बिना भी, यह राजनयिक का फर्ज है कि जिस देश में उसे नियुक्त किया गया है वहां के अन्य लोगों के सामने देश की ठीक तस्वीर प्रस्तुत करे। उन्हें 17 कांग्रेसियों से पत्र प्राप्त हुआ था जो उनके लिए न केवल स्वीकार करने के लिए बल्कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए एक सुनहरा अवसर होना चाहिए था। अगर उन्हें गलत जानकारी दी गई है, उस गलत जानकारी का निवारण करना, अगर उन्हें गलत सूचना दी गई है तो वह उन्हें सही सूचना दे सकते थे। यही सब है जो मुझे कहना है। पत्र को स्वीकार न करके तथा उन बातों का उत्तर न देकर आप उन 17 प्रभावशाली कांग्रेसियों को नाराज कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर डमोक्रेटिक पार्टी के हैं जो भारत के पुराने मित्र हैं ! यही मेरा मुद्दा है !

अगर मंत्री महोदय के पास तथ्य नहीं हैं तो वह तथ्यों को मंगाकर इसके बारे में ज्ञात करें कि यह क्या बात है। किसी भी देश में हमारे राजनयिक का कार्य करने का यह तरीका नहीं होना चाहिए। हम किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते विशेषकर जबकि हम उनके देश में हों।

दूसरी बात जो की गई थी मैं उसको सही मानकर चलता हूं जो एफ० बी० आई० ने प्रत्यक्ष तौर पर किया है। उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि इन उग्रवादियों ने न केवल प्रधान मन्त्री को नुकसान पहुंचाने की योजना बनायी थी बल्कि साथ ही इस देश में अस्थिरता उत्पन्न करने की भी योजना थी। उन्होंने शक्तिशाली विस्फोटों तथा हथियारों को हासिल करने की कोशिश की ताकि 36 मंजिल इमारत को और हमारे परमाणु संयन्त्रों को उड़ाया जा सके। ये सब जानकारी हमें दी गयी है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी कुछ हो रहा है इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह रहस्य खोला है। जनवरी से ये लोग एफ० बी० आई० के जाल में थे तथा इस संगठन का उन लोगों से सम्पर्क था और उन लोगों के साथ हुई सारी बातचीत को विडियो टेप किया गया था। अत: वे काम में लगे हुए थे। हमें इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए। सी० आई० ए० क्या कर रहा है अथवा क्या नहीं कर रहा है यह एक अनुमान लगाना मात्र है, यह एक अटकलों का विषय है। हमें इस अवसर का लाभ स्थिति को समझने के लिए उठाना चाहिए। प्रधान मन्त्री वहां जायें और मुझे विश्वास है कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा। परन्तु मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। वह न केवल संयुक्त राष्ट्र में जा रहे हैं बल्कि वह फ्रांस में जा रहे हैं; वह मिस्र की यात्रा पर जा रहे हैं; वह अल्जिरिया की यात्रा पर जा रहे हैं।

श्री बसुदेब आचार्य : वह सोवियत रूस की यात्रा पर भी जा रहे हैं।

श्री जी० जी० स्वैल : सोवियत यूनियन को छोड़ दीजिए क्योंकि ये चीजें वहां नहीं हो सकती। हम जानते हैं कि वहां पर अलग प्रणाली है। मेरे विचार में फ्रांस में उनकी सुरक्षा पर भी हम सुनिश्चित हो सकते हैं। मिस्र और अल्जिरिया क बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। अगर नुकसान करना है

तो यह विश्व में कहीं भी पहुंचाया जा सकता है और इसलिए मेरा मन्त्री जी से अनुरोध है कि वे इस विषय पर गौर करें।

अध्यक्ष महोदय : क्या प्रो० मधु दण्डवते को अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

माननीय सदस्यगण : जी, हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री स्वैल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा अमरीका की फैडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा एक ऐसे षड्यन्त्र का, जो भारत के प्रधान मन्त्री की आगामी अमरीका-यात्रा के दौरान उनकी हत्या करने के बारे में था, पर्दाफाश किए जाने के समाचार पर विचार करती है और उसे गहरी चिन्ता का विषय मानती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

6.28 म० प०

राज्य-सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य-सभा द्वारा 14 मई, 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित कम्पनी (संशोधन) विधेयक, 1985, की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

6.29 म० प०

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

(राज्य-सभा द्वारा यथापारित)

महासचिव : महोदय, मैं राज्य-सभा द्वारा यथापारित, कम्पनी (संशोधन) विधेयक, सभा-पटल पर रखता हूं।

आधे घण्टे की चर्चा

6.30 म० प०

भारत के बाहर के शहरों के लिए विशेष चार्टर और वापसी-किराया सुविधा

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, आधे घंटे की चर्चा होगी।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विश्व के सबसे तथा बहुत ही गतिशील उद्योग, जो पर्यटन है, पर चर्चा शुरू करूंगा और इस विषय पर बोलने से पहले मुझे इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। ऐसा इसलिए कि पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय पर मांगों के अन्तर्गत चर्चा करने का मौका नहीं दिया गया था।

6.31 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

भारत में भी यह एक उद्योग है जो आज 1030 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहा है और 1983-84 में विदेश से आये पर्यटकों की संख्या लगभग 8,84,730 थी। यद्यपि इसमें राष्ट्रीय पर्यटक भी सम्मिलित हैं और यह एक ऐसा उद्योग है जिसका भविष्य उज्जवल है। इस समय मैं भारत में पर्यटक आगमन की सम्भावना के विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं यह एक उद्योग है जिसके द्वारा इतनी अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है। इस उद्योग के प्रोत्साहन में आयात का अंश 1 प्रतिशत से भी कम है। अत: यह किसी निर्यात के बदले में जैसी की स्थिति आजकल है, विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं कर रही है। जहां तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार विभिन्न देशों में देने के सामर्थ की बात है चाहे वह अति आधुनिक उद्योग हो अथवा हथकरघा उद्योग हो, यह असीमित है। हम सभी यह जानते हैं। इससे देश के अल्पविकसित और देश के पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में भी सहायता मिलती है। पर्यटन विकास के साथ इससे भी अधिक पर्यटन और नागर विमानन एक ऐसा उद्योग है जिसके द्वारा एक देश के बाकी विश्व के देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत गुंजाइश है। और इन सभी सम्भावनाओं को देखते हुए हमें यह देखना है कि आज भारत किस स्थिति में है।

भारत में इस समय पर्यटकों का आगमन कोरिया, फिलिपीन तथा हांगकांग, सिंगापुर और शायद थाईलैंड की तुलना में पर्यटकों का आगमन के बहुत कम है। इन छोटे छोटे देशों में भारत के मुकाबले 2-1/2 गुणा है जो भारत कर सकता है। अगर आप ध्यान दें तो आज इन उद्योग पर ध्यान केन्द्रित करने का कारण यह है कि 1984 में भारत का पर्यटन अपने निम्नतम स्तर पर था। इसके राजनीतिक कारण थे। परन्तु शायद 1984 में जो भारत में पर्यटकों का आगमन आश्चर्यजनक रूप से गिरा वह पांच अथवा छ: कारणों की वजह से था जिसमें राजनीतिक एक कारण मुख्य था।

मैं एक बहुत ही विशिष्ट सुझाव देना चाहता हूं। माननीय प्रधान मन्त्री जी एस० ए० आर० एस०, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय समन्वय कार्यक्रम, के बीच सम्बन्धों का विकास करने के बहुत इच्छुक हैं। यह उचित समय है कि हम ऊँचे स्तर पर विचार करके एक संगठन पी० ए० डी० ए० तथा एस० ए० आर० टी० ए० की तरह बनाने का प्रस्ताव रखें और उसका नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय पर्यटक संघ रखें। यह संघ 9 देशों, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालडाइव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बंगलादेश और बर्मा में सम्मिलित है, के बीच समन्वय कर सकता है। और अगर आप एस०

ए० आर० टी० ए० को मिलाएँ, भारत को केन्द्र रखकर, स्वभावतः ही इससे सारे अन्य देशों को मिलाकर जितना पर्यटन होगा उससे चार गुना से भी अधिक पर्यटन उत्पन्न होगा। ए० एस० टी० ए० तथा पी० ए० टी० ए० से हमारे मुकाबले की सम्भावनाओं को देखें। ए० एस० टी० ए० तथा पी० ए० टी० ए० ने भारत के लिए क्या किया है ? वे कुल विश्व के अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का 0.7 प्रतिशत भी पर्यटन नहीं दिला सके हैं यद्यपि हम सरकार तथा गैर-सरकारी उद्यम इन दो संगठनों को सदस्यता के तौर पर कई मिलयन डालर दे रहे हैं।

इस समय चूंकि पर्यटन नीति स्पष्ट नहीं हैं अतः मैं चाहता हूं कि इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। मैंने माननीय प्रधान मन्त्री तथा मन्त्री महोदय को एक सुझाव दिया था कि हमें एक उच्च शक्ति प्राप्त पर्यटन बोर्ड स्थापित करना चाहिए, जिसे एक परामर्श बोर्ड समझा जाता है, परन्तु एक ऐसा बोर्ड जिसके पास अधिक कार्यकारीकार्य तथा अधिक अधिकार प्राप्त हों और ये भावी योजनायें तथा विभिन्न मन्त्रालयों तथा विभागों, केन्द्र राज्य के, बीच समन्वय करके प्रभावी तौर पर कार्य कर सके। गत कई वर्षों से हम यह कह रहे हैं कि पर्यटन को दूसरी वरीयता वाले उद्योगों विशेषतः निर्यात-प्रधान उद्योगों के समतुल्य समझना चाहिए। परन्तु कोई स्पष्ट परिभाषा अथवा मार्गदर्शन नहीं है। मेरे पास इसकी स्पष्ट तस्वीर है कि इसे कैसा होना चाहिए और मैं इसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसे निर्यात प्रधान उद्योग मानकर प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि संवर्धन प्रयास तेजी से किये जा सकें। भारतीय कराधान अधिनियम की धारा 32 ए० के अन्तर्गत निवेश तथा छूट भत्ते दिए जाने चाहिए। धारा 80 एच०-एच० सी० के तहत एक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले उद्योग के समान जहाँ 50 प्रतिशत लाभ को अलग रख लिया जाता है, इस उद्योग पर भी लागू किया जाना चाहिए। इक्विटी शेयर पूंजी को सम्पत्ति कर छूट देनी चाहिए---क्यों यह एक होटल उद्योग है—ताकि इसमें ज्यादा पूंजी निवेश हो और उससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावनायें बढ़ेगी। विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली वस्तुओं की बिक्री पर उत्पादन कर छूट देनी चाहिए तथा व्यापार के लिए आवश्यक ऐसे आयात पर आयात शुल्क हटा देना चाहिए। हमारी विदेशी-मुद्रा अर्जित करने की क्षमता बढ़ती है।

अब मैं चार्टर सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रश्न को लेता हूँ। हम सभी जानते हैं कि उन देशों में जहाँ पिछले एक या दो दशक में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का काफी तेजी से विकास हुआ है ऐसा इसलिए कर सके, क्योंकि वहां पर सरकार की प्रत्यक्ष नीति चार्टर सेवा को प्रोत्साहित करने की थी, और चार्टर सेवा एक ऐसा तरीका है जिस के द्वारा सस्ती यातायात सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। जहां तक भारत का संबंध है, गत वर्ष सिर्फ 25 चार्टर सेवाएं इस देश में प्वाइंट-टू-प्वाइंट आधार पर उपलब्ध करायी गई। बहुत से आयोजकों ने विशेषतः न्यूयार्क तथा बंगलौर के बीच प्वाइन्ट-टू-प्वाइन्ट चार्टर सेवा की मांग की थी परन्तु किन्हीं कारणवश इसे अस्वीकार कर दिया गया था। हमेशा जो बहाना बनाया जाता है कि इससे एयर इंडिया की कमायी में कमी हो जायेगी। अब मैं इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा। शायद इस सदन में कोई भी व्यक्ति एयर इन्डिया के बारे में मुझसे अधिक चिन्तित नहीं है क्योंकि आजकल मैं ही केवल संसद में एयर इंडिया का भूतपूर्व कर्मचारी हूँ। एयर इन्डिया ने अच्छा कार्य प्रदर्शन किया है और हमें उस पर गर्व है। 1983-84 में इस कम्पनी को 58 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है; तथा इंडियन एयरलाइन को 60 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। परन्तु इन चार्टर सेवाओं को अनुमति न देने के लिए यह बहाना नहीं करना चाहिए जिससे अन्तराष्ट्रीय पर्यटन, भारत में पर्यटकों के आगमन, में बाधा डाल रहे हैं, इस पर पाबन्दी लगा रहे हैं तथा इसे सीमित कर रहे

हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इसके परिणामस्वरूप एयर इन्डिया को घाटा उठाना पड़ेगा। और कि थोड़े सा हिसाब किताब करके श्रीमकों को सस्ते किराये पर भारत वापस आने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इससे राष्ट्रीय पर्यटकों को भारत आने में वृद्धि होगी तथा इससे उनकी यात्रा के चांसों में बढ़ोतरी होगी तथा उसके कारण एयर इन्डिया का लाभ घट जायेगा और इसलिए प्वान्ट-टू-प्वाइन्ट पर्यटकों के आगमन को सीमित रखना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि चार्टर सेवा पर हमारा मार्गदर्शन स्पष्ट होना चाहिए। मेरा सुझाव है; (1)जब हम एक चार्टर सेवा की अनुमति देते हैं, आप उस चार्टर सेवा को किसी विदेशी स्थल से एक ऐसे हवाई अड्डे के बीच शुरू करने की अमुमति दें जिस पर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुविधाएं न हों ताकि वे सीधे एयर इंडिया के पास प्रतिस्पर्धा न कर सकें। इसे किसी अन्य हवाई अड्डे के बीच शुरू करें न कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच। (2) चार्टर सेवा का उपयोग करने वाले उन सभी भारतीय पास-पोर्ट होल्डर कोआने की अनुमति प्रदान न करें। आप ऐसी शर्त लगा सकते हैं क्योंकि यह आई० ए० टी० ए० विनियमों में बाधक नहीं है। आप यह प्रतिबन्ध लगाकर उसके बाद किसी भी विदेशी स्थल से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को छोड़कर किसी भी अन्य हवाई अड्डों, जो देश में 8 या 10 हैं, के बीच चार्टर सेवा शुरू कर सकते हैं। अगर आप इस हद तक ढील दें तो इसी वर्ष, इसी सर्दी के मौसम में एक चार्टर विमान प्रति सप्ताह चला सकेंगे और एक चार्टर विमान में 272 यात्री आ सकते हैं। और इस प्रकार देश के 8 या 10 हवाई अड्डों पर इन्हीं सर्दियों में एक लाख विदेशी पर्यटक आ सकेंगे और पांच वर्षों के दौरान इस मांग के साथ-साथ यह मांग प्रति दिन सभी 8 से 10 हवाई अड्डों पर एक चार्टर सेवा तक पहुंच सकती है। 8 माह के समय में, जोकि पर्यटक मौसम है, एक मिलियन पर्यटक हमारे देश में आ सकते हैं और इससे हमारे पर्यटन की सम्भावनायें दुगनी हो जायेंगी हमें बहुत अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

परन्तु इससे पहले मैं उन अन्य दूसरी सुविधाओं के बारे में कहूं जो उपलब्ध करायी जानी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वीसा की सुविधा उनमें से एक है। हमें शिकायतें मिलती हैं कि एक व्यक्ति को वीसा जारी करने वाले प्राधिकरण से वीसा प्राप्त करने में कई महीने लग जाते हैं। मैं यह जानता हूं कि सुरक्षा उपाय एक महत्वपूर्ण बात है, विशेषकर वर्तमान स्थिति में जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। सुरक्षा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अगर हमारे पास कमप्यूटर जैसी कोई प्रणाली हो जिसके द्वारा विभिन्न दूतावासों से वीसा जारी करने वाले प्राधिकरण को प्रतिपुष्टि मिल सके, वीसा तुरन्त जारी किया जा सकता है। इसमें दो महीने क्यों लगते हैं ? जटिल प्रक्रिया की तरफ देखिए।

यह वर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है जब सीटों की बिक्री भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। एक है फ्रांस में भारत महोत्सव के बाद संयुक्त राष्ट्र अमरीका में भारत महोत्सव जिसके लिए माननीय प्रधान मन्त्री अगले माह अमरीका जा रहे हैं। अतः मेरे विचार में यह आवश्यक है कि हमें कोई मार्किट अनुसंधान करके यह मालूम करना चाहिए कि अपने देश में हम किस प्रकार से पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं।

विभाग को शक्तिशाली बनाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं और मैं यह समझता हूं कि इस समय उनका उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा। एक है बसों, कोचों तथा पर्यटक कारों के लिए लाइसेंस जारी करना जो आजकल परिवहन मन्त्रालय के हाथ में है और पर्यटन मंत्रालय तथा परिवहन मन्त्रालय के बीच कोई तालमेल नहीं है। यह कार्य पर्यटन मन्त्रालय के पास क्यों

नहीं होना चाहिए—लाइसेंस जारी करने, विशेषत: पर्यटक कारों के लाइसेंस को ?

दूसरी बात, हम होटलों के विकास की बात कर रहे हैं। आई० एफ० सी० आई० जो होटल बनाने के लिए अग्रिम ऋण देता है उसे पर्यटन मन्त्रालय के अधीन क्यों नहीं होना चाहिए ? क्योंकि ज्ञात होता है कि कहां और किसे इन ऋणों को देना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हालांकि होटलों का निर्माण करना होगा परन्तु आजकल 5-सितारा होटलों का निर्माण बनाने की तरफ झुकाव है। इस समय आवश्यकता तीन-सितारा होटलों के बनाने की है—अच्छे तथा उचित दामों पर। होटल उद्योग तीन-सितारा होटल बनाने के लिए आगे नहीं आ रहा है। शायद वे यह महसूस करते हैं कि अगर वे 5-सितारा होटलों का निर्माण करेंगे तो उन्हें अधिक लाभ या अधिक ऋण प्राप्त हो सकेगा।

मैं आई० टी० डी० सी० के बारे में भी बात करना चाहूंगा क्योंकि मैं इस संगठन का निदेशक रहा हूं। भारतीय पर्यटन विकास निगम ने इस वर्ष अपनी पूरी अच्छी मन्शा के साथ कार्य करने के पश्चात् ऐसा वर्ष देखने को मिला है जिसमें ध्वजपोत अशोक को भी अवमूल्यन का भुगतान करना पड़ा है और इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि बहुत ही सख्त लागत नियन्त्रण न केवल अशोक पर लागू करना होगा बल्कि देश के सभी आई० टी० डी० सी० उद्यमों में भी लागू करना होगा एवम् भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय होटल निगम में बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा। भारतीय होटल निगम एयर इन्डिया का संस्थान है और वह श्रीनगर, राजगीर आदि में होटल बना रहा है।

मैं कुछ ठोस सुझाव देना चाहता हूं, अर्थात्, भारत के बौद्ध पर्यटन को अधिक प्रोत्साहन देना; भारत में कृष्ण यात्राएं तथा एक भारतीय नदी पर्यटन विकास निगम की स्थापना करना जो हमारी बड़ी-बड़ी नदियों की ओर पर्यटन की वृद्धि करेगा और इससे न केवल अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्वदेश के पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी।

[हिन्दी]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने देश में पर्यटन का विकास तेजी से होना चाहिए, इस बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। पर्यटन के विकास के बारे में पिछले सालों में जिस प्रकार की स्थिति रही है, उसके ऊपर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। मुझे इस बात की खुशी है कि उनकी 1982-83 में पर्यटकों की संख्या में जो घाटा हुआ था, उनके कारणों की जानकारी है। उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया है।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा, जैसी कि माननीय सदस्य की इच्छा है और हम लोग खुद चाहते हैं कि हमारे देश के जो अलग-अलग रीजन्स हैं, वहां पर टूरिज्म का विकास हो और टूरिज्म के महत्व पर जो उन्होंने प्रकाश डाला है, इस में दो रायें नहीं हैं कि हमारा मन्त्रालय उन मुद्दों को सामने रखते हुए पर्यटन विकास के लिए काम कर रहा है।

जहां तक उन्होंने टूरिज्मबोर्ड बनाने की बात कही है, मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि बोर्ड बना हुआ है। और इसकी अगली बैठक भी इस साल जून में होने जा रही है। जहां तक उन्होंने टूरिज्म को एक्सपोर्ट ओरियेन्टेड इन्डस्ट्री बनाने के बारे में सुझाव दिए हैं, यह मामला हमने पहले ही वित्त मन्त्रालय से टेक-अप किया हुआ है। हमारा प्रयास है कि जो सुविधायें इण्डस्ट्रीज

को, विशेषकर एक्सपोर्ट इण्डस्ट्रीज को मिलती हैं, उसी प्रकार की सुविधायें पर्यटन उद्योग में काम करने वाले लोगों को मिलें। इस सम्बन्ध में हमारा प्रयास जारी है और हमें यह आशा है कि वित्त मन्त्रालय जल्दी ही इस पर फैसला करेगा और उस फैसले के माध्यम से इस क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को सुविधायें मिल सकेंगी।

माननीय सदस्य ने कहा है कि न्यूयार्क से बेंगलौर के लिए किसी चार्टर्ड के लिए रिक्वेस्ट की गयी थी जो नहीं दी गयी। हमारे मन्त्रालय में इस प्रकार की कोई रिक्वेस्ट या प्रार्थना पेश नहीं की गई और न हमें इस की जानकारी है। अगर सदस्य महोदय कुछ ज्यादा जानकारी देंगे तो मैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकूंगा। अभी तक चार स्थानों के लिए चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए परमीशन दी हुई थी, लेकिन जब हम ने उनमें गोआ और त्रिवेन्द्रम को भी जोड़ दिया है। हमारा लगातार यह प्रयास है कि विदेशों में जो चार्टर्ड फ्लाइट्स अरेंज करने वाली कम्पनियां हैं उनको अधिक से अधिक सुविधायें दें। साथ ही जो हमारी चार्टर्ड फ्लाइट्स के लिए पालिसी है और जो गाइड-लाइन्ज बनी हुई हैं उनको हम बराबर रिलैक्स करते रहते हैं जिससे उनको यहां आने की सुविधायें मिल सकें। 1984में उन कम्पनियों के यहां आने का मौका बन चुका था, लेकिन आप जानते हैं कि टूरिज्म की दृष्टि से 1984 का वर्ष बहुत खराब रहा है और यही वजह है कि हमारी भी टूरिज्म की फिगर माइनस में चली गई। लेकिन अभी भी हमारा प्रयास है, हमारे मन्त्रालय के डायरेक्टर जैनरल या सैक्रेटरी या दूसरे अधिकारी जब भी बाहर जाते हैं तो बराबर इस बात का प्रयास करते हैं कि वहां के चार्टर्ड आपरेटर्स से बात करें और उन्हें कन्विंस करें कि उनको सब तरह की सुविधायें यहां दी जायंगी जिससे वे अपने चार्टर्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्यटकों को यहां ला सकें।

माननीय सदस्य ने टूरिज्म के डवेलप करने के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं टूरिज्म के डवेलपमेंट के सम्बन्ध में विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि हम लोग उसी दिशा में चल रहे हैं और बराबर अलग-अलग मन्त्रालयों से सम्पर्क बना कर चल रहे हैं जिससे उन सबके कोआर्डिनेशन से जो पर्यटक यहां आयें उनको अधिक से अधिक सुविधाएं दिला सकें।

माननीय सदस्य ने यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि हमारे यहां पांच-सितारा होटलों के बजाय तीन-तारा होटलों की संख्या बढ़ायी जाय। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं—जब से माननीय राजीव गांधी जी ने इस मन्त्रालय का भार अपने साथ रखा है, तब से हमारी यह पालिसी बनी है कि हमारे यहां तीन-तारा, दो-तारा या एक-तारा होटलों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। साथ ही जो घरेलू पर्यटक हैं उनकी सुविधा के लिए सस्ते आवास के निर्माण की दिशा में भी हम सोचने लगे हैं। आई० टी० डी० सी० को भी हमने कहा है कि वे भी इस दिशा में अपनी योजनायें बनायें।

माननीय सदस्य ने हांगकांग, सिंगापुर, थाइलैंड तथा अन्य पड़ौसी देशों में चार्टर्ड आपरेटर्स के माध्यम से जो टूरिस्ट्स जाते हैं उनका जिक्र किया है। इस बारे में दो रायें नहीं हैं, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे यहां भी उसी तरह की ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें ताकि ज्यादा टूरिस्ट आ सकें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो गाइड-लाइज बनी हुई हैं और जो रिलैक्सेशन्ज हमने दी हैं, यदि मैं पढ़ूंगा तो उसमें बहुत समय लग जायगा। मैं उन्हें माननीय सदस्य को भेज दूंगा जिससे उनको पूरी जानकारी मिल जायगी, फिर भी वे कोई क्लेरिफिकेशन चाहेंगे तो मैं देने को तैयार हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : मन्त्री जी ने बहुत विस्तार से सब कुछ बतला दिया है, इसके बाद अब पूछने को कुछ नहीं है। मन्त्री जी को उनके शानदार जवाब के लिए बधाई देता हूं।

6.55 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 16 मई, 1985/
26 वैशाख, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबंधक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13 नवीन शाहादरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित